

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

OA/455/2015

IN THE MATTER OF:

DR. DEVASHISH BHATTACHARYA

..APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

...RESPONDENT

INDEX

| <u>SL.NO.</u> | <u>PARTICULARS</u> | <u>PAGE NO.</u> |
|----------------------|--|------------------------|
| 1. | REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5 TAJ TRAPEZIUM ZONE POLLUTION (PREVENTION & CONTROL) AUTHORITY, AGRA TO THE ORIGINAL APPLICATION NO. 455/2015 | 1 -10 |
| 2. | ANNEXURE -1 (COLLY) Copy of the Minutes of meetings of the Answering Respondent dated 25.04.2022 and 10.08.2022 | 11-348 |
| 3. | ANNEXURE- 2 (COLLY) A Copy of letter dated August 2023 and 03.09.2024 of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India | 349-350 |
| 4. | ANNEXURE -3 A copy of the e-mail letter dated 11.10.2024 sent by Torrent Power Ltd. | 351 |

| | | |
|----|------------------|-----|
| 5. | PROOF OF SERVICE | 352 |
|----|------------------|-----|

Dated: 05.02.2025

Place: New Delhi

THROUGH:



SOMESH TIWARI

(D/4294/2016)

Advocates for the Respondent No. 5
VARDHARMA CHAMBERS
11/11A Golf Apartments, Golf Links,
New Delhi- 110003.
M. 91675 40567
EMAIL: vardharma@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 455/2015



IN THE MATTER OF:

DR. DEVASHISH BHATTACHARYA

....PETITIONER


VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

....RESPONDENTS

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5 TAJ
TRAPEZIUM ZONE POLLUTION (PREVENTION & CONTROL)
AUTHORITY, AGRA TO THE ORIGINAL APPLICATION NO.
455/2015

I, Arun Mozhi M. W/o Shri Karunanithi, aged about 37 years working as Vice-Chairman, Agra Development Authority and Member-Convener, Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention & Control) Authority, Agra, having registered office at Jaipur House Colony, Agra (U.P.) do hereby state on solemn affirmation as under :



1. That the Deponent is currently posted as and is authorized and competent to sign the captioned affidavit. That the Deponent is the Respondent No. 5 in the present above stated matter and is being well conversant with the facts of the present case and is deposing herein below.

2. That the Deponent has read the contents of the Original Application, and he is thereafter giving the reply to the averments made in the Application, however before giving the reply to the contents of the Original Application, the factual matrix is stated below:-

PRELIMINARY OBJECTIONS:

3. That the captioned Original Application bearing No. 455/2015 was filed by the Applicant alleging that large scale pollution is being caused in Agra city by unorganized 'Petha' manufacturing industry and the Applicant prayed for directions from this Hon'ble Tribunal for stopping using of fossil fuels for manufacturing of 'Petha' and also sought directions to the Petha manufacturers not to dispose of waste products in sewage or in open places in Agra as per directions of Hon'ble Supreme Court of India passed in **Writ Petition (Civil) No. 13381 of 1984 Shri M.C. Mehta Vs. Union of India & others**



4. That it is submitted that with a view to shift Petha manufacturing business from the heart of city of Agra which were spreading pollution, Agra Development Authority, Agra carved out a separate Colony in the year 1998 in Kalindi Vihar area called "Petha Nagari" where it proposed to shift Petha units from the heart of city of Agra to Kalindi Vihar area Petha Nagari, Agra.

5. That the Petitioner is seeking relief in respect of relocation of the Petha manufacturers in the city of Agra to a distant place. The cause of action stated in the Original Application does not concern the Answering Respondent as Agra Development Authority (Respondent No. 4) has already taken necessary action on its part as stated in the above para.


PARAWISE REPLY:

1. That the contents of Para 1 of the O.A. need no reply being not concerned with the Answering Respondent, if any contrary then the Answering Respondent deny the same in toto.

2. That the contents of Para 2 of the O.A. need no reply being not concerned with the Answering Respondent, however it is stated that Respondent No. 4 (Agra Development Authority) has already made a scheme for relocation of the Petha manufacturing in Sector B, Kalindi Vihar Scheme, Agra.



3. That the contents of Para 3 of the O.A is admitted only to the extent that that the Petha manufacturing unit is a cottage industry and has been in operation since centuries giving employments to local people within the city. Efforts are being made by Respondent No. 4 (Agra Development Authority) and District Administration for shifting of Petha manufacturing units from the city to Kalindi Vihar Scheme. It is also submitted that a total number of 153 plots have been earmarked for Petha manufacturers in Kalindi Vihar Scheme out of which 104 plots have been already allotted to Petha manufacturers and rest 49 plots are in the process for allotment.
4. That the contents of Para 4 of the O.A. need no reply being not concerned with the Answering Respondent, however it is submitted that that Petha manufacturing units are registered in the Department of Food and Drug Administration and does not fall in the purview of Directorate of Industries, U.P.
5. That the contents of Para 5 to 10 of the O.A. is wrong and denied being false. It is submitted that the Petha manufactures have already been shifted to the Petha Nagari developed by the Agra Development Authority at Kalindi Vihar. It is further submitted that there is no use of local/wood/coke in the Agra city within Taj Trapezium Zone



and now the primary source of fuel is gas, moreover, the Applicant has himself admitted in paragraph no. 5 that the use of coal/ wood/coke in Taj Trapezium Zone is regulated. It is further submitted that in the 56th meeting dated 25.04.2022 of 'Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority (Answering Respondent) direction has been given to Additional District Magistrates (City), Agra that coal/coke/ wood/leather cutting should not be used in the production of Petha by the Petha manufacturing unit under any circumstances. Similarly, it is the responsibility of Sub-Divisional Magistrates (SDM's) in Tehsils that coal/coke/ wood/leather cutting should not be used in the production of Petha by the Petha manufacturing units. Subsequently, Answering Respondent in its 57th meeting dated 10.08.2022 has given direction to the District Magistrate, Agra to ensure that coal/coke/wood/leather cutting should not be used in any condition in the production of Petha. Similarly, it should be ensured in Tehsils through Sub-Divisional Magistrates (SDM's) that coal/coke/leather/wood should not be used in the production of Petha by the Petha manufacturing units and hence there is no violation of the order of the Hon'ble Supreme Court passed on dated 30.12.1996 in the Writ Petition (C) No. 13381 of 1984 (M.C. Mehta Vs. Union of India & Others). A Copy of the Minutes of meetings of the Answering Respondent dated 25.04.2022 and 10.08.2022 is annexed herein and

marked as **Annexure -1 'Colly'**.



6. That the contents of Para 11 are wrong and denied being false, it is submitted that the Judgment and order of the Hon'ble Supreme Court has been complied in letter and spirit. There is no violation of the Hon'ble Supreme Court's order passed on dated 30.12.1996 in Writ Petition (C) No. 13381 of 1984 (M.C. Mehta Vs. Union of India & others). It is further submitted that Joint efforts are being made by the concerned departments to curb the industrial pollution, vehicular pollution, bio-mass and solid waste burning, construction and road dust etc. for improving the ambient air quality in Taj Trapezium Zone, which is being monitoring by Answering Respondent regularly. As a result of these efforts in the year 2023 Agra has been awarded 2nd Prize Nationally in category-1 (more . than 10 lac pollution) for taking air quality improvement measures under National Clean Air Program (NCAP) by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. In the year 2024 also, Agra has been awarded 3rd Prize Nationally in category-1 (more than 10 lac pollution) for taking air quality improvement measures under National Clean Air Program (NCAP) by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. A Copy of letter dated August 2023 and 03.09.2024 of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India is annexed herein and marked as

Annexure 2 'Colly'.



7. That the contents of Para 12 to 13 of the O.A. is wrong and denied being false, it is submitted that the Judgment and order of the Hon'ble Supreme Court order passed on dated 30.12.1996 in Writ Petition (C) No. 13381 of 1984 (M.C. Mehta Vs. Union of India & others) has been complied in letter and spirit. It is further submitted that in compliance of order passed by the Hon'ble Apex Court all foundries are using natural gas/ electricity as a fuel. It is also pertinent to mention here that the article titled '*Environmental Management of Petha Industry in Agra City*' published in the Journal of Civil Engineering and Environmental Technology was published in August 2014 which is more than 10 year old. Presently, it is submitted that the situation is different as the Petha manufacturing units are using commercial LPG as a fuel and regular monitoring is being done by the District Administration of the city of Agra and whenever, if any Petha Manufacturing units are found operational by coal/coke/ wood etc. strict action is being taken by the District Administration along with Police, Municipal Corporation and U.P. Pollution Control Board.
8. That the contents of Para 14 to 24 of the O.A. need no reply being not concerned with the Answering Respondent and being matter of records, if any contrary then the Answering Respondent deny the same in toto.



9. That the contents of Para 25 to 28 of the O.A. so far as related to the Answering Respondent are incorrect, false and denied. It is stated that the Agra Development Authority has already provided the basic infrastructure i.e. road, surface drain, sewerage, surface pavement, water supply pipeline, electricity etc. in Petha Nagari. It is also submitted that Agra Development Authority has also allotted a plot specifically to M/s Green Gas Ltd. in Petha Nagari for CNG station and the possession of the plot has also been handed over to the gas company. Thus, all the necessary infrastructure as required by the Petha industry is developed by the Agra Development Authority.
10. That the contents of Para 29 of the O.A. need no reply being not concerned with the Answering Respondent, if any contrary then the Answering Respondent deny the same in toto.
11. That the contents of Para 30 of the O.A. is wrong and denied. It is submitted that in compliance of order passed on dated 30.12.1996 in Writ Petition (Civil) No. 13381 of 1984 (M.C Mehta V/s Union of India and Ors.) by the Hon'ble Supreme Court of India, 24 hours electric supply is being provided by Torrent Power Ltd. under Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. A copy of the e-mail letter dated 11.10.2024 sent by



Torrent Power Ltd. is annexed herein and marked as **Annexure-3**.

12. That the contents of Para 31 of the O.A is wrong, false and hence denied, the reply to the said Para has already been given in Paras above, if any contrary then the Answering Respondent denies the same in toto.
13. That the contents of Para 32 of the O.A need no reply being not concerned with the Answering Respondent, if any contrary then the Answering Respondent deny the same in toto.
14. That the contents of Para 33 of the O.A is wrong, false and hence denied, the reply to the said Para has already been given in Paras above, if any contrary then the Answering Respondent denies the same in toto.
15. That the contents of Para 34 to 36 need no reply being not concerned with the Answering Respondent, if any contrary then the Answering Respondent deny the same in toto.
16. That considering the averment made in above Paras, it is respectfully submitted that this Hon'ble Tribunal may kindly dismiss the present Original Application of the Applicant as against the Respondent no. 5.



In view of the facts/contentions and submission set in present Reply Affidavit, the Answering Respondent No. 5 prays that this Hon'ble Tribunal may be pleased to dismiss the present Original Application as prayed therein.

M.A.
DEPONENT

VERIFICATION

I, the above-mentioned Deponent, do hereby verify that the contents of the above Affidavit and the Annexure herewith are true and correct to the best of knowledge, no part of its false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at AGRA on this day of 05 Feb. of 2025.

M.A.
DEPONENT

3 nos F/221/2025
Explained to Sh. *Arun Mohan*
read by *Karananathi*
I have understood the contents
of the above Affidavit & declare on
solemnly affirmed & declare on
oath on 05/2/2025
at Agra
identified by *Self*

NOTARY
05/2/2025
Pawan Kumar
Sharma Advocate
Distt.- AGRA
Regd No 2323/02
VALID-04/12/27
GOVT OF INDIA

दिनांक 25.04.2022 को मध्याह्न 12.00 बजे मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा की अध्यक्षता में सम्पन्न 'ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण' की 56वीं सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के सदस्यगणों/अधिकारियों/विशिष्ट आमंत्रियों के स्वागतोपरान्त 'ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण' की 56वीं बोर्ड बैठक आरम्भ की गयी। बैठक की उपस्थिति संलग्नक-1 पर संलग्न है।

एजेण्डा बिन्दु सं0-1

'टी0टी0जैड0 प्राधिकरण' की गत 55वीं बोर्ड बैठक दिनांक 16.12.2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि-

'प्राधिकरण' की गत सम्पन्न बोर्ड बैठक दिनांक 16.12.2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा बिन्दु सं0-2

'टी0टी0जैड0 प्राधिकरण' की गत 55वीं बैठक दिनांक 16.12.2021 की अनुपालन आख्या- 'प्राधिकरण' की गत बैठक दिनांक 16.12.2021 के निर्णयानुक्रम में सम्बन्धित विभागों द्वारा कृत अनुपालनीय कार्यवाही की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। विभिन्न बिन्दुओं/प्रकरणों तथा प्रस्तावों पर बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये-

अन्य बिन्दु-

(1) सफाई व्यवस्था, प्लास्टिक/पोलीथीन एवं कूड़ा जलाने तथा चिकित्सा संस्थानों द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण के सम्बन्ध में-सहायक आयुक्त (खाद्य), आगरा मण्डल, आगरा (सहायक नोडल अधिकारी) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा व हाथरस से निर्धारित प्रारूप में सूचनार्यें प्राप्त हुई हैं, जिनके तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट होता है कि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद एटा के अवागढ़ एवं जलेसर की सूचना/आंकड़े संतोषप्रद नहीं हैं। जनपद हाथरस की भी सूचनार्यें संतोषजनक नहीं हैं। यद्यपि आयुक्त, नगर निगम, जनपद भरतपुर (राज0) के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है लेकिन अपने पत्र दिनांक 22.03.2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि माह मार्च, 2022 तक 133 किग्रा0 पॉलीथीन कैरीबैग जब्त करते हुये रू0 5,700/- का जुर्माना वसूल किया गया है। गत बैठक में प्रदत्त निर्देशानुक्रम में जनपद-आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद के ताज संरक्षित क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक/थर्माकोल/पॉलिथीन/कूड़ा जलाने पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में निरीक्षण कर मानक के उल्लंघन की जाँच हेतु एवं निर्धारित प्रारूप पर बैठक से पूर्व निरीक्षण आख्या/सूचना दिनांक 17.04.2022 तक प्रस्तुत किये जाने हेतु जनपदवार टीमों का गठन किया गया है।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्धारित प्रारूप में संकलित सूचना/आंकड़ों के तुलनात्मक विवरण से यह परिलक्षित हुआ कि जनपद एटा में सिंगल यूज प्लास्टिक की जब्ती शून्य है। इस प्रकार जनपद हाथरस की भी सूचनार्यें संतोषप्रद नहीं हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि जनपद एटा व हाथरस में कोई ठोस कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा रही है, जो खेदजनक है। निर्देश दिये गये कि अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनार्यें संकलित कर बैठक से पर्याप्त समयापूर्व टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जायें। जनपद एटा व हाथरस के ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में नगर पालिका परिषद् के द्वारा निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा जिलाधिकारी, एटा, हाथरस एवं भरतपुर (राज0) द्वारा अपने जनपद में तदनुसार टीम गठित कर की गयी कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा को उपलब्ध करायी जाये। नगर आयुक्त, आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनार्यें प्रेषित करने से पूर्व आंकड़ों का स्वयं अपने स्तर से परीक्षण करने के पश्चात् ही सम्बन्धित को सूचनार्यें प्रेषित करें। रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व अवश्यमेव उपलब्ध करा दी जाये।

(कार्यवाही-समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत/अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल) गत बैठक के निर्णयानुक्रम में साफ-सफाई, कूड़ा जलाये जाने, ठोस अपशिष्ट एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रकरण पृथक्-पृथक् रूप से मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0-3, 4, 5 एवं 6 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, अतः इस बिन्दु के अन्तर्गत प्लास्टिक/पोलीथीन के अतिरिक्त सम्मिलित सफाई व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट निस्तारण, कूड़ा जलाने तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के बिन्दु/प्रकरण को विलोपित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

(2) पेठा इकाइयों के स्थानान्तरण एवं पेठा इकाइयों में कोल/कोक के उपयोग पर प्रतिबंध के सम्बन्ध में—परियोजना प्रबन्धक, विश्व बैंक इकाई—प्रथम, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा शहर के ट्रांस यमुना क्षेत्र हेतु तैयार की गयी रू० 667.30 करोड़ की लागत की परियोजना की पी०एफ०आर० को आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा के स्तर से पत्र दिनांक 14.03.2022 के द्वारा अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को प्रेषित किया जा चुका है। ट्रांस यमुना क्षेत्र के पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में तैयार की गयी परियोजना पूर्व में अमृत योजना के तहत स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी थी किन्तु अपरिहार्य कारणोंवश परियोजना स्वीकृत नहीं हो सकी है। उक्त परियोजना अमृत योजना के अगले चरण (ट्रंच) में प्रस्तुत की जायेगी।

जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि निरीक्षण के समय 11 पेठा इकाइयों कोयले से संचालित पायी गयीं, जिन्हें टीम द्वारा मौके पर सील करते हुये, भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया है। पेठा निर्माण इकाइयों में कोल/कोक/लैदर/लकड़ी का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित कराने हेतु शहरी क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट/सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी नामित कर सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो० की संयुक्त टीम बनाकर पेठा निर्माण इकाइयों के विरुद्ध प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही करायी गयी है। ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोल/कोक/लैदर/लकड़ी के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित कराया जा रहा है।

अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि पेठा इकाइयों में कोयला पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, आगरा विकास प्राधिकरण, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित थानों के पुलिस बल के साथ संयुक्त टीम का गठन कर लगातार पेठा कारखानों/भट्टियों की सीलिंग/ध्वस्तीकरण एवं जुर्माना वसूले जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 04.04.2022 को किये गये औचक निरीक्षण के समय 05 इकाइयों में पेठा उत्पादन में कोयले का प्रयोग होता पाया गया, जिसे मौके पर गठित संयुक्त टीम द्वारा सील करने की कार्यवाही की गयी। उक्त के अतिरिक्त थाना डौकी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नगरीया, तहसील फतेहाबाद में बड़े पैमाने पर कोयले से पेठा उत्पादन की सूचना प्राप्त होने पर उपजिलाधिकारी फतेहाबाद को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 11.04.2022 को ग्राम नगरीया में भवन स्वामी श्री सत्यभान पुत्र श्री रामदास के परिसर में कुल 02 भट्टी एवं श्री रनवीर सिंह पुत्र श्री साहब सिंह के परिसर में कुल 02 भट्टी, जो लकड़ी से संचालित पायी गयी, का ध्वस्तीकरण करते हुये परिसर को सील कर दिया गया है।

पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बल्केश्वर स्थित मै०निर्मल ट्रेडर्स, 32/164/2, लाल मस्जिद बल्केश्वर, थाना कमला नगर, आगरा की जाँच करने पर पाया गया कि निर्मल कुमार जैन पुत्र स्व० मुन्नीलाल जैन ने करीब 04 वर्ष पूर्व कोयला का भण्डारण/बिक्री का काम बन्द कर दिया गया है, लाल मस्जिद निवासियों के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में इस क्षेत्र में कोयला डिपो नहीं है और न ही इस क्षेत्र में कोयला की बिक्री व भण्डारण होता है।

श्री केशो मेहरा, गैर-सरकारी, सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि कालिन्दी विहार योजना में पेठा इकाइयों का स्थानान्तरण उचित है लेकिन सर्वप्रथम कालिन्दी विहार में गंगाजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है, जिससे कि पेठा इकाइयों स्वतः अपने व्यवसाय कालिन्दी विहार योजना में स्थानान्तरित कर सकें।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि गठित टीम के द्वारा पेठा कारखानों/भट्टियों में कोयले का प्रयोग पाये जाने पर जुर्माना एवं सीलिंग की कार्यवाही की जाती है। पेठा व्यवसायी के द्वारा सील खोलने का अनुरोध किये जाने पर पेठा व्यवसायी से इस आशय का एक शपथ-पत्र प्राप्त किया जाता है कि उसके द्वारा वांछित स्थल पर पेठे का निर्माण नहीं किया जायेगा बल्कि कालिन्दी विहार योजना में ही पेठे का निर्माण किया जायेगा। उसके पश्चात् सील खोली जाती है।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि जिन पेठा व्यवसायियों के द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर सील खुलवाये जाने का अनुरोध किया जाता है, उन पेठा व्यवसायियों के उस स्थल, जहाँ पेठा कारखाना स्थल पर कोयले का प्रयोग पाये जाने पर सीलिंग की कार्यवाही की गयी है, पर पेठा व्यवसायियों के द्वारा किये जाने वाले वैकल्पिक कार्य का ब्यौरा भी शपथ-पत्र में लिखा जाये कि उस स्थल पर पेठा व्यवसायी कौन-सा कार्य करेगा। ऐसा न हो कि सील खोलने के उपरान्त पेठा व्यवसायी के द्वारा उस स्थल पर पुनः पेठा उत्पादन में कोयले का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया जाये। उक्त के अतिरिक्त सील खोलने में अन्यथा जो भी विधिक प्रक्रिया स्थापित हो, उसका पालन सुनिश्चित

l m

OL

P

किया जाये। गठित टीम, जिसके नोडल अधिकारी ए0सी0एम0 नामित हैं, के द्वारा अन्य स्थलों के साथ-साथ ऐसे स्थलों का भी औचक निरीक्षण किया जाये, जिन स्थलों पर सील खोली गयी है। ए0सी0एम0 (नोडल अधिकारी) के नेतृत्व में गठित टीम का यह उत्तरदायित्व है कि पेठा उत्पादन में किसी भी स्थिति में कोल/कोक का प्रयोग न हो। इसी प्रकार तहसीलों में एस0डी0एम0 का यह दायित्व है कि पेठा इकाइयों द्वारा पेठा उत्पादन में कोल/कोक/लैडर/लकड़ी का प्रयोग न हो। इन टीमों द्वारा पेठा उत्पादन में कोयला जलाने वालों के लिये अभिसूचना तंत्र विकसित किया जाये तथा कृत कार्यवाही की मासिक रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी(नगर)/एस0डी0एम0)

जिलाधिकारी, आगरा के द्वारा ओ0डी0ओ0पी0/अन्य उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत पेठा उत्पादन से जुड़े कामगीरों को गैस से पेठा बनाये जाने के सम्बन्ध में उचित प्रशिक्षण दिलाया जाये एवं सेन्सिटाइज किया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, आगरा)

उ0प्र0 जल निगम के द्वारा कालिन्दी विहार योजना में गंगाजल की आपूर्ति के लिए ट्रांस यमुना क्षेत्र हेतु तैयार की गयी रू0 687.30 करोड़ की लागत की परियोजना को अमृत योजना के अगले चरण (ट्रंच) में प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास किये जायें। नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा उक्त परियोजना की शीघ्र स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को पुनः पत्र प्रेषित किया जाये। कृत कार्यवाही से अगली बैठक से पूर्व अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-परियोजना प्रबंधक, वि0बै0इ0-प्रथम, उ0प्र0 जल निगम/नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा)

(3) ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत कोल डिपोस के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में- संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी 48 कोल/कोक विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 15 फर्म बन्द पायी गयीं, 04 फर्मों में कोयले का प्रयोग होता नहीं पाया गया, 05 फर्मों केन्द्रीय अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही उनके स्तर से किया जाना सम्भव नहीं है। 12 फर्मों के जी0एस0टी0 पंजीयन निरस्त किये गये हैं, 02 फर्मों जी0एस0टी0 में पंजीकृत नहीं पायी गयी हैं तथा 02 फर्मों के पते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जाँच के समय अपूर्ण पाये गये हैं। सूची में शेष 08 कोल/कोक व्यापारियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उपायुक्त, वाणिज्य कर, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद फिरोजाबाद में कुल 06 कोल डिपो डीलर्स हैं, जिसमें से 03 डीलर्स बाहर से कोयला लाते हैं तथा ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र से बाहर विक्रय कर देते हैं, ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में विक्रय नहीं करते हैं, इन डीलर्स के कोई गोदाम आदि नहीं हैं अपितु यह डीलर्स कोयला वाहनों में लाते हैं तथा वाहनों से ही विक्रय कर देते हैं। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), फिरोजाबाद के द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के निर्देशानुक्रम में दिनांक 21.04.2022 को 02 डीलर्स/कोल डिपो स्वामी मै0सुनील कोल डिपो एवं मै0अमित कोल डिपो का फिरोजाबाद नगर निगम एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के समय कोल बिक्री के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर कोल लेखा रजिस्टर मैन्टेन नहीं किये जाने पर दोनों कोल डीलर्स को नोटिस जारी किये गये हैं। उपायुक्त, वाणिज्य कर, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मथुरा में कुल 32 कोल डिपो पंजीकृत हैं, जिसमें 18 व्यापारी कोसी व मथुरा के हैं, जिनके द्वारा अभी ट्रेडिंग नहीं की जा रही है। कुल 32 कोल डिपो में ईट भट्टे भी सम्मिलित हैं लेकिन यह ईट भट्टे ताज ट्रेपेजियम एरिया में स्थापित नहीं हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि शेष चिन्हित 48 कोल/कोक डिपो स्वामियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय 26 कोल/कोक डिपो स्वामियों (1-मै0आर0के0 कोल ट्रेडर्स, न्यू सीतानगर, लिंक रोड, नुनिहाई, आगरा 2-मै0बालाजी ट्रेडर्स, 13/129, नुनिहाई, आगरा, 3-मै0ए0एन0 ट्रेडर्स, 13/129, बी0 नुनिहाई, आगरा, 4-मै0सोहनलाल कोल डिपो, 15/549, काली बाड़ी, नूरी गेट, आगरा, 5-मै0बी0के0 कोल ट्रेडर्स, 5/406, नाला कंसखार, आगरा, 6-मै0जय शिवशंकर कोल डिपो, नूरी गेट, आगरा, 7-मै0कैलाश चन्द विजय कुमार कोल डिपो, प्रभू टाकिज के पीछे, जगदीशपुरा, आगरा, 8-मै0पूरन चन्द अग्रवाल, 35/623, नौबस्ता, लोहामण्डी, आगरा, 9-मै0भल्ली कोल इण्टरप्राइजेज, पुल छिंगा मोदी, लोहामण्डी, आगरा, 10-मै0हरनारायण कोल सप्लायर, 26/178, अहीरपाड़ा, राजामण्डी, आगरा, 11-मै0आदमपुरिया मेटल कम्पनी,

20/120ए, नगला महादेव, फ्रीगंज, आगरा, 12-मै0रामप्रसाद छोटेला कोल, 20/126, नगला महादेव, फ्रीगंज, आगरा, 13-मै0अतिशय ट्रेडर्स, पीर कल्याणी, रेलवे क्रोसिंग, आगरा, 14-मै0हर्ष ट्रेडर्स, 20/5, फ्रीगंज, आगरा, 15-मै0लक्ष्मी ट्रेडर्स, 20/115, नगला महादेव, आगरा, 16-मै0विद्या कोल डिपो, 21/274-डी, जीवनीमण्डी, आगरा, 17-मै0सौरभ कोल डिपो, 16/2ए, हरजूपुरा, ताजगंज, आगरा, 18-मै0शर्मा मिनिरल एण्ड कैमीकल, 64, मौजा-गोपालपुरा, आगरा, 19-मै0श्रीजी ट्रेडर्स, 3/221, रूई की मण्डी, रेलवे डबल फाटक, आगरा, 20-मै0गजेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी, नगला बासी, आगरा कैण्ट, आगरा, 21-मै0कैलाजी ट्रेडर्स, नगला बासी, आगरा कैण्ट, आगरा, 22-मै0सुनील कुमार एण्ड कम्पनी, नगला बासी, आगरा कैण्ट, आगरा, 23-मै0अमित चारकोल सेन्टर, नगला बासी, नियर ओमेगा होटल, ईदगाह, आगरा, 24-मै0किरण कोल डिपो, सैंया क्रोसिंग, आगरा, 25-मै0महेश कोल डिपो (दीपक ट्रेडर्स), सैंया, आगरा, 26-मै0ए0के0 कोल डिपो (पूर्व नाम गणेश ट्रेडर्स), इटोरा, पोस्ट-ककुआ, तहसील-खेरागढ़, आगरा) द्वारा किसी भी विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र एवं कोल लेखा रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, 15 कोल/कोक डिपो बन्द पाये गये, 02 कोल/कोक डिपो स्वामियों द्वारा 02 वर्ष पूर्व से कोल/कोक बिक्री का कार्य बन्द कर दिया गया है, 03 इकाईयों द्वारा कार्य परिवर्तित कर गैस द्वारा मिटाई एवं फास्ट फूड बनाने का कार्य किया जाता पाया गया तथा 02 इकाईयों के पते अपूर्ण होने के कारण चिन्हित नहीं किये जा सके हैं। उनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अन0शा0) वाणिज्य कर, संभाग-ए, आगरा को दिनांक 19.02.2022 को पत्र प्रेषित किया गया है।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि-

- 1- ऐसी 15 कोल/कोक डिपो, जो पूर्व में उ0प्र0प्र0नि0बो0 द्वारा किये गये निरीक्षण के समय बन्द पाये गये, का क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा पुनः निरीक्षण कराया जाये तथा पुनर्निरीक्षण के समय यदि उक्त कोल/कोक डिपो बन्द पाये जाते हैं, की सूचना जी0एस0टी0 विभाग तथा टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को प्रेषित करें, जिस पर जी0एस0टी0 विभाग द्वारा विभागीय नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण निरस्त करने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा/ संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, आगरा)

- 2- जिन 03 कोल/कोक डिपो के द्वारा कोल/कोक बिक्री के स्थान पर अन्य कार्य में परिवर्तन कर लिया गया है, के पंजीयन जी0एस0टी0 विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही कर नियमानुसार निरस्त किये जायें।

(कार्यवाही-संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, आगरा)

- 3- उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण के समय जिन 26 कोल/कोक डिपो स्वामियों के द्वारा जिलाधिकारी, आगरा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्धारित प्रारूप पर कोल लेखा रजिस्टर मैन्टेन नहीं किया जा रहा है, के सम्बन्ध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये सर्वसम्मति से उन 26 कोल/कोक डिपो स्वामियों को बिक्री करने से प्रतिबंधित किये जाने का निर्णय लिया गया। ऐसे कोल/कोक डिपो स्वामियों के जी0एस0टी0/अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा पंजीकरणों को निरस्त किये जाने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही- संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, आगरा)

- 4- गत बैठक में जिन कोल/कोक डिपो संचालकों को कोल लेखा रजिस्टर मैन्टेन नहीं किये जाने के कारण प्रतिबंधित किया गया था, उन सभी कोल/कोक डिपो संचालकों के जी0एस0टी0 विभाग द्वारा अगले 07 दिनों में पंजीयन निरस्त किये जायें।

(कार्यवाही- संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, आगरा)

- 5- जिलाधिकारी, मथुरा एवं फिरोजाबाद के द्वारा जिन कोल/कोक डिपो स्वामियों द्वारा कोल/कोक के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर कोल लेखा रजिस्टर मैन्टेन किये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किये गये हैं, उनका प्रत्येक माह निरीक्षण कराया जाये। निरीक्षण के समय यदि उन कोल/कोक डिपो स्वामियों के द्वारा कोल लेखा रजिस्टर मैन्टेन नहीं पाये जाने पर कोल/कोक डिपो के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु अप्रती संस्तुति सहित रिपोर्ट टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाये। जिलाधिकारी, मथुरा एवं फिरोजाबाद के द्वारा यह परीक्षण कराया जाये कि जनपद मथुरा व फिरोजाबाद के ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में स्थित कोल डिपो स्वामियों/संचालकों के द्वारा कोयला कहीं-कहीं विक्रय किया गया है।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, मथुरा एवं फिरोजाबाद)

6- जी0एस0टी0/सम्बन्धित विभाग द्वारा भविष्य में बिना टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति के कोल/कोक डिपो के पंजीकरण न किये जायें।

(कार्यवाही-संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर, आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0 143(अ) दिनांक 22.02.2022, जिसे पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम-2022 कहा गया है, की टिप्पणी सं0-2 के क्रम में ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में संचालित समस्त ईट भट्टे स्वामियों द्वारा अगले संचालन (सीजन) से पूर्व अपने ईट भट्टों को जिग-जैग तकनीकी या वर्टिकल शाफ्ट में परिवर्तित किया जायेगा या ईट बनाने में ईंधन के रूप में पाइण्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) का उपयोग किया जायेगा तथा ईट भट्टों के द्वारा पेट कोक, टायरों/प्लास्टिक/खतरनाक अपशिष्टों का उपयोग नहीं किया जायेगा न ही उपयोग किये जाने की अनुमति दी जायेगी। ईट भट्टे स्वामियों द्वारा उपरोक्त का पालन न किये जाने की दशा में अगले सीजन के संचालन हेतु किसी भी सम्बन्धित विभाग के द्वारा उपरोक्त ईट भट्टा संचालन की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

(कार्यवाही-उपजिलाधिकारी/जिला पंचायत/जिला खान अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, भरतपुर(राज0)

राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-19), आगरा मेट्रो एवं शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर रोड डस्ट को हटाये जाने एवं साफ-सफाई रखे जाने के सम्बन्ध में-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई-आगरा के अधीन पड़ने वाले आगरा-इटवा खण्ड के छः लेनीकरण परियोजना (किमी0 199.660 से 323.525 तक) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है एवं परियोजना के रियायतग्राही द्वारा उक्त खण्ड की नियमित रूप से स्वीपिंग/मैकेनिकल स्वीपिंग करायी जाती रहती है तथा डस्ट को भी राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-19) के किनारे डम्प नहीं किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि रियायती मै0 डी0ए0 टोल रोड प्रा0लि0 के अनुसार जनपद आगरा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के दिल्ली-आगरा खण्ड पर रूनकता से आईएसबीटी तक स्वीपिंग/मैकेनिकल स्वीपिंग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर स्थित एकत्रित मिट्टी एवं अन्य निर्माण सामग्री अवशेष को उठाया जा चुका है व खुदे हुये गदबे समतल किया जा चुके हैं ताकि सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत यातायात सुचारु रूप से चलाया जा सके। इसके अलावा धूल के प्रवाह का वायुमण्डल से रोकने एवं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों पर टैंकरों द्वारा रियायती छिड़काव कर रहा है।

अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि इस खण्ड के अन्तर्गत पड़ने वाले शहर के प्रमुख मार्गों पर रोड डस्ट को हटाये जाने एवं साफ-सफाई रखे जाने हेतु समय-समय पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है तथा मार्गों के किनारे पर्याप्त कच्चा स्थान न होने के कारण घास लगाया जाना सम्भव नहीं है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने मार्गों पर डस्ट हटवायी जा रही है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 13 रोड में से 8 रोड घास लगाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा चिन्हित की गयी हैं। ट्रान्सपोर्ट नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से आई0एस0बी0टी0 बस स्टैण्ड की ओर तथा आई0एस0बी0टी0 बस स्टैण्ड के गेट नम्बर 1 के सामने हरित पट्टी (ग्रीन बेल्ट) का कार्य कराया जा रहा है, जो प्रगति पर है। कोठी मीना बाजार के समीप मार्ग के किनारे घास लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा जी0आई0सी0 के समीप भी रोड के किनारे घास लगाये जाने का कार्य विचाराधीन है। अगली बैठक से पूर्व सभी चिन्हित स्थलों पर घास लगाने का कार्य सुनिश्चित करा लिया जायेगा।

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि एन0एच0ए0आई द्वारा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन द्वारा सफाई कार्य नहीं कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से रोड पर पानी का छिड़काव एवं पेड़ों की धुलाई करायी जा रही है। नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन किराये पर लेने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। एन0एच0 के सर्विस रोड पर नगर निगम द्वारा सफाई के साथ-साथ पानी का छिड़काव भी कराया जा रहा है। 02 स्थलों पर घास लगाने का कार्य भी कराया गया है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा के द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के द्वारा शहर में मुख्य 4 स्थलों पर घास लगाने का कार्य कराया गया है।

d 202

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा विकास प्राधिकरण की समस्त कॉलोनियों नगर निगम, आगरा को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा इनर रिंग रोड प्रथम चरण की लगातार सफाई करायी जाती है, जिससे कि रोड साईड में कोई डस्ट न हो एवं वायुमण्डल में धूल के कण ट्रैफिक के आवागमन के कारण न फैले। प्राधिकरण द्वारा आगरा इनर रिंग रोड प्रथम चरण की साईड में उपलब्ध ग्रीन वर्ज में मीया बांकी पद्धति से लगभग 8000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में लगभग 24000 पौधों को भी प्रदूषण कम करने के लिए रोपित किया गया है। इसके अतिरिक्त सड़क के सेन्ट्रल वर्ज एवं ढलान पर लगभग 8000 पौधें एवं श्रव्स का रोपण किया गया है। आगरा इनर रिंग रोड द्वितीय चरण पर भी ट्रैफिक का आवागमन शुरू कर दिया गया है। द्वितीय चरण पर भी सड़क के किनारे डस्ट इकट्ठी नहीं होने दी जाती है। इसके अतिरिक्त द्वितीय चरण में भी लगभग 10000 पौधों का रोपण किया जा चुका है। हाई एम्बैकमेन्ट सड़क के स्लोप पर भी घास लगाने (टर्फिंग) का कार्य काफी स्थानों पर किया जा चुका है एवं टर्फिंग का कार्य प्रगति में है। इनर रिंग रोड के अतिरिक्त प्राधिकरण की अन्य कोई रोड नहीं है।

अधिसासी अभियन्ता, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद के अनुसार फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी रोड का अनुरक्षण कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः प्राधिकरण द्वारा शहर के अन्दर स्थित मार्गों से रोड साईट डस्ट को हटाने के सम्बन्ध में वांछित सूचना शून्य है।

सचिव, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा से प्राप्त सूचनानुसार प्राधिकरण द्वारा विकसित रूकमणी विहार आवासीय योजना के अतिरिक्त अन्य समस्त विकसित कॉलोनियों नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन को हस्तगत की जा चुकी हैं। वर्तमान में रूकमणी विहार आवासीय योजना का अनुरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा योजना की सड़कों की नियमित सफाई करायी जा रही है। योजना के अन्तर्गत भवनों का निर्माण प्रगति पर है एवं मात्र लगभग 10 प्रतिशत भवन निर्मित हैं तथा योजना विकसित हो रही है। मुख्य मार्गों पर पटरी भाग पर इण्टरलॉकिंग टाइल का कार्य विद्यमान है। ऐसी स्थिति में डस्ट की सम्भावन न होने के कारण घास का कार्य नहीं कराया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा दिनांक 07.02.2022 एवं पुनः दिनांक 14.02.2022 को मेट्रो रेल परियोजना निर्माण स्थल का निरीक्षण कराया गया है, निरीक्षण के समय यह पाया गया कि मेट्रो रेल कॉर्पो० के द्वारा स्थल पर जल का छिड़काव तो कराया जा रहा है लेकिन नियमित अन्तराल पर जल का छिड़काव नहीं कराया जा रहा है जबकि वर्तमान ग्रीष्म ऋतु में पानी शीघ्र ही सूख जाता है, जिसके कारण धूल उड़ती है। इसी प्रकार कारस्टिंग यार्ड पर भी पर्याप्त/नियमित रूप से जल का छिड़काव नहीं कराया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि नगर निगम, आगरा, मथुरा व फिरोजाबाद के द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित मार्गों से धूल को नियमित रूप से साफ कराया/हटवाया जाये तथा जिन स्थलों पर घास लगाने के कार्य प्रगतिमान हैं, उन्हें शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण करा लिया जाये। नगर निगमों व विकास प्राधिकरणों के द्वारा ऐसे अतिरिक्त स्थलों का चिन्हांकन कर घास लगाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये, जहाँ सुगमता से घास लगायी जा सके तथा ऐसे स्थलों पर घास लगाने की प्लानिंग करते हुये वर्षा ऋतु से पूर्व कार्य पूर्ण करा लिये जायें। साथ ही समस्त नगर निगमों के द्वारा अपने मार्गों से धूल को नियमित रूप से साफ कराया जाये। कृत कार्यवाही के फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही-नगर निगम/विकास प्राधिकरण, आगरा, मथुरा व फिरोजाबाद)

निर्देश दिये गये कि लोक निर्माण विभाग द्वारा अगले 07 दिवस के अन्दर अपने मार्गों से धूल को साफ कराया जाये। क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के द्वारा लोक निर्माण विभाग के मार्गों का निरीक्षण किया जाये, जहाँ से लोक निर्माण विभाग के द्वारा धूल को हटवाया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने मार्गों पर घास लगवाये जाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-अधी०अभि०,लो०नि०वि०,आगरा/क्षेत्रीय अधिकारी,उ०प्र०प्र०नि०बो०,आगरा)

आगरा मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यों के दौरान धूल को उड़ने से रोकने के लिए उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पो०लि० के द्वारा नियमित अन्तराल पर जल का पर्याप्त छिड़काव सुनिश्चित किया जाये। अपर जिलोधिकारी (नगर) एवं क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा लगातार आगरा मेट्रो रेल परियोजना स्थल का



[Handwritten signature]

निरीक्षण किया जाये तथा उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित नहीं पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। कृत कार्यवाही से अगली बैठक से पूर्व अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही—जिलाधिकारी/मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन/उ०प्र०मेट्रो/आगरा)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से (06.06.2018)

(1) **यमुना किनारा मार्ग पर स्थापित ट्रांसपोर्ट्स एजेन्सियों की शिपिंग के सम्बन्ध में**—जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम एवं आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में अस्थायी कार्य कराये गये हैं, जिनमें अतिक्रमण को हटाना भी सम्मिलित है तथा ₹० 20 लाख की धनराशि से पेचवर्क के कार्य भी कराये गये हैं। दिनांक 14.12.2021 को नगर निगम एवं प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से यमुना किनारा स्थित ट्रांसपोर्ट्स को सिकन्दरा स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में स्थानान्तरित कराने हेतु स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त ट्रांसपोर्ट नगर में यमुना किनारे के ट्रांसपोर्ट्स को मूलभूत सुविधायें (सड़क, नाली, साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण व पार्क का सौन्दर्यीकरण आदि) उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा ₹० 7475.72 लाख की कार्य-योजना तैयार कर उपलब्ध करायी गयी है। यमुना किनारा मार्ग पर लगभग 140 ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज हैं, जिनकी अलग-अलग आकार के भूखण्डों की मांग है। जिलाधिकारी, आगरा द्वारा यह सुझाव दिया गया कि किसी अन्य उपयुक्त स्थल पर एक नया ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित किया जाना उचित होगा, जो किसी जंक्शन पर स्थित हो। डॉ०रविन्द्र मोहन पचौरी, गैर-सरकारी सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि दक्षिणी बाईपास के समीप भूमि आसानी से उपलब्ध हो सकती है और यह स्थल उपयुक्त भी रहेगा।

संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा में जी०एस०टी० पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के अनुसार कुल 503 लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टर/ट्रेडर्स की फर्में पंजीकृत हैं, जिनसे ट्रांसपोर्ट एजेन्सी/कमीशन एजेन्सी के रूप में कुल 348 फर्में कार्यरत हैं, जिनमें यमुना किनारा, दरसेरी, बेलनगंज, हाथीघाट तथा जीवनी मण्डी में कुल 79 ट्रांसपोर्ट एजेन्सी कार्यरत हैं। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार 13 ट्रांसपोर्ट एजेन्सी ऐसी पायी गयी, जिनको प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट के कार्य हेतु भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। जी०एस०टी० विभाग द्वारा की गयी जाँच पर ट्रांसपोर्टर मै०अमेरिकन ट्रांसपोर्ट द्वारा बताया गया है कि उसे ट्रांसपोर्ट नगर में भूखण्ड आवंटित है तथा ट्रांसपोर्टर द्वारा अपना व्यापार स्थल परिवर्तित कर ट्रांसपोर्ट नगर करते हुये दिनांक 21.01.2022 को प्रार्थना-पत्र दिया गया है। मै०टुण्डला ट्रांसपोर्ट कम्पनी एवं मै०सरदार ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा यह बताया गया है कि उनके द्वारा यथासम्भव शीघ्र ही माल की लोडिंग अनलोडिंग हेतु फर्मों को ट्रांसपोर्ट नगर स्थानान्तरित कर लिया जायेगा। इसी प्रकार मै०क्विक रोड कैरियर ट्रांसपोर्ट द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा यमुना किनारे से मात्र बुकिंग का कार्य किया जा रहा है तथा माल की लोडिंग अनलोडिंग का समस्त कार्य ट्रांसपोर्ट नगर से सम्पादित किया जा रहा है। असिस्टेण्ट कमिश्नर को निर्देशित कर दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों को यमुना किनारा मार्ग पर ट्रांसपोर्ट के कार्य हेतु पंजीयन किसी भी दशा में न जारी किये जायें। ₹० 20 लाख से कम टर्न ओवर वाली ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज का पंजीयन जी०एस०टी० विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। वर्तमान में वाणिज्य कर विभाग के द्वारा यमुना किनारा स्थित किसी भी ट्रांसपोर्ट एजेन्सी का पंजीयन नहीं किया जा रहा है।

जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों के जी०एस०टी० विभाग से सम्भागीय परिवहन विभाग के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशानुक्रम में आर०टी०ओ०, आगरा द्वारा अपर आयुक्त ग्रेड-2, विशेष अनुसंधान शाखा, उ०प्र० वस्तु एवं सेवाकर, आगरा से पत्राचार कर अपेक्षित कार्यवाही करायी गयी है। आर०टी०ओ० आगरा द्वारा अवगत कराया है कि जी०एस०टी० विभाग में पंजीकृत ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों की प्राप्त सूची में अंकित ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों को कैरिज वाई रोड एक्ट 2007 एवं नियमावली 2011 में निहित प्राविधानों के अनुसार परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने हेतु कार्यालय स्तर पर नोटिस निर्गत कर दिये गये हैं। ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों का शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन जी०एस०टी० विभाग में कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। जब तक ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों द्वारा जी०एस०टी० विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता, तब तक परिवहन विभाग बिना जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार शमन की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा डिमाण्ड सर्वे कराया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर में सभी आकार के भूखण्डों को मिलाकर लगभग 10,500 वर्गमी० भूमि रिक्त है, जो ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज को आवंटित की जा सकती है लेकिन भूखण्डों के क्षेत्रफल मानकों के अनुरूप अलग-अलग हैं।

आगरा विकास क्षेत्र हेतु तैयार करायी जा रही आगरा महायोजना-2031 में एन0एच0-2 पर रूनकता के पास, ग्वालियर रोड तथा फतेहाबाद रोड पर कुल तीन ट्रांसपोर्ट नगरों का प्राविधान किया गया है लेकिन उक्त स्थलों की भूमि निजी भूमि है, जिसे ट्रांसपोर्ट नगरों के विकास हेतु नियमानुसार अर्जित किया जाना आवश्यक होगा।

पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि यमुना किनारा मार्ग पर ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों के खड़े पाये गये वाहनों के विरुद्ध चालान/सीज एवं शमन शुल्क वसूल किये जाने की कार्यवाही यातायात पुलिस कर्मियों एवं क्रेनों की ड्यूटी लगाकर करायी जाती है एवं यातायात निरीक्षकों के द्वारा उक्त मार्ग पर भ्रमणशील रहकर ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों के सभी प्रकार के वाहनों को किसी भी दशा में पार्क/खड़ा नहीं होने दिया जाता है। यमुना किनारा मार्ग पर यातायात पुलिस द्वारा दिनांक 16.12.2021 से दिनांक 08.04.2022 तक अनाधिकृत रूप से खड़े 106 वाहनों के मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान किये गये हैं एवं रू0 10,100/- शमन शुल्क के रूप में वसूल किया गया है। यमुना किनारा मार्ग पर क्रेन द्वारा सड़क किनारे पार्क लोडिंग वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही कर रू0 40,900/- शमन शुल्क वसूल किया गया है। यमुना किनारा मार्ग पर ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों के खड़े पाये गये वाहनों के विरुद्ध चालान/सीज एवं शमन शुल्क वसूल किये जाने की कार्यवाही की प्रक्रिया निरन्तर जारी है।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि यमुना किनारा मार्ग पर स्थापित ट्रांसपोर्टर्स एजेन्सियों की शिफ्टिंग के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (नगर) आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 18.11.2021 को बैठक आयोजित की गयी, जिसके अनुपालन में यमुना किनारा मार्ग पर अनाधिकृत रूप से सड़क के किनारे खड़े 30 वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की गयी है एवं कैरिज वाई रोड एक्ट-2007 में जारी कॉमन कैरियर जारी 152 अनुज्ञापितियों में से किसी भी ट्रांसपोर्ट कम्पनी का पंजीकृत पता यमुना किनारा रोड का नहीं है। नियमित रूप से प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि यमुना किनारा स्थल पर कार्य कर रहे ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज के वाहनों को अवैध पार्किंग स्थल पर खड़ा किया जाता है तो उनके विरुद्ध चालानी की कार्यवाही की जाती है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि यमुना किनारा मार्ग पर अनाधिकृत रूप से सड़क के किनारे खड़े 53 वाहनों के विरुद्ध दिनांक 05.04.2022 से दिनांक 12.04.2022 के मध्य मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की गयी है।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि यमुना किनारा मार्ग पर स्थित किसी भी ट्रांसपोर्टर्स के रजिस्ट्रेशन जी0एस0टी0 विभाग द्वारा किसी भी दशा में न किये जायें। ऐसी ट्रांसपोर्ट एजेन्सियाँ, जिन्हें प्राधिकरण से ट्रांसपोर्ट नगर में भूखण्ड आवंटित हैं जबकि वह यमुना किनारा मार्ग से व्यापार कर रहे हैं, को अपने व्यापार ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट किये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर द्वारा तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। रू0 20 लाख से कम टर्न ओवर वाली ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज की जी0एस0टी0 विभाग द्वारा जांच की जाये यह कि रू0 20 लाख से कम टर्न ओवर वाली ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज वास्तविकता में रू0 20 लाख से अधिक टर्न ओवर वाली ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज तो नहीं हैं तथा रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए उनके द्वारा रू0 20 लाख से कम का टर्न ओवर दिखाया जा रहा हो। मै0ट्रूण्डला ट्रांसपोर्ट कम्पनी, मै0सरदार ट्रांसपोर्ट कम्पनी तथा मै0क्विक रोड कैरियर ट्रांसपोर्ट कम्पनी के कार्यालय ट्रांसपोर्ट नगर में तत्काल शिफ्ट कराये जायें।

(कार्यवाही-संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर, आगरा)

ट्रांसपोर्ट नगर में स्थायी कार्यों के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा तैयार की गयी रू0 7475.72 लाख की योजना पर स्वीकृति के उपरान्त नगर निगम द्वारा निर्माण/विकास कार्य कराये जायें। नगर निगम द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों में से रू0 5-10 करोड़ धनराशि के ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को चिन्हित कर लिया जाये, जो अति आवश्यक हों। जिलाधिकारी द्वारा जितनी ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों के रजिस्ट्रेशन जी0एस0टी0 विभाग में हैं, उनके रजिस्ट्रेशन सम्भागीय परिवहन विभाग में भी नियमानुसार सुनिश्चित कराये जायें। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों द्वारा भूखण्डों की मांग का सर्वे कराया जाये तथा ट्रांसपोर्ट नगर में अवशेष भूखण्डों के आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार शीघ्रतिशीघ्र सुनिश्चित करायी जाये। एस0पी0(ट्रैफिक) एवं आर0टी0ओ0 द्वारा यमुना किनारा मार्ग पर ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज के वाहनों को किसी भी दशा में खड़ा न होने दिया जाये एवं नियमित रूप से प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जिलाधिकारी के नेतृत्व में शिफ्टिंग एवं अन्य समस्त वांछित कार्यवाहियाँ सुनिश्चित की जायें।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/नगर निगम, आगरा/आ0वि0प्रा0/एस0पी0(ट्रैफिक)/आर0टी0ओ0, आगरा)

d msh

रामलीला ग्राउण्ड के सामने पार्किंग स्थल पर टाइल्स लगाये जाने के सम्बन्ध में—उपाध्यक्ष, आ0वि0प्रा0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में आगरा किला के सामने रामलीला ग्राउण्ड के पास रक्षा सम्पदा विभाग की भूमि/स्थल पर पार्किंग टाइल्स लगाये जाने हेतु नियमों का परीक्षण करते हुये आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी को वांछित अनुमति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में पुनः दिनांक 30.03.2022 को पत्र प्रेषित किया गया है। अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि पार्किंग पर टाइल्स लगाये जाने का कार्य किसी प्रकार के नवनिर्माण की श्रेणी में नहीं आता है तथा एक प्रकार से मरम्मत सम्बन्धी कार्य है क्योंकि पूर्व में उक्त पार्किंग स्थल पर कॉन्क्रीट की फ्लोरिंग की गयी थी, जो कि वर्तमान में पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिसके कारण पार्किंग स्थल पर वाहनों के आवागमन से अत्यधिक धूल उड़ती है। ऐसी स्थिति में वाहनों हेतु उक्त पार्किंग स्थल पर टाइल्स लगाया जाना अति आवश्यक है ताकि वाहनों के आवागमन से स्थल पर धूल न उड़ सके।

चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी की वांछित अनापत्ति के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा शीघ्रतिशीघ्र संयुक्त स्थल निरीक्षण किया जाये।

(कार्यवाही—जिलाधिकारी, आगरा/मुख्य अभि0, आ0वि0प्रा0)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0 4(10.06.2019)

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित जनपद आगरा में आगरा मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में—अवगत कराया गया कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में आगरा मेट्रो रेल परियोजना की अद्यतन स्थिति का उल्लेख करते हुये वांछनीय मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय द्वारा अनुस्मारक-2 दिनांक 07.04.2022 प्रेषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में प्रकरण पर मार्ग-दर्शन प्रतीक्षित/अपेक्षित है।

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि प्रकरण में शासन स्तर से मार्ग-दर्शन प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही—टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा)

पीएम-10 एवं पीएम-2.5 को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में निम्न उपाय किये जायें—

4-समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना—मुख्य अभियन्ता, आ0वि0प्रा0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत क्रियान्वित निर्माण/विकास कार्यों के दौरान कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मिटीगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी0 एण्ड डी0 वेस्ट का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये आगरा इनर रिंग रोड प्रथम चरण की सफाई नियमित रूप से मैनुअली कराई जा रही है। आगरा इनर रिंग रोड द्वितीय चरण के कन्स्ट्रक्शन में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं सड़क के प्रत्येक भाग पर डब्ल्यू0एम0एम0 (पत्थर का कार्य) कराया जा चुका है। आगरा इनर रिंग रोड द्वितीय चरण का कार्य लगभग 96 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। इस सड़क पर ट्रैफिक का आवागमन होने के कारण जो डस्ट इकट्ठी होती है, उसकी लगातार सफाई कराई जा रही है। इस प्रकार द्वितीय चरण में ट्रैफिक के चलने से डस्ट वातावरण में नहीं फैलती है। सड़क के शोल्डर के कच्चे भाग पर लगातार पानी का छिड़काव कराने से सड़क के शोल्डर का भाग भी पक्का हो गया है, इसमें वह मिट्टी भी तेज हवा से वातावरण में नहीं फैलती है।

अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 के तहत मार्गों के चौड़ीकरण/निर्माण के दौरान धूल को उड़ने से रोकने के लिए निर्माणाधीन स्थल पर हरा पर्दा लगाकर एवं डम्परों द्वारा सामग्री को ढंककर ढुलान कराया जाता है। चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य में WMM (Wet Mix Macadam) तथा WMM (Stabilized) का प्रयोग किया जा रहा है, जो प्लाण्ट से मिक्स करके साइट पर लाया जाता है, जिससे इस कार्य में धूल उड़ने की सम्भावना नगण्य रहती है। धूल की रोकथाम हेतु टैंकरों द्वारा पानी का छिड़काव भी किया जाता है।

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आगरा स्मार्ट सिटी लि0, आगरा के पत्र दिनांक 14.02.2022 द्वारा प्राप्त सूचनानुसार वायुमण्डल में धूल के कणों/वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु निर्माण सम्बन्धी परियोजनाओं में आगरा स्मार्ट सिटी लि0 द्वारा सम्बन्धित सभी निर्माण कार्यस्थलों पर जल छिड़काव निरन्तर किया जाता है। कार्यस्थलों पर येरिकेडिंग

h 281

की जाती है। ग्रीन नेट का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी (excavated loose soil) निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट का नियमानुसार कार्यस्थल से हटाया जाता है। निर्माण कार्य हेतु दीर्घकाल तक भवन सामग्री का भण्डारण निर्धारण शेड में किया जाता है जो नियमानुसार ढका हुआ होता है। निर्माण सामग्री तथा अपशिष्ट ढोने वाले वाहन का आवागमन ढंककर किया जाता है। वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन न होने पर सम्बन्धित ठेकेदारों पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड भी अधिरोपित किये जाते हैं।

जिलाधिकारी, मथुरा के द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के क्षेत्रीय अधिकारी के द्वारा कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए जिला प्रशासन को कोई सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है।

परियोजना प्रबन्धक, वि०बै०इ०-प्रथम, उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 के अनुपालन हेतु निर्माण कार्यों के दौरान स्थल को ग्रीन नेट से कवर किये जाने, खोदी गयी मिट्टी को ग्रीन नेट से ढके जाने, निर्माण सामग्री के शिपिंग के दौरान सामग्री को ग्रीन नेट से ढके जाने, काटी गयी सड़कों पर नियमित छिड़काव आदि की कार्यवाही करते हुये अनुपालन कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु काटी गयी प्रमुख मार्गों बोदला-मारुति स्टेट सड़क बोदला-लोहामण्डी सड़क, गढ़ी भदौरिया सड़क आदि सड़कों को पुनर्स्थापन पूर्ण कर दिया गया है। सिकन्दरा-बोदला मार्ग का आंशिक भाग अवशेष है, जिसे नगर निगम द्वारा निर्मित किया जाना है। इस भाग पर बिटुमिन कार्य से पूर्व की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर दी गयी है। नगर निगम द्वारा सड़क निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

आयुक्त, नगर निगम, भरतपुर से प्राप्त सूचनानुसार सामान्यतः समस्त निर्माणकर्ता को निर्माण सामग्री ढककर परिवहन करने हेतु निर्देशित किया है तथा सड़क किनारे निर्माण सामग्री (मलवा) आदि हटाने हेतु पाबन्द किया गया। आदिनांक तक कुल 37,800/- का जुर्माना वसूल किया गया एवं समय-समय पर निगम द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है।

मुख्य परियोजना प्रबन्धक-2, यू०पी०एम०आर०सी०एल०, आगरा से प्राप्त सूचनानुसार पर्यावरण की सुरक्षा के नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु उ०प्र० मेट्रो रेल द्वारा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों में विभिन्न स्तरों पर धूल के कणों को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए निर्माण स्थल पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए निरंतर पानी का छिड़काव, एंटी-स्मॉग गन का प्रयोग, निर्माण सामग्री को ढक कर रखना, ठोस अपशिष्ट एवं सी० एण्ड डी० वेस्ट का उचित निस्तारण, निर्माण क्षेत्र की लोहे की चादरों से बेरिकेटिंग किया जाना एवं कास्टिंग यार्ड में सेण्ड के ढेरों पर स्प्रिक्लेर्स द्वारा पानी का छिड़काव कराया जाता है।

चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि समस्त सम्बन्धित विभागों/कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत क्रियान्वित निर्माण/विकास कार्यों के दौरान कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मिटीगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी० एण्ड डी० वेस्ट का प्रत्येक दशा में अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। लोक निर्माण विभाग, जल निगम, मेट्रो रेल कॉर्पो०, स्मार्ट सिटी लि० एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्माण के दौरान धूल को उड़ने से रोकने हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव सुनिश्चित कराया जाये। अनुपालन आख्या फोटोग्राफ सहित प्रत्येक 15 दिन के अन्तराल पर टी०टी०जैड० प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-जल निगम/आ०वि०प्रा०/स्मार्ट सिटी लि०/उ०प्र०मे०रे०कॉ०लि०/लो०नि०वि०/एम०वी०डी०ए०/एफ०एस०डी०ए०)

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा में एन०एच०ए०आई द्वारा प्रदान की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 6,64,37,500.00 से जनपद आगरा में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक साधन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा द्वारा सदस्य-सचिव, उ०प्र० प्र० नि० बो०, लखनऊ को प्रेषित पत्र दिनांक 10.11.2021 के अनुक्रम में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 19.01.2022 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से धनराशि व्यय करने के सम्बन्ध में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं मा०रा० प्र० हरित अधिकरण, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है, जिसके सम्बन्ध में वांछित उपकरणों के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण लागत सहित बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना है। तत्क्रम में नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही-नगर निगम, आगरा)

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत अन्य जनपदों में भी क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मिटीगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी० एण्ड डी० वेस्ट का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किये जायें। कार्यदायी संस्थाओं/विभागों द्वारा अनुपालन न किये जाने की दशा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा प्राप्त होने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि से वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक साधन लिये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किये जायें। ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा द्वारा संयुक्त रूप से अलग-अलग वैरायटी के लगभग 4-5 उपकरण आदि भी चिन्हित कर लिये जायें, जो बहुउद्देश्यीय होने के साथ-साथ उपयुक्त हों।

(कार्यवाही-नगरायुक्त, नगर निगम/क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, मथुरा, फिरोजाबाद, भरतपुर (राज०))

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-4 (24.12.2019)

जनपद फिरोजाबाद स्थित मै०लघु उद्योग पकाई मट्टी चैम्बर सहकारी समिति लि० को 43 इकाइयों की सूची से पृथक् करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में-अवगत कराया गया कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में प्रथम चरण में आवश्यक/महत्वपूर्ण कुल 31 उद्योग/परियोजनाओं, जिनका केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु प्रदूषण स्कोर 11 से 20 तक है, हेतु नीरी की सेक्टरियल गाइडलाइन्स प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में टी०टी०जैड० प्राधिकरण कार्यालय द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर को पत्रांक-499 दिनांक 04.02.2022 प्रेषित किया गया है, जिसमें क्र०सं०-4 पर "मैनुफैक्चरिंग ऑफ ग्लास" भी सम्मिलित है। सेक्टरियल गाइडलाइन्स तैयार किये जाने हेतु नीरी के पत्र दिनांक 28.03.2022 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में वांछित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु सर्वसम्बन्धित विभागों को टी०टी०जैड० प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07.04.2022 को पत्र प्रेषित किया गया है। नीरी से सेक्टरियल गाइडलाइन्स अपेक्षित है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.03.2016 को जारी वर्गीकृत उद्योगों की सूची में क्रमांक-45 पर अंकित "Manufacturing of glass" का वायु प्रदूषण स्कोर 20 दर्शित है, जिस हेतु मा०सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 के क्रम में सेक्टरियल गाइडलाइन्स उपलब्ध कराये जाने हेतु नीरी से अनुरोध किया गया है। अतः नीरी की सेक्टरियल गाइडलाइन्स प्राप्त होने के उपरान्त सेक्टरियल गाइडलाइन्स सहित प्रकरण बैठक में प्रस्तुत किया जाये, तब तक उक्त बिन्दु को विलोपित किया जाये।

(कार्यवाही-टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-5 (24.12.2019)

मा०उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.04.2018 के क्रम में मै०हरीओम ग्लास इण्डस्ट्रीज, फिरोजाबाद को गैस प्रदान किये जाने के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 23.06.2019 को प्रभावी किये जाने के सम्बन्ध में-मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-4 (24.12.2019) के निर्णयानुसार।

(कार्यवाही-टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-8 (24.12.2019)

खसरा सं०-32, ताजगंज वार्ड, मौजा-बुढेरा, आगरा पर फाईव स्टार होटल के निर्माण हेतु टी०टी०जैड० प्राधिकरण की अनुमति/विलयर्सस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में-बैठक में अवगत कराया गया कि उक्त पंचतारा होटल सम्बन्धी योजना पर्यटन विभाग, उ०प्र० सरकार से पंजीकृत है तथा उ०प्र० इन्वेस्टर समिट-2018 के तहत कम्पनी तथा उ०प्र० सरकार के मध्य एम०ओ०यू० निष्पादित हुआ है। उक्त पंचतारा होटल हेतु स्टेट लेवल इन्वायरनमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथॉरिटी, उ०प्र० के पत्र दिनांक 11.07.2018 द्वारा सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके अन्तर्गत उल्लिखित विशिष्ट शर्त/प्रतिबंध सं०-9 के अनुसार होटल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व होटल हेतु टी०टी०जैड० प्राधिकरण की एन०ओ०सी० प्राप्त करना अनिवार्य है। गत बैठक के निर्णयानुक्रम में प्रथम चरण में आवश्यक/महत्वपूर्ण कुल 31 उद्योग/परियोजनाओं, जिनका केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु प्रदूषण स्कोर 11 से 20 तक है, हेतु नीरी की सेक्टरियल गाइडलाइन्स प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में टी०टी०जैड० प्राधिकरण

कार्यालय द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर को पत्रांक-499 दिनांक 04.02.2022 प्रेषित किया गया है, जिसमें क्र0सं0-1 पर "Hotels having overall waste water generation @ 100 KLD and more", जो लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है एवं वायु प्रदूषण स्कोर 15 दर्शित है, भी सम्मिलित है। सेक्टरियल गाइडलाइन्स तैयार किये जाने हेतु नीरी के पत्र दिनांक 28.03.2022 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सूचनार्थ उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में वांछित सूचनार्थ उपलब्ध कराये जाने हेतु सर्वसम्बन्धित विभागों को टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07.04.2022 को पत्र प्रेषित किया गया है। नीरी से गाइडलाइन्स अपेक्षित है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 के क्रम में "Hotels having overall waste water generation @ 100 KLD and more" हेतु सेक्टरियल गाइडलाइन्स उपलब्ध कराये जाने के लिए नीरी से अनुरोध किया गया है। अतः नीरी की सेक्टरियल गाइडलाइन्स प्राप्त होने के उपरान्त सेक्टरियल गाइडलाइन्स सहित प्रकरण बैठक में प्रस्तुत किया जाये, तब तक उक्त बिन्दु को विलोपित किया जाये।

(कार्यवाही-टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

एजेण्डा बिन्दु सं0-3 (29.02.2020)

दिनांक 07.01.2015 को आहूत 'ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण' की 32वीं बैठक में पारित निर्णयों पर विचार-विमर्श किए जाने के सम्बन्ध में-गत बैठक के निर्णयानुक्रम में संयुक्त आयुक्त, उद्योग, आगरा मंडल, आगरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या का सदस्य-संयोजक द्वारा परीक्षण करते हुये अनुलग्नक-10 पर प्रस्तुत की गयी परीक्षण आख्या का अवलोकन किया गया तथा यह पाया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की बैठक दिनांक 15.10.2014, जिसमें बिन्दु सं0-4 के उपबिन्दु-(III), (IV), (V) का उल्लेख है, के क्रम में संयुक्त आयुक्त, उद्योग, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा नामित ए0डी0एम0, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, आगरा मण्डल, उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, फिरोजाबाद एवं क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा, फिरोजाबाद के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण का परीक्षण कर सुस्पष्ट संयुक्त आख्या प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, फिरोजाबाद/संयुक्त आयुक्त, उद्योग, आगरा मण्डल/उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, फिरोजाबाद/क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा, फिरोजाबाद)

एजेण्डा बिन्दु सं0-5 (29.02.2020)

मा0सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका (सिविल) संख्या-13381/1984 (एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में विचाराधीन विभिन्न आई0ए0 पर सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रस्तावित/कृत कार्यवाही की समीक्षा के सम्बन्ध में-प्रश्नगत याचिका अन्तर्गत मा0सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न सरकारी/निजी समूह/व्यक्ति/संस्था के द्वारा दायर की गई आई0ए0 पर विभागों द्वारा कृत अद्यतन कार्यवाही की समीक्षा उपरान्त निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये-

| क्र0 सं0 | आई0ए0 सं0 | सम्बन्धित विभाग | आई0ए0 की विषय-वस्तु | निर्देश |
|----------|---|-------------------------------|---|--|
| 8. | 134453/2019, 134454/2019, 3186/2020 (Filed by Agra Development Foundation) | (DFO Agra 7839435137) | सरकारी भूमि पर वृक्षों के पातन हेतु SOP निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में। | निर्देश दिये गये कि एस0ओ0पी0 में आवश्यक संशोधन कराते हुये शासन से अनुमोदन प्राप्तोपरान्त प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्र0, आगरा द्वारा नियमानुसार मा0सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्रतिशीघ्र दाखिल कराते प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाये तथा कृत कार्यवाही से आगामी बैठक से पूर्व अवगत कराया जाये। |
| 11 | 4115, 4118 & 4119/2020 (Filed by Agra Development Foundation) | S.S.P., AGRA | आगरा में सुगम यातायात व्यवस्था के सम्बन्ध में। | सर्वसम्बन्धित विभागों से प्राप्त आख्याओं/सूचनाओं के आधार पर ए0ओ0आर0 से प्रतिशपथ-पत्र तैयार कराकर नियमानुसार मा0सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कराया जाये। |
| 13 | 3419, 3420 & 3424/2020 | (Dy. Director, Tourism, Agra) | बृज विकास तीर्थ | सर्वसम्बन्धित विभागों से प्राप्त आख्याओं/सूचनाओं के |

| क्र० सं० | आई०ए० सं० | सम्बन्धित विभाग | आई०ए० की विषय-वस्तु | निर्देश |
|----------|--|--|---|---|
| | (Filed by Agra Development Foundation) | Mob.No. 9415115510) | परिषद् की भौति आगरा में स्पेशल पर्पज व्हीकल (एस.पी.वी.) बनाये जाने के संबंध में। | आधार पर ए०ओ०आर० से प्रतिशपथ-पत्र तैयार कराकर नियमानुसार मा०सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कराया जाये। |
| 14 | 20616 & 20617/2020 (Filed by Arun Gupta) | (Dy.Commr., DIC, FZB. Shri A.K. Pandey, Mob. No. 9411923038) (Regional Officer, Shri Manoj Kumar Chaurasia, Mob. No. 7839891925) | ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में नयी इकाइयों की स्थापना एवं पूर्व स्थापित/संचालित इकाइयों के विस्तारीकरण हेतु अनुमति प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में। | उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत आई०ए० की प्रस्तरवार आख्या तैयार कराकर कार्यालय के पत्रांक-2605 दिनांक 07.12.2021 द्वारा शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा चुकी है, जो शासन के लीगल सैल में लम्बित है। शासन के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र अनुमोदन करा लिया जायेगा। निर्देश दिये गये कि उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, फिरोजाबाद द्वारा आयुक्त, आगरा मण्डल/अध्यक्ष, टी०टी०जैड० प्राधिकरण, आगरा की ओर से भी शासन को तत्काल पत्र भिजवाया जाये। |

रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984-एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत किसी भी सरकारी विभाग/संस्था द्वारा कोई भी आई०ए०/प्रतिशपथ-पत्र/जबाव, आदि टी०टी०जैड० प्राधिकरण के बिना संज्ञान में लाये, मा०सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल न किया जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। सम्बन्धित विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण की जाये।

(कार्यवाही-समस्त सम्बन्धित विभाग/संस्था)

एजेण्डा बिन्दु सं०-08 (29.02.2020)

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रांतर्गत जनपद फिरोजाबाद में स्थापित/संचालित काँच इकाई मै०यूनाईटेड कैमीकल इण्डस्ट्रीज को आवासीय क्षेत्र से यू०पी०एस०आई०डी०सी० में स्थानान्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में-मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-4 (24.12.2019) के निर्णयानुसार।

(कार्यवाही-टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

एजेण्डा बिन्दु सं०-09 (29.02.2020)

काँच इकाई (1)मै०मीरा ग्लास इण्डस्ट्रीज, (2)मै०चन्द्रभान अनिल कुमार ग्लास वर्क्स एवं (3)मै०हाईलाईट ग्लास प्रा०लि० द्वारा गैसापूर्ति बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में-मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-4 (24.12.2019) के निर्णयानुसार।

(कार्यवाही-टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

अन्य बिन्दु, मा०अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

1-ताजमहल एवं इसके आस-पास के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक बिन्दु के सम्बन्ध में-इस बिन्दु को मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-03 (25.04.2022) के अन्तर्गत समावेशित कर दिये जाने के कारण विलोपित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-03 (15.12.2020)

यमुना नदी पर आगरा शहर में स्थित ताजमहल के 1.5 कि०मी० डायन स्ट्रीम में रबर डैम के निर्माण की परियोजना हेतु टी०टी०जैड० प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में-अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक 15.10.2020 को सम्पन्न स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी (एस.ई.ए.सी.) की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति/अनुज्ञा हेतु सशर्त संस्तुति प्रदान की गयी है, जिसकी शर्त

d msh

32 e

सं०-1 के अनुसार टी०टी०जैड० प्राधिकरण की विलयरेस आवश्यक होने के कारण स्टेट इन्वायरनमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथॉरिटी, उ०प्र० द्वारा अभी अन्तिम रूप से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गयी है। मा०सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 एवं दिनांक 09.03.2022 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में आहूत बैठक के निर्णयानुक्रम में रबर डैम परियोजना के वायु/जल प्रदूषण स्कोर की स्थिति सहित मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को टी०टी०जैड० प्राधिकरण कार्यालय द्वारा पत्रांक-533 दिनांक 31.03.2022 प्रेषित किया गया है। साथ ही निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर से भी रबर डैम परियोजना के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु टी०टी०जैड० प्राधिकरण कार्यालय द्वारा पत्रांक-534 दिनांक 31.03.2022 प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में डॉ०एस०के० गोयल, चीफ साईन्टिस्ट एण्ड हैड, दिल्ली जोनल सेन्टर, नीरी, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 22.04.2022 द्वारा परियोजना के कियान्वयन हेतु कतिपय शर्तों के साथ सहमति/अभिमत प्रदान कर दी गयी है।

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत प्रस्तावित परियोजना के कियान्वयन हेतु नीरी के द्वारा कतिपय शर्तों के साथ सहमति/अभिमत प्रदान कर दी गयी है। अतः सिंचाई विभाग के द्वारा मा०सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 एवं सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 09.03.2022 के निर्णयों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही मा०सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2017 के अनुपालन में योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली द्वारा ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र हेतु तैयार किया गया विजन डोक्यूमेन्ट एवं उसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा मा०सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किये गये अभिमत (Suggestion) का भी सिंचाई विभाग द्वारा परीक्षण कर लिया जाये। वर्तमान में प्रकरण विलोपित किया जाये। यदि टी०टी०जैड० प्राधिकरण के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित हो तो टी०टी०जैड० प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही-सिंचाई विभाग, आगरा)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-04 (15.12.2020)

काँच उद्योग विकास केन्द्र, फिरोजाबाद द्वारा पॉट फर्नेस के स्थान पर टैंक फर्नेस स्थापित किये जाने एवं प्राकृतिक गैस की उपलब्ध दैनिक अनुबंधित मात्रा 300 SCMD के स्थान पर 3000 SCMD बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में-मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-4 (24.12.2019) के निर्णयानुसार।

(कार्यवाही-टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-06 (15.12.2020)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आई.आई.टी. कानपुर से तैयार करायी गयी ताजमहल केन्द्रित स्टडी "Apportionment of air pollution source at Taj Mahal" के परिप्रेक्ष्य में एक्शन प्लान एवं इसकी प्रगति की समीक्षा के सम्बन्ध में-नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम के जोन-2 के अन्तर्गत मल का चबूतरा स्थित शमशान घाट का सौन्दर्यीकरण/सुदृढीकरण का कार्य कराये जाने हेतु कार्य-योजना तैयार कर 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत (धनांक रू० 3,43,53,615.47) के कार्य प्रगति पर है।

पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि यातायात पुलिसकर्मियों की शहर में ड्यूटी के दौरान वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही कर 523 वाहनों के चालान किये गये हैं। आगरा शहर में 15 वर्ष पुराने समस्त निजी वाहन एवं 10 वर्ष पुराने समस्त डीजल संचालित तिपहिया लोडर वाहनों के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा नियमित रूप से वैधानिक कार्यवाही कर बन्द/सीज की कार्यवाही की जाती है। यातायात पुलिस द्वारा 30 वाहनों को सीज कर यातायात पुलिस लाईन में दाखिल किया गया है।

अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि ताजमहल के 1.5 कि०मी० डाउन स्ट्रीम में रू० 413.34 करोड़ की लागत से प्रस्तावित रबर डैम के निर्माण से नदी की सूखी तली में जल भराव हो जायेगा। परियोजना को विभिन्न विभागों से अनापत्ति हेतु प्रेषित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली, केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली एवं भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा परियोजना पर अनापत्ति प्रदान कर दी गयी है। नीरी के पत्र दिनांक 24.04.2022 द्वारा परियोजना हेतु सशर्त अपनी सहमति/अभिमत प्रदान कर दी गयी है। वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग से पर्यावरण क्लीयरेंस एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से अनापत्ति प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है। सभी विभागों से अनापत्ति प्राप्त होने पर परियोजना का

d nsl

निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। गोकुल बैराज, मथुरा का निर्माण आगरा एवं मथुरा-वृन्दावन शहर के पेयजल आपूर्ति हेतु किया है, जिसमें आगरा एवं मथुरा-वृन्दावन शहर का कमशः 115 एवं 30 क्यूसेक जल यमुना नदी के द्वारा आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। आगरा शहर को पेयजल हेतु 115 क्यूसेक जल के साथ जल क्षति को शामिल करते हुए लगभग 150 क्यूसेक जल छोड़ा जाना निहित है। उक्त के सापेक्ष गोकुल बैराज से विगत वर्षों में न्यूनतम लगभग 500 क्यूसेक जल यमुना नदी के माध्यम से आगरा शहर की पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ यमुना नदी के न्यूनतम प्रवाह को भी संतुलित बनाये रखता है।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आई०आई०टी०, कानपुर के द्वारा की गई अध्ययन रिपोर्ट के कम में रिट याचिका (सि०) सं० 13381/1984 में पारित आदेश दिनांक 30.12.1996 के अनुपालन में टी०टी०जैड० क्षेत्रान्तर्गत आगरा के वायु प्रदूषणकारी उद्योग नेचुरल गैस/ इलैक्ट्रिसिटी से संचालित हैं, जिनका अनुश्रवण क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर किया जा रहा है। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से आगरा शहर में 05 Ambient Air Quality Monitoring Station (CAAQMS) स्थापित एवं संचालित हैं। वर्तमान में आगरा शहर में 06 CAAQMS कार्यरत हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि सिकन्दरा के पास स्थित पुलिस पार्किंग स्थल पर चारों ओर बाउण्ड्रीवाल तथा मेन गेट के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था नामित करते हुये वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, गृह, उ०प्र० शासन, लखनऊ से अनुरोध किया गया है, जिसके कम में स्वीकृति अपेक्षित है।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा सम्भाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालनार्थ 15 वर्ष पुराने/निर्धारित समय सीमा पूर्ण निरूद्ध 92 वाहनों के आरोप पत्र मा०मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा के न्यायालय में प्रेषित किये जा चुके हैं। उपरोक्त के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, अभि०/ज्येष्ठ अभि०अधि०, आगरा के माध्यम से मा०मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा से नीलामी हेतु अनुरोध किया गया है।

पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि यातायात पुलिसकर्मियों की वाहन चैकिंग ड्यूटी शहर के प्रत्येक थाना क्षेत्र के अन्तर्गत लगाकर यातायात पुलिस के समस्त चालानकर्ता अधिकारीगणों द्वारा शहर क्षेत्र में बिना वायु प्रदूषण प्रमाण पत्र के चलने वाले वाहनों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार चालान की कार्यवाही मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत की जाती है। यातायात पुलिस आगरा द्वारा नियमित रूप से कार्यवाही कर दिनांक 16.12.2021 से दिनांक 08.04.2022 तक बिना वायु प्रदूषण प्रमाण पत्र के चलने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये कुल 1040 वाहनों के चालान किये गये हैं एवं रु० 1,38,000/- शमन शुल्क वसूल किया गया है। आगरा शहर में ताज ट्रैपेजियम जोन प्राधिकरण के निर्देशानुसार 15 वर्ष पुराने वाहनों के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा नियमित रूप से वैधानिक कार्यवाही कर बन्द/सीज की कार्यवाही की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा दि० 16.12.2021 से 08.04.2022 तक 87 वाहनों को सीज/बन्द कर यातायात पुलिस लाइन में दाखिल किया गया है। इस प्रकार यातायात पुलिस द्वारा नियमित रूप से बिना वायु प्रदूषण प्रमाण पत्र के चलने वाले वाहनों तथा 15 वर्ष से अधिक समयवधि के वाहनों के विरुद्ध नियमित कार्यवाही की प्रक्रिया निरन्तर प्रचलित है।

मुख्य अभियंता, आ०वि०प्र०, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि मोक्षधाम स्थल पर नवनिर्मित भवन में प्रथम तल पर आठ चिता स्थल/चबूतरा निर्मित किया गया है। पुराने चिता स्थल डूब क्षेत्र में होने के कारण नवनिर्मित भवन के ऊपर निर्मित किये गये चिता स्थलों पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु वेट स्क्रबर प्रणाली की स्थापना हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 16.02.2020 को निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं। उक्त निविदाओं की वित्तीय बिड दिनांक 05.10.2020 को खोली गयी। उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता द्वारा दी गयी दरों रु० 2,23,10,000.00 (GST नियमानुसार पृथक से देय) के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि रु० 1,00,00,000.00 मात्र है। अवशेष धनराशि रु० 1,23,10,000.00 मात्र एवं नियमानुसार देय जी०एस०टी० की धनराशि पथकर निधि से पथकर सलाहकार समिति की स्वीकृति की प्रक्रियान्तर्गत है तथा पथकर सलाहकार समिति से स्वीकृति उपरान्त नियमानुसार कार्य कराया जायेगा।

श्री रमन, सदस्य, अनुश्रवण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि मोक्षधाम गृह पर आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्थापित किये गये वेट स्क्रबर मानकों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं।

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि समस्त सम्बन्धित विभागों के द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आई०आई०टी०, कानपुर से तैयार करायी गयी "Apportionment of air pollution source at Taj Mahal" के परिप्रेक्ष्य में एक्शन प्लान के सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालनीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा

L 282

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई.आई.टी. कानपुर से करायी गयी स्टडी "Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory & Source Apportionment Study in the city of Agra" में उल्लिखित कन्ट्रोल ऑपशन्स एवं एक्शन प्लान के बिन्दुओं को समस्त सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सर्कुलेट किये जायें तथा समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा एक्शन प्लान में अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, जिसका अनुश्रवण जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में गठित 'जिला पर्यावरण समिति' की बैठकों में किया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र०प्र०नि०बो०,आगरा/समस्त सम्बन्धित विभाग)

आगरा नगर निगम द्वारा जोन-2 के अन्तर्गत मल का चबूतरा स्थित शमशान घाट के सौन्दर्यीकरण/सुदृढीकरण हेतु 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत तैयार की गयी रू० 3,43,53,615.47 की कार्य-योजना के अनुसार समस्त निर्माण/विकास कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जायें।

(कार्यवाही-नगर निगम, आगरा)

गत बैठक के निर्देशानुक्रम में प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान निरूद्ध वाहनों को रखने के लिए सिकन्दरा पर चिन्हित स्थान पर पुलिस विभाग द्वारा बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन को प्रेषित किये गये पत्र के क्रम में शासन को पुनः अनुस्मारक-पत्र प्रेषित किया जाये कराया जाये तथा स्वीकृति उपरान्त चिन्हित स्थल पर शीघ्र बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया जाये ताकि चिन्हित स्थान का उपयोग हो सके। आर०टी०ओ० व पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा द्वारा जब्त किये गये वाहनों की नीलामी के सम्बन्ध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा से वांछित अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये।

(कार्यवाही-एस०एस०पी०/एस०पी०(ट्रैफिक)/आर०टी०ओ०(प्रशा०), आगरा)

पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा के वाहनों की चैकिंग प्रत्येक थाना क्षेत्र में सुनिश्चित करायी जाये तथा जिन वाहनों पर पी०यू०सी० सर्टिफिकेट न होने, ऐसे वाहनों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार चालान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही-एस०पी०(ट्रैफिक), आगरा)

गत बैठक के निर्देशानुक्रम में जिन स्थल/चबूतरों पर एयर पॉल्यूशन कन्ट्रोल सिस्टम स्थापित नहीं हैं, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा उन स्थल/चबूतरों को एयर पॉल्यूशन कन्ट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाये। ताजगंज स्थित मोक्षधाम पर स्थित चार प्लेटफार्म पर स्थापित एयर पॉल्यूशन कन्ट्रोल सिस्टम को मोक्षधाम स्थित नये भवन के प्लेटफार्म पर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में आ रहे व्यय एवं व्यावहारिकता का परीक्षण कर लिया जाये अन्यथा नये भवन में स्थापित आठ प्लेटफार्म पर एयर पॉल्यूशन कन्ट्रोल सिस्टम का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये, जिसका आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पथकर सलाहकार समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त किया जाये। मोक्षधाम पर पूर्व में स्थापित एयर पॉल्यूशन कन्ट्रोल सिस्टम की क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा शवदहन के समय पुनः स्टैक मानीटरिंग करायी जाये, जिससे कि ज्ञात हो सके कि स्थापित एयर पॉल्यूशन कन्ट्रोल सिस्टम आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा मानकों के अनुरूप संचालित किया जा रहा है अथवा नहीं।

(कार्यवाही-मुख्य अमि०,आ०वि०प्रा०/उ०प्र०प्र०नि०बो०,आगरा)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-08 (15.12.2020)

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद स्थित मै०पायनियर ग्लास इण्डस्ट्रीज, मै०क्रिस्टल ग्लास इण्डस्ट्रीज, मै०गिरधारीलाल मनोहरलाल ग्लास वर्क्स, मै०माथुर ग्लास इण्डस्ट्रीज, मै०आलोक ग्लास वर्क्स, मै०जनरल ट्रेडर्स, मै०रेनु ग्लास वर्क्स, मै०क्वालिटी ग्लास वर्क्स, मै०सुपर ग्लास वर्क्स एवं मै०पकाई भट्टी विकास सहकारी समिति लि० द्वारा गैसापूर्ति/स्थानान्तरण हेतु टी०टी०जैड० प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में-मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-4 (24.12.2019) के निर्णयानुसार।

(कार्यवाही-टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-03 (08.10.2021)

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में स्थापित/संचालित ग्लास इण्डस्ट्रीज को गैसापूर्ति/गैस संयोजन एवं स्थानान्तरण हेतु टी०टी०जैड० प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में-एजेण्डा बिन्दु सं०-4 (24.12.2019) के निर्णयानुसार।

(कार्यवाही-टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-04 (08.10.2021)

मै०पकाई भट्टी हितकारी औद्योगिक सहकारी समिति, फिरोजाबाद को गैसापूर्ति हेतु टी०टी०जैड० प्राधिकरण की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में-एजेण्डा बिन्दु सं०-4 (24.12.2019) के निर्णयानुसार।

(कार्यवाही-टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

अन्य बिन्दु, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से-

2-रिट याचिका (सि०) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 एवं 11.12.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में-बैठक में अवगत कराया गया कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में रिट याचिका (सि०) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत 05 वर्ष की अवधि में (दिनांक 05.04.2016 से 29.01.2021 तक) वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में प्रदान की गयी अनुमति से सम्बन्धित मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की छायाप्रतियाँ जिलाधिकारी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस (उ०प्र०) एवं भरतपुर (राज०) को कार्यालय के पत्र दिनांक 11.11.2021 द्वारा प्रेषित की गयी हैं, जिसके क्रम में जिलाधिकारी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद एवं एटा से सूचनायें प्राप्त हुयी हैं जबकि जिलाधिकारी, हाथरस व भरतपुर (राज०) से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रकरण पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया तथा यह पाया गया कि जिलाधिकारी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद एवं एटा से जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, वह मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बिन्दुवार प्रस्तुत नहीं की गयी हैं, मात्र वृक्षों के पातन एवं वृक्षों के रोपण का उल्लेख करते हुये मा०सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का उल्लेख किया गया है जबकि सम्बन्धित जिलाधिकारियों के द्वारा मा०सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अनुपालन की अद्यतन स्थिति का बिन्दु/शर्तवार उल्लेख करते हुये, सूचनायें उपलब्ध कराया जाना वांछनीय था। निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद एवं एटा के द्वारा मा०सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अवलोकन/परीक्षण करने के उपरान्त आदेशों में उल्लिखित शर्त के अनुसार शर्तवार अनुपालनीय कार्यवाही की अद्यतन स्थिति/सूचनायें आगामी बैठक से पूर्व उपलब्ध करायी जायें एवं इसी प्रकार जिलाधिकारी, हाथरस व भरतपुर (राज०) के द्वारा भी वांछित सूचनायें आगामी बैठक से अवश्यमेव उपलब्ध करायी जायें। जिला प्रशासन द्वारा नामित ए०डी०एम०/एस०डी०एम० द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणीय निदेशक के साथ निरीक्षण कर उपरोक्त बिन्दुओं का समावेश करते हुये जिलाधिकारी के माध्यम से वांछित आख्या उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी,आगरा,मथुरा,फिरोजाबाद,एटा,हाथरस,भरतपुर(राज०))

4-ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में संचालित वाहनों/पुराने वाहनों, जुगाड़ वाहनों के पीयूसी, डीजल चालित व्यवसायिक वाहनों पर प्रतिबंध, पब्लिक/कॉमर्शियल वाहनों हेतु सीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता के सम्बन्ध में-सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा सम्भाग, आगरा ने अपने पत्र दिनांक 09.03.2022 द्वारा सूचित किया है कि आगरा, फिरोजाबाद एवं मथुरा जनपद में दिनांक 01.04.2021 से 28.02.2022 तक 15 वर्ष पुराने, जुगाड़ वाहनों, 3000 कि०ग्रा० के डीजल संचालित लोडर वाहनों व अपंजीकृत ई-रिक्शा तथा वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:-

| क्र० | चालानों का विवरण | आगरा | फिरोजाबाद | मथुरा | योग |
|------|--|------|-----------|-------|------|
| 1. | 15 वर्ष पुराने वाहनों के चालानों की संख्या | 179 | 8 | 0 | 187 |
| 2. | जुगाड़ वाहनों के चालानों की संख्या | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 3. | 3000 कि०ग्रा० लोडर के चालानों की संख्या | 35 | 10 | 16 | 61 |
| 4. | ई-रिक्शा चालानों की संख्या | 0 | 0 | 16 | 16 |
| | कुल योग | 222 | 18 | 32 | 272 |
| | वायु प्रदूषण के चालानों की संख्या | 1021 | 71 | 468 | 1560 |

उक्त वाहनों में से नगर निगम स्मार्ट सिटी द्वारा अपने कैमरे में कैप्चर पंजीयन निरस्त वाहनों में से लगभग 33000 वाहनों पिछले छः माह में संचालित पायी गयी हैं। पंजीकृत स्वामी को 15 दिन का नोटिस पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया है कि तत्काल अपने वाहन का संचालन बन्द कर वाहन को डिसमेन्टल कराकर उसका चैसिस टुकड़ा

इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जुगाड़ वाहनों पर प्रतिबन्ध तथा समस्त स्कूल बस व अन्य प्रकार के व्यावसायिक वाहन नगर निगम सीमा क्षेत्र में सीएनजी से संचालित हो रहे हैं। पंजीयन की वैधता समाप्त होने पर सी-रजिस्ट्रेशन एन0ओ0सी0 टी0टी0जैड0 क्षेत्र से बाहर के जनपद/प्रदेश में ले जाने की स्थिति में ही किया जाता है।

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि जनपद-आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद में जो वाहन 15 वर्ष पुराने हो गये हैं, उनके पंजीकरण निरस्त किये जायें। आर0टी0ओ0, आगरा द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में 15 वर्ष पुराने वाहनों के संचालन/सी-रजिस्ट्रेशन पर एवं शहर में संचालित जुगाड़ के संचालन पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। पब्लिक ट्रान्सपोर्ट/वाहनों के पीयूसी निरन्तर चैक कराये जायें। यह सुनिश्चित किया जाये कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में स्कूल बस/अन्य प्रकार के व्यावसायिक वाहन नगर निगम सीमा क्षेत्र में सीएनजी से ही संचालित हों। यह सम्भावना है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र से बाहर जाने के लिए एन0ओ0सी0 लिये जाने के उपरान्त भी 15 वर्ष पुराने वाहनों को ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में चलाया जा रहा हो। अतः इस सम्बन्ध में एक उपयुक्त व्यवस्था निर्धारित कर आर0टी0ओ0 द्वारा टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये, तब तक एन0ओ0सी0 दिये जाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। कृत कार्यवाही से टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-आर0टी0ओ0, आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद)

5-प्लॉट सं0 सी-47, इण्डस्ट्रियल एरिया फाउण्ड्री नगर, ग्राम-नरायच, तहसील-एत्मादपुर, जिला-आगरा (क्षेत्रफल 3492 वर्गमी0) पर ऑटोमोबाइल सर्विस वर्कशॉप स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में-बैठक में अवगत कराया गया कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में प्रथम चरण में आवश्यक/महत्वपूर्ण कुल 31 उद्योग/परियोजनाओं, जिनका केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु प्रदूषण स्कोर 11 से 20 तक है, हेतु नीरी की सेक्टरियल गाइडलाइन्स प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर को पत्रांक-499 दिनांक 04.02.2022 प्रेषित किया गया है, जिसमें क्र0सं0-18 पर "Automobile servicing, repairing and painting (excluding only fuel dispensing)", जो नारंगी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है एवं वायु प्रदूषण स्कोर 20 दर्शित है, भी सम्मिलित है। सेक्टरियल गाइडलाइन्स तैयार किये जाने हेतु नीरी के पत्र दिनांक 28.03.2022 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में वांछित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु सर्वसम्बन्धित विभागों को टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07.04.2022 को पत्र प्रेषित किया गया है। नीरी से गाइडलाइन्स अपेक्षित है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 के क्रम में "Automobile servicing, repairing and painting (excluding only fuel dispensing)" हेतु सेक्टरियल गाइडलाइन्स उपलब्ध कराये जाने के लिए नीरी से अनुरोध किया गया है। अतः नीरी की सेक्टरियल गाइडलाइन्स प्राप्त होने के उपरान्त सेक्टरियल गाइडलाइन्स सहित प्रकरण बैठक में प्रस्तुत किया जाये, तब तक उक्त बिन्दु को विलोपित किया जाये।

(कार्यवाही-टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

6-रिट याचिका (सि0) सं0-13381/1984-एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में-बैठक में अवगत कराया गया कि गत बैठक के निर्णयानुसार बिन्दु सं0-(i) के अन्तर्गत मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 के अनुपालन में प्रथम चरण में आवश्यक/महत्वपूर्ण कुल 31 उद्योग/परियोजनाओं, जिनका केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु प्रदूषण स्कोर 11 से 20 तक है, हेतु नीरी की सेक्टरियल गाइडलाइन्स प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर को पत्रांक-499 दिनांक 04.02.2022 प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में सेक्टरियल गाइडलाइन्स अपेक्षित है। नीरी के पत्र दिनांक 28.03.2022 द्वारा उपरोक्त के सन्दर्भ में कतिपय बिन्दुओं पर सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में वांछित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु मण्डलायुक्त/अध्यक्ष महोदय की ओर से सर्वसम्बन्धित विभागों को टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07.04.2022 को पत्र प्रेषित किया गया है।

बिन्दु सं0-(i) के अन्तर्गत मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 के अनुपालन में स्टेट इन्वायरनमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथॉरिटी के अन्तर्गत स्टेट इन्वायरनमेन्ट अप्रेजल कमेटी (एस.ई.ए.सी.) तथा पर्यावरण,

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की इन्वायरनमेन्ट इम्पैक्ट कमेटी (ई.ए.सी.) में नीरी के प्रतिनिधि का सदस्य के रूप में नामित किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को पत्रांक-498 दिनांक 04.02.2022 प्रेषित किया गया है।

बिन्दु सं0-(iii) के अन्तर्गत मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 के अनुपालन में औद्योगिक इकाई/प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत वृक्षों का पातन प्रस्तावित न होने की स्थिति में शासन स्तर से अग्रिम मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा पत्र सं0 503 दिनांक 14.02.2022 प्रेषित किया गया है तथा अनुस्मारक-1 सं0 539 दिनांक 07.04.2022 प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में प्रकरण में शासन स्तर से मार्गदर्शन अपेक्षित है। इसके साथ ही सन्दर्भित प्रकरण में अग्रिम मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भी टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा पत्र सं0 502 दिनांक 14.02.2022 प्रेषित किया गया है तथा दिनांक 07.04.2022 को अनुस्मारक-1 सं0 540 प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में अपर निदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपने पत्र सं0-F.No.Q-18011/30/2011-CPA(Part-1) दिनांक 18.04.2021 में मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.21 में वृक्षों के पातन से सम्बन्धित बिन्दु/निर्देश का उल्लेख करते हुये यह मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 09.03.2022 के कार्यवृत्त बिन्दु-xi के अन्तर्गत प्रोजेक्ट/इण्डस्ट्रीज/एक्टिविटीज में वृक्षों का पातन प्रस्तावित न होने के बिन्दु/प्रकरण में निम्नवत् निर्णय पारित किये गये हैं-

xi. In case, any project/industries/activity does not involve tree felling, the project proponent is required to submit an affidavit to this effect to TTZA. TTZA may issue necessary direction in this regard. (Action - TTZA).

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि प्रथम चरण में आवश्यक/महत्वपूर्ण कुल 31 उद्योग/परियोजनाओं, जिनका केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु प्रदूषण स्कोर 11 से 20 तक है, हेतु नीरी की सेक्टोरियल गाइडलाइन्स तैयार किये जाने के सम्बन्ध में नीरी के पत्र दिनांक 28.03.2022 जो सूचनार्थ मांगी गयी हैं, वह समस्त सम्बन्धित विभागों के द्वारा तैयार कराकर नीरी को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायें। नीरी की सेक्टोरियल गाइडलाइन्स प्राप्त होने पर टी0टी0जैड0 प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-समस्त सम्बन्धित विभाग/टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

औद्योगिक इकाई/प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत वृक्षों का पातन प्रस्तावित न होने के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.04.2021 द्वारा दिये गये मार्गदर्शन एवं सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 09.03.2022 को सम्पन्न बैठक में बिन्दु सं0-xi के अन्तर्गत पारित निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन से भी उक्त बिन्दु पर मार्गदर्शन प्राप्त होने पर अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

अन्य बिन्दु, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से (16.12.2021)-

गत बैठक के निर्णयानुक्रम में टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के सदस्यगण श्री केशो मेहरा, श्री उमेश शर्मा एवं डॉ0रविन्द्र मोहन पचौरी द्वारा संयुक्त रूप से दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 16.12.2021 पर निम्नानुसार चर्चा की गयी-

(i) **आगरा में यमुना नदी पर बैराज का निर्माण होना-अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग, आगरा के पत्रांक-2560/3/टी0टी0जैड0 दिनांक 16.04.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि यमुना नदी पर ताजमहल से लगभग 9.6 किमी0 ऊपर की ओर जवाहर ब्रिज के अपस्ट्रीम में आगरा बैराज के निर्माण की परियोजना की स्वीकृति उ0प्र0 शासन द्वारा वर्ष 1991 में प्रदान की गयी। इस परियोजना की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1999 में जारी की गयी परन्तु केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001 में जारी स्वीकृति को निलम्बित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप मिशन मैनेजमेन्ट बोर्ड की बैठक दिनांक 20.12.2002 में इस**

परियोजना को टी0टी0जैड0 से विलग कर दिया गया। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस शर्त के साथ पानी के बहाव को इस तरह मैनेज किया जाये कि डाउनस्ट्रीम में आने वाले पानी की गुणवत्ता बनी रहे। परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में बहाल कर दी गयी। इस बैराज का निर्माण मुख्यतः आगरा शहर की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए किया जाना था, अतः इसके लिए वित्त पोषण नगर विकास विभाग द्वारा किया जाना था। प्रस्तावित आगरा बैराज साईट पर अनेकों कॉलोनियों विकसित होने एवं भू-अर्जन अधिनियम-2013 लागू होने के कारण बैराज के डूबक्षेत्र से प्रभावित भूमि की लागत में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से आगरा बैराज का निर्माण नहीं हो सका। जल निगम आगरा द्वारा अपर गंगा नहर पर स्थित पालड़ा झाल (बुलन्दशहर) से पाईप लाइन के माध्यम से 150 क्यूसेक गंगाजल लाया जा रहा है तथा सिंचाई विभाग द्वारा गोकुल बैराज मथुरा के डाउनस्ट्रीम में 115 क्यूसेक जल आगरा शहर के पेयजल हेतु निरन्तर यमुना नदी में उपलब्ध कराया जा रहा है। उ0प्र0जल निगम आगरा के अनुसार गंगाजल लाये जाने से आगरा शहर की लगभग 2035 तक की घरेलू पेयजल मांग पूर्ण हो जायेगी।

- (2) **आगरा में रिंग रोड का निर्माण होना**—मुख्य अभियंता, आ0वि0प्रा0, आगरा के अनुसार प्राधिकरण द्वारा इनर रिंग रोड प्रथम चरण, जिसकी लम्बाई 10.88 किमी0 है एवं जो कि 6 लेन हाई एम्बैंकमेन्ट सड़क है, का निर्माण कुबेरपुर (एन0एच0-2) से, जो कि यमुना एक्सप्रेस-वे को भी जोड़ता है, से फतेहाबाद रोड तक पूर्ण करा दिया गया है, जिससे दिल्ली से आने वाला समस्त ट्रैफिक शहर के अन्दर से न जाकर यमुना एक्सप्रेस-वे से इनर रिंग रोड के माध्यम से सीधे ताजमहल पहुँच रहा है। इनर रिंग रोड प्रथम चरण किमी0 7.6 पर लखनऊ एक्सप्रेस-वे को भी जोड़ता है। आगरा इनर रिंग रोड, द्वितीय चरण, जिसकी लम्बाई 7.13 किमी0 एवं 6 लेन हाई एम्बैंकमेन्ट सड़क है, जो कि फतेहाबाद रोड से देवरी रोड से लगभग 200 मी0 पूर्व तक है, का निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इस सड़क का कार्य फतेहाबाद रोड से शमशाबाद रोड तक 98 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। शमशाबाद रोड से देवरी रोड तक के भाग का कार्य भी लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। आगरा इनर रिंग रोड प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण को जोड़ने हेतु फतेहाबाद रोड ऊपर फलाई ओवर का निर्माण कार्य भी प्रगति में है, जो कि 31 दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण कराने की योजना है। आगरा इनर रिंग रोड तृतीय चरण, जो कि इनर रिंग रोड द्वितीय चरण को ग्वालियर रोड से जोड़ेगा, का कार्य एन0एच0ए0आई0 द्वारा कराए जाने की योजना है। तृतीय चरण की कार्य योजना एन0एच0ए0आई0 के स्तर पर प्रगति में है। ग्वालियर रोड से जयपुर रोड को जोड़ते हुये मथुरा रोड (एन0एच0-2) तक पूर्व में ही दक्षिणी बाईपास निर्मित है। इस प्रकार तृतीय चरण पूर्ण होने के उपरान्त दिल्ली, नोएडा, इटावा, कानपुर, लखनऊ से आने वाले वाहन शहर के अन्दर से न जाकर इनर रिंग रोड के माध्यम से फतेहाबाद, ताजमहल, शमशाबाद, ग्वालियर, जयपुर, फतेहपुर सीकरी, मथुरा पहुँच सकेंगे।

- (3) **ताज ट्रैपेजियम जोन के सभी जिलों में 24 घंटे अबाध विद्युतापूर्ति किया जाना**—मुख्य अभियंता (तक0), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के पत्रांक-2152 दिनांक 11.03.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि टी0टी0जैड0 के अन्तर्गत सभी शहरी क्षेत्रों में ब्रेकडाउन अबाध को छोड़कर 24.00 घण्टे विद्युतापूर्ति की जा रही है, जिसके परिप्रेक्ष्य में श्री केशो मेहरा द्वारा मुख्य अभियंता (तक0) को प्रेषित पत्रांक-2022/04/19-1 दिनांक 19.04.2022 में यह उल्लेख किया गया है कि मुख्य अभियंता (तक0) का द्वारा दिया गया उत्तर मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना है। ताज ट्रैपेजियम जोन के सभी जनपदों में 24 घंटे अबाध विद्युतापूर्ति की जाये।

2- उपरोक्त तीनों महत्वपूर्ण प्रकरणों के अतिरिक्त सदस्यगणों के उक्त प्रत्यावेदन में कतिपय अन्य सुझाव भी दिये गये हैं, जैसे-घरेलू गैसापूर्ति सिलेण्डरों की रियायती दर 50 प्रतिशत किया जाना, टी0टी0जैड0 के 06 जनपदों में ग्रीन गैस की लाईन बिछायी जाना, निर्माण कार्य/खुदाई कार्य पर पानी का छिड़काव किया जाना व कपड़े से ढंककर किया जाना, तामहल के निकट 5 किमी0 के क्षेत्र में ताजमहल की ऊँचाई से अधिक फुब्बारे लगाया जाना, ताजमहल के निकट 5 किमी0 के क्षेत्र में सभी सड़कें रबराइज्ड रोड अथवा सीमेंट-कंक्रीट की बनाया जाना तथा ताजमहल के 5 किमी0 की परिधि में खाली जगहों पर सघन वृक्षारोपण कराया जाना।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के सदस्यगण श्री केशो मेहरा, श्री उमेश शर्मा एवं डा0रविन्द्र मोहन पचौरी द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन में उल्लिखित बिन्दुओं/सुझावों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा परीक्षण कर आख्या प्रस्तुत की जाये। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा द्वारा मा0सर्वोच्च न्यायालय के

h vsh

h vsh

आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में सम्पूर्ण ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में की जा रही विद्युतापूर्ति का विवरण/अद्यतन स्थिति दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० द्वारा अगली बैठक से पूर्व प्रस्तुत की जाये। मुख्य अभियंता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा को आगामी बैठक में प्रतिभाग में किये जाने हेतु आमंत्रित किया जाये। आगरा विकास प्राधिकरण निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत इनर रिंग रोड (द्वितीय चरण) का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाये। एन०एच०ए०आई० के द्वारा इनर रिंग रोड (तृतीय चरण) का निर्माण निर्धारित समय में पूर्ण कराया जाये ताकि जनसामान्य को इनर रिंग रोड का लाभ प्राप्त हो सके। कृत कार्यवाही से अगली बैठक से पूर्व अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-ए०डी०एम०(ना०आ०)/मुख्य अभियंता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/समस्त कार्यदायी संस्थायें/आ०वि०प्रा०/नगर निगम/एन०एच०ए०आई०/ग्रीन गैस लि०/डी०एफ०ओ०, आगरा)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-०३ (25.04.2022)

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस एवं भरतपुर (राज०) में साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में-नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा के द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा नगर निगम के द्वारा ताजमहल एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों में सफाई कार्य डोर-टू-डोर कलेक्शन हेतु नियुक्त कार्यदायी संस्था मै०लॉयन्स सर्विसेज प्रा० लि० के माध्यम से प्रतिदिन सफाई कार्य सड़क/नाली की सफाई घर-घर से कूड़ा संग्रहण मैकेनाइज्ड स्वीपिंग शौचालयों की सफाई का कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्तमान में ०६ वार्ड में डोर-टू-डोर कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में धनराशि की कमी के कारण कठिनाई हो रही है क्योंकि ताजमहल के आसपास आउटसोर्सिंग से सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु अनुबंधित आउटसोर्सिंग एजेन्सी को रू० 52.00 लाख/माह भुगतान किया जाता है, जिसमें से रू० 40 लाख प्राधिकरण द्वारा तथा रू० 10-11 लाख नगर निगम द्वारा वहन किया जाता है। वर्तमान में आउटसोर्सिंग एजेन्सी को लगभग 3-4 माह का भुगतान लम्बित है।

आगरा विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा विकास प्राधिकरण की समस्त कॉलोनियों नगर निगम, आगरा को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा इनर रिंग रोड प्रथम चरण की लगातार सफाई करायी जाती है, जिससे कि रोड साईड में कोई डस्ट न हो एवं वायुमण्डल में धूल के कण ट्रैफिक के आवागमन के कारण न फैले।

नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा के द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन के अन्तर्गत 1495 सफाई कर्मचारियों के द्वारा प्रतिदिन सफाई करायी जाती है। व्यवसायिक एवं धार्मिक स्थलों पर सुबह एवं सांय 2 पालियों के साथ-साथ रात्रि में भी सफाई का कार्य कराया जाता है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम फिरोजाबाद क्षेत्रान्तर्गत वायु गुणवत्ता इण्डेक्स के नियंत्रण हेतु लगातार पानी का छिड़काव एवं पेड़ों की धुलाई करायी जा रही है तथा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन किराये पर लिये जाने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की गयी है। एन०एच० के सर्विस रोड पर नगर निगम द्वारा सफाई के साथ-साथ पानी का छिड़काव भी कराया जा रहा है।

आयुक्त, नगर निगम, भरतपुर (राज०) से प्राप्त सूचनानुसार नगर निगम भरतपुर के अन्तर्गत 65 वार्ड हैं, जिनको 13 जोन क्षेत्रों में विभाजित किया हुआ है। प्रत्येक जोन में एक-एक सफाई निरीक्षक एवं प्रत्येक वार्ड में एक सफाई जमादार नियुक्त किया हुआ है तथा निगम के स्थाई एवं संवेदक के सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई कार्य किया जाता है। निगम द्वारा शहर के मुख्य बाजारों में रात्रि कालीन सफाई करवायी जाती है। नगर निगम द्वारा निगम के 65 वार्डों में प्रतिदिवस घर-घर कचरा संग्रहण कार्य कराया जा रहा है।

उपरोक्त निर्देशित किया गया है कि आगरा नगर निगम के द्वारा प्रतिदिन सफाई का कार्य सड़क/नाली की सफाई घर-घर से कूड़ा संग्रहण मैकेनाइज्ड + स्वीपिंग शौचालयों की सफाई का कार्य सुनिश्चित कराया जाये। नगर निगमों के द्वारा शहर के मुख्य-मुख्य भागों की मैकेनिकल स्वीपिंग करायी जाये तथा रोड साईड डस्ट को रोड के किनारे से हटाकर रखा जाये ताकि डस्ट पुनः रोड पर जमा न हो सके। नालों एवं नालियों से निकाली गयी सिल्ट को किसी भी दशा में सड़क के किनारे न रखा जाये। कृत कार्यवाही से टी०टी०जैड० प्राधिकरण की अगली बैठक से पूर्व अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-समस्त नगर निगम/न०पा०प०/नगर पंचायत/विकास प्राधिकरण)

d ngl

[Signature]

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-04 (25.04.2022)

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस एवं भरतपुर (राज०) में कूड़ा न जलाने जाने के सम्बन्ध में-नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा के द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित 12 स्थलों पर आगरा नगर निगम द्वारा विशेष सफाई व्यवस्था के साथ ही नियमित निरीक्षण सम्बन्धित क्षेत्रीय सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप कूड़ा जलाए जाने की घटनाओं को रोका गया है। उक्त स्थलों का निरीक्षण उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी किया जाता है। कूड़ा जलाने पर की गयी कार्यवाही के अन्तर्गत 03 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गयी है तथा कुल ₹० 3,05,000/- का जुर्माना वसूला गया है। साथ ही 05 लोगों के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी है तथा नगर निगम के सम्बन्धित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं, जिनके परिप्रेक्ष्य में जबाव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। कूड़ा जलाने में संलिप्त पाये जाने पर नगर निगम के दो कर्मचारियों की सेवारत समाप्त कर दी गयी है। अवगत कराया गया कि लैडर वेस्ट डिस्पोजल के लिए नगर निगम द्वारा एक एन०जी०ओ० के साथ स्टडी की जा रही है, जो अभी पूर्ण नहीं हुयी है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि शहरी सीमा में कूड़ा जलाना पूर्णतया प्रतिबंधित है, जिसके क्रियान्वयन के लिए 09 टीमों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की गई। कूड़ा जलाने पर 10 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही कर माह अप्रैल 2021 से 20.04.2022 तक ₹० 58,200/- का जुर्माना वसूला गया है तथा समस्त सफाई कर्मचारियों को किसी भी स्थिति में कूड़ा न जलाने हेतु आदेशित कर दिया गया है तथा आमजनों को भी कूड़ा न जलाने हेतु जागरूक किया जा रहा है। नगर निगम, फिरोजाबाद में कार्यरत समस्त सफाई नायक/सफाई कर्मचारियों को कूड़ा न जलाने के सम्बन्ध में नगर निगम के जीवारा म हॉल में दिनांक 04.03.2022 एवं 14.03.2022 को प्रशिक्षण दिया गया है तथा सभी सफाई नायक/सफाई कर्मचारियों को कूड़ा जलाने के प्रति संवेदीकरण भी किया गया है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कूड़ा जलाने वालों के विरुद्ध निरन्तर अभियान चलाते हुये कार्यवाही की जा रही है। उक्त के क्रम में दिनांक 16.11.2021 को कोतवाली वृन्दावन के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है एवं माह दिसम्बर-2021 में पागल बाबा मन्दिर के समीप कूड़ा जलाने वालों के विरुद्ध ₹० 10,000/- का जुर्माना वसूला गया है। कुल 03 लोगों के विरुद्ध एफ०आई०आर० (01-माह दिसम्बर, 2021 तथा 02-माह मार्च, 2022 में) दर्ज करायी गयी है। पतझड़ के कारण कुछ लोग पेड़ों के पत्ते इकट्ठा करके उसे जला देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा डिफाल्टर मथुरा का वेटरनरी कॉलेज पाया गया, उनके वाईस-चांसलर को पत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त वेटरनरी कॉलेज के समीप पत्ते जलाया जाना बन्द हो गया है। इसके अतिरिक्त प्रायः देखा जा रहा था कि रेलवे ट्रैक के बगल में कुछ लोग कूड़ा इकट्ठा करके जला देते थे, जिसके लिए मण्डल रेल प्रबन्धक, (पूर्वोत्तर रेलवे) इज्जत नगर, बरेली एवं मण्डल रेल प्रबन्धक, (उ०म०रे०) आगरा को रेलवे ट्रैक के बगल में कूड़ा जलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किये जाने पर रेलवे द्वारा मानीटरिंग की गयी, जिसके फलस्वरूप रेलवे ट्रैक के बगल में कूड़ा जलाने की घटनायें कम हो गयी हैं। नगर निगम में 04 जोन हैं, जिनसे सम्बन्धित सभी सेनीटरी इन्स्पेक्टर एवं सुपरवाइजर्स को अलग से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

सहायक आयुक्त (खाद्य), आगरा मण्डल, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि प्राप्त सूचनानुसार जनपद एटा के ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में कूड़ा जलाने पर की गयी कार्यवाही के तहत 59 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गयी है तथा कुल ₹० 54,300/- का जुर्माना वसूला गया है। जनपद हाथरस के ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में कूड़ा जलाने पर की गयी कार्यवाही के तहत 04 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गयी है तथा कुल ₹० 27,000/- का जुर्माना वसूला गया है। जनपद एटा व हाथरस में कूड़ा जलाने पर एफ०आई०आर० की सूचना शून्य है। गत बैठक में प्रदत्त निर्देशानुक्रम में जनपद आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद के ताज संरक्षित क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक/थर्माकोल/पॉलिथीन/कूड़ा जलाने पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में निरीक्षण कर मानक के उल्लंघन की जाँच हेतु एवं निर्धारित प्रारूप पर बैठक से पूर्व निरीक्षण आख्या/सूचना दिनांक 17.04.2022 तक प्रस्तुत किये जाने हेतु जनपदवार टीमों का गठन किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि चिन्हित किये गये 12 प्रमुख स्थल, जहाँ सॉलिड वेस्ट बर्निंग पूर्व में होती पायी गयी, का पुनः निरीक्षण कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा कराया

L 22

32

गया। निरीक्षण आख्यानसार 02 स्थलों पर कूड़ा-करकट जलने के अपशिष्ट पाये गये तथा अन्य स्थलों पर कूड़ा-करकट बिखरा हुआ पाया गया।

विस्तृत चर्चा उपरान्त यह पाया गया कि निर्धारित प्रारूप में संकलित सूचना/आंकड़ों के तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट है कि जनपद एटा में कूड़ा जलाने पर कोई एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की कार्यवाही नहीं की गयी है, इस प्रकार जनपद एटा की सूचनायें संतोषप्रद नहीं हैं। इसी प्रकार जनपद हाथरस के ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में भी नगर पालिका परिषद् के द्वारा कूड़ा जलाने पर कोई एफ0आई0आर0 नहीं करायी गयी है। खेद व्यक्त किया गया कि जनपद भरतपुर से भी निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें अप्राप्त हैं। निर्देश दिये गये कि जनपद भरतपुर (राज0) से बैठक के निर्णयानुक्रम में भरतपुर (राज0) के सम्बन्धित विभागों से वांछित अनुपालन आख्या/सूचनायें प्राप्त नहीं होने तथा टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की बैठकों में प्रतिभाग किये जाने वाले एवं भाग न लेने वाले सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, राजस्थान शासन को तत्काल पत्र प्रेषित कराया जाये, जिसकी प्रतिलिपि भरतपुर (राज0) के मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी के साथ-साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को भी पृष्ठांकित की जाये।

(कार्यवाही-टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

जनपद-भरतपुर (राज0) के समस्त सम्बन्धित विभागों की सूचनायें/अनुपालन आख्यायें एकत्रित कर टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराये जाने के लिए भरतपुर (राज0) के ए0डी0एम0 को नोडल अधिकारी नामित किया जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, भरतपुर (राज0) को पत्र प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही-टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

आगरा नगर निगम द्वारा लैदर कटिंग के पर्याप्त निस्तारण के लिए पॉलिसी बनाकर अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये। ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जिन जनपदों में ईट भट्ठे संचालित हैं, उनका सम्बन्धित जनपदों के एस0डी0एम0 के द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाये कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित ईट भट्ठों में ईटों के उत्पादन की प्रक्रिया में लैदर कटिंग, पेट कोक, टायरों, प्लास्टिक, खतरनाक अपशिष्टों आदि प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रयोग किसी भी दशा में न हो। ईट भट्ठों में उक्त प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रयोग पाये जाने की दशा में सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0 द्वारा ईट भट्ठा संचालकों को अधिनियमान्तर्गत नोटिस जारी किये जायें।

(कार्यवाही-नगर निगम, आगरा/सम्बन्धित एस0डी0एम0/उ0प्र0प्र0नि0बो0)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा चिन्हित 12 प्रमुख स्थलों पर नगर निगम आगरा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त स्थलों पर किसी भी दशा में सॉलिड वेस्ट बर्निंग न होने पाये। जिन स्थलों पर बहुतायात मात्रा में लैदर कटिंग पायी जायें, उन्हें नगर निगम द्वारा रात्रि के समय उठवाया जाये ताकि लैदर कटिंग को जलाया न जा सके।

(कार्यवाही-नगर निगम, आगरा)

अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें संकलित कर बैठक से पर्याप्त समयपूर्व टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जायें तथा विश्लेषण कर अगली बैठक में अवगत कराया जाये। गठित टीमों के द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के जनपदों में निरीक्षण कराया जाये। रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0-05 (25.04.2022)

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस एवं भरतपुर (राज0) में ठोस अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में-नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा के द्वारा अवगत कराया गया कि डोर-टू-डोर कूड़ा कलैक्शन हेतु सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र के लिए पीपीपी मोड पर बेंगलोर की फर्म मै0स्वच्छता कॉर्पोरेशन के साथ अनुबन्ध किया है, जिसके अन्तर्गत फर्म द्वारा 37 वाडों में सर्वे का कार्य पूर्ण कर अपने संसाधनों से कार्य किया जा रहा है एवं शेष 63 वाडों में नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों का प्रयोग करते हुये डोर-टू-डोर कूड़ा कलैक्शन का कार्य कराया जा रहा है। वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्र 15 मेगावाट को ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह दिनांक

h 282

04.01.2022 को किया गया है। विभिन्न 13 सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रगतिमान है। अनापत्ति उपरान्त प्लाण्ट का संचालन शीघ्र किया जायेगा। वेस्ट टू एनर्जी प्लाण्ट स्थल पर 400 टन का एक बैड वेस्ट टू बायो-सीएनजी/बायो-केरीसीन प्लाण्ट की कार्य-योजना तैयार की जा रही है, जिसके लिए सम्बन्धित संस्था के साथ नेगोशियेट किया जा रहा है। 150 टन/दिन के कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट प्लाण्ट की स्थापना/संचालन हेतु भी मा0सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त हो चुकी है, जिसके लिए फर्म द्वारा नयी एस0पी0वी0 बनवाने के लिए अनुरोध किया गया है। 05 टी.पी.डी. क्षमता का कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट प्लाण्ट कुबेरपुर में स्थापित किया जा चुका है, जिसके लिए विद्युत कनेक्शन हेतु निर्धारित धनराशि का भुगतान निवेश-मित्र पोर्टल पर किया जाना है। विद्युत कनेक्शन उपरान्त प्लाण्ट संचालन की स्थिति में आ जायेगी। पेठा उत्पादन से जनित वेस्ट हेतु पूर्व में रू0 12.00/किग्रा0 की दर से पेठा व्यावसायियों से यूजर चार्ज लिये जा रहे थे, जिसके लिए पेठा व्यावसायी तैयार नहीं होते थे इसलिए अब पेठा व्यावसायियों के पेठा उत्पादन से जनित वेस्ट डोर-टू-डोर निःशुल्क उठवाये जाने की कार्य-योजना बनाते हुये कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जितने भी Uncategorized Sectors हैं, जो कि अधिकांश पुराने शहर में हैं, उनके वेस्ट का निःशुल्क कलेक्शन किया जाना प्रस्तावित है। नगर निगम, आगरा द्वारा निर्धारित प्रारूप पर स्थापित वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट्स की सूची उपलब्ध करायी गयी है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद के द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम फिरोजाबाद सीमान्तगत समस्त 70 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन एवं सेग्रीगेशन का कार्य विभागीय स्तर पर सम्पादित कराया जा रहा है। अपशिष्ट को कवर्ड वाहनों द्वारा परिवहन करते हुए गीले कचरे की कम्पोस्टिंग की जा रही है एवं यथासम्भव सूखे कचरे का पुनर्चक्रण किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2016 को अंगीकृत कर नियमावली में वर्णित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। चनौरा स्थित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र पर दो एम0आर0एफ0 का निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसके लिए मै0मुस्कान इंटरप्राइजेज के साथ निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार फर्म द्वारा एम0आर0एफ0 का संचालन अपने संसाधनों एवं श्रमशक्ति द्वारा किया जा रहा है। एम0आर0एफ0 के संचालन से नगर निगम को राजस्व की प्राप्ति भी हो रही है। एम0आर0एफ0 की क्षमता वृद्धि हेतु मशीनरी की स्थापना के लिये 14वें एवं 15वें वित्त आयोग की बैठक में रू0 50 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। मशीनरी की स्थापना हेतु टेन्डर प्रक्रिया गतिमान है। गीले कचरे के प्रसंस्करण हेतु दो विन्ड्रोज की स्थापना की जा चुकी है एवं दोनों ही क्रियाशील हैं, साथ ही कम्पोस्ट पिट्स की सहायता से गीले कचरे का प्रसंस्करण किया जा रहा है। विकेन्द्रीकृत कम्पोस्ट पिट्स एवं विन्ड्रोज को मिलाकर प्रसंस्करण क्षमता लगभग 50 टन प्रतिदिन हैं। 05 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का वेस्ट-टू-कम्पोस्ट प्लाण्ट स्थापित किया गया है जो क्रियाशील है। नगर निगम फिरोजाबाद में उपलब्ध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत 5.265 हे0 भूमि पर 250 टी0पी0डी0 क्षमता के वेस्ट टू कम्पोस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट के अधिष्ठापन हेतु कार्यवाही संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 द्वारा कार्यवाही की जा रही है। राज्य मिशन निदेशक, (एस0बी0एम0), राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मद के अन्तर्गत कचरे के कलेक्शन एवं ट्रान्सपोर्टेशन आदि हेतु नगर निगम फिरोजाबाद को रू0 10.35 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसके क्रम में 1 कैटल कैचर, 50 मिनी टिपर एवं 08 रिफ्यूज कॉम्पैक्टर का क्रय कर लिया गया है एवं 25 मिनी टिपर एवं 07 रिफ्यूज कॉम्पैक्टर जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद किये जाने हेतु प्रक्रिया गतिमान है। नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर स्थापित वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट्स की सूची उपलब्ध करायी गयी है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा के द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम क्षेत्रान्तगत समस्त 70 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन किया जा रहा है। डोर-टू-डोर कलेक्शन के सापेक्ष नगर निगम द्वारा माह अगस्त 2021 से जनवरी-2022 तक रू0 1,19,388/- रू0 यूजर शुल्क वसूली की गयी है। नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में यमुनापार नगला कोल्हू पर 180 टन प्रतिदिन क्षमता वाला वेस्ट टू कम्पोस्ट प्लाण्ट क्रियाशील है। उक्त प्लाण्ट का संचालन नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के द्वारा स्वयं के संसाधनों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें नगर निगम क्षेत्रान्तगत प्रतिदिन एकत्रित होने वाले लगभग 150-180 टन कचरे का प्रसंस्करण कर खाद बनाया जा रहा है। माह फरवरी 2021 से जनवरी 2022 तक कुल 682.26 टन को निर्धारित रू0 311 प्रतिटन की दर से रू0 2,12,636/- में विक्रय किया गया है। यमुनापार नगर कोल्हू में सूखे कचरे के निस्तारण हेतु 10 टन प्रतिदिन क्षमता वाला मेटेरियल रिकवरी सेन्टर का निर्माण कराया गया है जिसका संचालन पीपीपी मोड पर 21वीं सेन्चुरी पॉलिमर्स संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। यमुना पार नगर कोल्हू पर कचरे का पृथक्कीकरण कर प्राप्त होने वाली पॉलीथीन एवं प्लास्टिक आदि से पैटर्सन एनर्जी संस्था के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट टू फ्यूल प्लाण्ट के माध्यम से ईंधन बनाया जा रहा है, जिसकी प्रसंस्करण क्षमता 06 टन प्रतिदिन है। वृन्दावन जोन में हजारी मल सोमानी ग्राउण्ड के निकट 05 टन क्षमता का ओर्गेनिक वेस्ट टू

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

कम्पोस्ट प्लाण्ट, 10 टन क्षमता वाला एमआरएफ, मण्डी समिति वृन्दावन में 01 टन क्षमता का आर्गेनिक वेस्ट टू कम्पोस्ट प्लाण्ट एवं मांट रोड पर ट्रान्सफर स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है, जो वर्तमान में क्रियाशील है। नगला कोल्हू प्लाण्ट पर एकत्रित 2.60 लाख टन लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु शासन द्वारा ब्लैक बैरी ओवरसीज संस्था को अधिकृत किया गया है। संस्था द्वारा प्रथम ट्रॉमल (क्षमता 300 टन प्रति शिफ्ट) दिनांक 23.10.2021 को एवं द्वितीय ट्रॉमल (क्षमता 300 टन प्रति शिफ्ट) 10.12.2021 को स्थापित कराते हुये प्रतिदिन संचालन कार्य प्रतिदिन 02 पालियों में कराया जा रहा है। इस प्रकार लगभग कुल 25,000 टन लीगेसी वेस्ट का निस्तारण करा दिया गया है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मथुरा में जितने भी फ्लावर्स का वेस्ट है, वह बृजगंधा संस्था को दिया जाता है, जिसके द्वारा फ्लावर्स को ड्राई करके अगरबत्ती, धूप आदि बनायी जाती है। मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के द्वारा मथुरा में मोक्षधाम में एक गोकाष्ठ प्लाण्ट स्थापित/संचालित किया जा रहा है, जो कि नगर निगम से गोबर चालीस पैसा/किग्रा0 की दर से क्रय कर गोकाष्ठ बनाये जाते हैं, जिसे शवदाह प्रक्रिया हेतु उपयोग में लाया जाता है। गोकाष्ठ से इमीशन लकड़ी की तुलना में काफी कम जनित होता है। रू0 1.65 करोड़ की अनुमानित लागत का 100 टीपीडी का एक गोबर प्लाण्ट बनाया जाना प्रस्तावित है। नगर निगम, मथुरा द्वारा निर्धारित प्रारूप पर स्थापित वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट्स की सूची उपलब्ध करायी गयी है।

आयुक्त, नगर निगम, भरतपुर (राज0) से प्राप्त सूचनानुसार प्लास्टिक एवं ठोस अपशिष्ट निस्तारण के सम्बन्ध में निगम द्वारा प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना हेतु मै0रोल्ज मैटेरियल हैण्डलिंग सिस्टम प्रा0लि0 को कार्यादेश जारी किया गया है। प्रसंस्करण संयंत्र की सहायता से नगर निगम भरतपुर क्षेत्र में निकलने वाले कचरे से कम्पोस्ट आरडीएफ बनाया जायेगा व सेनीटरी लैण्डफिल साईट विकसित की जायेगी। परियोजना संयंत्र की स्थापना कर निस्तारण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 17.02.2022 को अछनेरा में स्थापित/संचालित सोलर बेस्ड सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट का आगरा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट का संचालन संतोषजनक पाया गया। सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट के संचालन के दृष्टिगत समिति द्वारा कतिपय सुझाव दिये गये हैं। उ0प्र0प्र0नि0बो0 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सॉलिड वेस्ट के समुचित निस्तारण, आदि से जुड़ी ऐसी परियोजना/गतिविधियों का चिन्हांकन किया गया है, जिनके क्रियान्वयन से ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत बेहतर साबित हो सकता है। जैसे-म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स-2016 के अनुसार प्रबंधन किया जाना, Bio-degradable waste to the decentralized processing facilities, Non Bio-degradable waste (recyclable and combustible), Solid Waste Processing facilities, Landfill, Legacy waste, Energy Consumptions, Hazardous Waste Facility, Public Awareness आदि।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर निगम, आगरा द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 21.01.2022 एवं 17.02.2022 को सेवला आगरा स्थित आगरा छावनी के ट्रैनिंग ग्राउण्ड का निरीक्षण किया गया। कैंप्टोनमेंट बोर्ड द्वारा वर्तमान में मात्र सॉलिड वेस्ट को एकत्र कर सेवला स्थित ट्रैनिंग ग्राउण्ड में डम्प किया जा रहा है। निरीक्षण के समय डम्पिंग स्थल पर लीगेसी वेस्ट का भण्डारण पाया गया तथा MSW Rules 2016 के अनुसार प्रबंधन एवं निस्तारण की प्रक्रिया होती हुयी नहीं पायी है। माह मार्च, 2022 में किये गये निरीक्षण के समय कैंप्टोनमेंट बोर्ड द्वारा जारी टेण्डर में अनुबंधित फर्म मै0दयाचरण एण्ड कम्पनी द्वारा टेण्डर की शर्तों के अनुरूप मानकों के अनुसार सॉलिड वेस्ट का निस्तारण किया जाता पाया गया।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश किया गया कि नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायतों द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत ऐसे समस्त प्रस्तावित प्लाण्ट्स की स्थापना शीघ्र सुनिश्चित कराया जाये, जिनका संचालन पर्यावरणीय सुधार के लिए श्रेयस्कर हो। अन्य जिलों के नगर आयुक्तों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा वेस्ट टू एनर्जी, सी0एण्ड डी0 वेस्ट प्रोसेसिंग, डंग टू कम्पोस्ट, एम0आर0एफ0 आदि प्लाण्ट्स, जो स्थापित नहीं हैं, की स्थापना करायी जायेगी, के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा जनपदों में जनित अपशिष्टों का परीक्षण कर स्थापित कम क्षमता वाले प्लाण्ट्स की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में यथासम्भव आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत)

L 288

छावनी परिषद् द्वारा छावनी क्षेत्र के सॉलिड वेस्ट, लीगेसी वेस्ट, बायोमायनिंग के सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। आगरा नगर निगम, उ०प्र०प्र०नि०बो० तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा छावनी परिषद् के गन्तव्य स्थल का समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाये तथा रिपोर्ट टी०टी०जैड० प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-छावनी परिषद्/आगरा नगर निगम, उ०प्र०प्र०नि०बो० तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-०६ (25.04.2022)

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस एवं भरतपुर (राज०) में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का समुचित निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में-नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा के द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम द्वारा घरेलू ठोस अपशिष्ट एवं अन्य स्थलों पर एकत्रित ठोस अपशिष्ट में जैव चिकित्सक अपशिष्ट पाए जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही हेतु अवगत कराया जायेगा। वर्तमान में नगर निगम, आगरा की सूचना शून्य है

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा शहर में स्थित समस्त निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का समुचित निस्तारण जे०आर०आर० आगरा की संस्था द्वारा किया जाता है तथा अगर किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल पर जैव अपशिष्ट फेंका जाता है तो नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा इस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इसी क्रम में स्वशासी राजकीय चिकित्सालय/जिला अस्पताल के चिकित्सालय अधीक्षक को इस कार्यालय के पत्र सं० 2831/सा०प्र०/स्वा०वि०/2021-22 दिनांक 13.10.2021 द्वारा भी अवगत कराया गया है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट के परिवहन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में जे०आर०आर० वेस्ट मैनेजमेन्ट आगरा से सूचनायें मांगी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में जे०आर०आर० वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा०लि०, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि फिरोजाबाद जनपद में निजी/अस्पताल/नर्सिंग होम, ब्लड बैंक, पथलोजी, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का परिवहन व निस्तारण का कार्य जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अनुसार जे०आर०आर० वेस्ट मैनेजमेन्ट आगरा द्वारा किया जा रहा है लेकिन जे०आर०आर० वेस्ट मैनेजमेन्ट से वांछित सूचनायें प्राप्त नहीं हुई हैं। वर्तमान में नगर निगम, फिरोजाबाद को ठोस अपशिष्ट में जैव अपशिष्ट दृश्य नहीं हुआ है, जिसके कारण सूचना शून्य है।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद के द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद फिरोजाबाद में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन-2016 (यथासंशोधित) के अनुपालन के सम्बन्ध में उनके कार्यालय द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत 127 हेल्थ केयर फ़ैसिलिटीज (नर्सिंग होम/अस्पताल आदि) को दिनांक 08.04.2022 को पत्र प्रेषित किया गया है। जनपद-फिरोजाबाद के ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में स्थापित/संचालित हेल्थ केयर फ़ैसिलिटीज (नर्सिंग होम/हॉस्पिटल आदि) की पंजीकृत नवीनतम सूची उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद को उनके कार्यालय द्वारा दिनांक 08.04.2022 को पत्र प्रेषित किया है। हेल्थ केयर फ़ैसिलिटीज द्वारा स्वयं ही जैव चिकित्सा अपशिष्ट की लॉग-बुक मैन्टेन की जाती हैं, उसमें हेल्थ केयर फ़ैसिलिटीज द्वारा यह दर्ज नहीं किया जा रहा है कि उनके हास्पिटल/नर्सिंग होम से कितना जैव चिकित्सा अपशिष्ट जे०आर०आर० कम्पनी को निस्तारण हेतु दिया गया है जबकि जितना जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उठान किया जा रहा है, उसकी मात्रा लॉग-बुक में स्पष्ट अंकित की जानी चाहिये।

नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु जिला चिकित्साधिकारी मथुरा द्वारा संस्था नामित की गयी है। इसके अतिरिक्त नगला कोल्हू प्लाण्ट पर पहुँचने वाले वेस्ट का निरीक्षण प्लाण्ट के कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। ठोस अपशिष्ट कलेक्शन के समय निगम के कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से चैक किया जाता है तथा ठोस अपशिष्ट में जैव चिकित्सा अपशिष्ट मिलने पर ठोस अपशिष्ट को नहीं लिया जाता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट के नोडल अधिकारी द्वारा भ्रमण करके लॉग-बुक की नियमित जांच करायी जा रही है। मुख्य चिकित्साधिकारी तथा उप मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट का हास्पिटल/नर्सिंग होम से द्वारा नियमानुसार निस्तारण कराया जा रहा है।

L. K. K.

[Signature]

जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि शहर में स्थापित/संचालित हास्पिटल/नर्सिंग होम्स के अनुसार जैव चिकित्सा वेस्ट का निस्तारण सुनिश्चित नहीं पाया गया है। 50 बेड और 10 बेड वाले हास्पिटल/नर्सिंग होम्स की लॉग-बुक चैक करने पर कतिपय कमियाँ भी पायी गयी हैं। 50 बेड तथा उसे अधिक बेड के हास्पिटल/नर्सिंग होम्स के द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण ठीक प्रकार से कराया जा रहा है लेकिन 50 बेड से नीचे तक हास्पिटल/नर्सिंग होम्स की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी है। ऐसे 16 हास्पिटल/नर्सिंग होम्स को चैक करने पर यह संज्ञान में आया कि उनके द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण ठीक प्रकार से नहीं कराया जा रहा है। मै0जे0आर0आर0 वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0लि0 द्वारा मैन्टेन की गयी लॉग-बुक का सम्बन्धित हास्पिटल/नर्सिंग होम्स से मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से सत्यापन कराये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी आगरा को निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा द्वारा महानगर आगरा के निजी चिकित्सा संस्थानों के सत्यापन की सूची प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया है कि मै0 जे0आर0आर0 द्वारा मैन्टेन लॉग-बुक के अनुसार शेष हास्पिटल/नर्सिंग होम से उत्पन्न जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण का सत्यापन कार्य शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण कराया जा रहा है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सा संस्थानों के सत्यापन करने पर चिकित्सा संस्थानों के पास मै0जे0आर0आर0 कम्पनी को भुगतान सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं पाये गये परन्तु चिकित्सा संस्थानों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा नियमित किया जाता है, उनके द्वारा मै0जे0आर0आर0 से भुगतान सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जायेंगे। जैव चिकित्सा अपशिष्ट सम्बन्धी लॉगबुक में मैसर्स जे0आर0आर0 द्वारा मात्र हस्ताक्षर कालम में हस्ताक्षर किये पाये गये परन्तु उसके सापेक्ष कितने वजन का बायो वेस्ट चिकित्सा संस्थानों के उठाया गया सत्यापन नहीं है। उपरोक्त सत्यापन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा व हास्पिटल पंजीकरण कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा की संयुक्त टीम गठित कर सभी चिकित्सालयों का नियमित सत्यापन करने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को अवगत कराया गया है।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि समस्त नगर निगमों के द्वारा अपने स्तर पर बैठकें आयोजित कर ली जायें तथा यह ज्ञात किया जाये कि मै0 जे0आर0आर0 वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0लि0 को किस हास्पिटल/नर्सिंग होम्स के द्वारा कितने बेड का कितना जैव चिकित्सा अपशिष्ट दिया गया तथा कम्पनी को कितना भुगतान किया गया है ताकि विचलन की स्थिति स्पष्ट हो सके। ठोस अपशिष्ट में जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं पाये जाने के सम्बन्ध में सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाये। उपरोक्त के क्रम में निगमों द्वारा कृत कार्यवाही तथा गत बैठक के निर्णयानुक्रम में निर्धारित रूप में वांछित रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व उपलब्ध करायी जाये। जिलाधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से कम्पनी द्वारा मैन्टेन की गयी लॉग-बुक का सत्यापन कराया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/मु0चि0अ0/नगर निगम,आगरा/मथुरा/फिरोजाबाद/भरतपुर)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0-07 (25.04.2022)

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-259/ 2021 (अशोक बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) में पारित आदेश दिनांक 16.03.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में-क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद-आगरा के तहसील-खेरागढ़ में संचालित गैंगसा इकाइयों से जनित प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में याचिकाकर्ता श्री अशोक द्वारा मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 259/2021 (अशोक बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) में मा0अधिकरण द्वारा दिनांक 16.03.2022 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं-

"7. In view of above, we direct the Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority and the State PCB and other concerned Departments to hold a joint meeting within one month and prepare an action plan for remedial action having regard to the ground situation so as to support the 'Sustainable Development' principle. State PCB will be the nodal agency for compliance. This will also include scientific management of slurry, installing proper Rain Water Harvesting systems, air quality norms and regulation of groundwater in the interest of rule of law and protection of environment and public health. The application is disposed of. A copy of this order be forwarded to the Chief Secretary, Uttar Pradesh, State PCB and Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority by e-mail for compliance."

याचिकाकर्ता श्री अशोक द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा में 35 स्टोन क्रशर एवं इस प्रकार की इकाइयों के संचालन एवं इकाइयों द्वारा पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन कर प्रदूषण से ताजमहल, यमुना नदी एवं

d 286

जनमानस के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने तथा आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त किये बिना गहरी बोरिंग कर भूगर्भ जल दोहन किये जाने के कारण मा0अधिकरण में उपरोक्त ओ0ए0 दाखिल की गयी है, जिसमें दिनांक 16.03.2022 को पारित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के क्रम में स्टोन कटिंग इकाइयों (गैंगसा) के सम्बन्ध में एयर क्वालिटी नार्म्स, रेगुलेशन ऑफ ग्राउण्ड वॉटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं साइन्टिफिक मैनेजमेन्ट ऑफ स्लरी के सम्बन्ध में एक्शन प्लान बनाते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करायी जानी है। मा0अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूगर्भ जल विभाग की ओर से सुश्री सुनीता नायडू, सहायक भू-भौतिकविद् एवं जिला खनन अधिकारी, आगरा को नामित किया गया है तथा सदस्य-संयोजक, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा द्वारा टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की ओर से मुख्य नगर नियोजक, आ0वि0प्रा0/नोडल अधिकारी, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा को नामित किया गया है।

अवगत कराया गया कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा के तहसील खेरागढ़ एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में स्टोन कटिंग इकाइयों (गैंगसा) स्थापित/संचालित हैं। स्टोन कटिंग इकाइयों (गैंगसा) के द्वारा स्टोन ब्लॉक्स राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर एवं करौली आदि जिलों से लाये जाते हैं। इन स्टोन कटिंग इकाइयों (गैंगसा) से जनित स्लरी का प्रयोग तहसील खेरागढ़ एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित लो-लैण्ड एरिया के भराव हेतु किया जाता है लेकिन मा0अधिकरण द्वारा अपने उक्त आदेश में स्लरी के साइन्टिफिक मैनेजमेन्ट किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किये गये हैं।

जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 24.09.2020 एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना दिनांक 02.03.2021 के अनुसार राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, जिनका भूगर्भ जल आहरण 10 घनमीटर/दिन से कम हो, को भूगर्भ जल निष्कर्षण अनापत्ति प्राप्त करने के उपबंध से छूट प्रदान की गयी है तथा ऐसे उद्योगों द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-10 एवं 11 के अधीन पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है।

मा0अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के दृष्टिगत विषयगत प्रकरण में एयर क्वालिटी नार्म्स, रेगुलेशन ऑफ ग्राउण्ड वॉटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं साइन्टिफिक मैनेजमेन्ट ऑफ स्लरी के सम्बन्ध में एक्शन प्लान बनाये जाने एवं प्रकरण पर विस्तृत विचार-विमर्श किये जाने हेतु दिनांक 30.03.2022 को संयुक्त बैठक आहूत की गयी थी, जिसमें संयुक्त समिति द्वारा पारित मा0अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के दृष्टिगत स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाइयों हेतु निम्नानुसार एक्शन प्लान बनाया गया है-

- 1- तहसील खेरागढ़ में संचालित स्टोन कटिंग इकाइयों के समीपवर्ती क्षेत्र में तीन स्थानों पर गैंगसा इकाइयों द्वारा छमाही परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण का कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा कराया जाये, जिसकी अनुश्रवण आख्या हर छः माह बाद स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाइयों की एसोसिएशन द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रस्तुत की जायेगी।
- 2- Scientific Management of Slurry हेतु तहसील खेरागढ़ में स्थापित/संचालित स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाइयों में स्टोन कटिंग के दौरान जनित स्लरी का निस्तारण स्लरी को सेमी ड्राई कर इन्टरलाकिंग ब्लॉक्स/टाइल्स बनाकर ही किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाइयों को निकटतम सीमेन्ट प्रोडक्ट्स बनाने वाली इकाइयों से स्टोन कटिंग के दौरान जनित स्लरी उपलब्ध कराये जाने हेतु न्यूनतम 05 वर्ष का एग्रीमेन्ट किया जायेगा तथा किये गये एग्रीमेन्ट की छायाप्रति उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3- स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाइयों द्वारा सीमेन्ट प्रोडक्ट्स बनाने वाली इकाइयों को उपलब्ध करायी गयी स्लरी का लॉगबुक बनाये रखना अनिवार्य होगा, जिसकी तिमाही सूचना उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- 4- सीमेन्ट प्रोडक्ट्स बनाने वाली इकाइयों में मिक्सिंग ऑपरेशन से जनित फ्यूजिटिव इमीशन के नियंत्रण हेतु इन्टरलाकिंग ब्लॉक्स/टाइल्स का निर्माण कवर्ड शेड में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5- स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाइयों द्वारा स्टोन कटिंग हेतु उपयोग किये गये जल को इकाई में स्थापित रिसाईकिल टैंक्स के माध्यम से पुनः उपयोग में लाया जायेगा।

d 2/2/20

- 6- जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग), भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 24.09.2020 एवं उ०प्र० शासन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-330/76-3-2021-44/2020 दिनांक 02.03.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाईयों द्वारा परिसर में नियमानुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग पिट का निर्माण 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित कराया जायेगा जिसकी सूचना फोटोग्राफ सहित उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 8- स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाईयों द्वारा स्टोन कटिंग से जनित स्टोन स्लरी/डस्ट को आस-पास के खुले स्थानों में एकत्रित नहीं किया जायेगा। यदि स्टोन स्लरी/डस्ट निकटतम स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाई के निकट एकत्रित पायी गयी तो इकाई के विरुद्ध उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974/वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- 9- स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाईयों के आसपास लगभग 33 प्रतिशत भाग पर वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 के पत्रांक 1011/81-7-2021-09/Writ/2016 दिनांक 13.02.2021 द्वारा मियावाकी पद्धति आधारित ग्रीन बेल्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त तकनीक [www.up.ecp.in/training session.aspx](http://www.up.ecp.in/training/session.aspx) पर उपलब्ध है।
- 10- जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी, आगरा द्वारा स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाईयों को भण्डारण हेतु लाईसेन्स निर्गत किये जाते समय उक्त शर्तों का अनुपालन भी देखा जाये।
- 11- स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाईयों द्वारा मा० न्यायालयों/मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण/ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समय-समय पर जारी आदेशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

विस्तृत चर्चा उपरान्त मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रश्नगत ओ०ए० के अन्तर्गत दिनांक 16.03.2022 को पारित आदेशों के अनुपालन के दृष्टिगत दिनांक 30.03.2022 को सम्पन्न कमेटी की संयुक्त बैठक में बनाये गये एक्शन प्लान पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा मत स्थिर करते हुये निर्देशित किया गया कि उक्त एक्शन प्लान का समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालन से उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे मा० अधिकरण द्वारा नोडल विभाग नामित किया गया है, को अवगत कराया जाये। सम्बन्धित विभागों से कृत अनुपालनीय कार्यवाही सम्बन्धी आख्या प्राप्त/संकलित कर क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र० प्र० नि० बो०, आगरा द्वारा मा० अधिकरण को ई-मेल पर प्रेषित की जाये तथा एक प्रति टी० टी० जैड० प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जाये। कृत कार्यवाही से टी० टी० जैड० प्राधिकरण की आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/समस्त सम्बन्धित विभाग/उ०प्र० प्र० नि० बो०, आगरा)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-08 (25.04.2022)

सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 09.03.2022 को सम्पन्न बैठक के निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में-बैठक में अवगत कराया गया कि मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2021 को पारित आदेशों के क्रम में दिनांक 09.03.2022 को सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अध्यक्षता में इन्दिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गयी थी, ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के साथ-साथ मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक का कार्यवृत्त अनुभाग अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (सीपी डिवीजन), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21.03.2022 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उपरोक्त बैठक में पारित निर्णयानुक्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त बैठक दिनांक 09.03.2022 के कार्यवृत्त पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निर्देशित किया गया कि सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 09.03.2022 की आहूत बैठक का कार्यवृत्त नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया जाये। साथ ही उक्त कार्यवृत्त के क्रम में जो भी निर्देश टी० टी० जैड० प्राधिकरण के स्तर से निर्गत किये जाने

हों, उनके सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागों को तत्काल पत्र निर्गत किये जायें एवं अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। उक्त बिन्दु को विलोपित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-सम्बन्धित विभाग/टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

अन्य बिन्दु, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से-

आगरा शहर के रिहायशी क्षेत्रों में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में-क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा शहर के विभिन्न रिहायशी क्षेत्रों में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता श्री रवि गांधी की शिकायतें कार्यालय में प्राप्त होती हैं। इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्गीकृत उद्योगों की सूची दिनांक 07.03.2016 में क्र0सं0-44 पर लाल श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं, जिसका जल प्रदूषण स्कोर 30 तथा हैजार्डस स्कोर 20 है। मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं0-34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 द्वारा आवासीय क्षेत्र में संचालित इकाइयों को बंद कराये जाने के आदेश के क्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 सी0एस0-89(1)/9-आ-3-2003-62रिट/2003 दिनांक 10.11.2003 द्वारा संयुक्त आवास आयुक्त एवं उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, नियत प्राधिकारी समस्त विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0 को मास्टर प्लान के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र में संचालित औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधि को रोके जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-65/2019 में दिनांक 30.10.2019 को पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-एन0जी0टी0-613/81-7-2019-152 (रिट)/2016, दिनांक 28.11.2019 द्वारा आवासीय क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित औद्योगिक इकाइयों को बंद कराने/यथोचित स्थल पर स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/ऊर्जा/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को निर्देश जारी किये गये हैं।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों के अन्तर्गत पारित आदेशों के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2020 को सम्पन्न बैठक में निम्न निर्णय लिया गया है-

“प्रदेश में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना स्थापनार्थ अनापत्ति प्राप्त किये रेड एवं ऑरेंज केटेगिरी के प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों को विद्युत संयोजन न दिया जाये। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त विद्युत विभाग द्वारा रेड एवं ऑरेंज केटेगिरी के उद्योगों को अस्थायी विद्युत संयोजन तत्पश्चात् उद्योगों द्वारा संचालनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त उद्योगों को स्थायी विद्युत संयोजन प्रदान किया जाये।”

उपरोक्त निर्णयों के क्रम में अध्यक्ष, उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ के पत्रांक-70/7/मु0 अभि0(वा0एवं ऊ0ले0)/राजस्व प्रथम/नि0मि0 दिनांक 02.11.2020 के द्वारा रेड एवं ऑरेंज इण्डस्ट्री सेक्टर टाईप हेतु प्राप्त अस्थायी विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की स्थापनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना अस्थायी संयोजन निर्गत न किये जाने तथा प्राप्त स्थायी विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग को संचालनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना स्थायी संयोजन निर्गत न किये जाने हेतु प्रबंध-निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, दक्षिणांचल, आगरा को निर्देश जारी किये गये हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता श्री रवि गांधी द्वारा की गयी शिकायतों के क्रम में रिहायशी क्षेत्र में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों को उनके कार्यालय स्तर से इस आशय के नोटिस जारी किये गये हैं कि इकाई की स्थापना औद्योगिक/अनुमन्य क्षेत्र में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निवेश मित्र के माध्यम से अनापत्ति/सहमति प्राप्त करके ही किया जाना सुनिश्चित करें। 15 दिन में आवासीय क्षेत्र में इकाई का संचालन न करने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही/बंदी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उसके उत्तरदायी प्रतिनिधि/व्यक्ति का होगा, जिसकी प्रतिलिपि आगरा विकास प्राधिकरण एवं टोरण्ट पॉवर लि0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित की गयी है। तत्कम में शहरी क्षेत्र में विद्युत वितरण हेतु अनुबंधित टोरण्ट पॉवर लि0 एवं आगरा विकास

प्राधिकरण को नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा पत्र प्रेषित किये जाते हैं, जिसके क्रम में टोरण्ट पॉवर लि० एवं आगरा विकास प्राधिकरण से कार्यवाही अपेक्षित है। जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति की बैठक दिनांक 12.01.2021, 15.12.2021 तथा 30.03.2022 में भी शिकायतकर्ता श्री रवि गांधी द्वारा रिहायशी क्षेत्र में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के सम्बन्ध में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अध्यक्ष महोदय के द्वारा जांच किये जाने के सम्बन्ध में आगरा विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा की अध्यक्षता में "ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण" का गठन किया गया है, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा-5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है, जिसके अन्तर्गत किसी उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया को बन्द करने, उसका प्रतिषेध या विनियमन करने एवं विद्युत या जल या किसी अन्य सेवा के प्रदाय को रोकने या विनियमन किया जाना निहित है।

तत्क्रम में विस्तृत चर्चा उपरान्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के संचालन हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की स्थापनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के स्थायी/अस्थायी विद्युत संयोजन दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/टोरण्ट पॉवर लि० द्वारा तत्काल विच्छेदित किये जायें तथा जल संस्थान द्वारा पानी के कनेक्शन विच्छेदित किये जायें। इसी प्रकार यदि इकाइयों में अवैध रूप से भूगर्भ जल का प्रयोग किया जा रहा है तो भूगर्भ जल विभाग के द्वारा अवैध समर्सिबल को जब्त कर बन्द कराया जाये। रिहायशी क्षेत्र में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों की सूची उ०प्र०/नो०/बो० द्वारा सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जाये। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत रिहायशी क्षेत्र में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। कृत कार्यवाही से टी०टी०जैड० प्राधिकरण को अवगत कराया जाये।


(कार्यवाही-आगरा विकास प्राधिकरण/प्रबंध-निदेशक,द०वि०वि०नि०लि०/टोरण्ट पॉवर लि०/जल संस्थान/
भूगर्भ जल विभाग/उ०प्र०/नो०/बो०, आगरा)

अध्यक्ष, उ०प्र०पॉवर कॉर्पो०लि०, लखनऊ के द्वारा समस्त प्रबन्ध-निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ को प्रेषित पत्र दिनांक 02.11.2020 में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2020 को सम्पन्न बैठक में मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वार्डों के अन्तर्गत पारित आदेशों के अनुक्रम में उल्लिखित उपरोक्त निर्णयों के पश्चात् टोरण्ट पॉवर लि० द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना स्थापनार्थ अनापत्ति प्राप्त किये रेड एवं ऑरेन्ज कंटेगिरी के कितने प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों को अब तक विद्युत संयोजन प्रदान किये गये हैं, के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करायी जाये। साथ ही उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों एवं अन्य शिकायती प्रकरणों के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित इकाइयों के विरुद्ध विद्युत कनेक्शन विच्छेदन हेतु टोरण्ट पॉवर लि० को प्रेषित किये गये पत्रों के क्रम में टोरण्ट पॉवर लि० द्वारा कितनी इकाइयों के विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन किया गया है, के सम्बन्ध में सूची उपलब्ध करायी जाये। टोरण्ट पॉवर लि० के सम्बन्धित अधिकारी टी०टी०जैड० प्राधिकरण की अगली बैठक में विद्युत कनेक्शन विच्छेदन की समस्त सूचनाओं सहित बुलाया जाये।

(कार्यवाही-टोरण्ट पॉवर लि०/टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

2



out

(अमित गुप्ता)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी.टी.जैड.प्राधिकरण,आगरा।

दिनांक 10.08.2022 को मध्याह्न 12.00 बजे मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा की अध्यक्षता में सम्पन्न 'ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण' की 57वीं सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के सदस्यगणों/अधिकारियों/विशिष्ट आमंत्रियों के स्वागतोपरान्त 'ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण' की 57वीं बोर्ड बैठक आरम्भ की गयी। बैठक की उपस्थिति संलग्नक-1 पर संलग्न है।

एजेण्डा बिन्दु सं0-1

'टी0टी0जैड0 प्राधिकरण' की गत 56वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25.04.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि-

'प्राधिकरण' की गत सम्पन्न 56वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25.04.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा बिन्दु सं0-2

'टी0टी0जैड0 प्राधिकरण' की गत 56वीं बैठक दिनांक 25.04.2022 की अनुपालन आख्या- 'प्राधिकरण' की गत 56वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25.04.2022 के निर्णयानुक्रम में सम्बन्धित विभागों द्वारा कृत अनुपालनीय कार्यवाही की बिन्दुवार समीक्षा से पूर्व 'ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण' के पुनर्गठन के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र सं0-489(अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2003 में उल्लिखित शक्तियों/दायित्वों पर सूक्ष्म प्रकाश डाला गया। विभिन्न बिन्दुओं/प्रकरणों तथा प्रस्तावों पर बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् निर्णय लिये गये-

अन्य बिन्दु-

(1) प्लास्टिक/पोलीथीन के निस्तारण के सम्बन्ध में-सहायक आयुक्त (खाद्य), आगरा मण्डल, आगरा (सहायक नोडल अधिकारी) द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों तथा वर्तमान आंकड़ों के तुलनात्मक विवरण से परिलक्षित होता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही पूर्व में की गयी कार्यवाही की अपेक्षा संतोषजनक है।

चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा, जो कि नोडल अधिकारी नामित हैं, के द्वारा सम्बन्धित विभागों से निर्धारित प्रारूप पर जो सूचनायें प्राप्त की जायें, उसका भलीभांति परीक्षण कर लिया जाये कि सम्बन्धित विभागों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचनायें पूर्व प्रस्तुत अवधि के अनुरूप हैं अथवा नहीं। तत्पश्चात् उनको निर्धारित प्रारूप पर ध्यानपूर्वक संकलित किया जाये ताकि पूर्व अवधि तथा वर्तमान अवधि तक कृत कार्यवाही की सुगमता से तुलना की जा सके। नगर आयुक्त, आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें प्रेषित करने से पूर्व आंकड़ों का स्वयं अपने स्तर से भलीभांति परीक्षण करने के पश्चात् ही सम्बन्धित को सूचनायें प्रेषित की जायें। अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें (आंकड़े) टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को समय से उपलब्ध करायी जायें।

(कार्यवाही-समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत/अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल)

(2) पेठा इकाइयों के स्थानान्तरण एवं पेठा इकाइयों में कोल/कोक के उपयोग पर प्रतिबंध के सम्बन्ध में-जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, आगरा विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित थानों के पुलिस बल के साथ संयुक्त टीम द्वारा लगातार कोयले से संचालित पेठा कारखानों/भट्टीयों की सीलिंग/ध्वस्तीकरण एवं जुर्माना वसूले जाने की कार्यवाही की जा रही है। अपर नगर मजिस्ट्रेट (पंचम) द्वारा शहरी क्षेत्र में 06 पेठा निर्माण इकाई व 01 औद्योगिक इकाई (चांदी गलाने हेतु) एवं ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील खेरागढ़ में 03 एवं फतेहाबाद में 03 सहित कुल 13 इकाइयों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करायी गयी है। निरीक्षण के समय 04 इकाइयों में पेठा उत्पादन में कोयले का प्रयोग पाये जाने पर मौके पर गठित संयुक्त टीम द्वारा सील करने की कार्यवाही की गयी। साथ ही नगर निगम की टीम द्वारा रू0 25000-25000 का जुर्माना किया गया है। जिन पेठा व्यवसायियों के द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर सील खुलवाये जाने का अनुरोध किया जाता है, उन पेठा व्यवसायियों से उनके द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक कार्य का पूर्ण ब्यौरा शपथ-पत्र में अंकित कराये जाने के उपरान्त ही सील खोली जाती है।

L

2

2

5/12/22

512

GOVERNMENT

श्री एफ0सी0 मुखर्जी, महाप्रबन्धक, ग्रीन गैस लि0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय पेठा व्यवसायियों के स्थल अत्यन्त संकरी गलियों में स्थित हैं, जहाँ ग्रीन गैस लि0 द्वारा गैस की आपूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि जिलाधिकारी, आगरा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि पेठा उत्पादन में किसी भी स्थिति में कोल/कोक का प्रयोग न हो। इसी प्रकार तहसीलों में एस0डी0एम0 के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाये कि पेठा इकाइयों द्वारा पेठा उत्पादन में कोल/कोक/लैडर/लकड़ी का प्रयोग न हो। कृत कार्यवाही की मासिक रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही- जिलाधिकारी/ए0डी0एम0(सिटी)/समस्त एस0डी0एम0,आगरा)

पेठा उत्पादन में कोल/कोक का प्रयोग पाये जाने पर अपर जिलाधिकारी (नगर) एवं नगर निगम द्वारा सम्बन्धित पेठा व्यवसायी के विरुद्ध जुर्माना/सीलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये, प्रथम सूचना रिपोर्ट भी सम्बन्धित पुलिस थाना में दर्ज करायी जाये। पेठा उत्पादन में कोल/कोक का प्रकरण संज्ञान में आने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह जाँच करायी जाये कि उक्त पेठा व्यवसायी को कोयला किस कोल डिपो से प्राप्त हो रहा है। जी0एस0टी0 विभाग द्वारा भी पेठा व्यवसायी को हो रही कोल की आपूर्ति के सम्बन्ध में बैकग्राउण्ड चेक कराया जाये।

(कार्यवाही-ए0डी0एम0(सिटी)/नगर निगम/एस0एस0पी0/जी0एस0टी0, आगरा)

उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, आगरा के द्वारा पेठा व्यवसाय को 'ओ0डी0ओ0पी0' योजना में सम्मिलित कराये जाने हेतु कार्यवाही की जाये। गैस के उपयोग के सम्बन्ध में जिला उद्योग केन्द्र, नगर निगम एवं ग्रीन गैस लि0 आगरा द्वारा जिलाधिकारी, आगरा के नेतृत्व में वांछित प्रक्रिया/कार्यवाही करायी जायेगी। इस प्रकरण में प्रक्रिया एवं उत्पादन विकास केन्द्र (पी.पी.डी.सी.), आगरा का भी वांछित सहयोग प्राप्त किया जाये। इस सम्पूर्ण कार्यवाही के लिए उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, आगरा को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। उपायुक्त द्वारा जिलाधिकारी, आगरा के माध्यम से शासन के सम्बन्धित विभाग को आवश्यक पत्र भी अधोहस्ताक्षरी के स्तर से जारी कराया जाये। उपायुक्त द्वारा अगली बैठक से पूर्व पेठा उत्पादन से जुड़े कामगीरों को गैस से पेठा बनाये जाने के सम्बन्ध में उचित प्रशिक्षण दिलाया जाये एवं सेन्सिटाइज किया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, आगरा)

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत समस्त जनपदों में वर्तमान में प्रचलित गैस की दरों के आंकड़े क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा सम्बन्धित विभागों से प्राप्त कर अगली बैठक में प्रस्तुत किये जायें।

(कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा)

चूंकि उ0प्र0 जल निगम के द्वारा कालिन्दी विहार योजना में गंगाजल की आपूर्ति के लिए ट्रांस यमुना क्षेत्र हेतु तैयार की गयी रू0 667.30 करोड़ की लागत की परियोजना को अमृत योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त किये जाने के प्रकरण में उ0प्र0 जल निगम के द्वारा शासन को पत्र प्रेषित करा दिया गया है तथा स्वीकृति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही वर्तमान में प्रगतिमान है, अतएव उ0प्र0 जल निगम के इस प्रस्तर/बिन्दु को विलोपित किया जाये।

(कार्यवाही-टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

(3) ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत कोल डिपोस के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनार्थ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में- उपायुक्त/अधुक्त, वाणिज्य कर, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के द्वारा 48 कोल/कोक व्यापारियों की प्राप्त सूची में वर्णित 04 फर्मों में कोयले का प्रयोग होता नहीं पाया गया। 05 फर्मों केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हैं, केन्द्रीय विभाग को टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के निर्णय से सूचित कर दिया गया है, अभी तक उनके द्वारा सूचना प्राप्त नहीं करायी गयी है। 02 फर्मों को रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में मा0उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त है। 02 फर्मों जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं पायी गयी तथा 02 फर्मों के पते अपूर्ण थे। 13 पंजीयन निरस्त किये गये हैं एवं 03 निलम्बित किये गये हैं। शेष 04 मामलों में कार्यवाही जारी है। अग्रेतर, गत बैठक के निर्देशानुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी 15 कोल/कोक इकाइयों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 09 फर्म-(1)मै0बजरंग कोल ट्रेडर्स, मोती कटरा पुलिस चौकी खिड़की काले खाँ, आगरा (2)मै0किशोरी लाल कोल डिपो, रुई की मण्डी, शाहगंज, आगरा (3)मै0दिनेश कोल डिपो, 6/176 फाटक सूरजभान, बेलनगंज, आगरा

(4)मै0मित्तल कोल डिपो, 8/144, भैंरो बाजार, आगरा (5)मै0मीरा कोल डिपो, गायत्री बिहार, सिकन्दरा, आगरा (6)मै0पार्वती कोल डिपो, नगला बेहड, मौजा-बेबाती कलौं, तहसील फतेहाबाद, आगरा (7)मै0शिवानी कोल डिपो, सैया तहसील खेरागढ़, आगरा (8)मै0मुकेश ट्रेडर्स, सीतानगर नुनिहाई, आगरा (9)मै0सिंघल कोल डिपो जोन्स मिल कम्पाउण्ड यमुना किनारा रोड, आगरा के जी0एस0टी0 पंजीयन निरस्त हैं तथा शेष 06 फर्मों में कोयले का कार्य होता नहीं पाया गया है।

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद-फिरोजाबाद में 06 कोल डिपोस में से 03 के पंजीयन निरस्त हैं, 01 कोल डिपो पूर्व से बन्द है तथा शेष 02 कोल डिपो के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कोल लेखा रजिस्टर मैन्टेन किया जा रहा है, जिनके द्वारा कोयला ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र से बाहर विक्रय किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थापित/संचालित ईट भट्टों को जिग-जैग तकनीकी या वर्टिकल शाफ्ट में परिवर्तित किये जाने तथा ईट भट्टों के द्वारा पेट कोक, टायरों/प्लास्टिक/खतरनाक अपशिष्टों का उपयोग न किये जाने हेतु दिनांक 30.05.2022 को नोटिस प्रेषित किया गया है। जिग-जैग तकनीक में परिवर्तन किये जाने के पश्चात ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालन हेतु सहमति निर्गत की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद-मथुरा में ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत कोई भी ईट भट्टा स्थापित/संचालित नहीं है, अन्य ईट भट्टों को किसी भी परिस्थिति में प्रतिबन्धित ईंधन जैसे-पेट कोक, टायरों/प्लास्टिक/खतरनाक अपशिष्ट का उपयोग न किये जाने तथा ईट निर्माण में केवल अनुमन्य ईंधन जैसे-कोयला, लकड़ी, तूरी व पी0एन0जी0 का ही प्रयोग किये जाने हेतु समस्त ईट भट्टों को निर्देशित किया जा चुका है तथा दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित कराया जा चुका है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद-फिरोजाबाद में ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थापित समस्त 20 ईट भट्टा स्वामी/संचालकों को निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 25.06.2022 को पत्र जारी करते हुये निर्देशित किया गया है तथा सम्बन्धित ईट भट्टा स्वामी/संचालकों द्वारा निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की दशा में सम्बन्धित ईट भट्टे को अगले सीजन में संचालन हेतु इस कार्यालय के स्तर से अनापत्ति प्रदान नहीं की जायेगी तथा सम्बन्धित ईट भट्टा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर(राज0) द्वारा अवगत कराया गया कि भरतपुर जिले में ताज ट्रेपेजियम जोन क्षेत्र के अन्तर्गत कुल दो ईट भट्टे स्थापित है जिनमें से एक ईट भट्टा मै0अग्रवाल ईट उद्योग निकट ग्राम पीढी, तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर जिग-जैग प्रणाली में परिवर्तित हो चुका है तथा मै0रजनी ईट उद्योग निकट ग्राम साबोरा, तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर जिग-जैग प्रणाली में परिवर्तित नहीं कर पाने के कारण वर्तमान में बन्द पड़ा है।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि-

- 1- गत बैठक के निर्णयानुक्रम में आगरा के 15 कोल/कोक डिपो, जिसमें से 09 कोल/कोक डिपो के पंजीयन निरस्त किये गये हैं तथा शेष 06 फर्मों में से 04 फर्मों के द्वारा अपने व्यवसाय को अन्य कार्य में परिवर्तित कर लिया गया है लेकिन उनके पंजीयन जी0एस0टी0 विभाग में कोल/कोक डिपो के रूप में वर्तमान में भी पंजीकृत हैं तो उक्त सभी 04 फर्मों के कोल/कोक डिपो के पंजीयन नियमानुसार निरस्त किये जायें। अन्य शेष 02 फर्मों का परीक्षण कर लिया जाये तथा गत बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग,आगरा)

गत बैठक के निर्णयानुक्रम में आगरा के 26 कोल/कोक डिपो स्वामियों के जी0एस0टी0/अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा पंजीकरणों को निरस्त किये जाने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाये तथा अगली बैठक में उक्त 26 कोल/कोक डिपो स्वामियों के पंजीकरण निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग,आगरा)

- 3- जनपद-फिरोजाबाद में स्थित 08 कोल/कोक डिपो में से जिन 02 कोल/कोक डिपो स्वामियों/संचालकों के द्वारा कोयला ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र से बाहर विक्रय किया जा रहा है तथा निर्धारित प्रारूप पर लेखा रजिस्टर मैन्टेन किया जा रहा है, की जाँच जी0एस0टी0 विभाग द्वारा करायी जाये कि वास्तव में उक्त दोनों कोल/कोक डिपो स्वामियों/संचालकों के द्वारा कोयला ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र से बाहर विक्रय किया जा रहा है अथवा नहीं।

(कार्यवाही-वाणिज्य कर विभाग,फिरोजाबाद)

- 4- जनपद-मथुरा में स्थित कोल/कोक डिपो स्वामी/संचालकों के द्वारा यदि ट्रेडिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है तो उनके पंजीयन जी0एस0टी0 विभाग द्वारा नियमानुसार निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही-वाणिज्य कर विभाग,मथुरा)

- 5- जनपद-आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद में जिन कोल/कोक डिपो संचालकों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कोल लेखा रजिस्टर मैन्टेन किया जा रहा है, उनका जी0एस0टी0 विभाग द्वारा गहन परीक्षण किया जाये तथा उनका बैकग्राउण्ड भी गहनता से चेक किया जाये।

(कार्यवाही-वाणिज्य कर विभाग,आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद)

- 6- जी0एस0टी0/सम्बन्धित विभाग द्वारा भविष्य में बिना टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति के कोल/कोक डिपो के पंजीकरण न किये जायें।

(कार्यवाही-संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर, आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद)

निर्देशित किया गया कि ईट भट्टों में जिग-जैग तकनीकी या वर्टिकल शाफ्ट में परिवर्तन न होने की अवस्था में तथा ईट भट्टों में पेट कोक, टायरों/प्लास्टिक/खतरनाक अपशिष्टों का उपयोग पाये जाने पर किसी भी ईट भट्टे को अगले सीजन में संचालन की अनुमति किसी भी सम्बन्धित विभाग के द्वारा प्रदान नहीं की जायेगी। कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/जिला पंचायत/जिला खान अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, भरतपुर(राज0))

राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-19), आगरा मेट्रो एवं शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर रोड डस्ट को हटाये जाने एवं साफ-सफाई रखे जाने के सम्बन्ध में-अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि घास लगाने हरित पट्टी बनाये जाने के कार्यों के आंगणन स्वीकृति उपरान्त निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, निविदा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण होते ही कार्य सम्पादित कराया जायेगा। नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि मथुरा-वृन्दावन क्षेत्र में चिन्हित 04 स्थलों पर रोड साईट ग्रीन बेल्ट का निर्माण कार्य कराया गया है एवं शहर के मुख्य 07 स्थलों पर वर्टिकल गार्डन का निर्माण कार्य कराया गया है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत मार्गों पर पानी का छिड़काव एवं पेड़ों की धुलाई करायी जा रही है। मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन किराये पर लेने हेतु 02 बार निविदा आमंत्रित की गयी है, जिसमें कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुयी है, अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है। एन0एच0 के सर्विस रोड पर नगर निगम द्वारा सफाई के साथ-साथ पानी का छिड़काव नियमित कराया जा रहा है। तहसील रहना रोड पर पुलिस फायर स्टेशन के पास साईड पटरी पर लम्बाई 198.50 मी0 एवं चौड़ाई 2.90 मी0 के क्षेत्रफल में, तहसील रहना रोड पर ब्लॉक की दीवार के पास साईट पटरी पर लम्बाई 200 मी0 एवं चौड़ाई 2.85 मी0 क्षेत्रफल में तथा तहसील रहना पटरी पर लम्बाई 350 मी0 एवं चौड़ाई 1.60 मी0 क्षेत्रफल में घास लगाने का कार्य किया गया है।

अधीक्षक अभियंता, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा 05 स्थलों यथा-तहसील से वेटरनरी कॉलेज के दोनों ओर (45 मी0 चौड़ा मार्ग), छटीकरा से राम मन्दिर मार्ग के दोनों ओर (30 मी0 चौड़ा मार्ग), रूक्मणी विहार रोटरी से छटीकरा मार्ग के दोनों ओर (30 मी0 चौड़ा मार्ग), एस0एस0पी0 निवास से यौद्धा चौक तक 800 मी0 के स्ट्रेच में घास लगवायी गयी है तथा टी0एफ0सी0 से मण्डी तक 550 मी0 के स्ट्रेच घास लगाये जाने की कार्यवाही प्रगतिमान है।

अधिसासी अभियन्ता, नि०ख०-1, (ता०टि०), लो०नि०वि०, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि इस खण्ड के अन्तर्गत पड़ने वाले शहर के प्रमुख मार्गों पर रोड डस्ट को हटाये जाने एवं साफ-सफाई रखे जाने हेतु समय-समय पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है तथा मार्गों के किनारे पर्याप्त कच्चा स्थान न होने के कारण घास लगाया जाना सम्भव नहीं है।

आगरा विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इनर रिंग रोड की लगातार सफाई करायी जा रही है, जिससे कि सड़क पर डस्ट इकट्ठी न हो एवं धूल के कण हवा में न उड़े। इनर रिंग रोड के सर्विस रोड पर ग्रीन वर्ज के लगभग 8000 वर्गमी० क्षेत्रफल में लगभग 24000 पौधों को भी प्रदूषण को कम करने के लिये मीया बाकी पद्धति से रोपित किया गया है। इसके अतिरिक्त सेन्ट्रल वर्ज एवं ढलान पर लगभग 8000 पौधे एवं श्रव्स का रोपण किया गया है। इनर रिंग रोड के स्लोप पर टर्फिंग का कार्य डस्ट रोकने के लिये किया गया है। इसके अतिरिक्त आगरा इनर रिंग रोड के सेन्ट्रल वर्ज में पौधारोपण का कार्य किया गया है, जिससे कि धूल के कण सेन्ट्रल वर्ज से हवा में न उड़े। उपरोक्त का अनुरक्षण लगातार कराया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा मेट्रो रेल परियोजना स्थल का निरीक्षण कार्यालय द्वारा साप्ताहिक रूप से किया जा रहा है तथा आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित नहीं पाये जाने पर उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पो० लि० पर रू० 29.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय को पत्र प्रेषित किया गया है। उ०प्र० जल निगम पर अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 37.50 लाख उ०प्र० जल निगम के द्वारा अभी तक जमा नहीं करायी गयी है। किसी भी विभाग/संस्था आदि पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी आदेशों के क्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी गाइडलाइन्स के अनुसार अधिरोपित की जाती है। मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-4), उ०प्र०प्र०नि०बो०, लखनऊ के द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से प्राप्त कुल धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंप दी जाती है तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास उपलब्ध रहती है, जिसको व्यय करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस०ओ०पी०) बनायी गयी है। उक्त एस०ओ०पी० के प्राविधानानुसार धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किया जाता है, जिस पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम्बन्धित विभाग को वांछित धनराशि अवमुक्त की जाती है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को व्यय करने हेतु पॉवर डेलीगेट मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण के स्तर से प्रदान की जा सकती है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि एन०एच०ए०आई० के द्वारा निर्माण के दौरान धूल को उड़ने से रोकने के लिए स्थल पर पर्याप्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित नहीं करायी जा रही हैं।

चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि नगर निगम, आगरा, मथुरा व फिरोजाबाद तथा विकास प्राधिकरणों के द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत रिक्त स्थलों पर घास लगवायी जाये/हरित पट्टिका बनाई जाये क्योंकि वर्तमान में वर्षा ऋतु का मौसम है। साथ ही अपने क्षेत्रों में स्थित मार्गों से धूल को नियमित रूप से साफ कराया/हटवाया जाये। कृत कार्यवाही के फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही-नगर निगम/विकास प्राधिकरण, आगरा, मथुरा व फिरोजाबाद)

एन०एच०ए०आई० तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों से धूल को नियमित रूप से साफ कराया जाये जिसकी फोटोयुक्त रिपोर्ट अगली बैठक से पूर्व उपलब्ध करायी जाये। एन०एच०ए०आई० मथुरा द्वारा मार्ग निर्माण के दौरान धूल को उड़ने से रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायें, जिनका अनुपालन न पाये जाने पर क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, मथुरा द्वारा एच०एच०ए०आई० को नोटिस प्रेषित करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही की जाये। राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर कहीं भी धूल उड़ती हुयी पाये जाने पर क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा, मथुरा व फिरोजाबाद के द्वारा प्रकरण तत्काल जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया जाये।

(कार्यवाही-एन०एच०ए०आई०/लो०नि०वि०/उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद)

परियोजना निदेशक, मा०रा०रा०प्र०, आगरा-इटावा खण्ड को ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत एन०एच०ए०आई० के मार्गों पर साफ-सफाई/रोड डस्ट हटाये जाने/धूल को उड़ने से रोकने, आदि के सम्बन्ध में टी०टी०जैड० प्राधिकरण की बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु एन०एच०ए०आई० का नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनके द्वारा

टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की भविष्यगामी बैठकों में सभी खण्डों की सुसंगत सूचनाओं सहित स्वयं प्रतिभाग किया जायेगा।

(कार्यवाही-एन0एच0ए0आई0, आगरा-इटवा खण्ड, आगरा)

उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉर्पो0 लि0 के द्वारा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यों के दौरान धूल को उड़ने से रोकने के लिए नियमित अन्तराल पर जल का पर्याप्त छिड़काव तथा अन्य यथावश्यक व्यवस्थायें अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जायें। शीतकाल ऋतु के आगमन से पूर्व उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉर्पो0 लि0 द्वारा अनावश्यक विभिन्न स्थलों पर एकत्रित निर्माण कार्य सम्बन्धी सामग्री को साफ कराया जाये तथा मेट्रो डिपो, कार्टिंग यार्ड, आर0एम0सी0 प्लाण्ट्स एवं भूमिगत मेट्रो स्टेशन निर्माण स्थलों पर सी0एण्ड डी0 वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 एवं गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मिटिगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी0 एण्ड डी0 वेस्ट का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। अपर जिलाधिकारी (नगर) एवं क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा निरन्तर आगरा मेट्रो रेल परियोजना स्थल का निरीक्षण किया जाये तथा अनुपालन न पाये जाने की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही- उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉर्पो0लि0/अपर जिलाधिकारी (नगर)/उ0प्र0प्र0नि0बो0,आगरा)

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा फतेहाबाद रोड पर इनर रिंग रोड से उतरने पर होटल रमाडा के पास 100 मी0 दूरी तक धूल को उड़ने से रोकने हेतु घास लगवायी जाये/हरित पट्टिका बनाई जाये। 100 मी0 के उपरान्त लोक निर्माण विभाग के द्वारा मार्ग के दोनों ओर घास लगवायी जाये। क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा उक्त स्थलों का निरीक्षण किया जाये। यदि उपरोक्त कार्य उद्यान विभाग द्वारा कराया जा रहा है तो ऐसी दशा में जिलाधिकारी, आगरा के द्वारा उद्योग विभाग से उपरोक्त कार्य शीघ्रतिशीघ्र कराया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/आ0वि0प्र0/उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से (06.06.2018)

(1) यमुना किनारा मार्ग पर स्थापित ट्रांसपोर्ट्स एजेन्सियों की शिफ्टिंग के सम्बन्ध में-जी0एस0टी0 विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि यमुना किनारा मार्ग पर जी0एस0टी0 विभाग द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यापारियों को नये रजिस्ट्रेशन नहीं दिये जा रहे हैं। रू0 20 लाख से कम टर्नओवर वाली ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों की जाँच हेतु सम्बन्धित खण्डाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। मै0टूण्डला ट्रांसपोर्ट कम्पनी को ट्रांसपोर्ट नगर में स्थापित किया जा चुका है तथा यमुना किनारा मार्ग से मै0टूण्डला ट्रांसपोर्ट कम्पनी का व्यापार बन्द किया जा चुका है। मै0सरदार टूण्डला ट्रांसपोर्ट कम्पनी के स्वामी द्वारा बताया गया है कि अभी आगरा विकास प्राधिकरण से कुछ मुद्दों पर सहमति स्थापित न होने के कारण विस्थापन में दिक्कत आ रही है। सहमति बनते ही शीघ्र अतिशीघ्र ट्रांसपोर्ट कम्पनी को ट्रांसपोर्ट नगर में स्थापित कर दिया जायेगा। मै0क्विक रोड कैरियर ट्रांसपोर्ट कम्पनी को ट्रांसपोर्ट नगर में स्थापित किया जा चुका है तथा यमुना किनारा मार्ग से उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट कम्पनी का व्यापार बन्द किया जा चुका है। यमुना किनारा रोड पर स्थापित आर0टी0ओ0 से 74 व्यवसायियों की सूची प्राप्त हुयी है, जिसमें 09 बड़े डीलर हैं। 37 व्यवसायियों की जाँच की गयी है तथा अन्य शेष व्यवसायियों द्वारा अपने टर्नओवर से अवगत नहीं कराया गया है, मौके पर जाँच के दौरान भी व्यवसायियों के टर्नओवर ज्ञात नहीं हो सके हैं। 10 व्यवसायियों के टर्नओवर के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु जी0एस0टी0 विभाग द्वारा आयकर विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है।

जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि ट्रांसपोर्ट नगर में स्थायी कार्यों के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा तैयार की गयी रू0 7475.72 लाख की योजना पर स्वीकृति के उपरान्त नगर निगम द्वारा निर्माण/विकास कार्य कराये जाने के सापेक्ष अनुमानित लागत रू0 507.18 लाख के 05 महत्वपूर्ण कार्यों को चिन्हित किया गया है। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, बाणिज्य कर, आगरा द्वारा जीएसटी विभाग में पंजीकृत 348 ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की प्रेषित की गयी सूची के अनुसार 19 व्यवसायी पूर्व से ही कॉमन कैरियर लाइसेंसधारक थे तथा 15 व्यवसायी अन्य जनपद के थे। इसके अतिरिक्त 74 व्यवसायियों का कारोबार यमुना किनारा मार्ग पर स्थित है, जिसमें से कुछ व्यवसायियों द्वारा बताया गया है कि उनके कार्यालय यमुना किनारा मार्ग पर नहीं है। प्रवर्तन के अधिकारियों द्वारा पुनः की गयी जाँच एवं गूगल मैप के अनुसार 33 व्यवसायी यमुना किनारा मार्ग के पते पर पाये गये हैं। अब तक कुल 19 ट्रांसपोर्टर्स का पंजीकरण जी0एस0टी0 विभाग में कराया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात, आगरा द्वारा आगरा शहर क्षेत्र में यमुना

किनारा मार्ग पर प्रातः 05.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक नो एन्ट्री का पालन कराया जा रहा है। यमुना किनारा मार्ग पर यातायात पुलिसकर्मियों, इन्टरसेप्टर वाहन एवं क्रेन की ड्यूटी लगाकर सड़क किनारे खड़े होने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही नियमित रूप से की जा रही है तथा किसी भी वाहन को यमुना किनारा मार्ग पर खड़ा नहीं होने दिया जाता है। यमुना किनारा मार्ग पर अवैध रूप से खड़े/पार्क वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये कुल 56 वाहनों के चालान किये गये हैं एवं ₹ 4,000/- शमन शुल्क वसूल किया गया है तथा क्रेन द्वारा यमुना किनारा मार्ग पर सड़क किनारे खड़े/पार्क वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही कर कुल ₹ 45,800/- शमन शुल्क वसूल किया गया है। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना-2031 के अन्तर्गत नये ट्रान्सपोर्ट नगर स्थापित करने की कार्यवाही प्रस्तावित है। थाना सिकन्दरा स्थित वर्तमान ट्रान्सपोर्ट नगर योजना पूर्व योजना पर आधारित है, जिसमें यमुना किनारा मार्ग स्थित समस्त ट्रान्सपोर्ट्स को स्थापित करने हेतु पर्याप्त भूमि/स्थान नहीं है। महायोजना-2031 के अन्तर्गत प्रस्तावित नये ट्रान्सपोर्ट नगर में यमुना किनारे मार्ग स्थित समस्त ट्रान्सपोर्ट्स को स्थानान्तरित कराया जाना उचित होगा।

आर0टी0ओ0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत यमुना किनारा क्षेत्र में 189 वाहनों के चालान की कार्यवाही की गयी है। यमुना किनारा मार्ग पर स्थित कोई भी ट्रांसपोर्ट एजेन्सी आर0टी0ओ0 में पंजीकृत नहीं है। शहर के अन्य क्षेत्रों के केवल 11 ट्रांसपोर्ट्स पंजीकृत हैं। एक ट्रांसपोर्ट एजेन्सी मै0सरदार ट्रांसपोर्ट कं0 का प्रकरण आगरा विकास प्राधिकरण में विवादित चल रहा है।

आगरा विकास प्राधिकरण के अनुसार रिक्त भूखण्डों के आवंटन केवल ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज के लिये ऑनलाईन बिड आमंत्रित की गयी थी, जिसमें से 09 भूखण्डों को ई-ऑक्शन/ई-नीलामी के माध्यम से विक्रय जा चुका है। रिक्त 42 हेतु बिड आमंत्रित की जा रही है।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि यमुना किनारा मार्ग पर स्थित किसी भी ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज के रजिस्ट्रेशन जी0एस0टी0 विभाग द्वारा न किये जायें। जिन ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों को ट्रांसपोर्ट नगर में भूखण्ड आवंटित हैं लेकिन वह वर्तमान में भी यमुना किनारा मार्ग से व्यापार कर रहे हैं, अपने व्यापार ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट किये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर द्वारा तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। गत बैठक के निर्देशानुसार ₹ 20 लाख से कम टर्न ओवर वाली ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज की जी0एस0टी0 विभाग द्वारा जाँच की जाये। मै0सरदार ट्रांसपोर्ट कम्पनी के विवादित प्रकरण को आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार शीघ्र निस्तारित किया जाये।

(कार्यवाही-संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर, आगरा/आ0वि0प्रा0,आगरा)

नगर निगम द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों में से चिन्हित किये गये ₹ 507.18 लाख धनराशि के महत्वपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाये। जिलाधिकारी द्वारा जितनी ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों के रजिस्ट्रेशन जी0एस0टी0 विभाग में हैं, उनके रजिस्ट्रेशन सम्भागीय परिवहन विभाग में भी नियमानुसार सुनिश्चित कराये जायें।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/नगर निगम,आगरा)

पुलिस अधीक्षक (यातायात) एवं आर0टी0ओ0 द्वारा यमुना किनारा मार्ग पर ट्रान्सपोर्ट एजेन्सीज के वाहनों को किसी भी दशा में खड़ा न होने दिया जाये एवं वाहन खड़ा पाये जाने पर नियमित रूप से नियमानुसार प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही-एस0पी0(ट्रैफिक)/आर0टी0ओ0, आगरा)

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर रिक्त भूखण्डों को नियमानुसार शीघ्रतिशीघ्र आवंटित किया जाये तथा जिन ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज के द्वारा आवंटित भूखण्डों पर अपने व्यवसाय स्थानान्तरित नहीं किये जा रहे हैं, उन ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज के आवंटन नियमानुसार निरस्त कर नियमानुसार आवंटित किये जायें। इसके अतिरिक्त आवंटन की शर्तों के विपरीत ट्रांसपोर्ट नगर में जो ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज अन्य कार्य रहे हैं, उनके आवंटन भी नियमानुसार निरस्त किये जायें। जिलाधिकारी के नेतृत्व में शिफ्टिंग एवं अन्य समस्त वांछित कार्यवाहियाँ सुनिश्चित की जायें।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/आ0वि0प्रा0, आगरा)



रामलीला ग्राउण्ड के सामने पार्किंग स्थल पर टाइल्स लगाये जाने के सम्बन्ध में—आगरा विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 01.06.2022 को सम्पन्न पथकर सलाहकार समिति की 32वीं बैठक के निर्णयानुक्रम में पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये नेशनल मोन्यूमेन्ट अथॉरिटी की वांछित अनापत्ति हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं तथा एनओसी प्राप्त होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा नेशनल मोन्यूमेन्ट अथॉरिटी की वांछित अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त स्थल पर टाइल्स लगाये जाने का कार्य सुनिश्चित कराया जाये।

(कार्यवाही—मुख्य अगि0,आ0वि0प्रा0,आगरा)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0 4(10.06.2019)

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित जनपद आगरा में आगरा मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में—अवगत कराया गया कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में आगरा मेट्रो रेल परियोजना की अद्यतन स्थिति का उल्लेख करते हुये वांछनीय मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय द्वारा अनुस्मारक-2 दिनांक 07.04.2022 प्रेषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में शासन स्तर से प्रकरण में मार्ग-दर्शन प्रतीक्षित/अपेक्षित है।

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि गत बैठक के निर्णयानुसार प्रकरण में शासन स्तर से मार्ग-दर्शन प्राप्त होने पर बैठक में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही—टी0टी0जैड0प्राधिकरण, आगरा)

पीएम-10 एवं पीएम-2.5 को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में निम्न उपाय किये जायें—

4—समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना—आगरा विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत क्रियान्वित निर्माण/विकास कार्यों के दौरान कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मिटीगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी0 एण्ड डी0 वेस्ट का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये आगरा इनर रिंग रोड (प्रथम चरण) की सफाई नियमित रूप से मैनुअली करायी जा रही है। आगरा इनर रिंग रोड (द्वितीय चरण) के कन्स्ट्रक्शन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इस सड़क पर ट्रैफिक का आवागमन होने के कारण जो डस्ट इकट्ठी होती है, उसकी लगातार सफाई करायी जा रही है। इस प्रकार द्वितीय चरण में ट्रैफिक के चलने से डस्ट वातावरण में नहीं फैलती है। सड़क के शोल्डर के कच्चे भाग पर लगातार पानी का छिड़काव कराने से सड़क के शोल्डर का भाग भी पक्का हो गया है, इसमें वह मिट्टी भी तेज हवा से वातावरण में नहीं फैलती है। फतेहाबाद रोड पर निर्माणाधीन फलाई ओवर में समस्त 06 पियर (कॉलम) का कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः फलाई ओवर के कार्य में मिट्टी से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। फलाई ओवर के कार्य के स्थल को टीन की बैरीकैडिंग से कवर कर दिया गया है। इसके साथ ही फलाई ओवर के आस-पास की भूमि, जिस पर कि कोई कार्य नहीं किया जा रहा है परन्तु इस पर भी प्रत्येक दिन तीन बार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि धूल के कण वातावरण में न उड़े।

अधिसासी अभियन्ता, नि0ख0-1 (ता0ट्रि0), लो0नि0वि0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 के तहत होटल रमाडा के पास किमी0-11 तक मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के दौरान धूल को उड़ने से रोकने के लिए निर्माणाधीन स्थल पर पर्दा लगाकर एवं डम्पर्स द्वारा सामग्री को ढंककर ढुलान कराया जाता है। चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य में WMM (Wet Mix Macadam) तथा WMM (Stabilized) का प्रयोग किया जा रहा है, जो प्लाण्ट से मिक्स करके साइट पर लाया जाता है, जिससे इस कार्य में धूल उड़ने की सम्भावना नगण्य रहती है। धूल की रोकथाम हेतु टैंकरों द्वारा पानी का छिड़काव भी किया जाता है तथा मार्गों के किनारे की धूल को बेलदारों द्वारा साफ किया जाता है।

उ0प्र0 जल निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण कार्यों के दौरान खोदी गयी मिट्टी, निर्माण सामग्री की शिफ्टिंग के दौरान ग्रीन नेट का प्रयोग करते हुये काटी गयी सड़कों पर नियमित जल छिड़काव आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु काटी गयी प्रमुख मार्गों बोदला-मारुति स्टेट मार्ग, बोदला-लोहामण्डी मार्ग, गढ़ी भदौरिया मार्ग आदि का पुनर्स्थापन पूर्ण हो चुका है।

l msh

उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पो० लि० के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों में विभिन्न स्तरों पर धूल के कणों को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए निरन्तर पानी का छिड़काव, एंटी-स्मॉग गन का प्रयोग, निर्माण सामग्री को ढंककर रखना, ठोस अपशिष्ट एवं सी० एण्ड डी० वेस्ट का उचित निस्तारण, निर्माण क्षेत्र की लोहे की चादरों से बैरिकेटिंग की गयी है एवं कार्स्टिंग यार्ड में सैण्ड के ढेरों पर स्प्रिक्लेर्स द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है।

स्मार्ट सिटी लि० के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वायु मण्डल में धूल के कणों/वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु निर्माण सम्बन्धी परियोजनाओं में आगरा स्मार्ट सिटी लि० द्वारा कार्यस्थलों पर पानी का निरन्तर छिड़काव किया जा रहा है, स्थलों पर बैरिकेटिंग की जा रही है, ग्रीन नेट का प्रयोग किया जा रहा है, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को स्थल से हटवाया जा रहा है तथा भवन निर्माण सामग्री को ढंककर रखा जा रहा है।

नगर निगम, भरतपुर (राज०) के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सामान्यतः समस्त निर्माणकर्ताओं को निर्माण सामग्री ढंककर परिवहन करने हेतु निर्देशित कर दिया है तथा सड़क किनारे निर्माण सामग्री (मलवा) आदि हटाने हेतु पाबन्द किया गया एवं कुल रू० 37,800/- का जुर्माना वसूल किया गया तथा समय-समय पर निगम द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि फिरोजाबाद में स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अन्तर्गत 50 टन क्षमता के सी० एण्ड डी० वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त हो गयी है तथा उक्त प्लांट की स्थापना हेतु रू० 2.39 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है, सी० एण्ड डी० वेस्ट प्लांट हेतु टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है।

अधीक्षण अभियंता, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक निविदाओं तथा मानचित्र स्वीकृति के समय शर्त तथा औपचारिकता कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन्स ऑन डस्ट मिटीगेशन मैजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी० एण्ड डी० वेस्ट की शर्तें एवं औपचारिकताएं पूर्ण करने के प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति दी जाती है। उपरोक्त निर्देशों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु सतत् निरीक्षण करते हुये अनुपालन कराया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र०नि०बो०, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्षा ऋतु के कारण विगत दो माह में कोई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित नहीं की जा सकी है। एन०एच०ए०आई० से प्राप्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 6,84,37,500.00 में से आगरा नगर निगम के प्रस्तावानुसार जनपद आगरा में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरण/मशीन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव को कार्यालय के पत्र दिनांक 07.06.2022 द्वारा बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया गया है। बोर्ड मुख्यालय द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रगतिमान है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०नि०बो०, मथुरा एवं फिरोजाबाद के द्वारा अवगत कराया गया कि कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन्स ऑन डस्ट मिटीगेशन मैजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी० एण्ड डी० वेस्ट का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों को नोटिस/पत्र प्रेषित किये गये हैं।

श्री जमन, सदस्य, अनुश्रवण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद-भरतपुर (राज०) के ब्याना क्षेत्र में संग्रहित स्टोन क्रशर यूनिट्स द्वारा एयर एक्ट का पालन किये जाने के सम्बन्ध में उक्त क्षेत्र की वायु गुणता अनुश्रवण रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भरतपुर (राज०) से मंगायी जाये।

निर्देशित किया गया कि समस्त सम्बन्धित विभागों/कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत क्रियान्वित निर्माण/विकास कार्यों के दौरान कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन्स ऑन डस्ट मिटीगेशन मैजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी० एण्ड डी० वेस्ट का प्रत्येक दशा में अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। लोक निर्माण विभाग, जल निगम, मेट्रो रेल कॉर्पो०, स्मार्ट सिटी लि० एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्माण के दौरान धूल को उड़ने से रोकने हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव सुनिश्चित कराया जाये। अनुपालन आख्या फोटोग्राफ सहित प्रत्येक 15 दिन के अन्तराल पर टी०टी०जैड० प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-लो०नि०वि०/जल निगम/उ०प्र०मे०रे०कॉ०लि०/स्मार्ट सिटी लि०/आ०वि०प्रा०/म०वृ०वि०प्रा०/फि०शि०वि०प्रा०)

h msh

एन०एच०ए०आई० द्वारा जमा करायी गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 6,84,37,500/- की धनराशि से विभिन्न प्रकार के बहुउद्देशीय एवं उपयुक्त उपकरणों को क्रय किये जाने हेतु आगरा नगर निगम द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजे गये विस्तृत प्रस्ताव, जिसे उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.07.2022 को सदस्य-सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है, के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही किये जाने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा द्वारा पत्र प्रेषित कराया जाये। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि डॉ०सरस्वती, साईन्टिस्ट-बी से अनुरोध किया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजे गये उक्त प्रस्ताव पर भी उनके द्वारा मंत्रालय स्तर से आवश्यक पत्राचार कराया जाये।

(कार्यवाही-डॉ०सरस्वती, साईन्टिस्ट-बी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/
क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र०प्र०नि०बो०, लखनऊ द्वारा बोर्ड मुख्यालय स्तर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की जमा धनराशि में से क्षेत्र विशेष में प्रदूषण उपशमन पर वहन की जाने वाली धनराशि की उपलब्धता/आवंटन की प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने हेतु मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण से अनुरोध किया जाये, जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा द्वारा बोर्ड मुख्यालय से समन्वय स्थापित किया जाये। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि डॉ०सरस्वती, साईन्टिस्ट-बी से अनुरोध किया गया कि वह मंत्रालय स्तर से उपरोक्त प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय स्थापित कर मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण से अनुरोध किया जाये।

(कार्यवाही-मुख्य पर्या०अधि०(वृत्त-4), उ०प्र०प्र०नि०बो०, लखनऊ/डॉ०सरस्वती, साईन्टिस्ट-बी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा)

गत बैठक के निर्देशानुक्रम में ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित अन्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किसी भी विभाग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की दिशा में कोई प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी है, जो खेदजनक है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़ एवं भरतपुर (राज०) के द्वारा ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत अपने जनपदों में कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स-2016 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मिटीगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी० एण्ड डी० वेस्ट का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा अनुपालन न पाये जाने की अवस्था में सम्बन्धित विभागों/कार्यदायी संस्थाओं पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाये। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि से वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक साधन लिये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित नगर निगम से प्रस्ताव प्राप्त कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किये जायें।

(कार्यवाही-नगरायुक्त, नगर निगम/क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, भरतपुर (राज०))

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा द्वारा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के सम्बन्ध में अधिरोपित की जाने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति तथा अन्य विभागों पर अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय के स्तर पर लम्बित समस्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के प्रकरणों का मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, लखनऊ द्वारा शीघ्रतिशीघ्र कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही-मु०प०अ०, उ०प्र०प्र०नि०बो०, लखनऊ)

मुख्य अभियंता, उ०प्र० जल निगम, आगरा के द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि तत्काल जमा करायी जाये।

(कार्यवाही-मुख्य अभियंता, उ०प्र०जल निगम, आगरा)

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भरतपुर (राज०) के द्वारा जनपद-भरतपुर (राज०) के ब्याना क्षेत्र में संचालित स्टोन क्रशर यूनिट्स की परिवेशीय वायु गुणता अनुश्रवण रिपोर्ट फोटोग्राफ्स सहित आगामी बैठक से पूर्व टी०टी०जेड० प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भरतपुर (राज०))

आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा एयर क्वालिटी असेसमेंट एवं सोर्स अपोर्शमेंट स्टडी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित एवं सुधार किये जाने के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पोईट्स में रोड डस्ट को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में ट्रक लोडिंग गाइडलाइन्स का कार्यान्वयन भी एक महत्वपूर्ण बिन्दु है, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा कुबेरपुर स्थित मालगोदाम का निरीक्षण कर प्रेषित किये गये नोटिस के क्रम में रेलवे द्वारा कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त न होने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा)

एजेण्डा बिन्दु सं0-3 (29.02.2020)

दिनांक 07.01.2015 को आहूत 'ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण' की 32वीं बैठक में पारित निर्णयों पर विचार-विमर्श किए जाने के सम्बन्ध में-गत बैठक के निर्णयानुसार जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा नामित ए0डी0एम0, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, आगरा मण्डल, उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, फिरोजाबाद एवं क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा, फिरोजाबाद के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण का परीक्षण कर सुस्पष्ट संयुक्त आख्या प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये, निर्देशित किया गया कि गत बैठक के निर्णयानुपालन में विषयगत प्रकरण में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा नामित ए0डी0एम0, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, आगरा मण्डल, उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, फिरोजाबाद एवं क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा, फिरोजाबाद के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण का परीक्षण कर सुस्पष्ट संयुक्त आख्या आगामी बैठक से पूर्व अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, फिरोजाबाद/संयुक्त आयुक्त, उद्योग, आगरा मण्डल/उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, फिरोजाबाद/उ0प्र0प्र0नि0बो0, फिरोजाबाद, आगरा)

एजेण्डा बिन्दु सं0-5 (29.02.2020)

मा0सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका (सिविल) संख्या-13381/1984 (एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में विचाराधीन विभिन्न आई0ए0 पर सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रस्तावित/कृत कार्यवाही की समीक्षा के सम्बन्ध में-प्रश्नगत याचिका अन्तर्गत मा0सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न सरकारी/निजी समूह/व्यक्ति/संस्था के द्वारा दायर की गई आई0ए0 पर विभागों द्वारा कृत अद्यतन कार्यवाही की समीक्षा उपरान्त निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये-

| क्र0 सं0 | आई0ए0 सं0 | सम्बन्धित विभाग | आई0ए0 की विषय-वस्तु | निर्देश |
|----------|---|--|--|--|
| 8. | 134453/2019, 134454/2019, 3186/2020 (Filed by Agra Development Foundation) | (DFO Agra 7839435137) | सरकारी भूमि पर वृक्षों के पातन हेतु SOP निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में। | निर्देश दिये गये कि एस0ओ0पी0 में आवश्यक संशोधन कराते हुये शासन से अनुमोदन प्राप्तोपरान्त प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्र0, आगरा द्वारा नियमानुसार मा0सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्रतिशीघ्र दाखिल कराते प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाये तथा कृत कार्यवाही से आगामी बैठक से पूर्व अवगत कराया जाये। |
| 11 | 4115, 4118 & 4119/2020 (Filed by Agra Development Foundation) | S.S.P., AGRA | आगरा में सुगम यातायात व्यवस्था के सम्बन्ध में। | सर्वसम्बन्धित विभागों से प्राप्त आख्याओं/सूचनाओं के आधार पर ए0ओ0आर0 से प्रतिशपथ-पत्र तैयार कराकर नियमानुसार मा0सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र दाखिल कराया जाये। |
| 13 | 3419, 3420 & 3424/2020 (Filed by Agra Development Foundation) | (Dy. Director, Tourism, Agra Mob.No. 9415115510) | बृज विकास तीर्थ परिषद् की भौति आगरा में स्पेशल पर्पज व्हीकल (एस.पी.वी.) बनाये जाने के संबंध में। | सर्वसम्बन्धित विभागों से प्राप्त आख्याओं/सूचनाओं के आधार पर ए0ओ0आर0 से प्रतिशपथ-पत्र तैयार कराकर नियमानुसार मा0सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र दाखिल कराया जाये। |
| 14 | 20616 & 20617/2020 (Filed by Arun) | (Dy. Commr., DIC, FZB. Shri A.K.) | ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में नयी इकाइयों की स्थापना एवं पूर्व | उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत |

| क्र० सं० | आई०ए० सं० | सम्बन्धित विभाग | आई०ए० की विषय-वस्तु | निर्देश |
|----------|-----------|--|---|--|
| | Gupta) | Pandey, Mob. No. 9411923038) (Regional Officer, Shri Manoj Kumar Chaurasia, Mob. No. 7839891925) | स्थापित/संचालित इकाइयों के विस्तारीकरण हेतु अनुमति प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में। | आई०ए० की प्रस्तरवार आख्या तैयार कराकर कार्यालय के पत्रांक-2805 दिनांक 07.12.2021 द्वारा शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा चुकी है, जो शासन के लीगल सैल में लम्बित है। गत बैठक के निर्देशानुपालन में अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को मण्डलायुक्त महोदय की ओर से पत्रांक-798 दिनांक 05.06.2022 भिजवाया गया है। निर्देशित किया गया कि उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, फिरोजाबाद द्वारा मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, टी०टी०जैड० प्राधिकरण, आगरा की ओर से शासन को पुनः अनुस्मारक-पत्र तत्काल प्रेषित कराया जाये एवं शासन में स्वयं जाकर अनुमोदन प्राप्त किया जाये, जिससे कि मा०सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा सके। |

रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984-एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत किसी भी सरकारी विभाग/संस्था द्वारा कोई भी आई०ए०/प्रतिशपथ-पत्र/जबाब, आदि टी०टी०जैड० प्राधिकरण के बिना संज्ञान में लाये, मा०सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल न किया जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। सम्बन्धित विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण की जाये।

(कार्यवाही-समस्त सम्बन्धित विभाग/संस्था)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-06 (15.12.2020)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आई.आई.टी. कानपुर से तैयार करायी गयी ताजमहल केन्द्रित स्टडी "Apportionment of air pollution source at Taj Mahal" के परिप्रेक्ष्य में एक्शन प्लान एवं इसकी प्रगति की समीक्षा के सम्बन्ध में-जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गयी स्टडी "Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory & Source Apportionment Study in the city of Agra" में उल्लिखित कन्ट्रोल ऑपशन्स एवं एक्शन प्लान के बिन्दुओं के अनुपालन हेतु समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं, जिसकी दिनांक 25.07.2022 को सम्पन्न जिला पर्यावरण समिति की बैठक में समीक्षा की गयी है। उक्त समीक्षा बैठक में भी समस्त सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को एक्शन प्लान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसकी सतत समीक्षा भी की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र०नि०बो०, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आई०आई०टी० कानपुर से करायी गयी स्टडी में उल्लिखित कन्ट्रोल ऑपशन्स एवं एक्शन प्लान के बिन्दुओं पर कार्यवाही कर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित किये जाने हेतु कार्यालय द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों को पत्र दिनांक 26.04.2022 प्रेषित किया गया है एवं दिनांक 22.06.2022 को अनुस्मारक-पत्र भी प्रेषित किया गया है। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित 'जिला पर्यावरण समिति' की बैठक में अनुश्रवण किया जायेगा।

अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि जोन-2 के अन्तर्गत मल का चबूतरा स्थित शमशान घाट के सौन्दर्यीकरण/सुदृढीकरण का कार्य कराये जाने हेतु रू० 3,43,53,615.47 के कार्य प्रगति पर हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान निरुद्ध वाहनों को रखने के लिये सिकन्दरा पर चिन्हित स्थान पर पुलिस विभाग द्वारा बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने का वांछनीय प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु परियोजना प्रबंधक, उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कॉर्पो०लि०, सिकंदरा निर्माण इकाई-4, आगरा को निर्देशित कर दिया गया है। यातायात पुलिस आगरा द्वारा जब्त किये गये वाहनों की नीलामी शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में यातायात पुलिस लाइन में सीज/जब्त वाहनों की डी.सी.आर.बी. से आख्या प्राप्त कर नोटिस तामील कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

आर०टी०ओ०, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि 15 वर्ष पुराने/निर्धारित समय सीमा पूर्ण निरूद्ध 92 वाहनों के आरोप पत्र मा०मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा के न्यायालय में प्राप्त कराये जा चुके हैं, जिसमें से 51 वाहनों के नोटिस वाहन स्वामियों को तामील कराये गये हैं। उपरोक्त के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक अभियोजन/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, आगरा के माध्यम से मा०मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा को नीलामी हेतु अनुरोध किया जा रहा है। यह भी अवगत कराया गया कि 700 सरकारी वाहनों के सापेक्ष 350 वाहनों के पी०यू०सी० सर्टिफिकेट अभी तक प्राप्त हुये हैं लेकिन शेष वाहनों के पी०यू०सी० सम्बन्धित विभागों के द्वारा अभी तक नहीं कराये गये हैं, जिनमें मुख्यतः विभाग आगरा विकास प्राधिकरण एवं आगरा नगर निगम है।

पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि यातायात पुलिसकर्मियों की वाहन चैकिंग ड्यूटी शहर क्षेत्र के प्रत्येक थाना क्षेत्र के अन्तर्गत लगाकर यातायात पुलिस के समस्त चालानकर्ता अधिकारीगणों द्वारा शहर क्षेत्र में बिना पी०यू०सी० सर्टिफिकेट के संचालित वाहनों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये कुल 971 वाहनों के चालान किये गये हैं एवं ₹० 97,000/- शमन शुल्क वसूल किया गया है। इस प्रकार यातायात पुलिस द्वारा नियमित रूप से बिना पी०यू०सी० सर्टिफिकेट के संचालित वाहनों के विरूद्ध नियमित कार्यवाही की प्रक्रिया निरन्तर प्रचलित है।

आगरा विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मोक्षधाम के नये भवन/हॉल पर निर्मित आठ चिता स्थलों पर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम/वेट स्क्रबर प्रणाली की स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि ₹० 100 लाख के सापेक्ष प्रस्तावित व्यय ₹० 315 लाख धनराशि की आवश्यकता थी। तदनुसार पथकर सलाहकार समिति की 32वीं बैठक दिनांक 01 जून, 2022 द्वारा उक्त को निरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर प्रकरण समाप्त कर दिया गया है।

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि समस्त सम्बन्धित विभागों के द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आई.आई.टी. कानपुर से तैयार करायी गयी "Apportionment of air pollution source at Taj Mahal" के परिप्रेक्ष्य में एक्शन प्लान के सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालनीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आई.आई.टी. कानपुर से करायी गयी स्टडी "Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory & Source Apportionment Study in the city of Agra" में उल्लिखित कंट्रोल ऑपशन्स एवं एक्शन प्लान के बिन्दुओं पर अपेक्षित अनुपालन समस्त सम्बन्धित विभागों से कराया जाये एवं कृत अनुपालनीय कार्यवाही की समीक्षा जिलाधिकारी, आगरा द्वारा 'जिला पर्यावरण समिति' की बैठकों में अनिवार्य रूप से की जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० नि० बो०, आगरा/समस्त सम्बन्धित विभाग)

गत बैठक के निर्देशानुक्रम में प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान निरूद्ध वाहनों को रखने के लिए सिकन्दरा पर चिन्हित स्थान पर पुलिस विभाग द्वारा बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में वांछनीय स्वीकृति शीघ्रतिशीघ्र प्राप्त करने के प्रयास किये जायें ताकि चिन्हित स्थल पर बाउण्ड्रीवाल निर्मित हो सके।

(कार्यवाही-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा)

आर०टी०ओ०, आगरा द्वारा 15 वर्ष पुराने/निर्धारित समय-सीमा पूर्ण निरूद्ध 92 वाहनों के आरोप पत्र मा०मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा के न्यायालय में प्राप्त कराये जा चुके हैं, जिसमें से 51 वाहनों के नोटिस वाहन स्वामियों को तामील कराये गये हैं, जिसके सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, अभियोजन/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, आगरा के माध्यम से मा०मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा को नीलामी हेतु अनुरोध किया गया है। जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा द्वारा उक्त प्रकरण में मा०न्यायालय में संयुक्त निदेशक, अभियोजन के माध्यम से वांछित विधिक प्रक्रिया शीघ्रतिशीघ्र करायी जाये, तदुपरान्त आर०टी०ओ०, आगरा द्वारा उक्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। कृत कार्यवाही से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/आर०टी०ओ०, आगरा)

जिन पी०यू०सी० सेन्टर्स द्वारा वाहनों को पी०यू०सी० सर्टिफिकेट जारी किये जा रहे हैं, ऐसे सेन्टर्स को आर०टी०ओ०, आगरा फील्ड में वाहनों को क्रॉस चैक जाँच कर करायी जाये तथा वाहनों के पी०यू०सी० सर्टिफिकेट मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित पी०यू०सी० सेन्टर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही-आर०टी०ओ०, आगरा)

h msh e

आगरा स्मार्ट सिटी लि० द्वारा शहर में स्थापित किये गये कैमरों के माध्यम से 15 वर्ष पुराने संचालित वाहनों, ऑटोलेडर्स, पी०यू०सी० सर्टिफिकेट रहित वाहनों को चिन्हित किया जाये, जिसके सम्बन्ध में एक निर्धारित प्रारूप बनाया जाये तथा प्रत्येक माह चिन्हित किये गये वाहनों की सूची (निर्धारित प्रारूप पर) आर०टी०ओ०/पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा को कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जाये। कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में आर०टी०ओ०/पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा द्वारा टी०टी०जैड० प्राधिकरण की बैठकों में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-आगरा स्मार्ट सिटी लि०/आर०टी०ओ०/पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा)

आगरा विकास प्राधिकरण तथा आगरा नगर निगम एवं अन्य समस्त सरकारी विभागों में संचालित ऐसे राजकीय वाहन, जिनके पी०यू०सी० सर्टिफिकेट अभी तक नहीं लिये गये हैं, ऐसे समस्त राजकीय वाहनों के पी०यू०सी० सर्टिफिकेट सम्बन्धित विभागों के द्वारा अगले 07 दिवस के अन्दर शत-प्रतिशत पूर्ण कराये जायें तथा आर०टी०ओ०, आगरा द्वारा कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-आ०वि०प्रा०/नगर निगम/आर०टी०ओ०/समस्त सम्बन्धित विभाग, आगरा)

ताजगंज स्थित मोक्षधाम पर स्थित चार प्लेटफार्म पर स्थापित एयर पॉल्यूशन कन्ट्रोल सिस्टम को मोक्षधाम स्थित नये भवन के प्लेटफार्म पर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में आ रहे व्यय एवं व्यावहारिक कठिनाई के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी(नगर) की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, आ०वि०प्रा०, प्रभारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा की समिति का गठन किया जाता है, उक्त समिति द्वारा शवदहन प्रक्रिया में लकड़ी के स्थान पर गोकाष्ठ का उपयोग किये जाने को प्रमोट किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसके संयोजक प्रभारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा होंगे। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ताजगंज स्थित शमशानघाट पर लकड़ी के स्थान पर गाय के गोबर से निर्मित गोकाष्ठ का प्रयोग किये जाने अथवा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रि०या०(सि०)सं०-13381/1984 में पारित आदेशों के क्रम में भी परीक्षण कर आख्या प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-ए०डी०एम०(सिटी)/प्रभारी,के०प्र०नि०बो०,आगरा)

मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशानुक्रम में लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड डस्ट का सर्वे नहीं किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित एस०ओ०पी० के अनुसार रोड डस्ट का सर्वे अगली बैठक से पूर्व अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाये।

(कार्यवाही-मुख्य अभियंता, लो०नि०वि०, आगरा)

टी०टी०जैड० प्राधिकरण की आगामी बैठक में उपनिदेशक, उद्यान, आगरा को आमंत्रित किया जाये। उपनिदेशक, उद्यान, आगरा द्वारा आगामी बैठक में स्वयं प्रतिभाग किया जाये।

(कार्यवाही-उपनिदेशक, उद्यान, आगरा)

मण्डल रेल प्रबन्धक, आगरा की ओर से बैठक में कोई प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में मण्डल रेल प्रबन्धक, आगरा को पत्र प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही-टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

अन्य बिन्दु, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से-

2-रिट याचिका (सि०) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 एवं 11.12.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में-बैठक में अवगत कराया गया कि रिट याचिका (सि०) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत 05 वर्ष की अवधि में (दिनांक 05.04.2016 से 29.01.2021 तक) वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में प्रदान की गयी अनुमति से सम्बन्धित मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद से गत बैठक में पारित निर्णयानुसार वांछित सूचनार्थ प्राप्त हुयी हैं, जिनके अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि सम्बन्धित विभागों के द्वारा आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। जनपद-एटा, हाथरस एवं भरतपुर (राज०) में वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में मा०सर्वोच्च न्यायालय के कोई आदेश पारित न होने के कारण कोई अनुपालन आख्या अपेक्षित नहीं है।

h
msb
e

बैठक में जिलाधिकारियों एवं प्रभागीय निदेशकों ने पुनः अवगत कराया कि आदेशों का पालन किया गया है। निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत रिट याचिका के अन्तर्गत मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में प्रदान की गयी अनुमति से सम्बन्धित विगत 05 वर्ष की अवधि में पारित आदेशों एवं भविष्य में पारित किये जाने वाले आदेशों का शर्तवार अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित जनपदों के प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग सीधे उत्तरदायी होंगे। उक्त निर्देशों के साथ प्रकरण को विलोपित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही—प्रभागीय निदेशक, सा०वा०प्र०,आगरा,मथुरा,फिरोजाबाद,एटा,हाथरस,भरतपुर(राज०))

4—ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में संचालित वाहनों/पुराने वाहनों, जुगाड़ वाहनों के पीयूसी, डीजल चालित व्यवसायिक वाहनों पर प्रतिबंध, पब्लिक/कॉमर्शियल वाहनों हेतु सीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता के सम्बन्ध में—गत बैठक के निर्देशानुक्रम में ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र से बाहर जाने के लिए एन०ओ०सी० लिये जाने के उपरान्त 15 वर्ष पुराने वाहन ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में संचालित न हों, के सम्बन्ध में आर०टी०ओ०, आगरा द्वारा निर्धारित की गयी व्यवस्था को संज्ञान में लिया गया। आर०टी०ओ०, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त निर्धारित व्यवस्था का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। जनपद फिरोजाबाद में 15 वर्ष पुराने गैर परिवहन यानों जिनका पुनः पंजीयन नहीं कराया गया है तथा पंजीयन चिन्ह की वैधता को 6 माह के लिये निलम्बित करने तथा 6 माह तक निलम्बित रहने की दशा में निरस्तीकरण की कार्यवाही करते हुये ऐसे 28056 वाहनों, जिनकी सीरीज—UP83A, UP83B, UP83C, UP83D, UP83E, UP83F, UP83H, UP83I है, को निलम्बित करते हुये ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में संचालन/पंजीयन नवीनीकरण पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया गया है एवं सार्वजनिक विज्ञापित जारी कर सर्वसाधारण को सूचित किया जा चुका है। उक्त के साथ-साथ विद्यालय यानों पर भी कार्यवाही करते हुये 15 वर्ष पुराने 143 डीजल चालित स्कूल वाहनों को चिन्हित कर पंजीयन निलम्बन की कार्यवाही हेतु नोटिस निर्गत किये जा चुके हैं एवं विगत 03 माह में कुल 62 वाहनों का पंजीयन चिन्ह भी निरस्त किया जा चुका है। प्रवर्तन कार्यों में तीव्रता लाने हेतु समस्त 15 वर्ष पुराने 28056 वाहनों की सूची जनपद में नवीन स्थापित आईटीएमएस को प्रेषित कर दी गयी है एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद एवं यातायात विभाग को भी समस्त सूचियाँ उपलब्ध करा दी गयी हैं। जनपद—फिरोजाबाद में ऐसे वाहन, जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं हैं, के डाटा फीड किये गये हैं, जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

ए०आर०टी०ओ०, मथुरा के द्वारा अवगत कराया गया कि माह जनवरी, 2022 से जून, 2022 तक प्रदूषण वाले कुल 271 वाहनों का चालान करते हुये जुर्माना वसूला गया है तथा 15 वर्ष पुराने 13 वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही करते हुये बन्द कराया गया है, इसी प्रकार 46 ई—रिवशा का चालान किया गया है, जिसमें से 14 बन्द कराये गये हैं, 38 लोडर/टैम्पो (डीजल) के चालान किया गया है, जिसमें से 10 बन्द कराये गये हैं। दिनांक 28.04.2022 को 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी 152 स्कूली बसों का पंजीयन वाहन पोर्टल पर 06 माह की अवधि के लिए निलम्बित किया गया है, उक्त अवधि के उपरान्त उक्त स्कूली बसों के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। 15 वर्ष पुराने 1315 निजी वाहनों के पंजीयन निरस्त किये गये हैं।

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि आर०टी०ओ०/ए०आर०टी०ओ० द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि जनपद—आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस व भरतपुर (राज०) में 15 वर्ष पुराने वाहन ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के किसी भी जनपद में संचालित न हों। आर०टी०ओ०/ए०आर०टी०ओ० द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में स्कूल बस/अन्य प्रकार के व्यावसायिक वाहन नगर निगम सीमा क्षेत्र में सीएनजी से ही संचालित हों तथा कोई भी अनफिट वाहन संचालित न हों।

(कार्यवाही—आर०टी०ओ०/ए०आर०टी०ओ०, आगरा, मथुरा,फिरोजाबाद, एटा, हाथरस व भरतपुर (राज०))

जिलाधिकारी, मथुरा एवं फिरोजाबाद का यह सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व होगा कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद—मथुरा एवं फिरोजाबाद में 15 वर्ष पुराने वाहनों की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त उनके पंजीयन निरस्त हो गये हैं अथवा नहीं। ऐसे वाहनों की नियमित जाँच की जाये तथा फील्ड में भी रैण्डमली जाँच कार्यायी जाये ताकि 15 वर्ष पुराने वाहन पकड़ में आ सकें। जनपद—आगरा में निरस्त किये गये 15 वर्ष पुराने वाहनों का विक्रम आर०टी०ओ०, आगरा द्वारा स्मार्ट सिटी ऑफिस में अपलोड कराया जाये। कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही—जिलाधिकारी, मथुरा, फिरोजाबाद/आर०टी०ओ०,आगरा/ए०आर०टी०ओ०, मथुरा, फिरोजाबाद)

चूँकि आर०टी०ओ०, आगरा द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र से बाहर जाने के लिए एन०ओ०सी० लिये जाने के उपरान्त 15 वर्ष पुराने वाहन ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में संचालित न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था निर्धारित की गयी है, जो उपयुक्त प्रतीत होती है, अतः 15 वर्ष पुराने वाहनों के संचालन/री-रजिस्ट्रेशन पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाते हुये यह निर्देश दिये गये कि आर०टी०ओ०/ए०आर०टी०ओ० द्वारा 15 वर्ष पुराने वाहनों के ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र से बाहर अन्यत्र संचालन/री-रजिस्ट्रेशन हेतु एन०ओ०सी० जारी की जायें लेकिन विक्रेता से ऐसे वाहनों को विक्रय किये जाने का साक्ष्य प्राप्त किया जाये। वाहन स्वामी यदि दूसरी जगह चला गया है तो इसकी जाँच की जाये कि वह किस जगह गया है। वाहन के विरुद्ध चालान लम्बित होने की दशा में चालान जमा कराया जाये। कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये। टी०टी०जैड० प्राधिकरण की बैठकों में जारी की गई एन०ओ०सी० का विवरण प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही-आर०टी०ओ०/ए०आर०टी०ओ०, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस व भरतपुर (राज०))

श्री एफ०सी० मुखर्जी, महाप्रबन्धक, ग्रीन गैस लि०, आगरा के द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद-आगरा एवं अन्य जनपदों, जहाँ ग्रीन गैस लि० द्वारा वाहनों हेतु पर्याप्त मात्रा में सी०एन०जी० स्टेशनन्स स्थापित/संचालित किये जाने प्रस्तावित हैं, के सम्बन्ध में ग्रीन गैस लि० द्वारा बनायी गयी विस्तृत कार्य-योजना (क्षेत्रवार माँग व खपत सहित) की एक प्रति अगली बैठक से पूर्व टी०टी०जैड० प्राधिकरण एवं श्री रमन को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही-श्री एफ०सी० मुखर्जी, महाप्रबन्धक, ग्रीन गैस लि०, आगरा)

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में जिन स्थलों पर सी०एन०जी० स्टेशन स्थापित/संचालित नहीं हैं, उन स्थलों पर सम्बन्धित आर०टी०ओ० एवं ए०आर०टी०ओ० द्वारा प्राथमिकता पर सी०एन०जी० स्टेशनन्स स्थापित/संचालित कराये जाने हेतु ऑयल कम्पनियों को पत्र प्रेषित किये जायें।

(कार्यवाही-आर०टी०ओ०/ए०आर०टी०ओ०, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, भरतपुर(राज०))

6-रिट याचिका (सि०) सं०-13381/1984-एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में-बैठक में अवगत कराया गया कि मा०सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 के अनुपालन में प्रथम चरण में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु प्रदूषण-स्कोर 11 से 20 तक के आवश्यक/महत्वपूर्ण कुल 31 उद्योग/परियोजनाओं हेतु सेक्टोरियल गाइडलाइन्स तैयार किये जाने के सम्बन्ध में नीरी द्वारा मांगी गयी सूचनायें यथा-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों की सूची, विकास प्राधिकरणों द्वारा महायोजनायें एवं आगरा व मथुरा का सिटी डवलपमेन्ट प्लान, जनपद-भरतपुर का सब-रिजनल प्लान, यूपीसीडा/डी०आई०सी० द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों की सूचनायें मानचित्रों सहित समस्त सम्बन्धित विभागों के द्वारा नीरी को समय-समय पर प्रेषित कर दी गयी हैं। जनपद-फिरोजाबाद, एटा व हाथरस की प्राप्त महायोजनायें भी नीरी को प्रेषित कर दी गयी हैं लेकिन इन जिलों के सिटी डवलपमेन्ट प्लान एवं डिस्ट्रिक्ट डवलपमेन्ट प्लान उपलब्ध/बने हैं अथवा नहीं, के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी है।

बैठक में उपस्थित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की प्रतिनिधि डॉ०सरस्वती द्वारा यह अवगत कराया गया कि मा०सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुक्रम में नीरी के द्वारा वायु प्रदूषण स्कोर 11 से 20 तक के आवश्यक/महत्वपूर्ण उद्योग/परियोजनाओं के लिए सेक्टोरियल गाइडलाइन्स तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रगतिमान है लेकिन नीरी के द्वारा मंत्रालय को अभी तक यह अवगत नहीं कराया गया है कि सम्बन्धित विभागों से अब तक उन्हें कौन-कौन सी सूचनायें प्राप्त हो चुकी हैं एवं कौन-कौन सी सूचनायें अभी तक अपेक्षित हैं।

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रदान की गयी अनुमति/अनुज्ञा के समय प्रोजेक्ट प्रोपोजेन्ट/आवेदक से प्राप्त किये गये शपथ-पत्र के कम में परीक्षण करने पर कहीं भी वृक्षों का काटा जाना नहीं पाया गया है। यदि प्रस्तावित स्थल पर कोई वृक्ष विद्यमान हैं तो उसको भी सूचीबद्ध किया जा रहा है। लेकिन कतिपय विभागों के द्वारा प्रदान की गयी अनुज्ञा/अनुमति के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण नहीं दिया जा रहा है।

h

285

2

e

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी, फिरोजाबाद, एटा व हाथरस द्वारा यह अवगत कराया जाये कि उनके जिलों के सिटी डवलपमेन्ट प्लान एवं डिस्ट्रिक्ट डवलपमेन्ट प्लान उपलब्ध/बने हैं अथवा नहीं। यदि उक्त जिलों के सिटी डवलपमेन्ट प्लान एवं डिस्ट्रिक्ट डवलपमेन्ट प्लान नहीं बने हैं तो इसकी सूचना तत्काल टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को ई-मेल ttzpmu2@gmail.com पर प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, फिरोजाबाद, एटा व हाथरस/टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा)

बैठक में सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि डॉ0सरस्वती, साईन्टिस्ट-बी से अनुरोध किया गया कि प्रथम चरण में आवश्यक/महत्वपूर्ण 31 उद्योग/परियोजना/गतिविधियों की सेक्टोरियल गाइडलाइन्स टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार के स्तर से निदेशक, नीरी, नागपुर से समन्वय स्थापित किया जाये।

(कार्यवाही-डॉ0सरस्वती, साईन्टिस्ट-बी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली)

औद्योगिक इकाई/प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत वृक्षों का पातन प्रस्तावित न होने के सम्बन्ध में पूर्व में निर्धारित की गयी प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के क्रम में सम्बन्धित विभागों के द्वारा अनुमति/अनापत्ति प्रदान किये जाने से पूर्व प्रोजेक्ट प्रोपोजेन्ट से वांछित शपथ-पत्र, स्थल के फोटोग्राफ व की-प्लान की वांछित सूचनार्यें सम्बन्धित प्रमाणीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग को उपलब्ध करायी जायें। सम्बन्धित विभागों द्वारा अपूर्ण सूचनार्यें अथवा सूचनार्यें उपलब्ध न कराये जाने पर सम्बन्धित प्रमाणीय निदेशक के द्वारा सम्बन्धित विभाग को जिलाधिकारी की ओर से पत्र प्रेषित कराया जाये तथा टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को भी सूचित किया जाये।

(कार्यवाही-समस्त सम्बन्धित विभाग/समस्त प्रमाणीय निदेशक, सा0वा0प्र0)

मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2021 के अनुपालन के क्रम में दिनांक 16.12.2021 को सम्पन्न टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की 55वीं बैठक में औद्योगिक इकाई/प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत वृक्षों का पातन प्रस्तावित न होने के सम्बन्ध में निर्धारित की गयी प्रक्रिया एवं मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 के आलोक में विषयगत प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

अन्य बिन्दु, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से (16.12.2021)-

गत बैठक में पारित निर्णयानुकम में टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के सदस्यगण श्री केशो मेहरा, श्री उमेश शर्मा एवं डा0रविन्द्र मोहन पचौरी द्वारा संयुक्त रूप से दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 16.12.2021 पर सम्बन्धित विभागों द्वारा कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्नानुसार अवगत कराया गया-

(1) आगरा में यमुना नदी पर बैराज का निर्माण होना-सिंचाई विभाग, आगरा के अनुसार ताजमहल के 1.5 किमी0 डाउनस्ट्रीम में रबर डैम के निर्माण के प्रस्तावित परियोजना स्थल यमुना नदी के दाहिने किनारे पर ग्राम नगला पैमा में 25 पेड़ एवं बांये किनारे पर ग्राम-गढ़ी चोंदनी में 263 पेड़, कुल 288 पेड़ों को पातन प्रस्तावित है, जिसके लिए मा0सर्वोच्च न्यायालय से वांछित अनुमति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) आगरा में रिंग रोड का निर्माण होना-आगरा विकास प्राधिकरण के अनुसार आगरा इनर रिंग रोड द्वितीय चरण जिसकी लम्बाई 7.13 किमी0 है, का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। आगरा इनर रिंग रोड प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण को जोड़ने हेतु फतेहाबाद रोड पर निर्माणाधीन फ्लाई ओवर का निर्माण लगभग 40 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, जिसको कि 31 दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण कराने की योजना है। आगरा इनर रिंग रोड तृतीय चरण जो कि एन.एच.ए.आई. द्वारा निर्माण किये जाने की योजना है, के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा पत्राचार एन.एच.ए.आई. से किया जा रहा है।

(3) ताज ट्रैपेजियम जोन के सभी जिलों में 24 घंटे अबाध विद्युतापूर्ति किया जाना-अधिशासी अभियंता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा के नगरीय क्षेत्र में वर्तमान में 23 घण्टे विद्युतापूर्ति की जा रही है, आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे तथा तहसीलों में 21 घण्टे विद्युतापूर्ति की जा रही है।

श्री एफ0सी0 मुखर्जी, महाप्रबन्धक, ग्रीन गैस लि0, आगरा द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि ग्रीन गैस लिमिटेड को ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत केवल भौगोलिक क्षेत्र आगरा (Agra GA) के लिए पैट्रोलियम एण्ड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) द्वारा सी0एन0जी0 की आपूर्ति हेतु अधिकृत किया गया है। इस अधिकृत क्षेत्र की सीमाओं के बाहर आने वाले क्षेत्रों/जनपदों के लिए ग्रीन गैस लि0 अधिकृत नहीं है। ग्रीन गैस लि0 अधिकृत भौगोलिक क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र/जनपदों (ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र) अर्थात् फिरोजाबाद, वृन्दावन, भरतपुर, कोसी कलां, हाथरस आदि क्षेत्र गैस लि0 एवं मथुरा क्षेत्र टोरेन्ट गैस से सम्बद्ध है।

जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा के अनुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों की दर निर्धारण भारत सरकार के स्तर से किया जाता है, अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों की रियायती दर 50 प्रतिशत किये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है। उक्त के अतिरिक्त जनपद आगरा में गैस पाईप लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में अध्यावधिक सूचना उपलब्ध कराने हेतु चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, ग्रीन गैस लि0 को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के सदस्यगण श्री केशो मेहरा, श्री उमेश शर्मा एवं डा0रविन्द्र मोहन पचौरी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में उल्लिखित बिन्दुओं/सुझावों के क्रम में समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने-अपने बिन्दु/प्रकरणों पर समयबद्ध रूप से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में अबाध विद्युतापूर्ति के सम्बन्ध में रिट याचिका (सि0) सं0-13381/1984 के अन्तर्गत मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.04.1996 एवं 30.12.1996 को पारित निर्णयानुक्रम में जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा व हाथरस (उ0प्र0) के ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत में अबाध विद्युतापूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उ0प्र0 पॉवर कॉर्पो0 लि0 व प्रबन्ध-निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा को मा0सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेशों का उल्लेख करते हुये पत्र प्रेषित कराया जाये। कृत कार्यवाही से अगली बैठक से पूर्व अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-ए0डी0एम0(ना0आ0)/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/समस्त कार्यदायी संस्थायें/आ0वि0प्रा0/नगर निगम/एन0एच0ए0आई0/ग्रीन गैस लि0/डी0एफ0ओ0/टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0-03 (25.04.2022)

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस एवं भरतपुर (राज0) में साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में-अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम द्वारा उपलब्ध सीमित संसाधनों द्वारा सड़क व नालियों की सफाई प्रतिदिन करायी जा रही है। डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रह का कार्य कम्पनी द्वारा प्रतिदिन कराया जा रहा है। मेकेनिकल + स्वीपिंग मशीन द्वारा डिवाइडरों के सहारे व सड़क की पटरी की सफाई का कार्य प्रतिदिन कराया जा रहा है। शौचालयों की सफाई कम्पनी द्वारा प्रतिदिन करायी जा रही है। रोड साईट की डस्ट को सफाई मित्रों द्वारा प्रतिदिन सफाई कराकर हटायी जा रही है एवं नालों से निकाली गई सिल्ट का उठान 24 घण्टे के अन्दर में प्रतिदिन कराया जा रहा है। ताजमहल एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों में सफाई कार्य डोर-टू-डोर कलैक्शन हेतु नियुक्त कार्यदायी संस्था में मै0लायन्स सर्विसेज प्रा0 लि0 के माध्यम से प्रतिदिन सफाई कार्य, सड़क/नाली की सफाई घर-घर से कूड़ा संग्रहण, मैकेनाइज्ड + स्वीपिंग शौचालय की सफाई का कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है।

नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के अन्तर्गत 1561 सफाई कर्मचारियों के द्वारा प्रतिदिन सफाई करायी जाती है। व्यवसायिक एवं धार्मिक स्थलों पर सुबह एवं सांय 2 पालियों के साथ-साथ रात्रि में भी सफाई का कार्य कराया जाता है। नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत समस्त 70 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलैक्शन किया जा रहा है। डोर-टू-डोर कलैक्शन के सापेक्ष नगर निगम द्वारा माह अगस्त 2021 से अप्रैल 2022 तक रू0 41,27,253/- रू0 यूजर शुल्क वसूली की गयी है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम फिरोजाबाद सीमान्तर्गत शहर के बीचों-बीच एन0एच0ए0आई0 की रोड एन0एच0-2 है, जिसको एन0एच0ए0आई0 द्वारा लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किया गया है। पी0डब्लू0डी0 विभाग द्वारा उक्त रोड पर मैकेनाइज्ड स्वीपिंग कार्य नहीं कराये जाने पर नगर निगम द्वारा लोक निर्माण विभाग को पत्र दिनांक 18.04.2022 प्रेषित किया गया है, जिसके द्वारा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग कराने हेतु अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से रोड पर पानी का छिड़काव एवं पेड़ों की धुलाई करायी जा रही है। नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन किराये पर

लेने हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है। एन0एच0 के सर्विस रोड पर नगर निगम द्वारा सफाई के साथ-साथ पानी का छिड़काव भी कराया जा रहा है।

नगर निगम, भरतपुर (राज0) के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम भरतपुर के अन्तर्गत 65 वार्ड हैं, जिनको 13 जोन क्षेत्रों में विभाजित कर सफाई कार्य प्रतिदिवस कराया जाता है, जिसकी निगरानी हेतु दो मुख्य सफाई निरीक्षक, 13 सफाई निरीक्षक एवं 65 सफाई जमादार नियुक्त किये हुये हैं, निगम द्वारा शहर के मुख्य बाजारों में रात्रिकालीन सफाई करवायी जाती है। नगर निगम द्वारा निगम के 65 वार्डों से प्रतिदिवस घर-घर कचरा संग्रहण कार्य कराया जा रहा है।

नगर पालिका परिषद, हाथरस से प्राप्त सूचनानुसार सफाई व्यवस्था के दृष्टिगत नगर में प्रातःकालीन एवं सांयकालीन सफाई व्यवस्था के अतिरिक्त नगर के प्रमुख मार्गों एवं बाजारों में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा रही है। नगर पालिका परिषद, हाथरस द्वारा सार्वजनिक मार्गों पर भैसों को बाँधने एवं उनका गोबर इत्यादि सार्वजनिक मार्ग/नाली में बहाने इत्यादि कृत्य के लिये सम्बन्धित के विरुद्ध उ0प्र0 प्लास्टिक व अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा उपयोग और निस्तारण का विनियम अधिनियम (संशोधन) 2018 में वर्णित धाराओं के अन्तर्गत 05 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गयी है।

नगर पंचायत, अवागढ़ (एटा) से प्राप्त सूचनानुसार निकाय द्वारा नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत वायु गुणवत्ता इण्डेक्स के नियंत्रण हेतु लगातार पानी का छिड़काव एवं पेड़ों की धुलाई करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त निकाय में 02 पार्कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नगर पंचायत अवागढ़ (एटा) की आबादी जनगणना 2011 के अनुसार 10983 है, यहाँ पर कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित/संचालित नहीं है, जिससे वायु प्रदूषण की सम्भावना हो। निकाय के अन्तर्गत 11 वार्ड हैं, जिसे 02 जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें एक-एक सफाई नायक एवं प्रत्येक वार्ड में 02-02 सफाई मित्र नियुक्त किये गये हैं। निकाय द्वारा निकाय के मुख्य बाजारों में रात्रि-कालीन सफाई से प्रतिदिवस घर-घर से गीला-सूखा कचरा संग्रह कार्य कराया जा रहा है, नाले एवं नालियों से निकाली गयी सिल्ट यथासमय हटवा दी जाती है।

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया है कि नगर निगमों के द्वारा प्रतिदिन सफाई का कार्य सड़क/नाली की सफाई घर-घर से कूड़ा संग्रहण मेकेनाइज्ड + स्वीपिंग शौचालयों की सफाई का कार्य सुनिश्चित कराया जाये। नगर निगमों के द्वारा शहर के मुख्य-मुख्य मार्गों की मैकेनिकल स्वीपिंग करायी जाये तथा रोड साईड डस्ट को रोड के किनारे से हटाकर रखा जाये ताकि डस्ट पुनः रोड पर जमा न हो सके। नालों एवं नालियों से निकाली गयी सिल्ट को किसी भी दशा में सड़क के किनारे न रखा जाये। इसी प्रकार ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र की नगर पालिका परिषदों के द्वारा सफाई का कार्य, नालियों की सफाई, रोड डस्ट हटाया जाना, आदि कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-समस्त नगर निगम/न0पा0प0/नगर पंचायत)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0-04 (25.04.2022)

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस एवं भरतपुर (राज0) में कूड़ा न जलाये जाने के सम्बन्ध में-बैठक में यह संज्ञान में लाया गया कि गत बैठक के निर्णयानुपालन में टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय द्वारा बैठकों में प्रतिभाग किये जाने वाले एवं भाग न लेने वाले सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, राजस्थान शासन को टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय द्वारा पत्र सं0 590 दिनांक 19.05.2022 प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि भरतपुर (राज0) के मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी के साथ-साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को भी पृष्ठांकित की गयी है।

अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा नगर निगम द्वारा विशेष व्यवस्था के साथ क्षेत्रीय सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, जहाँ भी कूड़ा कचरा जलाये जाने की सम्भावना है, वही पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है वर्तमान में कूड़ा जलाने की कोई भी घटना संज्ञानित नहीं है। एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाने में तहरीर दी गयी है। वित्तीय वर्ष अप्रैल व मई 2022 में रू0 216500/- का जुर्माना वसूला गया है। नगर निगम द्वारा लैडर कटिंग को डिस्पोजल के लिए धांधूपुरा प्लाण्ट पर भेजा जा रहा है।

नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कूड़ा जलाने वालों के विरुद्ध निरन्तर अभियान चलाते हुये कार्यवाही की जा रही है। माह अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक 17 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही करते हुये रू0 29,400/- का जुर्माना वसूला गया है। इसके अतिरिक्त मण्डल रेल प्रबन्धक, (पूर्वोत्तर रेलवे) इज्जत नगर, बरेली एवं मण्डल रेल प्रबन्धन, (उ0म0रे0) आगरा को रेलवे परिसर के अन्दर कूड़ा जलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि शहरी सीमा में कूड़ा जलाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है, जिसके क्रियान्वयन के लिए 09 टीमों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जाती है। कूड़ा जलाने पर 04 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही कर माह अप्रैल 2022 से 18.05.2022 तक रू0 20,000 का जुर्माना वसूला गया है तथा समस्त सफाई कर्मचारियों को किसी भी स्थिति में कूड़ा न जलाने हेतु आदेशित कर दिया गया है तथा आमजनों को भी कूड़ा न जलाने हेतु जागरूक किया जा रहा है। समस्त सफाई नायक/सफाई कर्मचारियों को कूड़ा न जलाने के सम्बन्ध में नगर निगम के जीवाराम हॉल में दिनांक 04.03.2022 एवं 14.03.2022 को प्रशिक्षण दिया गया है तथा सभी सफाई नायक/सफाई कर्मचारियों को कूड़ा जलाने के प्रति संवेदीकरण भी किया गया है। सर्दियों में शहर के चिन्हित स्थानों पर गैस के अलाव जलाने की व्यवस्था की गयी है। वायु गुणवत्ता इण्डेक्स के नियंत्रण हेतु लगातार पानी का छिड़काव एवं पेड़ों की धुलाई करायी जा रही है तथा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन किराये पर लिये जाने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।

नगर पंचायत, अवागढ़ से प्राप्त सूचनानुसार निकाय द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया है। निकाय के वाहनों/पी0ए0 सिस्टम से प्रचार-प्रसार किया गया एवं नगर में रैली का अयोजन किया गया, इसी मध्य जनसामान्य एवं सभी सफाई मित्रों के साथ बैठक की गयी एवं प्रचार-प्रसार कराया गया कि किसी भी दशा में कूड़ा-कचरा जलाया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है, तदुपरान्त निकाय द्वारा अभियान के दौरान कूड़ा जलाने वालों से भी जुर्माना वसूला गया है, यह प्रयास निरन्तर जारी रहेगा।

नगर निगम, भरतपुर (राज0) के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि शहर में कचरे को नहीं जलाने हेतु चेतावनी बोर्ड लगाये गये हैं एवं निगम के सफाई निरीक्षकों द्वारा प्रतिदिवस निरीक्षण कर ऐसे स्थानों की निगरानी नियमित रूप से की जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति शहर में कचरा नहीं जलाये।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में ईट भट्टों का संचालन बंद है, जिनका पुनः संचालन जनवरी, 2023 में किया जाना प्रस्तावित है। ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित ईट भट्टों में ईटों के उत्पादन की प्रक्रिया में लैडर कटिंग, पेट कोक, टायरों, प्लास्टिक, खतरनाक अपशिष्टों आदि प्रतिबन्धित वस्तुओं का प्रयोग किसी भी दशा में न होने के सम्बन्ध में ईट भट्टों के पुनः संचालन के दौरान नियमित निरीक्षण कर अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जनपद-फिरोजाबाद में कुल 20 ईट भट्टे स्थापित हैं। उक्त सभी ईट भट्टे सीजन ऑफ होने के कारण माह जून-जुलाई से बन्द हैं, जो कि माह जनवरी से संचालित होंगे। सीजन में ईट भट्टे संचालित होने पर एस0डी0एम0 के साथ सभी ईट भट्टों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जायेगा तथा ईट भट्टों में उक्त प्रतिबन्धित वस्तुओं का प्रयोग पाये जाने की दशा में सम्बन्धित ईट भट्टा संचालक/स्वामियों को नियमानुसार नोटिस जारी करते हुये अधिनियमान्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। कार्यालय द्वारा दिनांक 30.06.2022 एवं दिनांक 08.07.2022 को ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत ईट भट्टों का निरीक्षण करने पर पाया गया कि ईट भट्टे संचालित नहीं हैं तथा किसी भी ईट भट्टे पर लैडर कटिंग, पेट कोक, टायरों, प्लास्टिक एवं खतरनाक अपशिष्टों के अवशेष नहीं पाये गये हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद-हाथरस के ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित कुल 24 ईट भट्टों का निरीक्षण दिनांक 04.07.2022 एवं 05.07.2022 को किया गया है। निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टों के परिसर में लैडर कटिंग, पेट कोक, टायरों, प्लास्टिक, खतरनाक अपशिष्टों आदि प्रतिबन्धित वस्तुओं का भण्डारण होता हुआ नहीं पाया गया तथा न ही ईंधन के रूप में लैडर कटिंग, पेट कोक, टायरों, प्लास्टिक, खतरनाक अपशिष्टों का प्रयोग होता हुआ नहीं पाया गया।

विस्तृत चर्चा उपरान्त यह पाया गया कि निर्धारित प्रारूप में संकलित सूचना/आंकड़ों के तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट है कि जनपद-आगरा के अतिरिक्त अन्य जनपद-मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस व भरतपुर (राज0) में कूड़ा जलाने पर कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई है। जबकि जनपद-भरतपुर (राज0) में न तो कोई चालान हुआ है और न ही जुर्माना वसूला गया है, जो अत्यन्त खेदजनक है। निर्देशित किया गया कि समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषदों के द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाये कि कूड़ा/पेड़ों के सूखे पत्तों आदि किसी भी दशा में न जलने पायें, जलता हुआ पाये जाने पर क्षेत्र के सम्बन्धित सफाई निरीक्षक/पर्यवेक्षक के विरुद्ध सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। भविष्य में कूड़ा जलने की घटनायें कम होनी चाहिये। समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषदों द्वारा जनसामान्य को भी जागरूक किया जाये, जो प्रत्येक दशा में शीतकाल ऋतु से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाये क्योंकि कूड़ा/सूखे पत्ते आदि जलने से होने वाला वायु प्रदूषण भी शीतकाल ऋतु में ए0क्यू0आई0 बढ़ने का एक मुख्य कारक है। समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषदों द्वारा वांछित सूचनायें (डाटा) समय से अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायी जायें।

(कार्यवाही-नगर निगम/न0पा0प0,आगरा,मथुरा,फिरोजाबाद,एटा,हाथरस व भरतपुर (राज0))

जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा जनपद-मथुरा में रेलवे ट्रैक के किनारे कूड़ा न जलाये जाने के सम्बन्ध में जनसामान्य को जागरूक किये जाने के सम्बन्ध में रेलवे को तत्काल पत्र प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, मथुरा)

जनपद-भरतपुर (राज0) के समस्त सम्बन्धित विभागों की सूचनायें/अनुपालन आख्यायें एकत्रित कर टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराये जाने के लिए जिलाधिकारी, भरतपुर (राज0) द्वारा ए0डी0एम0 को नोडल अधिकारी नामित करते हुये, नामित नोडल अधिकारी के विवरण (नाम, मोबाईल नम्बर आदि) से टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को सूचित किया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, भरतपुर (राज0))

आगरा नगर निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि लैदर कटिंग किसी भी दशा में नालों/नालियों में डाली जाये। घाघूपुरा प्लांट पर लैदर कटिंग का समुचित निस्तारण किया जाये। ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत संचालित ईट भट्टों का एस0डी0एम0 द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण कर ईटों के उत्पादन की प्रक्रिया में लैदर कटिंग, पेट कोक, टायरों, प्लास्टिक, खतरनाक अपशिष्टों आदि प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रयोग न होने दिया जाये। ईट भट्टों में उक्त प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रयोग पाये जाने की दशा में सम्बन्धित उ0प्र0प्र0नि0बो0 द्वारा ईट भट्टा संचालकों को अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही-नगर निगम, आगरा/सम्बन्धित एस0डी0एम0/उ0प्र0प्र0नि0बो0)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा चिन्हित 12 प्रमुख स्थलों पर नगर निगम आगरा द्वारा विशेष ध्यान दिया जाये तथा उक्त चिन्हित स्थलों पर किसी भी दशा में सॉलिड वेस्ट बर्निंग न होने दी जाये। जिन स्थलों पर बहुतायात मात्रा में लैदर कटिंग पायी जायें, उन्हें नगर निगम द्वारा रात्रि के समय उठवाया जाये ताकि वेस्ट लैदर कटिंग को सम्बन्धित व्यक्ति के द्वारा जलाया न जा सके। यदि कोई व्यक्ति वेस्ट लैदर कटिंग जलाता हुआ पाये जाये तो उसके विरुद्ध नगर निगम द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाये।

(कार्यवाही-नगर निगम, आगरा)

अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें संकलित कर बैठक से पर्याप्त समयपूर्व टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जायें तथा विश्लेषण कर अगली बैठक में अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाये। गठित टीमों के द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के जनपदों में निरीक्षण कराया जाये। रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा)

h

msk

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-05 (25.04.2022)

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस एवं भरतपुर (राज०) में ठोस अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में-अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु नगर निगम क्षेत्र के लिए पीपीए मॉडल पर बैंगलोर की अनुबंधित फर्म मै०स्वच्छता कॉरपोरेशन द्वारा 94 वार्डों में सर्वे का कार्य पूर्ण कर डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन कार्य किया जा रहा है। ताजमहल के आस-पास 06 वार्डों में कचरा एकत्रीकरण कार्य मै०लॉयन्स सर्विसेज द्वारा किया जा रहा है। एकत्रित कचरा नगर निगम के प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाया जाता है। 05 टीपीडी निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन, भारत सरकार के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त प्रथम किस्त की धनराशि रू० 345.00 लाख के सापेक्ष निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा सी० एण्ड डी० वेस्ट प्रोसेसिंग हेतु रू० 150.00 लाख के सापेक्ष रू० 90.00 लाख की प्रथम किस्त प्राप्त हुयी है। दिनांक 24.06.2020 की बैठिनार में सचिव, नगर विकास द्वारा सुझाव दिया गया कि D-Centralized Waste Processing C&D Waste Plant 5.0 TPD के कम क्षमता के प्रस्तावित किये जायें, जिससे अनुज्ञा सम्बन्धी औपचारिकताएँ न करानी पड़े। उक्त परिप्रेक्ष्य में 5.0 टीपीडी क्षमता का एक प्लांट स्थापित कराये जाने तथा तीन वर्ष की अवधि में प्लांट का संचालन एवं रख-रखाव पर व्यय होने वाली धनराशि आगामी वर्षों में प्राप्त धनराशि से वहन किया जाएगा। उपरोक्तानुसार 01 Number Plants C&D Waste Plant की ई-निविदा/RFP दिनांक 10.08.2020 को आमंत्रित की गयी थी, जिसमें चयनित फर्म द्वारा दिनांक 15.05.2022 को कार्य प्रारम्भ किया गया है। सी० एण्ड डी० वेस्ट हेतु 150 मीट्रिक टन क्षमता का प्रोसेसिंग प्लांट पी०पी०पी० मोड पर स्थापित किये जाने हेतु मै०राईज इलेवन आगरा वेस्ट मैनेजमेन्ट के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया है, उस पर भी मा०सर्वोच्च न्यायालय की रोक के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब अनुमति प्रदान कर दी गयी है, जिस पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है। मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2021 को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाये जाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। उक्त से सम्बन्धित सभी प्रकार की एन०ओ०सी० प्राप्त किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाये जाने के लिये भूमि पूजन भी किया जा चुका है।

नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में यमुनापार नगला कोल्हू पर 180 टन प्रतिदिन क्षमता वाला वेस्ट टू कम्पोस्ट प्लांट क्रियाशील है। उक्त प्लांट का संचालन नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के द्वारा स्वयं के संसाधनों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत से प्रतिदिन एकत्रित होने वाले लगभग 150-180 टन कचरे का प्रसंस्करण कर खाद बनाया जा रहा है। माह फरवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक कुल 848.31 टन को निर्धारित रू० 311 प्रतिदिन की दर से रू० 2,64,323/- में विक्रय किया गया है। नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में यमुनापार नगला कोल्हू में सूखे कचरे के निस्तारण हेतु 10 टन प्रतिदिन क्षमता वाला मैटेरियल रिकवरी सेन्टर का निर्माण कराया गया है, जिसका संचालन पीपीई मोड पर 21वीं सेंचुरी पॉलिमर्स संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में क्षेत्रान्तर्गत एकत्रित होने वाले सी० एण्ड डी० वेस्ट के निस्तारण हेतु 50 टन प्रतिदिन क्षमता का सी० एण्ड डी० वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी हैं। नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के अन्तर्गत यमुनापार नगला कोल्हू पर कचरे का पृथक्कीकरण कर प्राप्त होने वाली पॉलीथिन एवं प्लास्टिक आदि से पैटर्सन एनर्जी संस्था के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट टू फ्यूल प्लांट के माध्यम से ईंधन बनाया जा रहा है, जिसकी प्रसंस्करण क्षमता 06 टन प्रतिदिन है। नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के अन्तर्गत वृन्दावन जोन में हजारी मल सोमानी ग्राउण्ड के निकट 05 टन क्षमता का ऑर्गेनिक वेस्ट टू कम्पोस्ट प्लांट 10 टन क्षमता वाला एम.आर.एफ., मण्डी समिति वृन्दावन में 01 टन क्षमता का ऑर्गेनिक वेस्ट टू कम्पोस्ट प्लांट एवं मांट रोड पर ट्रांसफर स्टेशन निर्मित कराये गये हैं, जो वर्तमान में क्रियाशील हैं। नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के नगला कोल्हू प्लांट पर एकत्रित 2.60 लाख टन लीगेसी के निस्तारण हेतु शासन द्वारा ब्लैक बैरी ओवरसीज संस्था को अधिकृत किया गया है। संस्था द्वारा प्रथम ट्रॉमल (क्षमता 300 टन प्रति शिफ्ट) दिनांक 23.10.2021 को एवं द्वितीय ट्रॉमल (क्षमता 300 टन प्रति शिफ्ट) दिनांक 10.12.2021 को स्थापित कराते हुये प्रतिदिन संचालन कार्य प्रतिदिन 02 पालियों में कराया जा रहा है। इस प्रकार लगभग कुल 55,000 टन लीगेसी वेस्ट का निस्तारण करा दिया गया है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त 70 वार्डों में डोर-टू-डोर कलेक्शन एवं सेग्रीगेशन के कार्य हेतु मै०लाइन सर्विसेज इण्डिया प्रा० लि०, नई दिल्ली के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया है, समस्त 70 वार्डों में उक्त फर्म के द्वारा डोर-टू-डोर कलेक्शन एवं सेग्रीगेशन का कार्य किया जा रहा है।

अपशिष्ट को कवर्ड वाहनों द्वारा परिवहन करते हुये प्रोसेसिंग प्लाण्ट पर पहुँचाया जाता है, जहाँ गीले कचरे की कम्पोस्टिंग की जा रही है एवं यथासम्भव सूखे कचरे को पुनर्चक्रण किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 को अंगीकृत कर नियमावली में वर्णित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। चनौरा स्थित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र पर 02 एम.आर.एफ. का निर्माण पूर्ण कर संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। मैमुस्कान इंटरप्राइजेज द्वारा एम.आर.एफ. का संचालन अपने संसाधनों एवं श्रमशक्ति द्वारा किया जा रहा है, जिससे नगर निगम को राजस्व की प्राप्ति भी हो रही है। एम.आर.एफ. की क्षमता वृद्धि हेतु मशीनरी की स्थापना के लिये 14वें एवं 15वें वित्त आयोग की बैठक में ₹0 50 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। मशीनरी की स्थापना हेतु टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है। 05 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का वेस्ट-टू-कम्पोस्ट प्लाण्ट स्थापित किया गया है, जो क्रियाशील है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 के अन्तर्गत कुतुकपुर चनौरा स्थित 3300 वर्गमी० भूमि पर 250 टीपीडी क्षमता के वेस्ट टू कम्पोस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट के अधिष्ठापन हेतु कार्यदायी संस्था सी० एण्ड डी० एस० द्वारा कार्यवाही की जा रही है। शासन में उच्च स्तरीय समिति के समक्ष सी० एण्ड डी० वेस्ट के प्रोसेसिंग प्लाण्ट का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। निर्माण एवं विध्वंस के निस्तारण हेतु तैयार की गई डी०पी०आर० का अनुमोदन प्राप्त कर नगर निगम फिरोजाबाद में 50 टन क्षमता का सी० एण्ड डी० वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट की स्थापना हेतु ₹0 2.39 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, सी० एण्ड डी० वेस्ट प्लाण्ट हेतु टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है।

नगर निगम, भरतपुर (राज०) के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्लास्टिक एवं ठोस अपशिष्ट निस्तारण के सम्बन्ध में निगम द्वारा प्रसंस्करण संत्रण की स्थापना हेतु मै०रोल्ज मैटेरियल हैण्डलिंग सिस्टम प्रा०लि० को कार्यदेश जारी किया गया है। प्रसंस्करण संयंत्र की सहायता से नगर निगम भरतपुर क्षेत्र में निकलने वाले कचरे से कम्पोस्ट RDF बनाया जायेगा। संत्रण की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पुनः आवेदन किया गया है। शीघ्र ही पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर परियोजना संयंत्र की स्थापना कर निस्तारण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

नगर पालिका परिषद, हाथरस से प्राप्त सूचनानुसार नगर में डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्शन कार्य नियमित रूप से कराया जा रहा है। वर्तमान में नगर में लगभग 52 एम.टी. कूड़ा प्रतिदिन उत्पादित होता है। उक्त उत्पादित कूड़े का निष्पादन पालिका की डम्प साईट पर किया जा रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम-2016 में वर्णित प्राविधानों के तहत कूड़े के वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन हेतु शासन द्वारा नामित संस्था सी० एण्ड डी० एस० अलीगढ़ द्वारा प्लाण्ट का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लाण्ट तत्काल प्रारम्भ करा दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा नामित उक्त संस्था द्वारा ही एकत्र लीगेसी वेस्ट निस्तारण हेतु कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। शीघ्र ही लीगेसी वेस्ट का निस्तारण करा दिया जायेगा। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सूखे कूड़े के निस्तारण हेतु एम.आर.एफ. सेन्टर का निर्माण कराकर सम्बन्धित मशीनों की आपूर्ति प्राप्त कर ली गयी है, अतिशीघ्र मशीनों का इंस्टॉलेशन कराकर सूखे कूड़े का निस्तारण कराया जाना प्रस्तावित है।

नगर पंचायत, अवागढ़ (एटा) से प्राप्त सूचनानुसार निकाय सीमान्तर्गत मौजूद कुल 11 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन एवं सेग्रीगेशन का कार्य विभागीय स्तर पर सम्पादित कराया जा रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक घर से यूजर चार्ज लिया जा रहा है, अपशिष्ट को कवर्ड वाहनों द्वारा परिवहन करते हुये गीले कचरे की कम्पोस्टिंग की जा रही है, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली-2016 अंगीकृत करने हेतु उपविधि तैयार कर समाचार-पत्र में प्रकाशित करा दिया गया है, अति शीघ्र अन्तिम गजट हेतु राजकीय मुद्रालय, प्रयागराज को प्रेषित कर दिया जायेगा। नगर पंचायत, अवागढ़ में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए 5 टन की क्षमता वाला एम.आर.एफ. सेन्टर बनाया गया है, जो कि निकाय द्वारा संचालित है। इसी क्रम में गीले कचरे से खाद बनाने के लिए 1 टन क्षमता की कम्पोस्ट मशीन लगायी गयी है। इसके अतिरिक्त गीले कचरे से खाद बनाने के लिए 4 टन क्षमता की कम्पोस्ट पिट तैयार की गयी है, जिससे कूड़े का शत-प्रतिशत निस्तारण कर दिया जाता है। नगर पंचायत, अवागढ़ से निकलने वाले प्रतिदिन कूड़े-कचरे का शत-प्रतिशत उठान कर डम्पिंग ग्राउण्ड पर निस्तारण किया जाता है एवं खतरनाक कूड़े के निस्तारण के लिए साइंटिफिक लैण्डफिल तैयार कर दी गयी है, जहाँ पर खतरनाक कूड़े को एकत्रित कर लिया जाता है। निकाय द्वारा नगर क्षेत्र से निकलने वाले कूड़े-कचरे, सिल्ट आदि का उठाने प्रतिदिन यथासमय शत-प्रतिशत कराया जा रहा है। सूखे कूड़े का निस्तारण एम.आर.एफ. सेन्टर पर मैनुअल कराया जा रहा है एवं गीले कचरे का पृथक्-पृथक् उपरान्त एम.आर.एफ. में बने कम्पोस्ट पिट में डालकर खाद बनाया जा रहा है तथा सूखे कचरे को पृथक्-पृथक् रखा जाता है, मैकेनिकल संचालन हेतु मशीनें उपलब्ध हो चुकी हैं। लाईट का कनेक्शन होने के उपरान्त मैकेनिकल निस्तारण कराया जायेगा, अवशेष कूड़े का डिस्पोजल डम्पिंग ग्राउण्ड में कराया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि छावनी परिषद् द्वारा ट्रेडिंग ग्राउण्ड, सेवला पर लिगेसी वेस्ट एवं सॉलिड वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में दिनांक 17.06.2022 को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के समय कैण्टोनमेण्ट बोर्ड द्वारा अनुबन्धित फर्म मै०दयाचरण एण्ड कम्पनी द्वारा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का कार्य किया जाता पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 09.05.2022 से 14.06.2022 तक लगभग 42 टन कम्पोस्ट तैयार किया गया, जिसे विभिन्न ग्रामों में उपयोग हेतु निःशुल्क दिया जा रहा है। डम्पिंग स्थल पर लिगेसी वेस्ट के प्रबन्धन एवं निस्तारण की प्रक्रिया होती हुयी पायी गयी।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायतों के द्वारा पूर्व स्थापित प्लाण्ट्स में कोई क्षमता वृद्धि की गयी हो, कोई नया प्लाण्ट स्थापित किया गया हो, गत बैठक तथा वर्तमान बैठक की अवधि में स्थापित/संचालित अथवा प्रस्तावित प्लाण्ट्स की अद्यतन स्थिति क्या है, के सम्बन्ध में अवगत कराया जाये। नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायतों द्वारा ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत ऐसे समस्त प्रस्तावित प्लाण्ट्स की स्थापना शीघ्र सुनिश्चित कराया जाये, जिनका संचालन पर्यावरणीय सुधार के लिए श्रेयस्कर हो। कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत)

निर्देश दिये गये कि छावनी क्षेत्र के सॉलिड वेस्ट, लीगेसी वेस्ट, बायोमायनिंग के सम्बन्ध में छावनी परिषद् द्वारा समयबद्ध रूप से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। आगरा नगर निगम, उ०प्र०प्र०नि०बो० तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा छावनी परिषद् के गन्तव्य स्थल का समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाये। कृत कार्यवाही से बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-छावनी परिषद्/आगरा नगर निगम, उ०प्र०प्र०नि०बो० तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं०-06 (25.04.2022)

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस एवं भरतपुर (राज०) में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का समुचित निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में-जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा द्वारा मै०जे०आर०आर० कम्पनी की लॉग-बुक के अनुसार चिकित्सालयों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सत्यापन कराया गया है।

अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम के खाद्य एवं स्वच्छता निरीक्षक द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान दिनांक 31.03.2022 को आर०बी०एस० इंटर कॉलेज के पास रखे कम्प्यूनिटी बिन्स में एक व्यक्ति बायो-मेडिकल वेस्ट को सॉलिड वेस्ट में डालने का प्रयास कर रहा था, उससे पूछने पर वह ज्ञात हुआ कि उक्त बायो-मेडिकल वेस्ट सनराइज डाइग्नोस्टिक्स, बाग फरजाना से लाया गया था। खाद्य एवं स्वच्छता निरीक्षक द्वारा उक्त वेस्ट को तत्काल वापस करा दिया गया तथा निस्तारण हेतु इस वेस्ट को मै०जे०आर०आर० वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा० लि० को हस्तगत करने की कड़ी चेतावनी दी गयी। इसके अतिरिक्त इस कृत्य के लिये सनराइज डाइग्नोस्टिक्स पर रू० 5000/- का शमन शुल्क अधिरोपित कर वसूला गया। नगर निगम के खाद्य एवं स्वच्छता निरीक्षक द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान दिनांक 06.05.2022 को पाया गया कि हैरीटेज हॉस्पिटल के एक कर्मचारी द्वारा बाईपास स्थित बन्द कराये गये डलाबधर पर बायो-मेडिकल वेस्ट डाला जा रहा था, जिसके निस्तारण हेतु मै०जे०आर०आर० वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा० लि० को हस्तगत करने की चेतावनी दी गयी एवं हैरीटेज हॉस्पिटल पर रू० 5000/- का शमन शुल्क अधिरोपित कर वसूला गया।

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम सीमान्तर्गत समस्त निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का परिवहन व निस्तारण का कार्य जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अनुसार मै०जे०आर०आर० वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा० लि० आगरा की संस्था द्वारा किया जाता है तथा अगर किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल पर जैव अपशिष्ट फेंका जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित नर्सिंग होम्स/हॉस्पिटल/क्लीनिक/पैथोलॉजी, आदि प्रतिष्ठान से प्रतिदिन उत्सर्जित जैव चिकित्सा अपशिष्ट की कुल मात्रा एवं निस्तारण करने वाली कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र एवं ठोस अपशिष्ट निस्तारण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने

एवं उत्सर्जित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियमावली-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत किये जाने के सम्बन्ध में नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा कुल 119 नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु जिला चिकित्साधिकारी, मथुरा द्वारा संस्था नामित की गयी है। इसके अतिरिक्त नगर कोल्हू प्लाण्ट पर पहुंचने वाले वेस्ट का निरीक्षण प्लाण्ट के कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है।

नगर निगम, भरतपुर (राज0) के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण एवं निस्तारण कार्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है। चिकित्सा अपशिष्ट किसी भी स्थिति में ठोस कचरे में मिश्रित न हो इसके लिये मुख्य सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक एवं जमादारों को निर्देशित कर पालना करायी जा रही है ताकि कोई भी अस्पताल द्वारा इस प्रकार जैव चिकित्सा अपशिष्ट को खुले में न फेंका जाये।

नगर पंचायत, अवागढ़ (एटा) से प्राप्त सूचनानुसार निकाय द्वारा स्वयं के संसाधनों से घरेलू ठोस अपशिष्ट एवं अन्य स्थलों पर एकत्रित ठोस अपशिष्ट में जैव चिकित्सा अपशिष्ट पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, वर्तमान में कोई भी सूचना प्रकाश में नहीं आयी है।

निर्देश दिये गये कि समस्त नगर निगमों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि ठोस अपशिष्ट हेतु चिन्हित निर्धारित स्थलों पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट किसी भी दशा में न डाला जाये तथा उक्त प्रकार की घटनायें संज्ञान में आने पर ऐसी हैल्थ केयर फेसेलिटीज को चिन्हित कर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये। मै0जे0आर0आर0 वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0 का मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाये तथा निरीक्षण आख्या टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाये। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा हैल्थ केयर फेसेलिटीज से जनित बायो मेडिकल वेस्ट के सम्बन्ध में मैन्टेन की गयी लॉग-बुक का नियमित सत्यापन कराया जाये। किसी भी दशा में हैल्थ केयर फेसेलिटीज से जनित प्लास्टिक वेस्ट शहर में स्थित कबाड़ियों को विक्रय हेतु उपलब्ध न कराया जाये। कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी/मु0चि0अ0/नगर निगम/उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, भरतपुर/के0प्र0नि0बोर्ड)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0-07 (25.04.2022)

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-259/2021 (अशोक बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) में पारित आदेश दिनांक 16.03.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में-क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा अवगत कराया कि मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-259/2021 (अशोक बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) में पारित आदेश दिनांक 16.03.2022 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में गठित संयुक्त समिति द्वारा बनाये गये एक्शन प्लान का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में समस्त गैंगसा इकाईयों को नोटिस प्रेषित किये गये है तथा अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ने अपने पत्र दिनांक 27.07.2022 द्वारा सूचित किया है कि वन विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाईयों के आस-पास वृक्षारोपण कार्य हेतु 5000 पौधे उपलब्ध कराये गये, जिसे उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा ने जनपद आगरा की 43 स्टोन कटिंग (गैंगसा) इकाईयों में मियाँवाकी पद्धति आधारित पौधारोपण किया गया।

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रश्नगत ओ0ए0 के अन्तर्गत दिनांक 16.03.2022 को पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में पूर्व बैठक में प्रस्तुत एक्शन प्लान का समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालनीय कार्यवाही से क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा, जिसे मा0अधिकरण द्वारा नोडल विभाग नामित किया गया है, को अवगत कराया जाये। उक्त बिन्दु को विलोपित किया जाये।

(कार्यवाही-समस्त सम्बन्धित विभाग/क्षेत्रीय अधिकारी,उ0प्र0प्र0नि0बो0,आगरा/टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

अन्य बिन्दु, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से—

आगरा शहर के रिहायशी क्षेत्रों में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में—क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०), उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि रिहायशी क्षेत्रों में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों को कार्यालय के पत्र दिनांक 20.06.2022 द्वारा इकाई का आवासीय क्षेत्र में संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द करते हुये इस आशय का शपथ-पत्र एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करने तथा इकाई की स्थापना औद्योगिक/अनुमन्य क्षेत्र में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये जाने तथा रिहायशी क्षेत्र में इकाई का संचालन न करने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्राप्त न होने की दशा में इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण), अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने तथा इकाई बन्दी की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अनुस्मारक नोटिस प्रेषित किये गये हैं। टोरण्ट पॉवर लि० द्वारा जिला प्रशासन एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से 15 इलैक्ट्रोप्लेटिंग इकाइयों के विद्युत विच्छेदन किये गये हैं। ग्राम-लखनपुर में एक सी.ई.टी.पी. स्थापित किया जा रहा है, जिसकी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रदान की जा चुकी है। पूर्व में ग्राम-लखनपुर के पास 30 इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों को क्लस्टर के रूप में विस्थापित किये जाने के लिए स्थल चिह्नित किया गया था, जहाँ पर 30 इकाइयों विस्थापित हो सकती हैं।

महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा उद्योग की स्थापनार्थ सहमति पत्र के बिना संचालित इलेक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के विरुद्ध जल संयोजन विच्छेदन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

| प्राप्त इकाइयों की संख्या | जल संयोजन रहित इकाई | विभाग द्वारा किये गये विच्छेदन की संख्या | पता ट्रेस न होने वाली इकाइयों की संख्या | अवशेष इकाइयों की संख्या |
|---------------------------|---------------------|--|---|-------------------------|
| 108 | 17 | 43 | 07 | 41 |

अधिसासी अभियंता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये बिना रिहायशी क्षेत्र में संचालित 15 इलेक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किये गये हैं।

प्रभारी प्रवर्तन, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा से प्राप्त सूचनानुसार रकाबगंज वार्ड के अन्तर्गत श्री रतन लाल द्वारा सम्पत्ति सं०-11/13, गुदड़ी सूत, नाई की मण्डी, आगरा में कुसिबल फर्नेस में ईंधन के रूप में एल०पी०जी० गैस का प्रयोग कर स्क्रैप एल्यूनियम गलाकर, एल्यूनियम के पिस्टन बनाने का कार्य किये जाने का प्रकरण संज्ञान में आने पर उक्त इकाई संचालनकर्ता के विरुद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन का वाद योजित किया गया तथा स्थल पर उक्त इकाई के संचालन को बन्द करा दिया गया। ताजगंज एवं रकाबगंज वार्ड के रिहायशी क्षेत्रों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे उपरान्त संज्ञान में आने वाली इलेक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में रिहायशी क्षेत्र में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों की उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा द्वारा द०वि०वि०नि०लि०/टोरण्ट पॉवर लि० एवं जल संस्थान को उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार, इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के संचालन हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की स्थापनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के स्थायी/अस्थायी विद्युत संयोजन दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/टोरण्ट पॉवर लि० द्वारा तत्काल विच्छेदित किये जायें तथा जल संस्थान द्वारा पानी के कनेक्शन विच्छेदित किये जायें। इसी प्रकार यदि इकाइयों में अवैध रूप से भूगर्भ जल का प्रयोग किया जा रहा है तो भूगर्भ जल विभाग के द्वारा अवैध समर्सिबल को जब्त कर बन्द कराया जाये। कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-प्रबन्ध-निदेशक, द०वि०वि०नि०लि०/टोरण्ट पॉवर लि०/जल संस्थान/भूगर्भ जल विभाग/
उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा)

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत रिहायशी क्षेत्र में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा)

गत बैठक के निर्णयानुसार टोरण्ट पॉवर लि० का कोई प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित न होने के कारण टोरण्ट पॉवर लि० द्वारा कृत अनुपालनीय कार्यवाही की स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी, जिस पर रोष व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया कि टोरण्ट पॉवर लि० को इस आशय का कड़ा पत्र प्रेषित किया जाये कि उनके द्वारा टी०टी०जैड० प्राधिकरण की 57वीं बैठक में किन कारणों से प्रतिभाग नहीं किया गया। टोरण्ट पॉवर लि० के सम्बन्धित प्रतिनिधि द्वारा टी०टी०जैड० प्राधिकरण की आगामी बैठक में उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की वांछित अनुपालन आख्या/सुसंगत सूचनाओं सहित अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जाये।

(कार्यवाही—टोरण्ट पॉवर लि०/टी०टी०जैड० प्राधिकरण)



अन्य बिन्दु—

टी०टी०जैड० प्राधिकरण के कार्यों के संचालन हेतु बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत 02 तकनीकी कार्मिक, 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर, 01 आशुलिपिक एवं 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कार्यकाल में 06 माह (दिनांक 01.01.2022 से 30.06.2022 तक) की समयवृद्धि हेतु मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, टी०टी०जैड० प्राधिकरण, आगरा द्वारा प्रदत्त अनुमति दिनांक 31.12.2021 एवं नवीनतम समयवृद्धि 06 माह (दिनांक 01.07.2022 से 31.12.2022 तक) सम्बन्धी प्रदत्त अनुमति दिनांक 22.06.2022 पर टी०टी०जैड० प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।



(अमित गुप्ता)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी.टी.जैड.प्राधिकरण,आगरा।



सदस्य—संयोजक
टी० टी० जैड० प्रा०, आगरा
जिल्लाधिकारी,
आगरा




TRUE COPY

Minutes of the 56th meeting of the "Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority" held under the Chairmanship of Divisional Commissioner / Chairman, TTZ Authority, Agra on 25.04.2022 at 12.00 noon.

After welcoming the members/officers/ distinguished guests of TTZ Authority present in the meeting, the 56th Board Meeting of the "Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority" was started. The attendance of the meeting is attached at Annexure-1.

Agenda Point No.1:

Confirmation of the minutes of the last 55th Board Meeting of 'TTZ Authority' dated 16.12.2021:-

The minutes of the last held Board meeting of the 'Authority' dated 16.12.2021 were confirmed.

Agenda Point No.2

Shivani

TRUE TRANSLATED COPY

Compliance report of the last 55th meeting of the 'TTZ Authority' dated 16.12.2021 - In pursuance of the decision of the last meeting of the 'Authority' dated 16.12.2021, a point-wise review of the compliance action taken by the concerned departments was done. After discussion on various points/issues and proposals in the meeting, the following decisions were taken by the TTZ Authority:

Other Points:-

(1) Regarding cleanliness system, burning of plastic/polythene and garbage and disposal of biomedical waste generated by medical institutions:- Assistant Commissioner (Food), Agra Division, Agra (Assistant Nodal Officer) informed that information has been received in the prescribed format from districts- Agra, Mathura, Firozabad, Etah and Hathras, whose comparative details make it clear that the information/data of Awagarh and Jalesar of Etah

district under Taj Trapezium Area are not satisfactory. The information of Hathras district is also not satisfactory. Although the Commissioner, Municipal Corporation, Bharatpur district (Rajasthan) has not provided the information on the prescribed format, but it has been informed through its letter dated 22.03.2022 that till the month of March, 2022, 133 kg of polythene carry bags have been seized and a fine of Rs.5,700/- has been collected. In accordance with the instructions given in the last meeting, district-wise teams have been formed to inspect the action taken on burning of single-use plastic/thermocool/polythene/garbage in the Taj protected areas of Agra, Mathura and Firozabad districts and to check the violation of standards and to submit the inspection report/information on the prescribed format before the meeting by 17.04.2022.

After detailed discussion, the comparative details of the information/data collected in the prescribed

format showed that the seizure of single-use plastic in Etah district is zero. Thus, the information of Hathras district is also not satisfactory, which shows that no concrete action is being taken in Etah and Hathras districts, which is regrettable. Instructions were given that information should be collected on the format prescribed by the Additional Commissioner (Administration), Agra Division, Agra and made available to the TTZ Authority office well in advance of the meeting. Necessary action should be ensured by inspecting the Taj Trapezium Area of Etah and Hathras by the Municipal Council of the District and the District Magistrate, Etah, Hathras and Bharatpur (Raj.) should constitute teams accordingly in their districts and information regarding the action taken should be collected on the prescribed format and made available to the Additional Commissioner (Administration), Agra Division, Agra. Before sending the information on the format prescribed by Municipal

Commissioner, Agra, Mathura and Firozabad, send the information to the concerned only after checking the data at your own level. The report must be made available before the next meeting.

(Action for all Municipal Corporations/Municipal Council/Nagar Panchayat/Additional Commissioner (Administration), Agra Division)-

As per the decision of the last meeting, the issues of cleanliness, burning of garbage, solid waste and bio-medical waste have been presented separately under main Agenda Points No.3, 4, 5 and 6. Therefore, instructions were given to delete the points/issues of inclusive cleaning system, solid waste disposal, burning of garbage and bio-medical waste apart from plastic/polythene under this point.

(Action: TTZ Authority)

(2) Regarding transfer of Petha units and ban on use of coal/coke in Petha units- Project Manager, World

Bank Unit-I, UP Jal Nigam (Urban), Agra informed that the PFR of the project costing Rs. 667.30 crore prepared for the Trans Yamuna area of Agra city has been sent to the Additional Chief Secretary, Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh vide letter dated 14.03.2022 from the level of Commissioner, Agra Division, Agra. The project prepared regarding the drinking water system of Trans Yamuna area was earlier submitted for approval under Amrit Yojana but due to unavoidable reasons the project could not be approved. The said project will be submitted in the next phase (tranche) of Amrit Yojana.

District Magistrate, Agra informed that during the inspection, 11 Petha units were found to be running on coal, which were sealed on the spot by the team and the kiln were demolished. In order to completely ban the use of coal/coke/leather/wood in Petha manufacturing units, in urban areas, the Metropolitan Magistrate/concerned Additional Metropolitan

Magistrate has been nominated as nodal officer and a joint team of the concerned Police Officer and Regional Officer, UPPSC has been formed to take restrictive action against Petha manufacturing units. In rural areas, the use of coal/coke/leather/wood is being completely prohibited by the concerned Sub-District Magistrate.

Additional District Magistrate (Urban), Agra informed that in order to ban coal in Petha units, joint teams have been formed with Metropolitan Magistrate/All Additional Metropolitan Magistrates, Agra Development Authority, UP Pollution Control Board, Municipal Corporation and Food Safety Officer and police force of concerned police stations and action is being taken to seal/demolish Petha factories/furnaces and collect fines. In this sequence, during the surprise inspection conducted by the joint team on 04.04.2022, coal was found to be used in Petha production in 05 units, which was sealed by the joint

team formed on the spot. Apart from the above, on receiving information about large scale production of Petha from coal in village Nagariya, Tehsil Fatehabad under Police Station Dauki area, Sub-District Magistrate Fatehabad was directed to take action, in sequence of which on 11.04.2022, a total of 02 furnaces in the premises of the building owner Shri Satyabhan son of Shri Ramdas in village Nagariya and a total of 02 furnaces in the premises of Shri Ranveer Singh son of Shri Sahab Singh, which were found to be operated with wood, were demolished and the premises were sealed.

The representative of the police administration informed that upon inspection of M/s Nirmal Traders, 32/164/2, Lal Masjid Balkeshwar, Police Station Kamla Nagar, Agra, located at Balkeshwar, it was found that Nirmal Kumar Jain, son of late Munni Lal Jain, had stopped the business of storing/selling coal about 4 years ago. The residents of Lal Masjid

informed that at present there is no coal depot in this area, nor is coal sold or stored in this area.

Shri Kesho Mehra, non-official member, informed that transfer of Petha units to Kalindi Vihar Scheme is appropriate but first of all it is necessary to ensure the supply of Ganga water in Kalindi Vihar so that the Petha units can automatically transfer their business to Kalindi Vihar Scheme.

The Regional Officer (Admn.), UP Pollution Control Board, Agra informed that if the use of coal is found in Petha factories/furnaces, then action of fine and sealing is taken by the constituted team. On request of the Petha businessman to open the seal, an affidavit is taken from him to the effect that he will not manufacture Petha at the desired place but will manufacture Petha in Kalindi Vihar Yojana only. After that the seal is opened.

After detailed discussion, instructions were given that the Petha businessmen who request to open the seal by submitting affidavit, the details of the alternative work to be done by the Petha businessmen at the place where sealing action has been taken after the use of coal was found at the Petha factory site, should also be written in the affidavit that what work will the Petha businessman do at that place. It should not happen that after opening the seal, the Petha businessman again starts using coal in Petha production at that place. Apart from the above, whatever other legal procedure is established for opening the seal, it should be ensured that it is followed. The constituted team, whose nodal officer is ACM, should conduct surprise inspection of such places along with other places, where the seals have been opened. It is the responsibility of the team formed under the leadership of ACM (Nodal Officer) that coal/coke should not be used in the production of

Petha under any circumstances. Similarly, it is the responsibility of SDM in tehsils that coal/coke/leather/wood should not be used in the production of Petha by Petha units. These teams should develop an information system for those who burn coal in the production of Petha and a monthly report of the action taken should be made available to the TTZ Authority Office through the District Magistrate.

(Action-District Magistrate/Additional District Magistrate (City)/SDM)

District Magistrate, Agra should provide proper training and sensitization to the workers engaged in the production of Petha under ODOP/other above mentioned schemes regarding the preparation of Petha using gas.

(Action-District Magistrate, Agra)

Efforts should be made to obtain approval of the project costing Rs. 667.30 crores prepared by UP Jal

Nigam for the Trans Yamuna region for the supply of Gangajal in Kalindi Vihar Yojna by presenting it in the next phase (trench) of Amrit Yojna. The Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Agra should again send a letter to the Urban Development Department, UP Government for obtaining early approval of the said project. The action taken should be informed before the next meeting.

(Action-Project Manager, V.B.30-I, U.P. Water Corporation/Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Agra)

(3) Regarding provision of information in the prescribed format by coal depots under Taj Trapezium Area:- Joint Commissioner, Commercial Tax, Agra informed that 48 coal/coke vendors provided by Regional Office, UPPSC, Agra were inspected, out of which 15 firms were found closed, coal was not found being used in 04 firms, 05 firms are under Central

jurisdiction, regarding which it is not possible to take action at their level. GST registrations of 12 firms have been cancelled, 02 firms were found to be not registered under GST and addresses of 02 firms were found to be incomplete during inspection by the Pollution Control Board. Action is being taken against the remaining 08 coal/coke traders in the list as per rules.

Deputy Commissioner, Commercial Tax, Firozabad informed that there are total 06 coal depot dealers in Firozabad district, out of which 03 dealers bring coal from outside and sell it outside the Taj Trapezium Area, they do not sell it in the Taj Trapezium Area, these dealers do not have any warehouse etc. but these dealers bring coal in vehicles and sell it from the vehicles only. Additional District Magistrate (V/R), Firozabad informed that as per the directions of District Magistrate, Firozabad, on 21.04.2022, 02 dealers/coal depot owners M/s Sunil

Coal Depot and M/s Amit Coal Depot were jointly inspected by Firozabad Municipal Corporation and UP Pollution Control Board and at the time of inspection, notices were issued to both the coal dealers for not maintaining the coal accounting register on the prescribed format in respect of coal sales. Deputy Commissioner, Commercial Tax, Mathura informed that a total of 32 coal depots are registered in Mathura district, out of which 18 traders are from Kosi and Mathura, who are not trading right now. Brick kilns are also included in the total 32 coal depots, but these brick kilns are not located in Taj Trapezium Area.

Regional Officer (P), UP Pollution Control Board, Agra informed that remaining 48 identified coal/coke depot owners were inspected. At the time of inspection, 26 coal/coke depot owners 1-M/s RK Coal Traders, New Sitanagar, Link Road, Nunihai, Agra 2-M/s Balaji Traders, 13/129, Nunihai, Agra, 3-M/s A N Traders, 13/129, B Nunihai, Agra, 4-M/s Sohanlal Coal Depot,

15/549, Kali Bari, Noori Gate, Agra, 5-M/s BK Coal Traders, 5/406, Nala Kanskhar, Agra, 6-M/s Jai Shivshankar Coal Depot, Noori Gate, Agra, 7-M/s Kailash Chand Vijay Kumar Coal Depot, Behind Prabhu Talkies, Jagdishpura, Agra, 8-M/s Puran Chand Agarwal, 35/623, Naubasta, Loha Mandi, Agra, 9-M/s Bhalli Coal Enterprises, Pul Chhinga Modi, Lohamandi, Agra, 10. M/s Harnarayan Coal Supplier, 26/178, Ahirpada, Rajamandi, Agra, 11-M/s Aadampuriya Metal Company, 20/120A, Nagla Mahadev, Freeganj, Agra, 12- M/s Ramprasad Chhotalal Kol, 20/126, Nagla Mahadev, Freeganj, Agra, 13- M/s Atishay Traders, Peer Kalyani, Railway Crossing, Agra, 14- M/s Harsh Traders, 20/5, Freeganj, Agra, 15- M/s Laxmi Traders, 20/115, Nagla Mahadev, Agra, 16- M/s Vidya Coal Depot, 21/274-D, Jeevimandi, Agra, 17- M/s Saurabhcoal Depot, 16/2A, Harjupura, Tajganj, Agra, 18- M/s Sharma Mineral and Chemical, 64, Mauza-Gopalpura, Agra, 19-

M/Shreeji Traders, 3/221, Rui Ki Mandi, Railway Double Phatak, Agra, 20-M/s Gajendra Kumar and Company, Nagla Basi, Agra Cantt, Agra, 21-M/s Kailaji Traders, Nagla Basi, Agra Cantt, Agra, 22-M/s Sunil Kumar and Company, Nagla Basi, Agra Cantt, Agra, 23-M/s Amit Charcoal Centre, Nagla Basi, Near Omega Hotel, Idgah, Agra, 24-M/s Kiran Coal Depot, Saiya Crossing, Agra, 25-M/s Mahesh Coal Depot (Deepak Traders), Saiya, Agra, 26-M/s AK Coal Depot (Formerly known as Ganesh Traders), Etora, Post-Kakua, Tehsil-Kheragarh, Agra) have not submitted the forms and coal account registers issued by any department, 15 coal/coke depots were found closed, 02 coal/coke depot owners had stopped selling coal/coke since 02 years, 03 units were found to have changed their work and were making sweets and fast food using gas and 02 units could not be identified due to incomplete addresses. A letter has been sent to the Joint

Commissioner (VIT), Commercial Tax, Division-A, Agra on 19.02.2022 for taking necessary action by him.

After detailed discussion, instructions were given that:-

1. Such 15 coal/coke depots, which were found closed during the earlier inspection by UPPSC, should be re-inspected by Regional Officer, UPPSC, Agra and if during re-inspection the said coal/coke depots are found closed, information regarding the same should be sent to the GST Department and TTZ Authority, on which action regarding cancellation of registration should be ensured by the GST Department as per departmental rules.

(Action-Regional Officer, UPPSC, Agra / Joint Commissioner, Commercial Tax Department, Agra)

2. Registration of those 03 coal/coke depots which have changed their work from selling coal/coke to other work should be cancelled by GST

Department by taking departmental action as per rules.

(Action-Joint Commissioner, Commercial Tax
Department, Agra)

3. During inspection by the UP Pollution Control Board, it was decided commonly to ban the 26 coal/coke depot owners from selling coal, who were not maintaining the coal account register on the prescribed format as per the instructions given by the District Magistrate, Agra, using the powers vested in Section-5 of the Environment (Protection) Act, 1986. Action should be taken immediately to cancel the registrations of such coal/coke depot owners by GST/other concerned departments.

(Action- Joint Commissioner, Commercial Tax
Department, Agra)

4. In the last meeting, those coal/coke depot operators who were banned for not maintaining the coal accounting register, the registration of all such coal/coke depot operators should be cancelled by the GST department within the next 7 days.

(Action- Joint Commissioner, Commercial Tax
Department, Agra)

District Magistrate, Mathura and Firozabad should inspect every month the coal/coke depot owners to whom letters have been sent regarding maintaining coal account register on the prescribed format in relation to sale and purchase of coal/coke. If during inspection the coal account register is not found to be maintained by the coal/coke depot owners, then a report with its recommendation should be submitted to the TTZ Authority for cancellation of registration of the coal/coke depot. District Magistrate,

Mathura and Firozabad should get this investigation done that where coal has been sold by the coal depot owners/operators situated in the Taj Trapezium Area of Mathura and Firozabad districts.

(Action-District Magistrate, Mathura and Firozabad)

6. No registration of coal/coke depots should be done by GST/concerned department in future without the permission of TTZ Authority.

(Action-Joint Commissioner, Commercial Tax, Agra,
Mathura and Firozabad)

In continuation of Comment No.2 of the Notification No.143 (A) dated 22.02.2022 of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, called as Environment (Protection) Amendment Rules-2022, all brick kiln owners operating in the Taj Trapezium Area shall convert their brick kilns to zig-zag technology or vertical shaft before the next operation (season) or use

Piped Natural Gas (PNG) as fuel for making bricks and the brick kilns shall not use or permit the use of pet coke, tyres/plastic/hazardous wastes. In case the brick kiln owners do not comply with the above, permission for operation of the above brick kiln will not be given by any concerned department for the next season.

(Action: Sub-District Magistrate/District Panchayat/
District Mining Officer/Regional Officer, UP Pollution Control Board, Agra, Mathura, Firozabad, Etah, Hathras, Bharatpur (Raj.)

Regarding removal of road dust and cleanliness on National Highway (NH-19), Agra Metro and other major routes of the city:- The representative of National Highways Authority of India, Agra informed that the construction work of six lane project (from Km 199.660 to 323.525) of Agra-Etawah section falling under National Highways Authority of India, Project

Implementation Unit-Agra, has been completed and the said section is regularly swept/mechanically swept by the concessionaire of the project and dust is also not dumped on the side of National Highway (NH-19). The representative of National Highways Authority of India, Agra informed that according to the concessionaire M/s DA Toll Road Pvt Ltd, sweeping/mechanical sweeping has been done from Runakta to ISBT on the Delhi-Agra section of the National Highway in the district Agra area and the soil and other construction material remains collected on the side of the National Highway have been lifted and the dug pits have been leveled so that traffic can run smoothly in view of road safety. Apart from this, the concessionaire is spraying on the roads through tankers to prevent the flow of dust into the atmosphere and reduce air pollution.

The Superintending Engineer, Public Works Department, Agra informed that necessary action is

taken from time to time to remove road dust and maintain cleanliness on the main roads of the city falling under this section and it is not possible to plant grass due to lack of sufficient raw space on the sides of the road. The Public Works Department is getting the dust removed on its roads.

Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Agra informed that out of total 13 roads, 8 roads have been identified by the Municipal Corporation for planting grass. In Transport Nagar, work of green belt is being done from National Highway-2 towards ISBT Bus Stand and in front of Gate No.1 of ISBT Bus Stand, which is in progress. The work of planting grass on the roadside near Kothi Meena Bazaar has been completed and the work of planting grass on the roadside near GIC is also under consideration. The work of planting grass on all the 10 identified places will be ensured before the next meeting.

Commissioner, Municipal Corporation, Firozabad informed that NHAI is not getting the cleaning work done by mechanized sweeping machine. In this regard, the Municipal Corporation is getting the roads watered and trees washed with its own resources. Municipal Corporation Firozabad has invited tenders for hiring mechanized sweeping machines. Along with cleaning, the Municipal Corporation is also getting water sprayed on the service road of NH. Grass planting work has also been done at 02 places.

It was informed by the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Mathura that the Municipal Corporation Mathura-Vrindavan has got the work of planting grass done at 4 main places in the city.

Agra Development Authority informed that all the colonies of Agra Development Authority have been transferred to Municipal Corporation, Agra. Agra Development Authority regularly cleans Agra Inner

Ring Road Phase I so that there is no dust on the road side and dust particles do not spread in the atmosphere due to traffic movement. The Authority has also planted about 24000 plants in an area of about 8000 square meters using Miya Banki method in the green verge available on the side of Agra Inner Ring Road Phase I to reduce pollution. Apart from this, about 8000 plants and shrubs have been planted on the central verge and slope of the road. Traffic movement has also been started on Agra Inner Ring Road Phase II. Dust is not allowed to accumulate on the side of the road on the second phase as well. Apart from this, about 10000 plants have been planted in the second phase as well. The work of planting grass (turfing) on the slope of the High Embankment Road has been done at many places and the work of tufting is in progress. Apart from the Inner Ring Road, the Authority has no other road.

According to the Executive Engineer, Firozabad-Shikohabad Development Authority, Firozabad, the Firozabad-Shikohabad Development Authority is not carrying out maintenance work on any road. Hence, the information sought by the Authority regarding the removal of road site dust from the roads situated within the city is zero.

According to the information received from Secretary, Mathura-Vrindavan Development Authority, Mathura, except Rukmani Vihar Aawasiya Yojna developed by the Authority, all other developed colonies have been handed over to Municipal Corporation, Mathura-Vrindavan. At present, Rukmani Vihar Aawasiya Yojna is being maintained by the Authority. The Authority is getting the roads of the scheme cleaned regularly. Under the scheme, the construction of buildings is in progress and only about 10 percent of the buildings have been constructed and the scheme is being developed. Interlocking tile work is

present on the pavement portion on the main roads. In such a situation, grass work has not been done due to no possibility of dust.

Regional Officer (Provincial), UP Pollution Control Board, Agra informed that UP Pollution Control Board has inspected the Metro Rail Project construction site on 07.02.2022 and again on 14.02.2022, during inspection it was found that Metro Rail Corporation is sprinkling water on the site but it is not being done at regular intervals whereas in the current summer season the water dries up quickly, due to which dust flies. Similarly, sufficient/regular sprinkling of water is not being done on the casting yard as well.

After discussion, instructions were given that Nagar Nigam, Agra, Mathura and Firozabad should regularly clean/remove the dust from the roads situated in their respective areas and the places where the work of planting grass is in progress should be

completed as soon as possible. Municipal Corporations and Development Authorities should ensure the process of planting grass by identifying such additional places where grass can be planted easily and planning to plant grass at such places should be done and the work should be completed before the rainy season. Along with this, all the Municipal Corporations should regularly clean the dust from their roads. The report along with photographs of the action taken should be made available before the next meeting.

(Action- Municipal Corporation / Development Authority, Agra, Mathura and Firozabad)

Instructions were given that the Public Works Department should get the dust cleaned from its roads within the next 7 days. The Regional Officer (Admn.), UP Pollution Control Board, Agra should inspect the roads of the Public Works Department, from where the dust has been removed by the Public Works

Department. The Public Works Department should also ensure action regarding planting grass on its roads and inform about it.

(Action-Administrator, PWD, Agra / Regional Officer,
UPSC, Agra)

To prevent dust from flying during the construction work being carried out under the Agra Metro Rail Project, the UP Metro Rail Corporation Ltd. should ensure adequate sprinkling of water at regular intervals. The Additional District Magistrate (City) and Regional Officer (P), UPPSIC, Agra should regularly inspect the Agra Metro Rail Project site and in case the UP Metro Rail Corporation Ltd. does not ensure the required action, action should be taken as per rules. The action taken should be informed before the next meeting.

(Action-District Magistrate/Metro Rail Corporation
Limited/U.P.P.C.B., Agra)

With the permission of the Chairman (06.06.2018)

(1) Regarding shifting of transport agencies established on Yamuna Corner Marg:- District Magistrate, Agra informed that temporary works have been done in Transport Nagar by Municipal Corporation and Agra Development Authority, which includes removal of encroachment and patchwork works have also been done with an amount of Rs. 20 lakh. On 14.12.2021, after site inspection for shifting of transport located at Yamuna Kinara to Transport Nagar located at Sikandara, in joint collaboration with Municipal Corporation and Authority, an action plan of Rs.7475.72 lakh has been prepared and made available by the Municipal Corporation for providing basic facilities (road, drain, construction of interlocking tiles on side track and beautification of park etc.) to the transport located at Yamuna Kinara in Transport Nagar. There are about 140 transport agencies on Yamuna Kinara Marg, which demand plots of different

sizes. District Magistrate, Agra suggested that it would be appropriate to propose a new Transport Nagar at some other suitable site, which should be located at a junction. Dr. Ravindra Mohan Pachauri, private member suggested that land can be easily available near Southern Bypass and this site would also be suitable.

Joint Commissioner, Commercial Tax, Agra informed that as per data available on GST portal, a total of 503 logistics transporter/traders firms are registered in Agra from which 348 firms are working as transport agency/commission agency including 79 transport agencies in Yamuna Kinara, Daresi, Belanganj, Hathigahat and Jivani Mandi. According to the list provided by the Agra Development Authority, 13 transport agencies were found to be allotted land by the Authority for transport work in Transport Nagar. On investigation conducted by the GST Department, the transporter M/s American Transport has informed

that it has been allotted a plot in Transport Nagar and the transporter has given an application dated 21.01.2022 to change its place of business to Transport Nagar. It has been informed by M/s Tundla Transport Company and M/s Sardar Transport Company that they will transfer the firm to Transport Nagar for loading and unloading of goods as soon as possible. Similarly, M/s Quick Road Carrier Transport has informed that they are only doing the booking work from Yamuna Kinare and all the work of loading and unloading of goods is being done from Transport Nagar. The Assistant Commissioner has been directed that under no circumstances should transport agencies be issued registration for transport work on Yamuna Kinara Marg. Transport agencies with a turnover of less than Rs. 20 lakh are not registered by the GST department. At present, the Commercial Tax Department is not registering any transport agency located on Yamuna Kinara.

District Magistrate, Agra informed that as per the instructions given regarding registration of transport agencies with the GST department through divisional transport department, required action has been taken by RTO, Agra by corresponding with Additional Commissioner Grade-2, Special Research Branch, UP Goods and Services Tax, Agra. RTO Agra has informed that notices have been issued at the office level to the transport agencies mentioned in the list received of transport agencies registered in the GST Department, for getting themselves registered in the Transport Department as per the provisions of the Carriage by Road Act 2007 and Rules 2011. Instructions have been issued to the concerned officers to ensure 100% registration of transport agencies with the GST department. Till the time transport agencies do not register themselves with the GST department, the Transport Department is ensuring that action is taken

against vehicles without GST registration as per the rules.

Vice Chairman, Agra Development Authority, Agra informed that at present Demand 3 survey is being conducted by the Authority. In Transport Nagar, about 10,500 sqm of land is vacant including plots of all sizes, which can be allotted to transport agencies but the area of the plots is different as per the standards. In the Agra Master Plan-2031 being prepared for the Agra Development Area, provision has been made for a total of three transport cities near Runakta on NH-2, on Gwalior Road and Fatehabad Road, but the land at the said sites is private land, which will have to be acquired as per rules for the development of transport cities.

It was informed by the Superintendent of Police (Traffic), Agra that the action of challan/seizing and collecting penalty against the vehicles of transport

agencies found parked on Yamuna Kinara Marg is done by putting traffic police personnel and cranes on duty and by roaming on the said route by traffic inspectors, all types of vehicles of transport agencies are not allowed to be parked under any circumstances. Traffic police on Yamuna Kinara Marg have issued challans under Motor Vehicles Act for 106 vehicles parked un-authorizedly from 16.12.2021 to 08.04.2022 and collected Rs. 10,100/- as penalty. Action has been taken against loading vehicles parked on the roadside by crane on Yamuna Kinara Marg and Rs. 40,900/- has been collected as penalty. The process of action of challan/seizing and collecting penalty against the vehicles of transport agencies found parked on Yamuna Kinara Marg is continuously going on.

Divisional Transport Officer, Agra informed that a meeting was held on 18.11.2021 under the chairmanship of Additional District Magistrate (City)

Agra regarding shifting of transporters agencies located on Yamuna Kinara Marg, in compliance of which challan proceedings have been initiated under Motor Vehicles Act against 30 vehicles parked unauthorizedly on the roadside on Yamuna Kinara Marg and out of 152 Common Carrier licenses issued under Carriage by Road Act-2007, the registered address of any transport company is not Yamuna Kinara Road. Regular enforcement action is being ensured.

Additional District Magistrate (City), Agra informed that if vehicles of transport agencies working at Yamuna Kinara site are parked at illegal parking places, then challan action is taken against them. Divisional Transport Officer, Agra informed that challan action has been taken under the Motor Vehicles Act between 05.04.2022 to 12.04.2022 against 53 vehicles parked unauthorizedly on the roadside on Yamuna Kinara Marg.

After detailed discussion, instructions were given that GST department should not register any transport agency situated on Yamuna Kinara Marg under any circumstances. The Joint Commissioner, Commercial Tax should ensure immediate action for shifting of business of such transport agencies, which have been allotted plots in Transport Nagar by the Authority, while they are doing business from Yamuna Kinara Marg, to Transport Nagar. The GST department should investigate whether the transport agencies with turnover less than Rs. 20 lakh are actually transport agencies with turnover more than Rs. 20 lakh and whether they are showing turnover less than Rs. 20 lakh to avoid registration. The offices of M/s Tundla Transport Company, M/s Sardar Transport Company and M/s Quick Road Carrier Transport Company should be immediately shifted to Transport Nagar.

(Action-Joint Commissioner, Commercial Tax,
Agra)

After the approval of the plan of Rs.7475.72 lakh prepared by the Municipal Corporation regarding permanent works in Transport Nagar, construction/development works should be done by the Municipal Corporation. Out of the proposed works to be done by the Municipal Corporation in Transport Nagar, such important works of Rs.5-10 crores should be identified, which are very necessary. The District Magistrate should ensure that all the transport agencies registered in the GST department are also registered in the Divisional Transport Department as per the rules. The Agra Development Authority should conduct a survey of the demand for plots by the traders of Transport Nagar and the process of allotment of the remaining plots in Transport Nagar should be ensured as soon as possible as per the rules. The SP (Traffic) and RTO should not allow the vehicles of transport agencies to be parked on the Yamuna Kinara Marg under any circumstances and regular enforcement

action should be ensured. Shifting and all other desired actions should be ensured under the leadership of the District Magistrate.

(Action-District Magistrate/Nagar Nigam, Agra
/H.V.P./S.P.(Traffic) / R.T.O., Agra)

Regarding laying of tiles on the parking space in front of Ramlila Ground, Vice Chairman, A.V.A., Agra informed that in line with the decision of the last meeting, while examining the rules for laying of parking tiles on the land/site of Defence Estate Department near Ramlila Ground in front of Agra Fort, a letter has been sent again on 30.03.2022 by Agra Development Authority to National Monument Authority regarding obtaining the desired permission. The Chief Archaeologist, Archaeological Survey of India, Agra informed that the work of laying tiles on the parking lot does not fall under the category of any kind of new construction and is a kind of repair work

because earlier concrete flooring was done on the said parking lot, which is now completely damaged, due to which a lot of dust is generated due to the movement of vehicles on the parking lot. In such a situation, it is very important to lay tiles on the said parking space for vehicles so that dust does not fly on the place due to movement of vehicles.

After discussion, instructions were given that a joint site inspection should be conducted as soon as possible by the committee constituted in relation to the desired no objection of the National Monument Authority.

(Action- District Magistrate, Agra / Chief Engineer,
A.V.P.)

Main Agenda Point No. 4 (10.06.2019)

Regarding grant of permission/clearance of TTZ Authority for implementation of Agra Metro Rail Project in Agra district situated under Taj Trapezium Area, it

was informed that in continuation of the decision of the last meeting, Reminder-2 dated 07.04.2022 has been sent by the TTZ Authority Office to the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, to obtain the desired guidance, mentioning the updated status of the Agra Metro Rail Project, in which order guidance on the matter is awaited/expected.

After discussion, it was directed that action should be taken as per rules after receiving guidance from the government level in the matter.

(Action-TTZ Authority, Agra)

The following measures should be taken to control PM-10 and PM 2.5-

4. Ensuring strict compliance of Construction and Demolition Rules-2016 by all the implementing agencies- Chief Engineer, AID, Agra informed that during the construction/development works being

executed under the Taj Trapezium Area, the cleaning of Agra Inner Ring Road Phase I is being done regularly manually while ensuring compliance of Construction and Demolition Rules-2016 and Central Pollution Control Board's Guidelines on Dust Mitigation Measures in Handling Construction Material and C&D Waste. In the construction of Agra Inner Ring Road Phase II, the soil work has been completed and WMM (stone work) has been done on every part of the road. The work of Agra Inner Ring Road Phase II has been completed almost 96 percent. The dust that accumulates due to the movement of traffic on this road is being cleaned continuously. In this way, in the second phase, dust does not spread in the atmosphere due to the movement of traffic. By continuously spraying water on the unpaved part of the road shoulder, the shoulder part of the road has also become solid, in this the dust also does not spread in the atmosphere due to strong wind.

The Superintending Engineer, Public Works Department, Agra informed that to prevent dust from flying during the widening/construction of roads under Construction and Demolition Cals-2016, a green curtain is put up at the construction site and the material is transported by dumpers after covering it. WMM (Wet Mix Macadam) and WMM (Stabilized) are being used in the work of widening and strengthening, which is mixed at the plant and brought to the site, due to which the possibility of dust flying in this work is negligible. Water is also sprayed through tankers to prevent dust.

As per the information received from the Additional Chief Executive Officer, Agra Smart City Ltd., Agra vide letter dated 14.02.2022, in order to prevent dust particles/air pollution in the atmosphere, Agra Smart City Ltd. continuously sprinkles water at all the related construction sites in construction related projects. Yarding is done at the work sites.

Green net is used. Excavated loose soil, construction and demolition waste is removed from the work site as per rules. Long term storage of building material for construction work is done in designated sheds which are covered as per rules. Movement of vehicles carrying construction material and waste is done in a covered area. In case of non-compliance of the instructions given for prevention of air pollution, fines are also imposed on the concerned contractors for environmental compensation as per Environment (Protection) Act, 1986.

The District Magistrate, Mathura informed that the Regional Officer of UP Pollution Control Board, Mathura is not providing any cooperation to the District Administration in ensuring strict compliance of the Construction and Demolition Rules-2016.

Project Manager, V.B.H.-I, UP Water Corporation, Agra informed that compliance is being ensured by

covering the site with green net during construction works, covering the excavated soil with green net, covering the material with green net during shifting of construction material, regular spraying on the cut roads etc. Apart from this, the major roads cut for laying the pipeline, Bodla Maruti State Road, Bodla-Lohamandi Road, Garhi Bhadauria Road etc. have been restored. A part of the Sikandra-Bodla road remains, which is to be constructed by the Municipal Corporation. All the work before the bitumen work on this part has been completed. The Municipal Corporation has started the process of road construction.

As per the information received from Commissioner, Municipal Corporation, Bharatpur, all the builders have been directed to transport the construction material in a covered manner and have been ordered to remove the construction material (waste) etc. from the roadside. A total fine of Rs.37,800/- has been collected

till date and action is taken by the Corporation in this regard from time to time.

According to the information received from Chief Project Manager-2, UPMRCL, Agra, in order to comply with the rules of environmental protection, UP Metro Rail, in the construction work of Agra Metro Rail Project, to prevent dust particles from flying into the atmosphere at various levels, continuous sprinkling of water at the construction site, use of anti-smog gun, covering of construction material, proper disposal of solid waste and C&D waste, barricading of the construction area with iron sheets and sprinkling of water through sprinklers on the heaps of sand in the casting yard is done.

After discussion, instructions were given that all the concerned departments/executing agencies should ensure strict compliance of Construction and Demolition Rules-2016 and Central Pollution Control

Board's Guidelines on Dust Mitigation Measures in Handling Construction Material and C&D Waste during construction/development works carried out in Taj Trapezium Area. Public Works Department, Water Corporation, Metro Rail Corporation, Smart City Ltd. and Development Authorities should ensure regular sprinkling of water to prevent dust from flying during construction. Compliance report along with photographs should be submitted to TTZ Authority at an interval of every 15 days.

(Action- Water Corporation / H.V.P./ Smart City Ltd. /
U.P.M.R.C.L./ PWD / M.V.D.A./F.S.D.A.

Regarding providing necessary means for controlling air pollution in Agra district from the environmental compensation of Rs. 6,64,37,500.00 provided by NHAI in Agra district under Taj Trapezium area, in continuation of the letter dated 10.11.2021 sent by the District Magistrate, Agra to the Member-Secretary,

UPPCL, Lucknow, in the letter dated 19.01.2022 of UP Pollution Control Board, it has been informed that UP Pollution Control Board has obtained approval from Central Pollution Control Board and Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi regarding spending the amount from environmental compensation, in relation to which a detailed proposal regarding the desired equipment along with the cost is to be made available to the Board Headquarters. In this regard, the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Agra should prepare a proposal soon and send it to UP Pollution Control Board, Lucknow.

(Action: Municipal Corporation, Agra)

In other districts also falling under the Taj Trapezium Zone, the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board should ensure strict compliance of the Construction and Demolition Rules-2016 and Central Pollution Control Board's Guidelines on Dust

Mitigation Measures in Handling Construction Material and C&D Waste and send letters regarding ensuring compliance. In case of non-compliance by the implementing agencies/departments, action should be taken as per rules regarding imposition of environmental compensation and proposals should be sent to Pollution Control Board Headquarters by the concerned Municipal Commissioner, Municipal Corporation regarding taking necessary measures for control of air pollution from the amount of environmental compensation received. For pollution control in the Taj Trapezium Area, the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Agra and the Regional Officer, UPMC, Agra should jointly identify about 4-5 equipment of different varieties, which should be multi-purpose as well as suitable.

(Action- Municipal Commissioner, Municipal Corporation / Regional Officer, UP Municipal Corporation, Mathura, Firozabad, Bharatpur (Raj.)

Main Agenda Point No. 4 (24.12.2019)

Regarding granting permission to exclude M/s Laghu Udyog Pakai Bhatti Chamber Sahakari Samiti Ltd. located in Firozabad district from the list of 43 units: It was informed that as per the decision of the last meeting, in the first phase, letter no. 499 dated 04.02.2022 has been sent by the TTZ Authority Office to the Director, National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur regarding obtaining sectoral guidelines of NEERI for a total of 31 essential/important industries/projects, whose air pollution score is 11 to 20 as per the Central Pollution Control Board, in which "Manufacturing of Glass" is also included at serial no.4. For preparing sectoral guidelines, NEERI has requested to provide information on certain points by letter dated 28.03.2022, in which order a letter has been sent by TTZ Authority to all the concerned departments on

07.04.2022 to provide the desired information. Sectoral guidelines are expected from NEERI.

After discussion, it was decided unanimously that since the air pollution score of "Manufacturing of glass" mentioned at serial number-45 in the list of classified industries issued by Central Pollution Control Board on 07.03.2016 is shown as 20, for which NEERI has been requested to provide sectoral guidelines in accordance with the order of Hon'ble Supreme Court dated 08.12.2021. Therefore, after receiving the sectoral guidelines of NEERI, the case along with the sectoral guidelines should be presented in the meeting, till then the said point should be deleted.

(Action-TTZ Authority)

Main Agenda Point No.-5 (24.12.2019)

As per the decision of main agenda point no.4 (24.12.2019) regarding giving effect to the order dated

23.06.2019 passed in the matter of providing gas to M/s Hariom Glass Industries, Firozabad in continuation of the order dated 23.04.2018 of the Hon'ble High Court, Allahabad.

(Action: TTZ Authority)

Main Agenda Point No.8 (24.12.2019):

Regarding grant of permission/clearance by TTZ Authority for construction of a five star hotel at Khasra No. 32, Tajganj Ward, Mauja Budhera, Agra, it was informed in the meeting that the plan for the said five star hotel is registered with the Tourism Department, Government of Uttar Pradesh and an MoU has been executed between the company and the Government of Uttar Pradesh under UP Investor Summit-2018. Conditional environmental clearance has been granted for the said five star hotel by the State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh, vide letter dated 11.07.2018, under which it

is mandatory to obtain NOC from TTZ Authority for the hotel before starting the construction work of the hotel as per the specific condition/restriction No. 9 mentioned above. In the first phase, as per the decision of the last meeting, letter no.499 dated 04.02.2022 has been sent by the TTZ Authority Office to the Director, National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur regarding obtaining sectoral guidelines of NEERI for a total of 31 essential/important industries/projects, whose air pollution score is 11 to 20 as per the Central Pollution Control Board in which, at serial no. 1, "Hotels having overall waste water generation @ 100 KLD and more", which is covered under the red category and has an air pollution score of 15, is also included. For preparing sectoral guidelines, NEERI has requested to provide information on certain points by letter dated 28.03.2022, in this sequence, a letter has been sent by TTZ Authority to all the concerned departments on

07.04.2022 to provide the desired information. Guidelines are expected from NEERI.

After discussion, it was decided unanimously that in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.12.2021, NEERI has been requested to provide sectoral guidelines for “Hotels having overall waste water generation @ 100 KLD and more”. Therefore, after receiving the sectoral guidelines of NEERI, the case along with the sectoral guidelines should be presented in the meeting, till then the said point should be deleted.

(Action-TTZ Authority)

Agenda Point No.-3 (29.02.2020)

Regarding discussion on the decisions passed in the 32nd meeting of the ‘Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority’ convened on 07.01.2015:- In pursuance of the decision of the last meeting, the report provided by the Joint

Commissioner, Industries, Agra Division, Agra was examined by the Member-Convener and the examination report presented at Annexure-10 was observed and it was found that in the matter of the meeting of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, dated 15.10.2014, in which sub-points (III), (IV), (V) of point no. 4 are mentioned, a clear report has not been provided by the Joint Commissioner, Industries, Agra Division, Agra.

It was directed that the A.D.M. nominated by the District Magistrate, Firozabad; Joint Commissioner, Industries, Agra Division, Deputy Commissioner, District Industries Centre, Firozabad and Regional Officer (Adm.), U.P.P.C.B., Agra, Firozabad should examine the case in question and submit a clear joint report.

(Action- District Magistrate, Firozabad/Joint
Commissioner, Industries, Agra Division/Deputy
Commissioner, District Industries Center, Firozabad/
Regional Officer (Admin.), UPPCB, Agra, Firozabad)

Regarding review of proposed/taken action by the concerned departments on various IAs pending in the Hon'ble Supreme Court in the writ petition (civil) number-13381/1984 (M.C. Mehta vs. Union of India and others):- After reviewing the latest action taken by the departments on the IAs filed by various government/private groups/individuals/institutions in the Hon'ble Supreme Court under the petition in question, the following instructions were issued-

| Sl No. | IA No. | Concerned Departme nt | Subject of the IA | Order |
|-----------|--------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 8. | 134453 | (DFO | Regarding | Instructions |

| | | | | |
|--|--|-------|---|---|
| | / 2019 134454 / 2019, 3186/ 2020 (Filed By Agra Develop ment Foundat ion) | Agra) | prescribing SOP for felling of trees on government land. | were given that after making necessary amendments in the SOP and getting approval from the Government, the Divisional Director, S.V.P., Agra should ensure effective advocacy by filing the |
|--|--|-------|---|---|

| | | | | |
|---------|--|----------------|--|---|
| | | | | case in the Hon'ble Supreme Court as per rules as soon as possible and the action taken should be informed before the next meeting. |
| 1 1. | 4115, 4116 & 4119/ 2020 (Filed | S.S.P. Agra | Regarding smooth traffic system in Agra. | On the basis of reports/information received |

| | | | | |
|---------|--|---|---|---|
| | By Agra Develop ment Foundat ion) | | | from all concerned departments , counter affidavit should be prepared by AOR and filed in the Hon'ble Supreme Court as per rules. |
| 1 3. | 3449, 3420 & 3424/ 2020 (Filed | (Dy. Director, Tourism, Agra Mob. No.941511 | Regarding creation of Special Purpose Vehicle (SPV) | On the basis of reports/infor mation received |

| | | | | |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | By Agra Development Foundation) | 5510) | in Agra like Brij Vikas Tirtha Parishad. | from all concerned departments , counter affidavit should be prepared by AOR and filed in the Hon'ble Supreme Court as per rules. |
| 4. | 20616 & 20617/2020 (Filed by | (Dy. Commr. DIC FZB Shri A.K. Pandey | Regarding not granting permission for setting up of new units | Deputy Commissioner of Industries, District |

| | | | | |
|--|----------------|--|---|--|
| | Arun Gupta) | Mob. No. 94119230 38) (Regional Officer, Shri Manoj Kumar Chaurasia , Mob. No. 78398919 25) | and expansion of previously established/o perated units in the Taj Trapezium Area. | Industries and Enterprise Promotion Center, Firozabad informed that a para- wise report of the IA in question has been prepared and sent to the government for approval by office letter no. |
|--|----------------|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>2605 dated 07.12.2021, which is pending in the legal cell of the government. Coordination with the government will be established and approval will be obtained soon. Instructions were given that the</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | Deputy Commissioner, District Industries and Enterprise Promotion Center, Firozabad should also immediately send a letter to the government on behalf of the Commissioner, Agra Division / |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | Chairman, TTZ Authority, Agra. |
|--|--|--|--|---|

Under Writ Petition (Civil) No. 3381/1984- M.C. Mehta vs. Union of India and others, no IA/Affidavit/Reply etc. should be filed in the Hon'ble Supreme Court by any government department/institution without the TTZ authority, otherwise the concerned officer himself will be responsible. The concerned departments should complete the proceedings in this regard within the prescribed time.

(Action-All concerned departments/institutions)

Agenda point no.-08 (29.02.2020)

Regarding granting of permission to M/s United Chemical Industries, established/operated in District Firozabad under Taj Trapezium Area, to shift the glass

unit from residential area to UPSIDC:- As per decision of main agenda point no. 4 (24.12.2019).

(Action: TTZ Authority, Agra)

Agenda Point No.09 (29.02.2020)

Regarding consideration of the representations submitted by glass units (1) M/s Meera Glass Industries, (2) M/s Chandrabhan Anil Kumar Glass Works and (3) M/s Highlight Glass Pvt. Ltd. regarding increasing gas supply:- As per decision of main agenda point no. 4 (24.12.2019).

(Action-TTZ Authority)

Other points with the permission of the Hon'ble Chairman.

1. Regarding the point required to ensure cleanliness in the Taj Mahal and its surrounding areas - Instructions were given to delete this point as it has

been included under the main agenda point no. 03 (25.04.2022).

(Action: TTZ Authority)

Main Agenda Point No. 03 (15.12.2020)

Regarding grant of permission/clearance of TTZ Authority for the project of construction of rubber dam on Yamuna river at 1.5 km down stream of Taj Mahal situated in Agra city:- It was informed that as per the minutes of the meeting of State Expert Appraisal Committee (SEAC) held on 15.10.2020 under the process of environmental clearance, conditional recommendation has been given for environmental clearance/permission of the project, as per condition no.1 of which, due to the clearance of TTZ Authority being necessary, final environmental clearance has not been issued yet by State Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh. In pursuance of the order of the Hon'ble Supreme Court dated

08.12.2021 and the decision of the meeting convened in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi on 09.03.2022, letter no.-533 dated 31.03.2022 has been sent by the TTZ Authority Office to the Chairman, Central Pollution Control Board, Delhi for obtaining guidance including the status of air / water pollution score of the Rubber Dam Project. Along with this, letter no. 534 dated 31.03.2022 was sent by the TTZ Authority Office to seek guidance regarding the rubber dam project from the Director, National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), Nagpur, in continuation of which, by the letter dated 22.04.2022 of Dr. SK Goyal, Chief Scientist and Head, Delhi Zonal Centre, NEERI, New Delhi, consent/opinion has been given with certain conditions for the implementation of the project.

After discussion, it was directed that consent/opinion has been given by NEERI with certain conditions for

the implementation of the proposed project in question. Therefore, action should be ensured by the Irrigation Department as per the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.12.2021 and the decisions of the meeting convened on 09.03.2022 under the chairmanship of Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi. Also, in compliance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.12.2017, the vision document prepared for the Taj Trapezium Area by the School of Planning and Architecture, New Delhi and the opinion (Suggestion) filed by the State Government in the Hon'ble Supreme Court in its context should also be examined by the Irrigation Department. At present, the case should be deleted. If any action is required at the level of TTZ Authority, then it should be presented before the TTZ Authority.

(Action-Irrigation Department, Agra)

Main Agenda Point No.-04 (15.12.2020)

Regarding permission granted by Glass Industry Development Center, Firozabad to install tank furnace in place of pot furnace and increase the available daily contracted quantity of natural gas from 300 SCMD to 3000 SCMD: - As per the decision of Main Agenda Point No.-4 (24.12.2019).

(Action-TTZ Authority)

Main Agenda Point No.-06 (15.12.2020)

Regarding review of action plan and its progress in the context of Taj Mahal-centric study “Apportionment of air pollution source at Taj Mahal” prepared by IIT Kanpur by Central Pollution Control Board:- It was informed by the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Agra that for the beautification/strengthening work of the cremation ground located at Mal Ka Chabutra under Zone-2 of the Municipal Corporation, an action plan has been

prepared and the work approved under the 15th Finance Commission (amount Rs. 3,43,53,615.47) is in progress.

Superintendent of Police (Traffic), Agra informed that during duty in the city, traffic policemen have taken legal action against vehicles spreading air pollution under Motor Vehicles Act and challaned 523 vehicles. In Agra city, traffic police regularly takes legal action against all private vehicles older than 15 years and all diesel-powered three-wheeler loader vehicles older than 10 years and seals them. Traffic police has seized 30 vehicles and deposited them in the traffic police line.

The Superintending Engineer, Third Circle Irrigation Works, Agra informed that the construction of the proposed rubber dam at a cost of Rs 413.34 crore at 1.5 km downstream of the Taj Mahal will fill the dry bed of the river with water. The project has

been sent for no objection from various departments. Archaeological Survey of India, New Delhi, Central Water Commission New Delhi and Inland Waterways Authority of India, Government of India has given no objection to the project. NEERI has given its conditional consent/opinion for the project vide letter dated 24.04.2022. The work of obtaining environmental clearance from the Forest Department and Environment Department and no objection from the National Clean Ganga Mission is in progress. The construction work of the project will be started after getting no objection from all the departments. Gokul Barrage, Mathura has been constructed for drinking water supply of Agra and Mathura-Vrindavan cities, in which it is proposed to supply 115 and 30 cusecs of water to Agra and Mathura-Vrindavan cities respectively through Yamuna river. It is implied to release about 150 cusecs of water for drinking water to Agra city including water loss along with 115 cusecs of

water. In comparison to the above, in the past years, a minimum of approximately 500 cusecs of water from Gokul Barrage maintains the balanced minimum flow of Yamuna river along with supplying drinking water to Agra city through Yamuna river.

Regional Officer (Provincial), UP Pollution Control Board, Agra informed that in compliance with the order dated 30.12.1996 passed in Writ Petition (C) No. 13381/1984 in the light of the study report done by IIT, Kanpur, the air polluting industries of Agra under TTZ area are operated with Natural Gas/Electricity, which are being monitored at Regional Office level. UP Pollution Control Board has established and operated 05 Ambient Air Quality Monitoring Stations (CAAQMS) in Agra city in collaboration with National Clean Air Program and Central Pollution Control Board. At present 06 CAAQMS are working in Agra city.

Senior Superintendent of Police, Agra informed that a request has been made to the Additional Chief Secretary, Home, Uttar Pradesh Government, Lucknow for granting financial approval by nominating a work agency for construction of boundary wall and main gate at the police parking lot near Sikandra, for which approval is awaited.

Divisional Transport Officer, Agra Division, Agra informed that in compliance with the decision taken in the meeting, charge sheets of 92 vehicles which are 15 years old/have been banned after the stipulated time limit have been sent to the court of Hon'ble Chief Judicial Magistrate, Agra. In relation to the above, a request has been made to Hon'ble Chief Judicial Magistrate, Agra for auction through Joint Director, Prosecutor/Senior Prosecutor, Agra.

Divisional Transport Officer, Agra Division, Agra informed that in compliance with the decision taken in

the meeting, charge sheets of 92 vehicles which are 15 years old/have been banned after the stipulated time limit have been sent to the court of Hon'ble Chief Judicial Magistrate, Agra. Regarding the above, a request has been made to Hon'ble Chief Judicial Magistrate, Agra for auction through Joint Director, Abhi /Senior Prosecutor, Abhi.Adhi Agra.

Superintendent of Police (Traffic), Agra informed that by imposing vehicle checking duty of traffic policemen under each police station area of the city, all the challaning officers of the traffic police identify the vehicles running in the city area without air pollution certificate and challan action is taken against them as per rules under the Motor Vehicles Act. Traffic Police Agra has been taking regular action and from 16.12.2021 to 08.04.2022, taking action against vehicles running without air pollution certificate, a total of 1040 vehicles have been challaned and a penalty of Rs. 1,36,000/- has been collected. As per

the instructions of Taj Trapezium Zone Authority, in Agra city, traffic police is regularly taking legal action against 15 year old vehicles and action of closure/seizure is being taken. From 16.12.2021 to 08.04.2022, 87 vehicles have been seized/locked down and lodged in the traffic police line by the traffic police. Thus, the process of regular action against vehicles running without air pollution certificate and vehicles older than 15 years is continuously in practice by the traffic police.

Chief Engineer, A.V.P., Agra informed that eight pyre sites/platforms have been constructed on the first floor of the newly constructed building at Mokshadham site. Since the old pyre site was in the submerged area, tenders were invited on 16.02.2020 after approval from the competent level for the installation of wet scrubber system to reduce carbon emissions at the pyre sites constructed above the newly constructed building. The financial bid of the said tenders was opened on

05.10.2020. The approved amount for the said work is only Rs. 1,00,00,000.00 against the rates given by the lowest bidder of Rs. 2,23,10,000.00 (GST payable separately as per rules).

The remaining amount of Rs 1,23,10,000.00 only and the amount of GST payable as per rules is under the process of OVT approval from the Road Tax Advisory Committee from the Road Tax Fund and after the approval from the Road Tax Advisory Committee, the work will be done as per rules.

Shri Raman, Member, Monitoring Committee informed that the wet scrubbers previously installed by the Agra Development Authority at Mokshadham Griha are not functioning as per the standards.

After discussion, it was directed that all the concerned departments should ensure necessary compliance action in relation to the action plan prepared by the Central Pollution Control Board from

IIT Kanpur in the context of “Apportionment of air pollution source at Taj Mahal”.

Under the National Clean Air Program, Uttar Pradesh Pollution Control Board should circulate the points of control options and action plan mentioned in the study "Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory & Source Apportionment Study in the city of Agra" conducted by IIT Kanpur for control and improvement of air pollution in Agra city to all concerned departments for necessary action and all concerned departments should ensure necessary action as per rules on the points related to their department in the action plan, which should be monitored in the meetings of the ‘District Environment Committee’ constituted under the chairmanship of District Magistrate, Agra.

(Action-District Magistrate/Regional Officer (Admin.),

UP PNB, Agra/All concerned departments)

All construction/development works should be completed within the stipulated time period as per the action plan of Rs.3,43,53,615.47 prepared under the 15th Finance Commission for the ornamentation/strengthening of the cremation ground located at Mal Ka Chabutra under Zone-2 by the Agra Municipal Corporation.

(Action Municipal Corporation, Agra)

As per the instructions of the last meeting, in the sequence of the letter sent to the government for obtaining approval regarding the construction of boundary wall by the Police Department at the identified place at Sikandra to keep the vehicles seized during enforcement proceedings, a reminder letter should be sent to the government again and after approval, the boundary wall should be constructed at the identified place soon so that the identified place can be used. Regarding the auction of vehicles seized

by the RTO and Superintendent of Police (Traffic), Agra, the desired permission should be obtained from the Chief Judicial Magistrate, Agra and prompt disposal should be ensured as per rules.

(Action-SSP/SP(Traffic)/RTO(Administration), Agra)

Superintendent of Police (Traffic), Agra should ensure checking of vehicles in every police station area and those vehicles which do not have PUC certificate should be identified and challan proceedings should be initiated against them as per rules.

(Action- SP (Traffic), Agra)

As per the directions of the last meeting, the Agra Development Authority should connect the sites/platforms where Air Pollution Control System is not installed, to Air Pollution Control System. The cost and feasibility of shifting the Air Pollution Control System installed on the four platforms of Mokshadham located at Tajganj to the platforms of the new building

at Mokshadham should be examined, otherwise a proposal for Air Pollution Control System on the eight platforms installed in the new building should be presented, for which the desired approval should be obtained by the Agra Development Authority from the Toll Advisory Committee. Stack monitoring of the previously installed Air Pollution Control System at Mokshadham should be done again at the time of cremation by the Regional Officer, UP Pollution Control Board, Agra, so that it can be known whether the installed Air Pollution Control System is being operated by the Agra Development Authority as per the standards or not.

(Action Chief Engineer, AID / UPPCB, Agra)

Main Agenda Point No.-08 (15.12.2020)

Regarding grant of permission/clearance of TTZ Authority for OTA payment/transfer by M/s Pioneer Glass Industries, M/s Crystal Glass Industries, M/s

Girdharilal Manoharlal Glass Works, M/s Mathur Glass Industries, M/s Alok Glass Works, M/s General Traders, M/s Renu Glass Works, M/s Quality Glass Works, M/s Super Glass Works and M/s Pakkai Bhatti Vikas Sahakari Samiti Ltd. located in Firozabad district under Taj Trapezium Area:- As per the decision of Main Agenda Point No.-4 (24.12.2019).

(Action: TTZ Authority)

Regarding grant of permission/clearance of TTZ Authority for gas supply/gas connection and transfer to the glass industries established/operated in Firozabad district under Taj Trapezium Area - As per the decision of agenda point no.4 (24.12.2019).

(Action: TTZ Authority)

Main Agenda Point No.-04 (08.10.2021)

Regarding granting of permission of TTZ Authority for gas supply to M/s Pakkai Bhatti Hitkari Industrial

Cooperative Society, Firozabad: - As per the decision of Agenda Point No.4 (24.12.2019).

(Proceedings-TTZ Authority)

Other points, with the permission of the Chairman:-

2. Regarding compliance of the orders dated 08.05.2015 and 11.12.2019 passed by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (C) No. 13381/1984 (M.C. Mehta vs. Union of India and others):- It was informed in the meeting that as per the decision of the last meeting, photocopies of the orders passed by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (C) No. 13381/1984 (M.C. Mehta vs. Union of India and others) regarding permission granted for felling of trees in the Taj Trapezium Area during a period of 05 years (from 05.04.2016 to 29.01.2021) have been sent to the District Magistrates, Agra, Mathura, Firozabad, Etah, Hathras (U.P.) and Bharatpur (Rajasthan) vide office letter dated 11.11.2021, in this sequence, information

has been received from District Magistrate, Agra, Mathura, Firozabad and Etah, whereas no information has been received from District Magistrate, Hathras and Bharatpur (Rajasthan).

The matter was discussed in detail and it was found that the information received from the District Magistrates of Agra, Mathura, Firozabad and Etah has not been presented point wise as per the conditions mentioned in the orders passed by the Hon'ble Supreme Court, only mentioning the felling of trees and planting of trees, it has been mentioned that compliance of the orders of the Hon'ble Supreme Court would be ensured, whereas it was desirable for the concerned District Magistrates to provide the information mentioning point/condition wise the updated status of compliance as per the conditions mentioned in the orders of the Hon'ble Supreme Court. It was directed that after observing/examining the orders of Hon'ble Supreme Court by the District

Magistrates of Agra, Mathura, Firozabad and Etah, the updated status/information of the condition wise compliance action as per the conditions mentioned in the orders should be made available before the next meeting and similarly the desired information should also be made available by the District Magistrates of Hathras and Bharatpur (Rajasthan) before the next meeting. The ADM/SDM nominated by the District Administration should jointly inspect along with the Divisional Director and provide the desired report through the District Magistrate incorporating the above mentioned points.

(Action-District Magistrate, Agra, Mathura, Firozabad,
Etah, Hathras, Bharatpur (Raj.))

4. Regarding vehicles operating in the Taj Trapezium Area/old vehicles, PUC of Jugaad vehicles, ban on diesel-powered commercial vehicles, adequate availability of CNG for public/commercial vehicles:- It

was informed by the Divisional Transport Officer, Agra that the Divisional Transport Officer, Agra Division, Agra has informed by his letter dated 09.03.2022 that the details of action taken against 15 year old Jugaad vehicles, 3000 kg diesel operated loader vehicles and unregistered e-rickshaws and vehicles spreading air pollution in Agra, Firozabad and Mathura districts from 01.04.2021 to 28.02.2022 are as follows:-

| Sl. No. | Details of challans | Agra | Feroza bad | Mathura | Total |
|---------|--|------|------------|---------|-------|
| 1. | Number of challans issued for 15 year old vehicles | 179 | 8 | 0 | 187 |
| 2. | Number of challans of Jugaad | 10 | 0 | 0 | 10 |

| | | | | | |
|----|---|------|----|-----|------|
| | vehicles | | | | |
| 3. | Number of challans for 3000 Kg loader | 35 | 10 | 16 | 61 |
| 4. | Number of e- rickshaw challans | 0 | 0 | 16 | 16 |
| | Total | 222 | 18 | 32 | 272 |
| | Number of air pollution challans | 1021 | 71 | 468 | 1560 |

Out of the above vehicles, out of the vehicles whose registration was cancelled and captured in the cameras of Nagar Nigam Smart City, around 33000 vehicles were found to be operating in the last six months. A 15-day notice has been sent to the registered owner through registered post to immediately stop operating his vehicle, get it dismantled and ensure that its chassis piece is made

available to this office. Apart from this, there is a ban on Jugaad vehicles and all school buses and other types of commercial vehicles are being operated on CNG in the Municipal Corporation boundary area. On expiry of the validity of registration, re-registration is done only in the case of taking the vehicle to a district/state outside the NOC TTZ area.

After discussion, it was directed that the registration of vehicles which are 15 years old in Agra, Mathura and Firozabad districts should be cancelled. RTO, Agra should ban the operation/re-registration of 15 year old vehicles in Taj Trapezium area and the operation of Jugaad vehicles in the city. Public transport/vehicles should be regularly checked for PUC. It should be ensured that school buses/other types of commercial vehicles in the Taj Trapezium area should run on CNG only in the municipal limits. There is a possibility that 15 year old vehicles may be running in the Taj Trapezium Area even after NOC has

been taken for moving outside the Taj Trapezium Area. Therefore, a suitable arrangement should be made in this regard and presented by the RTO in the next meeting of the TTZ Authority, till then there will be a ban on giving NOC. The TTZ Authority should be informed about the action taken.

(Action-RTO, Agra, Mathura and Firozabad)

5. Regarding setting up of automobile service workshop at Plot No. C-47, Industrial Area Foundry Nagar, Village-Naraich, Tehsil-Etmadpur, District-Agra (Area 3492 sqm):- It was informed in the meeting that in the first phase, as per the decision of the last meeting, letter no. 499 dated 04.02.2022 has been sent by the TTZ Authority Office to the Director, National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur regarding obtaining sectoral guidelines of NEERI for a total of 31 essential/important industries/projects, whose air

pollution score is 11 to 20 as per the Central Pollution Control Board, in which "Automobile servicing, repairing and painting (excluding only fuel dispensing)" at serial no. 18, which is covered under the orange category and shows air pollution score of 20, is also included. For preparing sectoral guidelines, NEERI has requested to provide information on certain points by letter dated 28.03.2022, in which order a letter has been sent by TTZ Authority to all the concerned departments on 07.04.2022 to provide the desired information. Guidelines are expected from NEERI.

After discussion, it was decided unanimously that NEERI has been requested to provide sectoral guidelines for "Automobile servicing, repairing and painting (excluding only fuel dispensing)" in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.12.2021. Therefore, after receiving the sectoral guidelines of NEERI, the case along with the

sectoral guidelines should be presented in the meeting, till then the said point should be deleted.

(Action-TTZ Authority)

6. Regarding compliance of the order dated 08.12.2021 passed by the Hon'ble Supreme Court under Writ Petition (C) No.-13381/1984-M.C. Mehta vs. Union of India and others:- It was informed in the meeting that as per the decision of the last meeting, in compliance with the order dated 08.12.2021 of the Hon'ble Supreme Court under point no.-(i), in the first phase, letter no.-499 dated 04.02.2022 has been sent by the TTZ Authority office to the Director, National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur regarding obtaining sectoral guidelines of NEERI for a total of 31 essential/important industries/projects, whose air pollution score is 11 to 20 according to the Central Pollution Control Board, in the order of which sectoral guidelines are required. Vide NEERI's letter

dated 28.03.2022 it has requested to provide information on certain points in reference to the above, in continuation of which a letter has been sent by the TTZ Authority on 07.04.2022 to all the concerned departments on behalf of the Divisional Commissioner/Chairman to provide the desired information.

Under point no.-(i), in compliance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.12.2021, letter no.-498 dated 04.02.2022 has been sent by the TTZ Authority office to the Additional Chief Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, for taking necessary action as per rules at the government level regarding nomination of NEERI's representative as a member in the State Environment Appraisal Committee (SEAC) under the State Environment Impact Assessment Authority and the Environment Impact Committee (EAC) of the Ministry of

Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

Under point no.-(iii), in compliance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.12.2021, in case felling of trees is not proposed under industrial unit/projects, letter no.503 dated 14.02.2022 has been sent by the TTZ Authority office to the Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, and reminder no.539 dated 07.04.2022 has been sent, in this regard, guidance is required from the government level in the matter. Along with this, letter no. 502 dated 14.02.2022 has also been sent by the TTZ Authority to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi for providing further guidance in the referenced case and reminder 1 no. 540 has been sent on 07.04.2022, in this regard, the Additional Director, Ministry of Environment, Forest and Climate

Change, Government of India, New Delhi in its letter no.F.No.Q-18011/30/2011-CPA(Part-1) dated 18.04.2021 has mentioned the point/instruction related to felling of trees in the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.12.21 and has provided the guidance that strict compliance of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.12.2021 should be ensured. In the meeting held under the chairmanship of Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi, dated 09.03.2022, under point-xi of the minutes, the following decisions have been passed in the point/case of no proposed felling of trees in projects/industries/activities:-

xi. In case, any project/industries/activity does not involve tree felling, the project proponent is required to submit an affidavit to this effect to TTZA. TTZA may issue necessary direction in this regard. (Action-TTZA)

After discussion, it was directed that in the first phase, the information sought in NEERI's letter dated 28.03.2022 regarding the preparation of sectoral guidelines of NEERI for a total of 31 essential/important industries/projects, whose air pollution score is 11 to 20 as per the Central Pollution Control Board, should be prepared by all the concerned departments and made available to NEERI as soon as possible. On receipt of NEERI's sectoral guidelines, it should be presented in the meeting of the TTZ Authority Board.

(Action-All concerned departments / TTZ authorities)

Regarding non-proposed felling of trees under industrial units/projects, necessary action should be ensured as per the guidance given by the letter dated 18.04.2021 of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the decision passed under point no.xi in the meeting held on

09.03.2022 under the chairmanship of Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. After receiving guidance on the above point from Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh, it should be informed in the next meeting.

(Action: TTZ Authority)

Other points, with the permission of the Chairman
(16.12.2021)

As per the decision of the last meeting, the representation given jointly by the members of TTZ Authority, Mr. Kesho Mehra, Mr. Umesh Sharma and Dathiravindra Mohan Pachauri dated 16.12.2021 was discussed as follows:-

- (1) Construction of barrage on Yamuna river in Agra:- It has been informed vide letter no. 2560/3/TTZ dated 16.04.2022 of the Superintending Engineer, Irrigation Department,

Agra that the project for construction of Agra Barrage on the Yamuna River, about 9.6 km upstream from the Taj Mahal, upstream of Jawahar Bridge, was approved by the Government of Uttar Pradesh in the year 1991. The approval for this project was issued by the Union Environment Ministry in the year 1999 but the approval issued by the Union Environment Ministry in the year 2001 was suspended, as a result of which the project was delinked from TTZ in the Mission Management Board meeting dated 20.12.2002. The Union Environment Ministry has made a condition that the flow of water should be managed in such a way that the quality of water coming downstream is maintained. The environmental clearance of the project was restored by the Government of India in the year 2003. This barrage was to be constructed mainly to solve the drinking water problem of Angra city,

so its funding was to be done by the Urban Development Department. Due to the development of many colonies on the proposed Agra Barrage site and the implementation of the Land Acquisition Act-2013, the cost of the land affected by the submergence area of the barrage increased considerably, due to which the Agra Barrage could not be constructed. Water Corporation Agra is bringing 150 cusecs of Ganga water through pipeline from Palda Jhaal (Bulandshehar) situated on Upper Ganga Canal and the Irrigation Department is continuously providing 115 cusecs of water in Yamuna river downstream of Gokul Barrage Mathura for drinking water of Agra city. According to UP Jal Nigam Agra, by bringing Ganga water, the domestic drinking water demand of Agra city will be fulfilled till 2035.

- (2) Construction of ring road in Agra- According to Chief Engineer, A.V.Pr., Agra, the Authority has completed the construction of the first phase of Inner Ring Road, which is 10.88 km long and is a 6 lane high embankment road, from Kuberpur (NH-2), which also connects Yamuna Expressway, to Fatehabad Road, due to which all the traffic coming from Delhi, instead of going through the city, is reaching the Taj Mahal directly from Yamuna Expressway through the Inner Ring Road. The Inner Ring Road Phase I also connects to Lucknow Expressway at 7.6 Km. Agra Inner Ring Road Phase II, which is 7.13 km long and is a 6 lane high embankment road, which is from Fatehabad Road to about 200 m east of Deori Road, is being constructed by the authority. The work on this road from Fatehabad Road to Shamshabad Road is 98 percent complete. The work of the section from Shamshabad Road to

Deori Road has also been completed by about 95 percent. The construction work of the flyover over Fatehabad Road to connect Agra Inner Ring Road Phase I and Phase II is also in progress, which is planned to be completed by December 31, 2022. The work of Agra Inner Ring Road Phase III, which will connect Inner Ring Road Phase II to Gwalior Road, is planned to be done by NHAI. The work plan of the third phase is in progress at the NHAI level. The southern bypass has already been constructed from Gwalior Road to Jaipur Road to Mathura Road (NH-2). Thus, after the completion of the third phase, vehicles coming from Delhi, Noida, Etawah, Kanpur, Lucknow will be able to reach Fatehabad, Taj Mahal, Shamshabad, Gwalior, Jaipur, Fatehpur Sikri, Mathura through the Inner Ring Road instead of going inside the city.

- (3) Uninterrupted power supply for 24 hours in all the districts of Taj Trapezium Zone-It has been informed by letter no. 2152 dated 11.03.2022 of Chief Engineer (Technical), Dakshinchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Agra that power supply is being provided for 24 hours in all the urban areas under TTZ except the breakdown period, in view of which it has been mentioned in the letter no. 2022/04/19-1 dated 19.04.2022 sent by Mr. Kesho Mehra to the Chief Engineer (Technical) that the reply given by the Chief Engineer (Technical) is a contempt of the orders of the Hon'ble Supreme Court. Uninterrupted power supply should be provided for 24 hours in all the districts of Taj Trapezium Zone.

Apart from the above three important issues, some other suggestions have also been given in the said representation of the members, such as, 50% concessional rate of domestic gas supply cylinders,

laying of green gas line in 6 districts of TTZ, sprinkling of water on construction/excavation work and covering it with cloth, installation of fountains higher than the height of Taj Mahal in an area of 5 km near Taj Mahal, all the roads in an area of 5 km near Taj Mahal should be made of rubberized road or cement concrete and dense tree plantation should be done in the vacant spaces within 5 km radius of Taj Mahal.

After detailed discussion, instructions were given that the points/suggestions mentioned in the representation given by TTZ Authority members Shri Kesho Mehra, Shri Umesh Sharma and Dr. Ravindra Mohan Pachauri should be examined by the concerned departments and a report should be submitted. Strict compliance of the orders of the Hon'ble Supreme Court should be ensured by Dakshinchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Agra and the details/updated status of the electricity supply currently being done in the entire Taj Trapezium Area should be presented by Dakshinchal

Vidyut Vitran Nigam Ltd. before the next meeting. Chief Engineer, Dakshinchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Agra should be invited to participate in the next meeting. Agra Development Authority should complete the construction of Inner Ring Road (Phase II) within the stipulated time period. NHAI should complete the construction of Inner Ring Road (Phase III) within the stipulated time period so that the general public can get the benefit of the Inner Ring Road. The action taken may be informed before the next meeting.

(Action-ADM C-ADM (NAA)/Chief Engineer,
Dakshinchal Vidyut Vitran Nigam Ltd./All
Implementing Agencies/H.V.P./Municipal
Corporation/NHAI/Green Gas Ltd./DFO, Agra)

Main Agenda Point No.-03 (25.04.2022)

Regarding ensuring cleanliness in districts-Agra, Mathura, Firozabad, Etah, Hathras and Bharatpur (Rajasthan) under the Taj Trapezium Area:- It was informed by the Municipal Commissioner, Municipal

Corporation, Agra that the work of cleaning of roads/drains, mechanized garbage collection from every house, sweeping and cleaning of toilets is being ensured daily through the working agency M/s Lions Services Pvt. Ltd. appointed by the Agra Municipal Corporation for door-to-door collection of cleaning work in the Taj Mahal and its surrounding areas. At present, door-to-door collection is being done in 06 wards. At present, there is difficulty due to lack of funds because Rs.52.00 lakh/month is paid to the outsourcing agency contracted for ensuring cleanliness around the Taj Mahal, out of which Rs.40 lakh is borne by the Authority and Rs.10-11 lakh by the Municipal Corporation. At present, payment of about 3-4 months is pending to the outsourcing agency.

The representative of Agra Development Authority informed that all the colonies of Agra Development Authority have been transferred to Municipal Corporation, Agra. Agra Development Authority

regularly gets the Agra Inner Ring Road Phase I cleaned so that there is no dust on the road side and dust particles do not spread in the atmosphere due to traffic movement.

Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Mathura informed that under Municipal Corporation, Mathura-Vrindavan, cleaning is done daily by 1495 cleaning workers. Cleaning work is done at commercial and religious places in two shifts in the morning and evening as well as at night.

Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Firozabad informed that continuous sprinkling of water and washing of trees is being done to control the air quality index in the Firozabad Municipal Corporation area and e-tender has been invited for hiring a mechanized sweeping machine. Along with cleaning, the Municipal Corporation is also sprinkling water on the service road of NH.

According to the information received from Commissioner, Municipal Corporation, Bharatpur (Raj), there are 65 wards under Municipal Corporation Bharatpur, which are divided into 13 zones. One sanitation inspector is appointed in each zone and one sanitation worker in each ward and the cleaning work is done by the permanent and contractor's sanitation workers of the corporation. The corporation gets the main markets of the city cleaned at night. The Municipal Corporation is getting the door-to-door garbage collection work done every day from the 65 wards of the corporation.

After discussion, it has been directed that Agra Municipal Corporation should ensure daily cleaning work of roads/drains, door to door garbage collection, mechanized sweeping and cleaning of toilets. Mechanical sweeping of main roads of the city should be done by Municipal Corporations and road side dust should be removed from the side of the road so that

dust does not get deposited on the road again. Silt removed from drains and sewers should not be kept on the side of the road under any circumstances. The action taken should be informed before the next meeting of TTZ Authority.

(Action- All Municipal Corporations/Nagar Palikas/Nagar Panchayat/Development Authority)

Main Agenda Point No.-04 (25.04.2022)

Regarding non-burning of garbage in districts-Agra, Mathura, Firozabad, Etah, Hathras and Bharatpur (Rajasthan) under the Taj Trapezium Area:- Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Agra informed that along with special cleaning arrangements, regular inspection is being done by the Agra Municipal Corporation at 12 sites identified by the Uttar Pradesh Pollution Control Board through the concerned regional cleaning and food inspector, as a result of which incidents of burning of garbage have been

stopped. The said sites are also inspected by the Uttar Pradesh Pollution Control Board. As part of the action taken on burning of garbage, challan proceedings have been initiated against 03 persons and a total fine of Rs. 3,05,000/- has been collected. Also, FIR has been lodged against 05 persons and show cause notices have been issued to the concerned employees of the Municipal Corporation, in view of which action will be taken as per rules after receiving the reply. The services of two employees of the Municipal Corporation have been terminated after they were found involved in burning garbage. It was informed that a study is being conducted by the Municipal Corporation with an NGO for leather waste disposal, which has not been completed yet.

Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Firozabad informed that burning of garbage is completely prohibited in the city limits, for the implementation of which 09 teams have been formed,

which took action for imposing fine. a fine of Rs 58,200/- has been collected from April 2021 to 20.04.2022 by taking action against 10 persons for burning garbage, and all the sanitation workers have been ordered not to burn garbage under any circumstances and the general public is also being made aware not to burn garbage. All the Safai Nayak/Safai Karamcharis working in Municipal Corporation, Firozabad have been given training regarding not burning garbage in Jivaram Hall of Municipal Corporation on 04.03.2022 and 14.03.2022 and all Safai Nayak/Safai Karamcharis have also been sensitized against burning garbage.

It was informed by the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Mathura-Vrindavan, Mathura that action is being taken by running a continuous campaign against those who burn garbage within the Municipal Corporation area. In continuation of the above, an FIR has been lodged through Kotwali

Vrindavan on 16.11.2021 and a fine of Rs. 10,000/- has been collected against those who burnt garbage near Pagal Baba Temple in the month of December-2021. FIR has been lodged against a total of 03 people (01- in the month of December, 2021 and 02- in the month of March, 2022). Due to autumn, some people collect the leaves of the trees and burn them, in which the biggest defaulter was found to be the Veterinary College of Mathura, after sending a letter to their Vice Chancellor, burning of leaves near the Veterinary College has been stopped. Apart from this, it was often seen that some people used to collect garbage and burn it near the railway tracks, for which letters were sent to Divisional Railway Manager, (North Eastern Railway), Izzat Nagar, Bareilly and Divisional Railway Manager, (North Central Railway), Agra for taking action against those burning garbage near the railway tracks. After this, monitoring was done by the Railways, as a result of which incidents of burning

garbage near the railway tracks have reduced. There are 04 zones in the Municipal Corporation, all the related sanitary inspectors and supervisors have been provided separate training.

Assistant Commissioner (Food), Agra Division, Agra informed that as per the information received, under the action taken on burning of garbage in Taj Trapezium Area of Etah district, challan proceedings have been initiated against 59 persons and a total fine of Rs 54,300/- has been collected. As part of the action taken on burning of garbage in the Taj Trapezium area of Hathras district, challan proceedings have been initiated against 04 persons and a total fine of Rs.27,000/- has been collected. There is zero information regarding FIRs lodged on burning of garbage in Etah and Hathras districts. As per the instructions given in the last meeting, district-wise teams have been formed to inspect the action taken on burning of single-use plastic/thermocool/polythene/

garbage in the Taj protected areas of Agra, Mathura and Firozabad districts and to investigate the violation of standards and to submit the inspection report/information on the prescribed format before the meeting by 17.04.2022.

Regional Officer (P), UP Pollution Control Board, Agra informed that the 12 identified major sites, where solid waste burning was found earlier, were re-inspected by the office authorities. As per the inspection report, waste from burning garbage was found at 02 sites and garbage was found scattered at other sites.

After detailed discussion, it was found that from the comparative details of the information/data collected in the prescribed format, it is clear that no action has been taken to register an FIR on burning of garbage in Etah district, thus the information of Etah district is not satisfactory. Similarly, in the Taj

Trapezium area of Hathras district, no FIR has been lodged by the Nagar Palika Parishad on burning of garbage. Regret was expressed that information on the prescribed format is not received from Bharatpur district as well. Instructions were given that a letter should be immediately sent to the Chief Secretary, Rajasthan Government, regarding non-receipt of desired compliance report/information from the concerned departments of Bharatpur (Raj) as per the decision of the meeting from Bharatpur district (Raj) and the officers of the concerned departments who participated and did not participate in the meetings of the TTZ Authority, a copy of which should be forwarded to the Divisional Commissioner and District Magistrate of Bharatpur (Raj) as well as the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

(Action-TTZ Authority)

A letter should be sent to the District Magistrate, Bharatpur (Rajasthan) regarding nominating the ADM of Bharatpur (Rajasthan) as the nodal officer for collecting information/compliance reports of all the concerned departments of the district-Bharatpur (Rajasthan) and making them available to the TTZ Authority office on time.

(Action-TTZ Authority)

Agra Municipal Corporation should prepare a policy for adequate disposal of leather cuttings and present it in the next meeting. The districts in which brick kilns are operating under the Taj Trapezium Area should be inspected jointly by the SDMs of the respective districts with the UP Pollution Control Board and it should be ensured that banned items like leather cuttings, pet coke, tyres, plastic, hazardous wastes etc. should not be used in the process of production of bricks in the brick kilns located under the Taj

Trapezium Area under any circumstances. In case the use of the above banned items is found in the brick kilns, the concerned Regional Officer, UP Pollution Control Board should issue notices to the brick kiln operators under the Act.

(Action- Municipal Corporation, Agra/
concerned SDM / UPPSC)

The Municipal Corporation of Agra should ensure that solid waste burning does not take place at the 12 major sites identified by the Regional Officer (Administration), UPPSC, Agra under any circumstances. At places where leather cuttings are found in large quantities, they should be removed by the Municipal Corporation at night so that the leather cuttings cannot be burnt.

(Action- Municipal Corporation, Agra)

The Additional Commissioner (Administration), Agra Division, Agra should collect information on the

prescribed format and make it available to the TTZ Authority office well in advance of the meeting and after analysis, inform about it in the next meeting. Inspection should be conducted in the districts of Taj Trapezium Area by the constituted teams. The report should be submitted before the next meeting.

(Action-Additional Commissioner
(Administration), Agra Division, Agra)

Main Agenda Point No. 05 (25.04.2022)

Regarding ensuring solid waste disposal system in districts- Agra, Mathura, Firozabad, Etah, Hathras and Bharatpur (Rajasthan) under Taj Trapezium Area:- It was informed by the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Agra that for door-to-door garbage collection for the entire Municipal Corporation area, a contract has been signed with Bangalore based firm M/s Swachhata Corporation on PPP mode, under which the firm has completed the survey work in 37

wards and is doing the work with its own resources and in the remaining 63 wards, the Municipal Corporation is getting the work of door-to-door garbage collection done using its own resources. The ground breaking ceremony of 15 MW waste-to-energy plant was held on 04.01.2022. The process of obtaining no objection from 13 different related departments is in progress. After the no objection, the plant will be operational soon. A work plan for setting up a 400 tons bad waste to bio-CNG / bio-kerosene plant at the waste to energy plant site is being prepared, for which negotiations are being done with the concerned agency. Permission has also been received from the Hon'ble Supreme Court for setting up/operating a 150 tons/day construction and demolition waste plant, for which the firm has requested for construction of a new SPV. A construction and demolition waste plant of 05 TPD capacity has been set up in Kuberpur, for which the prescribed amount for electricity connection has to

be paid on the Nivesh-Mitra portal. The plant will become operational after the electricity connection is made. Earlier, user charges were being taken from the Petha traders at the rate of Rs. 12.00/kg for the waste generated from Petha production, for which the Petha traders were not ready, so now work is being done by making a plan to get the waste generated from Petha production of Petha traders collected door-to-door free of cost. Apart from this, it is proposed to collect the waste of all the Uncategorized Sectors, most of which are in the old city, free of cost. A list of waste processing plants established on the prescribed format has been made available by the Municipal Corporation, Agra.

It was informed by the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Firozabad that the work of door-to-door garbage collection and segregation in all the 70 wards under the Municipal Corporation of Firozabad is being done at the departmental level.

While transporting the waste in covered vehicles, wet waste is being composted and dry waste is being recycled as far as possible. By adopting the Solid Waste Management Manual-2016, compliance of the rules mentioned in the manual is being ensured. The construction work of two MRFs at the solid waste processing center located at Chanaura has been completed and operations have been started, for which as per the contract executed with M/s Muskan Enterprises, the firm is operating the MRFs with its own resources and manpower. The Municipal Corporation is also getting revenue from the operation of MRF. An amount of Rs. 50 lakh has been approved in the meeting of 14th and 15th Finance Commission for the installation of machinery to increase the capacity of MRF. The tender process for the installation of machinery is underway. Two windrows have been installed for processing wet waste and both are functional, and wet waste is being processed with

the help of compost pits. The processing capacity of decentralized compost pits and windrows combined is about 50 tons per day. A waste-to-compost plant of 05 metric ton per day capacity has been established which is functional. Under the solid waste management available in Municipal Corporation Firozabad, action is being taken by the implementing agency C&DS for the establishment of a waste to compost processing plant of 250 TPD capacity on 5.265 hectares of land. The State Mission Director, (SBM), State Mission Directorate, Uttar Pradesh, Lucknow has released an amount of Rs. 10.35 crore to Municipal Corporation Firozabad for the collection and transportation of waste etc. under the solid waste management item, under which 1 cattle catcher, 50 mini tippers and 08 refuse compactors have been purchased and the process is underway to purchase 25 mini tippers and 07 refuse compactors through Gem portal. List of waste processing plants established

by Municipal Corporation, Firozabad has been made available on the prescribed format.

Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Mathura informed that door-to-door garbage collection is being done in all 70 wards under the Municipal Corporation area. In relation to door-to-door collection, the Municipal Corporation has collected user fee of Rs 1,19,388/- from August 2021 to January 2022. A waste to compost plant with a capacity of 180 tonnes per day is operational at Yamunapar Nagla Kolhu in the Municipal Corporation Mathura-Vrindavan. The said plant is being operated by the Municipal Corporation Mathura-Vrindavan through its own resources, in which about 150-180 tonnes of waste collected daily in the Municipal Corporation area is processed and compost is made. From February 2021 to January 2022, a total of 682.26 tonnes have been sold at the fixed rate of Rs.311/- per ton for Rs 2,12,636. A material recovery center with a capacity of

10 tonnes per day has been constructed for the disposal of dry waste at Yamunapar Nagar Kolhu, which is being operated through 21st Century Polymers Institute on PPP mode. The polythene and plastic obtained by segregating waste at Yamuna Paar Nagar Kolhu is used to make fuel through the plastic waste to fuel plant by Patterson Energy, which has a processing capacity of 6 tons per day. In Vrindavan zone, the construction of 5 tons capacity organic waste to compost plant near Hazari Mal Somani Ground, 10 tons capacity MRF, 1 tons capacity organic waste to compost plant at Mandi Samiti Vrindavan and transfer station on Mount Road has been completed and is currently operational. The government has authorized the Black Berry Overseas organization to dispose of 2.60 lakh tonnes of legacy waste collected at the Nagla Kolhu Plant. The organization installed the first trommel (capacity 300 tonnes per shift) on 23.10.2021 and the second trommel (capacity 300 tonnes per shift)

on 10.12.2021 and the daily operations are being carried out in 02 shifts every day. In this way, a total of 25,000 tonnes of legacy waste has been disposed of. At present, the work is in progress. As per the order of the Hon'ble Supreme Court, all the flower waste in Mathura is given to the Brijgandha Sanstha, which dries the flowers and makes incense sticks, incense sticks, etc. Mathura-Vrindavan Development Authority is setting up/operating a cow dung plant at Mokshadham in Mathura, which is made of cow dung purchased from the Municipal Corporation at the rate of forty paise/kg, which is used for cremation. Cow dung produces much less emission than wood. It is proposed to set up a cow dung plant of 100 TPD at an estimated cost of Rs. 1.65 crore. A list of waste processing plants set up on the prescribed format has been made available by the Municipal Corporation, Mathura.

According to the information received from Commissioner, Municipal Corporation, Bharatpur (Raj), work order has been issued to Marolls Material Handling System Pvt. Ltd. for establishment of processing plant by the corporation regarding disposal of plastic and solid waste. With the help of processing plant, compost RDF will be made from the waste generated in Municipal Corporation Bharatpur area and sanitary landfill site will be developed. Disposal work will be started after setting up the project plant.

Regional Officer (P), Uttar Pradesh Pollution Control Board, Agra informed that in continuation of the decision of the last meeting, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Central Pollution Control Board and Municipal Corporation jointly inspected the Solar Based Solid Waste Processing Plant established/operated in Achhnera in Agra on 17.02.2022. During inspection, the operation of the solid waste processing plant was found to be

satisfactory. The committee has made certain suggestions regarding the operation of the solid waste processing plant. The UPPMC and Central Pollution Control Board have identified such projects/activities related to proper disposal of solid waste, etc., whose implementation can prove to be better in solid waste management in the Taj Trapezium Area. Such as management as per Municipal Solid Waste Rules-2016, Bio-degradable waste to the decentralized processing facilities, Non Bio-degradable waste (recyclable and combustible), Solid Waste Processing facilities, Landfill, Legacy waste, Energy Consumptions, Hazardous Waste Facility, Public Awareness etc.

Regional Officer (Pr), Uttar Pradesh Pollution Control Board, Agra informed that as per the decision of the last meeting, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Central Pollution Control Board and Municipal Corporation, Agra jointly inspected the trenching

ground of Agra Cantonment located at Sewla Agra on 21.01.2022 and 17.02.2022. At present, the Cantonment Board is only collecting solid waste and dumping it in the trenching ground at Sewla. At the time of inspection, legacy waste was found to be stored at the dumping site and the process of management and disposal was not found to be taking place as per MSW Rules 2016. At the time of inspection conducted in the month of March, 2022, the firm M/s Dayacharan & Company, contracted in the tender issued by Cantonment Board, was found to be disposing of solid waste as per the standards in accordance with the terms of the tender.

After detailed discussion, it was directed that the Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayats should ensure immediate establishment of all such proposed plants within the Taj Trapezium Area, whose operation would be beneficial for environmental improvement. Municipal commissioners

of other districts informed that they should ensure that necessary action is taken in relation to establishment of Waste to Energy, C&D Waste Processing, Dung to Compost, MRF etc. plants which are not established and after testing the waste generated in the districts, ensure necessary action as far as possible in relation to increasing the capacity of the established low capacity plants. The action taken should be informed in the next meeting.

(Action of all Municipal Corporations/Municipal
Councils/Nagar Panchayats)

The Cantonment Board should ensure concrete action regarding solid waste, legacy waste and biomining of the Cantonment area. The Agra Municipal Corporation, UPPSC and Central Pollution Control Board should conduct surprise inspections of the Cantonment Board's destination from time to time and the report

should be presented in the meeting of the TTZ Authority.

(Action: Cantonment Board/Agra Municipal Corporation, U.P.P.C.B. and Central Pollution Control Board)

Main Agenda Point No.-06 (25.04.2022)

Regarding ensuring proper disposal of biomedical waste in districts-Agra, Mathura, Firozabad, Etah, Hathras and Bharatpur (Rajasthan) under the Taj Trapezium Area:- The Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Agra informed that if biomedical waste is found in the domestic solid waste and solid waste collected at other places by the Municipal Corporation, then action will be taken against the concerned. At present, the information of Municipal Corporation, Agra is zero.

Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Firozabad informed that the proper disposal of biomedical waste generated from all the private

hospitals/nursing homes, district hospital, medical colleges situated in the city by the Municipal Corporation Firozabad is done by the organization of JRR Agra and if any person/institution throws biomedical waste at any public place then action is taken by the Municipal Corporation Firozabad as per the rules. In the same sequence, the Hospital Superintendent of self-governing Government Hospital/ District Hospital has also been informed by this office letter No.2831/SA / SVV / 2021-22 dated 13.10.2021. Information was sought from JRR Waste Management Agra regarding transportation and disposal of biomedical waste, regarding which JRR Waste Management Pvt. Ltd., Agra has informed that in Firozabad district, the work of transportation and disposal of biomedical waste generated from private/hospital/nursing homes, blood bank, pathology, district hospital, medical college is being done by JRR Waste Management Agra as per

Biomedical Waste Management Rules-2016, but the desired information has not been received from JRR Waste Management. At present Municipal Corporation, Firozabad has not envisaged bio-waste in solid waste, due to which the information is zero.

The Regional Officer (P), UP Pollution Control Board, Firozabad informed that regarding compliance of Biomedical Waste Management-2016 (as amended) in Firozabad district, a letter has been sent by his office to 127 health care facilities (nursing home/hospital etc.) under the Taj Trapezium Area on 08.04.2022. A letter has been sent by his office to the Chief Medical Officer, Firozabad on 08.04.2022 for providing the latest registered list of health care facilities (nursing home/hospital etc.) currently established/operating under the Taj Trapezium Area of Firozabad district to the Uttar Pradesh Pollution Control Board. The log-book of bio-medical waste is maintained by the health care facilities themselves, but

it is not being recorded by the health care facilities as to how much bio-medical waste from their hospital/nursing homes has been given to the JRR Company for disposal, whereas the quantity of bio-medical waste being lifted should be clearly mentioned in the log-book.

Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Mathura-Vrindavan, Mathura informed that an institution has been nominated by the District Medical Officer Mathura for biomedical waste management. Apart from this, the waste reaching the Nagla Kolhu Plant is regularly inspected by the employees of the plant. At the time of solid waste collection, the employees of the corporation regularly check it and if biomedical waste is found in the solid waste then the solid waste is not taken. The nodal officer of biomedical waste is regularly checking the log-book by visiting. Necessary action is also being taken by the Chief Medical Officer and Deputy Chief Medical Officer.

Biomedical waste is being disposed of by the hospital / nursing homes as per the rules.

District Magistrate, Agra informed that the disposal of biomedical waste has not been ensured as per the hospitals/nursing homes established/operated in the city. On checking the log-books of hospitals/nursing homes with 50 beds and 10 beds, some deficiencies have also been found. Hospitals/nursing homes with 50 beds and more are disposing of biomedical waste properly but the condition of hospitals/nursing homes with less than 50 beds has not been found satisfactory. On checking 16 such hospitals/nursing homes, it was noticed that they are not disposing of bio-medical waste properly. The Chief Medical Officer, Agra has been directed to get the log-book maintained by M/s JRR Waste Management Pvt. Ltd. verified from the concerned hospitals/nursing homes through the Chief Medical Officer, for which the Chief Medical Officer, Agra has

sent the list of verification of private medical institutions of Agra city and has informed that as per the log-book maintained by M/s JRR, the verification work of disposal of bio-medical waste generated from the remaining hospitals/nursing homes is being completed as soon as possible.

Chief Medical Officer, Agra informed that on verification of medical institutions, medical institutions were not found to have certificates related to payment to M/s JRR Company, but medical institutions informed that it is done regularly by them, they will obtain certificates related to payment from M/s JRR. In the logbook related to biomedical waste, M/s JRR was found to have signed only in the signature column, but there is no verification of the weight of bio waste lifted by the medical institutions. For the above verification, a joint team of UP Pollution Control Board, Agra and Hospital Registration Office Chief Medical Officer, Agra has been formed and UP Pollution Control

Board, Agra has been informed to do regular verification of all hospitals.

After detailed discussion, instructions were given that all the Municipal Corporations should organize meetings at their own level and it should be ascertained that how much bio-medical waste of how many beds was given to M/s JRR Waste Management Pvt. Ltd by which hospital/nursing homes and how much was paid to the company so that the status of deviation can be clarified. Information regarding non-detection of bio-medical waste in solid waste should be provided regularly. Action taken by the corporations in the above work and the desired report in the prescribed form as per the decision of the last meeting should be made available before the next meeting. The District Magistrate should get the log-book maintained by the company verified through the Chief Medical Officer.

(Action-District Magistrate/Mu. Chi. A/
/Municipal Corporation,
Agra/Mathura/Firozabad/Bharatpur)

Main Agenda Point No.-07 (25.04.2022)

Regarding compliance of the order dated 16.03.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in OA No.-259/2021 (Ashok vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board):- Regional Officer (P), UPPCL, Agra informed that regarding prevention of pollution generated by Gangsa units operating in Tehsil-Kheragarh of District-Agra, following orders have been passed by the Hon'ble Tribunal on 16.03.2022 in OA No.259/2021 (Ashok vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board) filed by the petitioner Shri Ashok in the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi:-

“7. In view of above, we direct the Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority and the State PCB and other concerned Departments to hold a joint meeting within one month and prepare an action plan for remedial

action having regard to the ground situation so as to support the 'Sustainable Development principle. State PCB will be the nodal agency for compliance. This will also include scientific management of slurry, installing proper Rain Water Harvesting systems, air quality norms and regulation of groundwater in the interest of rule of law and protection of environment and public health. The application is disposed of. A copy of this order be forwarded to the Chief Secretary, Uttar Pradesh, State PCB and Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority by e-mail for compliance.”

The petitioner Shri Ashok has filed the above OA in the Hon'ble Tribunal due to the operation of 35 stone crushers and such units in the Taj Travesium area of Agra district and the pollution caused by the units in violation of environmental rules, adversely affecting the health of the Taj Mahal, Yamuna River

and the public and groundwater exploitation by doing deep boring without obtaining necessary permissions. In order to comply with the above orders passed on 16.03.2022, action is to be ensured by making an action plan in relation to air quality norms, regulation of ground water, rain water harvesting system and scientific management of slurry in relation to stone cutting units (Gangsa). In order to ensure compliance of the above orders passed by the Hon'ble Authority, Ms. Sunita Naidu, Assistant Geo-physicist and District Mining Officer, Agra has been nominated by the District Magistrate on behalf of the Ground Water Department and Chief Town Planner, Hon'ble Development Authority/Nodal Officer, TTZ Authority, Agra has been nominated by the Member-Convener, TTZ Authority, Agra on behalf of the TTZ Authority.

It was informed that stone cutting units (Gangsa) are established/operated in Tehsil Kheragarh and its surrounding areas of Agra district under Taj

Trapezium Area. Stone blocks are brought by stone cutting units (Gangsa) from Bharatpur, Dholpur and Karauli etc. districts of Rajasthan. Slurry generated from these stone cutting units (Gangsa) is used for filling the low-land area situated in Tehsil Kheragarh and its surrounding areas, but the Hon'ble Authority has passed orders regarding scientific management of slurry in its said order.

According to the notification dated 24.09.2020 of the Ministry of Jal Shakti (Department of Water Resources, River Development and Ganga Conservation, Government of India and the notification dated 02.03.2021 of Namami Gange and Rural Water Supply Section-3, Government of Uttar Pradesh, based on the recommendation of the State Ground Water Management and Regulatory Authority, micro and small enterprises of Uttar Pradesh, whose ground water extraction is less than 10 cubic meters/day, have been exempted from the provision of obtaining

ground water extraction no objection and it is mandatory for such industries to obtain registration under Section 10 and 11 of the aforesaid Act.

In view of compliance of the above orders of the Hon'ble Authority, a joint meeting was called on 30.03.2022 to prepare an action plan regarding Air Quality Narcotics, Regulation of Ground Water, Rain Water Harvesting System and Scientific Management of Slurry in the subject matter and to have detailed discussion on the matter, in which in view of compliance of the above orders of the Hon'ble Authority passed by the Joint Committee, an action plan has been prepared for stone cutting (gangsa) units as follows:-

1. The work of half-yearly ambient air quality monitoring by Gangsa units at three locations in the vicinity of stone cutting units operating in Tehsil Kheragarh should be done by laboratories

recognized by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change/UP Pollution Control Board, whose monitoring report will be submitted to the UP Pollution Control Board by the association of stone cutting (Gangsa) units every six months.

2. For Scientific Management of Slurry, in the Stone Cutting (Gangsa) units established/operated in Tehsil Kheragarh, the slurry generated during stone cutting will be disposed of only by semi-drying the slurry and making interlocking blocks/tiles, in respect of which a minimum 05 year agreement will be made with the nearest cement products manufacturing units for making available slurry generated during stone cutting to the Stone Cutting (Gangsa) units, and a photocopy of the agreement made will be made available to UP Pollution Control Board, Agra within a week.

3. It will be mandatory to maintain a logbook of slurry provided by stone cutting (gangsa) units to units manufacturing cement products, quarterly information of which will be mandatory to be provided to UP Pollution Control Board, Agra.
4. In units manufacturing cement products, it will be ensured that the interlocking blocks / tiles are manufactured in a covered shed to control fugitive emissions generated from mixing operations.
5. The water used by Stone Cutting (Gangsa) units for stone cutting will be reused through recycle tank installed in the unit.
6. Compliance of the notification dated 24.09.2020 of the Ministry of Jal Shakti (Department of Water Resources, River Development and Ganga Conservation), Government of India and notification number-330/76-3-2021-44/2020

dated 02.03.2021 of the Government of Uttar Pradesh, Namami Gange and Rural Water Supply Section-3 will be ensured.

7. Construction of rainwater harvesting pit as per rules will be ensured by stone cutting (gangsa) units in the premises within 15 days, information of which along with photographs will be provided to UP Pollution Control Board, Agra.
8. Stone slurry/dust generated by stone cutting by stone cutting (gangsa) units shall not be collected in nearby open spaces. If stone slurry/dust is found collected near the nearest stone cutting (gangsa) unit, action will be taken against the unit by UP Pollution Control Board, Agra under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974/Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

9. Tree plantation work will be done on about 33 percent of the area around stone cutting (gangsa) units. Strict compliance of the orders issued by the Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change Section-7, letter no. 1011/81-7-2021-09/Writ/2016 dated 13.02.2021 regarding Miyawaki method based green belt should be ensured. The said technique is available on [www.up.ecp.in/training session.aspx](http://www.up.ecp.in/training_session.aspx).
10. While issuing license for storage to stone cutting (gangsa) units by District Magistrate/District Mining Officer, Agra, compliance of the above conditions should also be ensured.
11. Stone cutting (gangsa) units should ensure full compliance of the orders issued from time to time by Hon'ble Courts/Hon'ble National Green Tribunal/Taj Trapezium Zone Pollution

(Prevention and Control) Authority and U.P. Pollution Control Board.

After detailed discussion, in view of compliance of the orders passed by the Hon'ble National Green Tribunal on 16.03.2022 under the OA in question, the Authority Board, while giving its opinion on the action plan prepared in the joint meeting of the committee held on 30.03.2022, directed that the said action plan should be strictly followed by all the concerned departments and the Uttar Pradesh Pollution Control Board, which has been designated as the nodal department by the Hon'ble Authority, should be informed about the compliance. The report regarding the compliance action taken from the concerned departments should be collected and sent to the Hon'ble Authority by the Regional Officer (P), UPPCB, Agra on e-mail and a copy should be made available to the TTZ Authority. The action taken should be informed in the next meeting of the TTZ Authority.

(Action-District Magistrate/All concerned
departments/U.P.P.D. Board, Agra)

Main Agenda Point No.-08 (25.04.2022)

Regarding compliance of the decisions of the meeting held on 09.03.2022 under the chairmanship of Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India:- It was informed in the meeting that in furtherance of the orders passed by the Hon'ble Supreme Court on 08.12.2021, an important meeting was arranged on 09.03.2022 under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi at Indira Paryavaran Bhawan, New Delhi. Detailed discussions were held regarding various environmental issues of the Taj Trapezium Area as well as ensuring compliance with the order dated 08.12.2021 passed by the Hon'ble Supreme Court. The minutes of the meeting have been received

through the letter dated 21 March 2022 of the Section Officer, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (CP Division), Government of India, New Delhi. It is necessary to ensure necessary action in accordance with the decision passed in the above meeting.

After detailed discussion on the minutes of the above meeting dated 09.03.2022, it was directed that the minutes of the meeting convened on 09.03.2022 under the chairmanship of Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi, be sent to all the concerned departments to ensure compliance as per rules. Also, whatever instructions are to be issued from the level of TTZ Authority in the said minutes, letters should be issued immediately to all the concerned departments regarding them and compliance should be ensured. Instructions were given to delete the said point.

(Action- Concerned Department/TTZ Authority)

Other points, with the permission of the Chairman-

Regarding taking action against electroplating (imitation jewellery) units operating in residential areas of Agra city:- The Regional Officer (Administration), UPBSE, Agra informed that the office receives complaints from the complainant Shri Ravi Gandhi regarding electroplating (imitation jewellery) units operating in various residential areas of Agra city. Electroplating (Imitation Jewellery) units fall under Red Category at serial no. 44 in the list of industries classified by Central Pollution Control Board dated 07.03.2016 having water pollution score of 30 and hazard score of 20. In continuation of the order dated 13.08.2003 passed by the Hon'ble High Court, Allahabad in Writ Petition No.34957/2003 (Smt. Mithlesh Jain Vs. State of UP and others) regarding closure of the units operating in the residential area,

the Chief Secretary, Government of UP vide Government Order No.CS-89(1)/9-A-3-2003-62 writ/2003 dated 10.11.2003 has directed the Joint Housing Commissioner and Vice Chairman, Development Authority, Designated Authority, all Regulated Areas, UP to stop the industrial and commercial activities being carried on in the residential area under the Master Plan.

In continuation of the orders passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi under various cases, the following decisions have been taken in the meeting held on 09.07.2020 under the chairmanship of Chief Secretary, Uttar Pradesh Government:-

“In the state, no polluting industries of red and orange category should be given electricity connection without obtaining clearance for establishment from UP Pollution Control Board.

After obtaining clearance for establishment from UP Pollution Control Board, temporary electricity connection should be provided to industries of red and orange category by the Electricity Department and thereafter, permanent electricity connection should be provided to the industries after obtaining clearance for operation by the industries.”

In the order of the above decisions, instructions have been issued to the Managing Director, Vidyut Vitran Nigam Ltd., Dakshinchal, Agra by the Chairman, UP Power Corporation Ltd., Shakti Bhawan, Lucknow, letter No. 70/7/Chief Engineer (Registration & Electricity) / Revenue First / Deputy Commissioner dated 02.11.2020 that the UP Pollution Control Board should not issue temporary connection without consent form for setting up the industry on the applications for temporary electrical connection received for Red and Orange Industry Sector Type and

the UP Pollution Control Board should not issue permanent connection without consent form for operating the industry on the applications received for permanent electrical connection.

It was informed by the Regional Officer (Regional), UPPSC, Agra that in view of the complaints made by the complainant Shri Ravi Gandhi, notices have been issued from their office level to the electroplating (imitation jewellery) units operating in the residential area to ensure that the unit is set up in the industrial/permitted area only after obtaining no objection/consent from the State Pollution Control Board through Investment Mitra. In case an affidavit is not received within 15 days regarding not operating the unit in the residential area, a recommendation for legal action/closure proceedings against the unit under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 will be made to the Board Headquarters, whose entire responsibility will be of the industry itself and its

responsible representative/person, a copy of which has been endorsed to Agra Development Authority and Torrent Power Ltd. for necessary action. For this, letters are sent by the Regional Office, UP Pollution Control Board, Agra to Torrent Power Ltd. and Agra Development Authority, contracted for electricity distribution in the urban area, to ensure action as per rules, for which action is expected from Torrent Power Ltd. and Agra Development Authority. In the meeting of District Environment Committee constituted under the chairmanship of District Magistrate, Agra, dated 12.01.2021, 15.12.2021 and 30.03.2022, the complainant Shri Ravi Gandhi had also presented a case regarding electroplating (imitation jewellery) units operating in the residential area, in which the Agra Development Authority has been directed by the Chairman to conduct an investigation.

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi, in exercise of

powers conferred by sub-section (1) and sub-section (3) of section-3 of Environment (Protection) Act, 1986, has constituted “Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority” under the chairmanship of Commissioner, Agra Division, Agra. It has been authorized to exercise powers under section-5 of the said Act, which includes closing down, prohibiting or regulating any industry, operation or process and stopping or regulating the supply of electricity or water or any other service.

In this regard, after detailed discussion, using the powers vested in Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, it was unanimously decided that the permanent/temporary electrical connections of Electroplating (Imitation Jewellery) units operating without Consent Form for Establishment of Industry issued by UP Pollution Control Board should be immediately disconnected by Dakshinchal Vidyut Vitran Nigam Ltd./Torrent Power Ltd. and the water

connections should be disconnected by Jal Sansthan. Similarly, if ground water is being used illegally in the units, then the illegal submersible should be seized and closed by the ground water department. The list of electroplating (imitation jewellery) units operating in the residential area should be made available by UPPCB to the concerned departments for action. Agra Development Authority should ensure action as per rules against electroplating (imitation jewellery) units operating in the residential area under the relevant sections of UP Town Planning and Development Act, 1973. TTZ Authority should be informed about the action taken.

(Action-Agra Development Authority / Managing Director, DVVNL / Torrent Power Ltd. / Water Institute / Ground Water Department / UPPCB, Agra)

In the sequence of orders passed under various cases by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in the meeting held on 09.07.2020 under the chairmanship of Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh in the

letter dated 02.11.2020 sent by Chairman, UP Power Corporation Limited, Lucknow to all Managing Directors, Vidyut Vitran Nigam Limited, Dakshinanchal/Madhyanchal/Purvanchal/Paschiman chal, Agra/Lucknow/Varanasi/Meerut, after the above mentioned decisions, information should be provided regarding how many polluting industries of Red and Orange category have been provided electricity connections till date by Torrent Power Limited without obtaining NOC for establishment from UP Pollution Control Board. Also, a list should be made available regarding how many units' electricity connections have been disconnected by Torrent Power Ltd. in comparison to the letters sent by UP Pollution Control Board to Torrent Power Ltd. for disconnection of electricity connections against the concerned units in the context of electroplating (imitation jewellery) units and other complaint cases. The concerned officer of Torrent Power Ltd. should be called in the next

meeting of TTZ Authority with all the information regarding disconnection of electricity connections.

(Action: Torrent Power Ltd./TTZ Authority)

Finally the meeting was concluded with thanks.

(Amit Gupta)

Divisional Commissioner/Chairman,

T.T.Z. Authority, Agra.

//TRUE TRANSLATED COPY//

Minutes of the 57th meeting of the “Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority” held under the Chairmanship of Divisional Commissioner/Chairman, TTZ Authority, Agra on 10.08.2022 at 12.00 noon.

After welcoming the members/officers/eminant guests of TTZ Authority present in the meeting, the 57th Board Meeting of the “Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority” was started. The attendance of the meeting is attached at Annexure-1.

Agenda Point No.1:

Confirmation of the minutes of the last 56th Board Meeting of the 'TTZ Authority' dated 25.04.2022:-

The minutes of the last 56th Board Meeting of the 'Authority' dated 25.04.2022 were confirmed.

Agenda Point No.2:-

Compliance report of the last 56th meeting of 'TTZ Authority' dated 25.04.2022- In the decision of the last 56th Board Meeting of the 'Authority' dated 25.04.2022, before reviewing the compliance action taken by the concerned departments point wise, the powers/responsibilities mentioned in the Gazette No. 489 (A) dated 30th April, 2003 issued by the Ministry of Environment and Forests, Government of India regarding the reorganization of the 'Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority' were briefly highlighted. After discussion on various points/issues and proposals in the meeting, the following decisions were taken by the TTZ Authority-

Others Points:-

(1) Regarding disposal of plastic/polythene:- Assistant Commissioner (Food), Agra Division, Agra (Assistant Nodal Officer) informed that the comparative statement of the data presented in the last meeting

and the current data reflects that the action taken by the concerned departments in relation to single use plastic is satisfactory as compared to the action taken earlier.

After discussion, instructions were given that the information received on the prescribed format from the concerned departments by the Additional Commissioner (Administration), Agra Division, Agra, who is nominated as the Nodal Officer, should be thoroughly examined to see whether the information provided by the concerned departments is in accordance with the previous period presented or not. After that, they should be carefully compiled on the prescribed format so that the action taken till the previous period and the current period can be easily compared. Before sending the information on the prescribed format by the Municipal Commissioner, Agra, Mathura and Firozabad, the information should be sent to the concerned only after thoroughly

checking the data at his own level. The information (data) on the prescribed format by the Additional Commissioner (Administration), Agra Division, Agra should be made available to the TTZ Authority on time.

(Action- All Municipal Corporations/Municipal Councils/Nagar Panchayats/Additional Commissioner (Administration), Agra Division)

(2) Regarding the transfer of Petha units and ban on the use of coal/coke in Petha units:- District Magistrate, Agra informed that the joint team along with the City Magistrate/All Additional City Magistrates, Agra Development Authority, UP Pollution Control Board, Municipal Corporation, Food Safety Officer and police force of concerned police stations is continuously taking action for sealing/demolishing of coal operated Petha factories/furnaces and collecting fines. Additional City Magistrate (Fifth) has taken preventive action against 13 units including 06 Petha manufacturing units and 01 industrial unit (for melting silver) in urban area and 03 in Tehsil

Kheragarh and 03 in Fatehabad under rural area. During inspection, use of coal in Petha production was found in 04 units and action of sealing was taken by a joint team constituted on the spot. Along with this, a fine of Rs. 25000-25000 has been imposed by the Municipal Corporation team. The seal is opened only after the Petha businessmen who submit affidavit and request to open the seal are made to give full details of the alternative work proposed by them in the affidavit.

Shri F.C. Mukherjee, General Manager, Green Gas Ltd., Agra informed that the locations of some Petha businessmen are situated in very narrow streets, where supply of gas by Green Gas Ltd. is not possible.

After detailed discussion, instructions were given that the District Magistrate, Agra should ensure that coal/coke is not used in any condition in the production of Petha. Similarly, it should be ensured through SDM in tehsils that coal/coke/leather/wood is

not used in the production of Petha by Petha units. Monthly report of the action taken should be made available to the TTZ Authority Office through the District Magistrate.

(Action- District Magistrate/
ADM (City)/All SDMs, Agra)

If coal/coke is found to be used in the production of Petha, the Additional District Magistrate (City) and the Municipal Corporation should ensure action for fine/sealing against the concerned Petha businessman, and a First Information Report should also be lodged at the concerned police station. When a case of coal/coke being used in Petha production comes to notice, the Senior Superintendent of Police should investigate from which coal depot the Petha businessman is getting the coal. The GST department should also conduct a background check regarding the supply of coal to the Petha businessman.

(Action-ADM (City)/ Municipal Corporation/SSP/GST, Agra)

Deputy Commissioner, District Industry Centre, Agra should take action to include Petha business in 'ODOP' scheme. Regarding the use of gas, the desired process/action will be done by District Industry Centre, Municipal Corporation and Green Gas Ltd. Agra under the leadership of District Magistrate, Agra. In this case, the desired cooperation of Process and Production Development Centre (PPDC), Agra should also be obtained. Deputy Commissioner, District Industry Centre, Agra is nominated as the nodal officer for this entire action. The Deputy Commissioner should also issue the necessary letter to the concerned department of the government through District Magistrate, Agra at the level of the undersigned. Before the next meeting, the Deputy Commissioner should provide proper training and sensitization to the

workers associated with Petha production regarding making Petha from gas.

(Action-District Magistrate/Deputy Commissioner,
District Industries Centre, Agra)

The data regarding the present gas rates in all the districts falling under the Taj Trapezium Area should be obtained from the concerned departments by the Regional Officer, UPPCB, Agra and presented in the next meeting.

(Action-Regional Officer, UPPCB, Agra)

Since UP Jal Nigam has sent a letter to the government regarding the approval of the project costing Rs. 667.30 crores prepared by UP Jal Nigam for the Trans Yamuna area for the supply of Ganga water in Kalindi Vihar Yojana under Amrit Yojana and the process of getting the approval is currently in progress, therefore this paragraph/point of UP Jal Nigam should be deleted.

(Proceedings-TTZ Authority)

(3) Regarding providing of information on prescribed format by coal depots under Taj Trapezium Area:- Joint Commissioner, Commercial Tax, Agra informed that in the list of 48 coal/coke traders received by UP Pollution Control Board, Agra, 04 firms were found not using coal. 05 firms are under central jurisdiction, Central Department has been informed about the decision of TTZ Authority, information has not been received by them yet. 02 firms have got stay from Hon'ble High Court regarding registration. 02 firms were not found registered under GST and addresses of 02 firms were incomplete. 13 registrations have been cancelled and 03 have been suspended. Action is going on in the remaining 04 cases. Further, in pursuance of the directions of last meeting, 15 coal/coke units provided by Regional Office, UPPSC, Agra were inspected, out of which 09 firms (1) M/s Bajrang Coal Traders, Moti Katra Police Chowki Khidki Kale Khan,

Agra (2) M/s Kishori Lal Coal Depot, Rui Ki Mandi, Shahganj, Agra (3) M/s Dinesh Coal Depot, 6/176 Phatak Suraj Bhan, Belanganj, Agra (4) M/s Mittal Coal Depot, 8/144, Bhairo Bazar, Agra (5) M/s Meera Coal Depot, Gayatri Bihar, Sikandara, Agra (6) M/s Parvati Coal Depot, Nagla Behad, Mauza-Bebati Kalan, Tehsil Fatehabad, Agra (7) M/s Shivani Coal Depot, Saiya Tehsil Kheragarh, Agra (8) M/s Mukesh Traders, Sitanagar Nunihai, Agra (9) M/s Singhal Coal Depot Jones Mill Compound Yamuna Kinara Road, Agra's GST registration has been cancelled and coal work has not been found to be taking place in the remaining 06 firms.

District Magistrate, Firozabad informed that out of 06 coal depots in District Firozabad, registrations of 03 have been cancelled, 01 coal depot is already closed and remaining 02 coal depots are maintaining coal account register on the prescribed format, through

which coal is being sold outside the Taj Trapezium Area.

Regional Officer (P), UPPCB, Agra informed that as per the decision of the last meeting, a notice has been sent on 30.05.2022 to convert the brick kilns established/operated under Taj Trapezium area to zig-zag technology or vertical shaft and not to use pet coke, tyres/plastic/hazardous wastes by the brick kilns. Consent for operation will be issued by the State Pollution Control Board only after the change in zig-zag technology.

The Regional Officer, UPPCB, Mathura informed that no brick kiln is established/operated within the Taj Trapezium Area in District Mathura. All other brick kilns have been directed not to use prohibited fuels such as pet coke, tyres/plastic/hazardous waste under any circumstances and to use only permitted fuels such as coal, wood, straw and PNG for brick

manufacturing and the same has been published in the daily newspaper.

It was informed by the Regional Officer, UPPCB, Firozabad that all the 20 brick kiln owners/operators established under the Taj Trapezium Area in District-Firozabad have been directed by issuing a letter dated 25.06.2022 regarding ensuring compliance of the instructions and in case the concerned brick kiln owner/operators do not comply with the instructions, the concerned brick kiln will not be given no objection from this office level for operation in the next season and legal action will be taken against the concerned brick kiln industry under the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

It was informed by the Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Bharatpur (Raj.) that in Bharatpur district, under the Taj Trapezium Zone area, a total of two brick kilns have

been established, out of which one brick kiln, M/s Agarwal Brick Industry, near Village Peedhi, Tehsil Kumher, District Bharatpur, has been converted into Zig-Zag system and M/s Rajni Brick Industry, near Village Sabora, Tehsil Kumher, District Bharatpur, is currently closed due to not being able to convert it into Zig-Zag system.

After detailed discussion, instructions were given that-

1. As per the decision of the last meeting, out of 15 coal/coke depots in Agra, registrations of 09 coal/coke depots have been cancelled and out of the remaining 06 firms, 04 firms have changed their business to other work but their registrations are still registered in GST department as coal/coke depots, so the registrations of coal/coke depots of all the above 04 firms should be cancelled as per rules. The

remaining 02 firms should be examined and informed in the last meeting.

(Action-Joint Commissioner, Commercial Tax
Department, Agra)

2. As per the decision of the last meeting, action should be taken immediately to cancel the registrations of 26 coal/coke depot owners of Agra by GST/other related departments and in the next meeting, the action taken regarding cancellation of registration of the said 26 coal/coke depot owners should be informed.

(Action-Joint Commissioner, Commercial Tax
Department, Agra)

3. Out of 06 coal/coke depots located in District-Firozabad, the 02 coal/coke depot owners/operators who are selling coal outside the Taj Trapezium Area and are maintaining accounting register on the prescribed format, should be

investigated by the GST Department to find out whether the above two coal/coke depot owners/operators are actually selling coal outside the Taj Trapezium Area or not.

(Action- Commercial Tax Department, Firozabad)

4. If the coal/coke depot owners/operators located in Mathura district are not doing trading, then action should be taken as per rules for cancellation of their registration by GST department as per rules.

(Action- Commercial Tax Department, Mathura)

5. The coal/coke depot operators in Agra, Mathura and Firozabad who are maintaining the coal account register on the prescribed format should be thoroughly examined by the GST department and their background should also be thoroughly checked.

(Action- Commercial Tax Department,

Agra, Mathura, Firozabad)

6. GST/concerned department should not register coal/ coke depots in future without permission of TTZ authority.

(Action-Joint Commissioner, Commercial Tax, Agra,
Mathura and Firozabad)

It was directed that in case of no change in Zig-Zag technology or vertical shaft in brick kilns and if pet coke, tyres/plastic/hazardous waste is found to be used in brick kilns, no brick kiln will be given permission to operate in the next season by any concerned department. The action taken should be informed in the next meeting.

(Action-Concerned Sub-District Magistrate/District Panchayat/District Mining Officer/Regional Officer, UP Pollution Control Board, Agra, Mathura, Firozabad,
Etah, Hathras, Bharatpur (Raj.)

Regarding removal of road dust and cleanliness on National Highway (NH-19), Agra Metro and other major routes of the city:- Additional Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Agra informed that after the approval of the courtyard for the work of planting grass and creating green belt, tenders have been invited, the work will be executed as soon as the process of tender approval is completed. Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Mathura-Vrindavan, Mathura informed that the construction work of road side green belt has been done at 04 identified locations in Mathura-Vrindavan area and vertical gardens have been constructed at 07 main locations in the city.

Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Firozabad informed that the Municipal Corporation is getting the roads under the area water sprinkled and trees washed. Tender has been invited twice for hiring mechanized sweeping machine, in which no tender has

been received, further proceedings are underway. Along with cleaning, the Nagar Nigam is also regularly sprinkling water on the service road of NH. The work of planting grass has been done on the side track near the police fire station on Tehsil Rehna Road in an area of length 198.50 m and width 2.90 m, on the side track near the block wall on Tehsil Rehna Road in an area of length 200 m and width 2.85 m and on the Tehsil Rehna track in an area of length 350 m and width 1.60 m.

Superintending Engineer, Mathura-Vrindavan Development Authority, Mathura informed that Mathura-Vrindavan Development Authority has planted grass at 05 places, namely, from Tehsil to Veterinary College on both sides (45 m wide road), from Chhatikara to Prem Mandir road on both sides (30 m wide road), from Rukmani Vihar Rotary to Chhatikara road on both sides (30 m wide road), from SSP Niwas to Yodha Chowk in a stretch of 800 meters

and the process of planting grass on a stretch of 550 meters from TFC to Mandi is in progress.

Executive Engineer, Ni.Kh.-1, (Ta.Tri.), PWD, Agra informed that necessary action is taken from time to time to remove road dust and maintain cleanliness on the main roads of the city falling under this section and it is not possible to plant grass due to lack of sufficient raw space on the sides of the roads.

The representative of Agra Development Authority informed that the Inner Ring Road is being cleaned continuously so that dust does not accumulate on the road and dust particles do not fly in the air. About 24000 plants have also been planted in the green verge area of about 8000 sqm on the service road of the Inner Ring Road using the Miya Baki method to reduce pollution. Apart from this, about 8000 plants and shrubs have been planted on the central verge and slope. Turking work has been done on the slope of the

Inner Ring Road to stop dust. Apart from this, plantation work has been done in the central verge of Agra Inner Ring Road so that dust particles do not fly in the air from the central verge. The above is being maintained continuously.

Regional Officer (Provincial), UPPCB, Agra informed that the office is inspecting the Agra Metro Rail Project site on a weekly basis and as the necessary arrangements are not found to be in place, a letter has been sent to the Board Headquarters regarding imposing environmental compensation of Rs. 29.25 lakh on UP Metro Rail Corporation Ltd. The environmental compensation of Rs.37.50 lakh imposed on UP Water Corporation has not been deposited by UP Water Corporation till now. Environmental compensation is imposed on any department/institution etc. as per the guidelines prepared by the Central Pollution Control Board in the order of orders issued by the Hon'ble National Green

Tribunal. Chief Environment Officer (Circle-4), UPPSC, Lucknow informed that 25% of the total amount received from environmental compensation is handed over to the Central Pollution Control Board and the remaining 75% amount remains available with the State Pollution Control Board, for the expenditure of which a Standard Operating Procedure (SOP) has been prepared by the Central Pollution Control Board. As per the provision of the said SOP, the proposal to spend the money is sent to the Central Pollution Control Board, on which after the approval of the Central Pollution Control Board, the desired amount is released to the concerned department by the State Pollution Control Board. The power to spend the amount of environmental compensation can be provided at the level of the Delegate Hon'ble National Green Tribunal.

The Regional Officer, UPPCB, Mathura informed that NHAI is not ensuring adequate arrangements at

the site to prevent dust from flying during construction.

After discussion, instructions were given that Nagar Nigam, Agra, Mathura and Firozabad and Development Authorities should plant grass on vacant places in their respective areas/create green belts because currently it is rainy season. Also, dust should be cleaned/removed regularly from the roads in their areas. Report along with photographs of the action taken should be made available before the next meeting.

(Action- Municipal Corporation / Development Authority, Agra, Mathura and Firozabad)

NHAI and Public Works Department should regularly clean the dust from the roads and a report with photographs should be made available before the next meeting. NHAI Mathura should ensure necessary arrangements at the site to prevent dust from flying

during road construction. If these are not followed, Regional Officer, UPPCB Board, Mathura should send a notice to NHAI and take action to impose environmental compensation. If dust is found flying anywhere on National Highway-19, the matter should be immediately brought to the notice of District Magistrate by the Regional Officer, UPPCB, Agra, Mathura and Firozabad.

(Action-NHAI/ PWD/ UPPCB Board, Agra, Mathura,
Firozabad)

Project Director, NHAI, Agra-Etawah Section is nominated as Nodal Officer of NHAI for participation in the meeting of TTZ Authority in respect of cleanliness/road dust removal/dust control etc. on NHAI roads under Taj Trapezium Area, who will personally participate in future meetings of TTZ Authority with relevant information of all the sections.

(Action-NHAI, Agra-Etawah Section, Agra)

In order to prevent dust from flying during the construction work being carried out under the Agra Metro Rail Project by Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Ltd., adequate sprinkling of water at regular intervals and other necessary arrangements should be ensured. Before the advent of winter season, Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Ltd. should get the construction related material collected at various places cleaned unnecessarily and ensure compliance of C&D Waste Management Rules-2016 and Guidelines on Dust Mitigation Measures in Handling Construction Material and C&D Waste at Metro Depot, Casting Yard, RMC Plants and Underground Metro Station construction sites. Additional District Magistrate (City) and Regional Officer (P), UPPCB, Agra should regularly inspect the Agra Metro Rail Project site and in case of non-compliance, action should be taken to impose environmental compensation. The action taken should be informed in the next meeting.

(Action- UP Metro Rail Corporation Limited /
Additional District Magistrate (City) / UP PWD Board,
Agra)

Grass should be planted/green belt should be made by Agra Development Authority to prevent dust from flying for a distance of 100 meters near Hotel Ramada on getting down from Inner Ring Road on Fatehabad Road. After 100 meters, grass should be planted on both sides of the road by the Public Works Department. The above sites should be inspected by the Regional Officer (P), UPP WD Board, Agra. If the above work is being done by the Horticulture Department, then in such a situation, the District Magistrate, Agra should get the above work done by the Industries Department as soon as possible.

(Action-District Magistrate/ A.V.P./U.P.P.C.B., Agra)

With the permission of the Chairman (06.06.2018)

(1) Regarding the shifting of transport agencies established on Yamuna Kinara Marg, the representative of the GST department informed that the GST department is not giving new registrations to transport traders on Yamuna Kinara Marg. The concerned divisional officers have been directed to investigate the transport agencies with turnover less than Rs. 20 lakh. M/s Tundla Transport Company has been established in Transport Nagar and the business of M/s Tundla Transport Company has been stopped from Yamuna Kinara Marg. The owner of M/s Sardar Tundla Transport Company has informed that there is a problem in relocation due to lack of agreement on some issues with Agra Development Authority. As soon as an agreement is reached, the Transport Company will be established in Transport Nagar as soon as possible. M/s Quick Road Carrier Transport Company has been established in Transport Nagar and the business of the Transport Company has been stopped

by them from Yamuna Kinara Marg. A list of 74 businessmen has been received from the RTO located on Yamuna Kinara Road, in which 09 are big dealers. 37 businessmen have been investigated and the remaining businessmen have not informed about their turnover, even during the on-spot investigation the turnover of the businessmen could not be ascertained. A letter has been sent by the GST department to the Income Tax department to obtain information regarding the turnover of 10 businessmen.

District Magistrate, Agra informed that after the approval of the plan of Rs. 7475.72 lakh prepared by the Municipal Corporation regarding permanent works in Transport Nagar, 05 important works of estimated cost Rs. 507.18 lakh have been identified for construction/development work to be done by the Municipal Corporation. According to the list of 348 transport businessmen registered in the GST department sent by Additional Commissioner Grade-

1. Commercial Tax, Agra, 19 businessmen were already common carrier license holders and 15 businessmen were from other districts. Apart from this, the business of 74 businessmen is located on Yamuna Kinara Marg, out of which some businessmen have told that their office is not on Yamuna Kinara Marg. According to the re-investigation done by the enforcement officers and Google Map, 33 businessmen have been found at the address of Yamuna Kinara Marg. Till now, a total of 19 transporters have been registered in the GST department. Additional Superintendent of Police, Traffic, Agra is ensuring that no entry is enforced on Yamuna Kinara Marg in Agra city area from 05:00 AM to 11:00 PM. Action is being taken by deploying traffic policemen, interceptor vehicles and cranes on Yamuna Kinara Marg regularly as per rules under the Motor Vehicles Act against vehicles parked on the roadside and no vehicle is allowed to be parked on Yamuna Kinara Marg. Taking

action as per rules under the Motor Vehicles Act against vehicles illegally parked on Yamuna Kinara Marg, a total of 56 vehicles have been challaned and a penalty of Rs 4,000 has been collected. And by taking action against vehicles parked on the side of the road on Yamuna Kinara Marg using crane, a total penalty of Rs 45,800 has been collected. Action to establish a new Transport Nagar under Master Plan-2031 has been proposed by the Agra Development Authority. The current Transport Nagar plan located at Thana Sikandara is based on the previous plan, in which there is not enough land/space to establish all the transports located on Yamuna Kinara Marg. It would be appropriate to relocate all the transports located on the Yamuna Kinare Marg to the new Transport Nagar proposed under Master Plan-2031.

RTO, Agra informed that under Motor Vehicles Act, challan proceedings have been initiated against 189 vehicles in Yamuna Kinara area. No transport

agency located on Yamuna Kinara Marg is registered with RTO. Only 11 transports from other areas of the city are registered. The case of one transport agency M/s Sardar Transport Co. is under dispute in Agra Development Authority.

According to Agra Development Authority, online bids were invited for allotment of vacant plots only to transport agencies, out of which 09 plots have been sold through e-auction/e-auction. Bids are being invited for 42 vacant plots.

After detailed discussion, instructions were given that GST department should not register any transport agency situated on Yamuna Kinara Marg. For those transport agencies which have been allotted plots in Transport Nagar but are still doing business from Yamuna Kinara Marg, immediate action should be ensured by Joint Commissioner, Commercial Tax regarding shifting of their business to Transport Nagar.

As per the instructions of the last meeting, GST department should investigate transport agencies having turnover less than Rs. 20 lakh. The disputed case of M/s Sardar Transport Company should be resolved soon as per rules by Agra Development Authority.

(Action-Joint Commissioner, Commercial Tax,
Agra /A.Vi.Pr., Agra)

Among the proposed works to be done by the Municipal Corporation in Transport Nagar, the important works worth Rs. 507.18 lakhs identified should be completed soon. The District Magistrate should ensure that all the transport agencies registered with the GST department are also registered with the Divisional Transport Department as per rules.

(Action- District Magistrate/
Municipal Corporation, Agra)

Superintendent of Police (Traffic) and RTO should not allow vehicles of transport agencies to be parked on Yamuna Kinara Marg under any circumstances and if any vehicle is found parked, enforcement action should be taken regularly as per rules.

(Action- SP (Traffic) / RTO, Agra)

The Agra Development Authority should allot the vacant plots in Transport Nagar as per rules as soon as possible and the allotments of those Transport Agencies who are not shifting their business to the allotted plots should be cancelled as per rules and the plots should be allotted as per rules. Apart from this, the allotments of those Transport Agencies who are doing other work in Transport Nagar contrary to the terms of allotment should also be cancelled as per rules. Shifting and all other desired actions should be ensured under the leadership of District Magistrate.

(Action-District Magistrate/ADA, Agra)

Regarding laying of tiles on the parking space in front of Ramlila Ground:- The representative of Agra Development Authority informed that continuous efforts are being made to get the desired no objection from the National Monument Authority by re-submitting the proposal as per the decision of the 32nd meeting of the Toll Tax Advisory Committee held on 01.06.2022 and work should be started after receiving the NOC.

After discussion, instructions were given that the work of laying tiles at the site should be ensured by the Agra Development Authority after obtaining the desired no objection from the National Monument Authority.

(Proceedings-Chief Engineer, ADA, Agra)

Main Agenda Point No. 4(10.06.2019)

Regarding granting of permission/clearance of TTZ Authority for implementation of Agra Metro Rail Project

in Agra district situated under Taj Trapezium Area:- It was informed that as per the decision of the last meeting, Reminder-2 dated 07.04.2022 has been sent by the TTZ Authority Office to the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Uttar Pradesh Government, Lucknow, to obtain the desired guidance, mentioning the updated status of the Agra Metro Rail Project, in which guidance is awaited/expected in the matter from the government level.

After discussion, it was directed that as per the decision of the last meeting, after getting guidance from the government level in the matter, action should be taken as per rules by presenting it in the meeting.

(Action-TTZ Authority, Agra)

The following measures should be taken to control PM-10 and PM 2.5-

4. All the implementing agencies should ensure strict compliance of Construction and Demolition Rules-2016- The representative of the Agra Development Authority informed that during the construction/development works being carried out within the Taj Trapezium Area, the cleaning of the Agra Inner Ring Road (Phase I) is being done regularly and manually, ensuring compliance with the Construction and Demolition Rules-2016 and the Central Pollution Control Board's Guidelines on Dust Mitigation Measures in Handling Construction Material and C&D Waste. The construction of Agra Inner Ring Road (Phase II) is almost complete. The dust that accumulates due to the movement of traffic on this road is being cleaned regularly. Thus, in the second phase, the dust does not spread in the atmosphere due to the movement of traffic. Due to continuous sprinkling of water on the unpaved part of the road's shoulder, the shoulder of the road has also been

paved, and the dust does not spread in the atmosphere due to strong winds. The work of all 06 piers (columns) in the flyover under construction on Fatehabad Road has been completed. Hence, no soil related work is being done in the flyover work. The site of the flyover work has been covered with tin barricading. Along with this, the land around the flyover, on which no work is being done, is also being sprinkled with water three times every day, so that dust particles do not fly into the atmosphere.

Executive Engineer, D.B-1 (T.T.), PWD, Agra informed that under Construction and Demolition Rules-2016, during road widening/strengthening up to Km-11 near Hotel Ramada, curtains are put up at the construction site to prevent dust from flying and the material is transported by dumpers after covering it. WMM (Wet Mix Macadam) and WMM (Stabilized) are being used in the widening and strengthening work, which is mixed at the plant and brought to the site, so

that the possibility of dust flying in this work is negligible. Water is also sprayed by tankers to prevent dust and the dust on the sides of the roads is cleaned by labourers.

The representative of UP Jal Nigam informed that the process of regular sprinkling of water on the roads cut using green net during the shifting of soil and construction material excavated during construction work is being ensured. Apart from this, the rehabilitation of the major roads cut for laying the pipeline, such as Bodla-Maruti State Road, Bodla-Lohamandi Road, Gadhi Bhadoriya Road etc. has been completed.

The representative of UP Metro Rail Corporation Ltd. informed that in order to prevent dust particles from flying into the atmosphere at various levels in the construction work of Agra Metro Rail Project, continuous sprinkling of water, use of anti-smog guns,

covering of construction material, proper disposal of solid waste and C&D waste, barricading of the construction area with iron sheets and water is being sprayed on the sand heaps in the casting yard through sprinklers.

The representative of Smart City Limited informed that in order to prevent dust particles/air pollution in the air, Agra Smart City Limited is continuously sprinkling water at the work sites, barricading is being done at the sites, green net is being used, construction and demolition waste is being removed from the site and building construction material is being kept covered.

The representative of Municipal Corporation, Bharatpur (Rajasthan) informed that in general all the builders have been directed to transport the construction material in a covered manner and have been ordered to remove the construction material

(debris) etc. from the roadside and a total fine of Rs. 37,800/- has been collected and from time to time the Corporation takes action in this regard.

It was informed by the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Firozabad that under the Swachh Bharat Mission Urban, the proposal for 50 tonne capacity C&D waste processing plant in Firozabad has been approved and an amount of Rs. 2.39 crore has been sanctioned for setting up the said plant, the tender process for the C&D waste plant is underway.

Superintending Engineer, Mathura-Vrindavan Development Authority, Mathura informed that at the time of approval of every tender and map, the Authority gives approval with the condition of fulfilling the conditions and formalities of Construction and Demolition Rules-2016 and Central Pollution Control Board's Guidelines on Dust Mitigation Measures in

Handling Construction Material and C&D Waste. To implement the above instructions effectively, compliance is being ensured by continuous inspection.

Regional Officer (P), UPPCB, Agra informed that due to rainy season, no environmental compensation could be imposed in the last two months. As per the proposal of Agra Municipal Corporation, out of the environmental compensation of Rs. 6,84,37,500.00 received from NHAI, the proposal received regarding the purchase of necessary equipment/machines for the control of air pollution in Agra district has been sent to the Board Headquarters by office letter dated 07.06.2022. Action on the above proposal is in progress by the Board Headquarters. Regional Officer, UPPCB, Mathura and Firozabad informed that notices/letters have been sent to the concerned departments to ensure compliance of Construction and Demolition Rules-2016 and Central Pollution Control

Board's Guidelines on Dust Mitigation Measures in Handling Construction Material and C&D Waste.

Shri Raman, Member, Supervising Committee informed that regarding compliance of Air Act by stone crusher units operating in Byana area of District Bharatpur (Rajasthan), the air quality monitoring report of the said area should be sought from the Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Bharatpur (Raj).

It was directed that all the concerned departments/implementing agencies should ensure strict compliance of the Construction and Demolition Rules-2016 and Central Pollution Control Board's Guidelines on Dust Mitigation Measures in Handling Construction Material and C&D Waste in every case during the construction/development works being carried out within the Taj Trapezium Area. Public Works Department, Water Corporation, Metro Rail

Corporation, Smart City Ltd. and Development Authorities should ensure regular sprinkling of water during construction to prevent dust from flying. Compliance report along with photographs should be submitted to TTZ Authority at an interval of every 15 days.

(Action- PWD/Water Corporation/UPM.R.C.L./Smart City Ltd./ADA/M.V.Vri.Pr. /F.Sh.Vi.Pr.)

For purchasing various types of multipurpose and suitable equipment from the amount of Rs. 6,84,37,500/- as environmental compensation deposited by NHAI, a detailed proposal sent by Agra Municipal Corporation to Uttar Pradesh Pollution Control Board, which has been sent by Uttar Pradesh Pollution Control Board to Member-Secretary, Central Pollution Control Board, Delhi on 04.07.2022 for taking necessary action, a letter should be sent by Regional Officer, UPPCB, Agra through the

undersigned to Central Pollution Control Board for taking immediate action in respect of the proposal. Dr. Saraswati, Scientist-B, the representative present on behalf of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi, was requested to get the necessary correspondence done at the Ministry level on the above mentioned proposal sent by the State Pollution Control Board to the Central Pollution Control Board.

(Action-Dr. Saraswati, Scientist-B, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India/Regional Officer, UPPCB, Agra)

Chief Environment Officer (Circle-4), UPPCB, Lucknow should request the Hon'ble National Green Tribunal for simplification of the process of availability/allocation of funds to be borne on pollution abatement in a particular area from the amount deposited as environmental compensation at the Board

Headquarters level, regarding which Regional Officer, UPPCB, Agra should coordinate with the Board Headquarters. Dr. Saraswati, Scientist-B, the representative present on behalf of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi, was requested to coordinate with the Central Pollution Control Board and request the Hon'ble National Green Tribunal for simplification of the above process at the Ministry level.

(Action:- Chief Environment Officer (Circle-4), UPPCB, Lucknow/Dr. Saraswati, Scientist-B, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India/Regional Officer, UPPCB, Agra)

In line with the directions of the last meeting, no effective action has been taken by other Pollution Control Boards situated under the Taj Trapezium Area towards imposing environmental compensation against any department, which is regrettable. Regional

Officers, UP Pollution Control Board, Mathura, Firozabad, Aligarh and Bharatpur (Rajasthan) should ensure strict compliance of Construction and Demolition Rules-2016 and Central Pollution Control Board's Guidelines on Dust Mitigation Measures in Handling Construction Material and C&D Waste in their districts under the Taj Trapezium Area and in case of non-compliance, environmental compensation should be imposed on the concerned departments/ executing agencies. In relation to taking necessary means for controlling air pollution from the amount of environmental compensation, proposals should be obtained from the concerned Municipal Corporation and sent to the Pollution Control Board Headquarters.

(Action- Municipal Commissioner, Municipal Corporation / Regional Officer, UP Municipal Corporation, Mathura, Firozabad, Aligarh, Bharatpur

(Raj.)

All the cases of environmental compensation pending at the Board Headquarters level in respect of environmental compensation to be imposed by the Regional Officer (Administration), UPPNB, Agra in relation to the Agra Metro Rail Project and to be imposed on other departments should be taken up for processing by the Chief Environmental Officer, UPPCB, Lucknow as early as possible.

(Action-Chief Principal Officer, U.P.P.C.B., Lucknow)

The amount of environmental compensation should be deposited immediately by Chief Engineer, Uttar Pradesh Water Corporation, Agra.

(Action Chief Engineer, UP Water Corporation, Agra)

Regional Officer, Rajasthan Pollution Control Board, Bharatpur (Rajasthan) should provide ambient air quality monitoring report of stone crusher units operating in Byana area of District-Bharatpur

(Rajasthan) along with photographs to TTZ Authority before the next meeting.

(Action-Regional Officer, Rajasthan Pollution Control Board, Bharatpur (Rajasthan))

Implementation of truck loading guidelines for controlling road dust is also an important point in the action plan/points prepared by IIT Kanpur in connection with controlling and improving air pollution in the Air Quality Assessment and Source Apportionment Study. In the wake of non-receipt of proposal by the Railways regarding action taken in the wake of the notice sent by UPPCB, Agra after inspection of goods warehouse at Kuberpur, UPPCB, Agra should ensure necessary action as per rules regarding imposing environmental compensation.

(Action-Regional Officer, UPPCB, Agra)

Agenda Point No.-3 (29.02.2020)

Regarding discussion on the decisions passed in the 32nd meeting of 'Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority' convened on 07.01.2015: Expressing displeasure over the fact that the ADM nominated by the District Magistrate, Firozabad, Joint Commissioner, Industries, Agra Division, Deputy Commissioner, District Industries Centre, Firozabad and Regional Officer (Admin.), UPPCB, Agra, Firozabad did not examine the matter in question and submit a clear joint report, as per the decision of the last meeting, it was directed that in compliance with the decision of the last meeting, the ADM nominated by the District Magistrate, Firozabad, Joint Commissioner, Industries, Agra Division, Deputy Commissioner, District Industries Centre, Firozabad and Regional Officer (Admin.), UPPNB, Agra, Firozabad should examine the matter in question and submit a clear joint report before the next meeting.

(Action- District Magistrate, Firozabad/Joint
Commissioner, Industries, Agra Division/Deputy
Commissioner, District Industries Center, Firozabad/
U.P.P.C.B., Firozabad, Agra)

Agenda Point No.-5 (29.02.2020)

Regarding the review of proposed/taken action by the concerned departments on various IAs pending in the writ petition (civil) number-13381/1984 (M.C. Mehta vs. Union of India and others) in the Hon'ble Supreme Court:- After reviewing the latest action taken by the departments on the IAs filed by various government/private groups/individuals/institutions in the Hon'ble Supreme Court under the petition in question, the following instructions were issued:-

| Sl No. | IA No. | Concerned Departme nt | Subject of the IA | Order |
|-----------|--------|-----------------------------|----------------------|-------|
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|---------------|--|---|
| 8. | 134453 / 2019 134454 / 2019, 3186/ 2020 (Filed By Agra Develop ment Foundat ion) | (DFO Agra) | Regarding prescribing SOP for felling of trees on government land. | Instructions were given that after making necessary amendments in the SOP and getting approval from the Government, the Divisional Director, S.V.P., Agra should ensure effective advocacy by |
|----|--|---------------|--|---|

| | | | | |
|---------|----------------------------------|----------------|--|--|
| | | | | filing the case in the Hon'ble Supreme Court as per rules as soon as possible and the action taken should be informed before the next meeting. |
| 1 1. | 4115, 4116 & 4119/ 2020 | S.S.P. Agra | Regarding smooth traffic system in Agra. | On the basis of reports/information |

| | | | | |
|---------|--|--|--|---|
| | (Filed By Agra Develop ment Foundat ion) | | | received from all concerned departments , counter affidavit should be prepared by AOR and filed in the Hon'ble Supreme Court as per rules. |
| 1 3. | 3449, 3420 & 3424/ 2020 | (Dy. Director, Tourism, Agra Mob. | Regarding creation of Special Purpose | On the basis of reports/infor mation |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | (Filed By Agra Develop ment Foundat ion) | No.941511 5510) | Vehicle (SPV) in Agra like Brij Vikas Tirtha Parishad. | received from all concerned departments , counter affidavit should be prepared by AOR and filed in the Hon'ble Supreme Court as per rules. |
| 4. | 20616 & 20617/ 2020 | (Dy. Commr. DIC FZB Shri A.K. | Regarding not granting permission for setting up | Deputy Commission er of Industries, |

| | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|--|
| | (Filed by Arun Gupta) | Pandey Mob. No. 94119230 38) (Regional Officer, Shri Manoj Kumar Chaurasia , Mob. No. 78398919 25) | of new units and expansion of previously established/o perated units in the Taj Trapezium Area. | District Industries and Enterprise Promotion Center, Firozabad informed that a para- wise report of the IA in question has been prepared and sent to the government for approval by office |
|--|-----------------------------|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>letter no. 2605 dated 07.12.2021, which is pending in the legal cell of the government. Coordination with the government will be established and approval will be obtained soon. Instructions were given</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>that the Deputy Commission er, District Industries and Enterprise Promotion Center, Firozabad should also immediately send a letter to the government on behalf of the Commission er, Agra</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | Division / Chairman, TTZ Authority, Agra. |
|--|--|--|--|---|

Under Writ Petition (Civil) No.13381/1984- M.C.

Mehta vs. Union of India and others, no IA/Affidavit/Reply etc. should be filed in the Hon'ble Supreme Court by any government department/institution without TTZ authority, otherwise the concerned officer himself will be responsible. The concerned departments should complete the action in this regard within the prescribed time.

(Action-All concerned departments/institutions)

Main Agenda Point No.-06 (15.12.2020)

Regarding the review of the action plan and its progress in the context of the Taj Mahal-focused study "Apportionment of air pollution source at Taj Mahal"

prepared by the Central Pollution Control Board from IIT Kanpur:- The District Magistrate, Agra informed that instructions have been issued to all the concerned departments for compliance with the points of control options and action plan mentioned in the study “Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory & Source Apportionment Study in the city of Agra” conducted by the Uttar Pradesh Pollution Control Board from IIT Kanpur for the control and improvement of air pollution in the city of Agra under the National Clean Air Program, which has been reviewed in the meeting of the District Environment Committee held on 25.07.2022.

Regional Officer (P), UPPCB, Agra informed that letter dated 26.04.2022 has been sent by the office to all the concerned departments for taking action on the points of control options and action plan mentioned in the study conducted by IIT Kanpur and sending the action taken report and reminder letter has also been

sent on 22.06.2022. Monitoring will be done in the meeting of 'District Environment Committee' constituted under the chairmanship of District Magistrate.

Additional Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Agra informed that work worth Rs. 3,43,53,615.47 is in progress for the beautification/strengthening of the cremation ground located at Mal Ka Chabutra under Zone-2. Senior Superintendent of Police, Agra informed that the Project Manager, UP Projects Corporation Ltd., Sikandra Construction Unit-4, Agra has been directed to provide the Police Headquarters with a desirable proposal for construction of boundary wall by the Police Department at the identified location at Sikandra to keep the vehicles seized during enforcement action. In relation to the speedy auction of vehicles seized by Agra Traffic Police, the process of getting the report of seized/confiscated vehicles from

DCRB and serving notice is underway in the Traffic Police Line.

It was informed by the RTO, Agra that charge sheets for 92 vehicles which are 15 years old/have been confiscated beyond the prescribed time limit have been received in the court of Hon'ble Chief Judicial Magistrate, Agra, out of which notices for 51 vehicles have been served to the vehicle owners. In relation to the above, a request is being made to the Hon'ble Chief Judicial Magistrate Agra for auction through Joint Director Prosecution/Senior Prosecution Officer, Agra. It was also informed that out of 700 government vehicles, PUC certificates of 350 vehicles have been received so far, but PUC of the remaining vehicles has not been done yet by the concerned departments, which mainly include Agra Development Authority and Agra Municipal Corporation.

Superintendent of Police (Traffic), Agra informed that by imposing vehicle checking duty of traffic policemen under each police station area of the city area, all the challaning officers of the traffic police have identified the vehicles plying without PUC certificate in the city area and by taking action against them as per rules, a total of 971 vehicles have been challaned and a penalty of Rs. 97,000/- has been collected. Thus, the process of regular action against vehicles plying without PUC certificate is continuously in practice by the traffic police.

The representative of Agra Development Authority informed that for the installation of Air Pollution Control System/Wet Scrubber System at eight pyre sites constructed at the new building/hall of Mokshadham, a proposed expenditure of Rs.315 lakh was required against the approved amount of Rs.100 lakh. Accordingly, the matter has been closed by giving approval for cancellation of the said by the 32nd

meeting of the Pathkar Advisory Committee dated 01 June, 2022.

After discussion, it was directed that all the concerned departments should ensure necessary compliance action in relation to the action plan prepared by the Central Pollution Control Board from IIT Kanpur in the context of “Apportionment of air pollution source at Taj Mahal”. All the concerned departments should ensure the required compliance on the points of control options and action plan mentioned in the study “Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory & Source Apportionment Study in the city of Agra” conducted by the Uttar Pradesh Pollution Control Board from IIT Kanpur and the compliance action taken should be mandatorily reviewed by the District Magistrate, Agra in the meetings of the ‘District Environment Committee’.

(Action- District Magistrate/ Regional Officer, UPPCB,
Agra/All concerned departments)

As per the instructions of the last meeting, efforts should be made to obtain the desired approval as soon as possible regarding the construction of boundary wall by the Police Department at the identified place at Sikandara to keep the vehicles seized during enforcement proceedings so that the boundary wall can be constructed at the identified place.

(Action- Senior Superintendent of Police, Agra)

Charge sheets of 92 vehicles which are 15 years old/imposed ban after completion of stipulated time limit have been received by RTO, Agra in the court of Hon'ble Chief Judicial Magistrate, Agra, out of which notices of 51 vehicles have been served to the vehicle owners, in respect of which a request has been made to Hon'ble Chief Judicial Magistrate, Agra for auction through Joint Director, Prosecution/Senior

Prosecution Officer, Agra. District Magistrate/Senior Superintendent of Police, Agra should get the desired legal procedure done in the above case through Joint Director, Prosecution in the Hon'ble Court as soon as possible, thereafter further action in the above case should be ensured as per rules by RTO, Agra. The action taken should be informed in the next meeting.

(Action- District Magistrate/Senior Superintendent of
Police/RTO, Agra)

The PUC centers which are issuing PUC certificates to vehicles should be cross checked by RTO, Agra field and if the PUC certificates of vehicles are not found to be as per the standards, then action should be taken against the concerned PUC center as per rules.

(Action- RTO, Agra)

Vehicles older than 15 years, autoloaders, vehicles without PUC certificate should be identified through the cameras installed in the city by Agra Smart City

Ltd. For which a prescribed format should be prepared and every month the list of identified vehicles (on the prescribed format) should be made available to the RTO/Superintendent of Police (Traffic), Agra for action. The RTO/Superintendent of Police (Traffic), Agra should inform about the action taken in the meetings of TTZ Authority.

(Action-Agra Smart City Ltd./RTO/Superintendent of
Police (Traffic), Agra)

The PUC certificates of all such government vehicles operated in Agra Development Authority and Agra Municipal Corporation and all other government departments, whose PUC certificates have not been taken yet, should be completed 100% by the concerned departments within the next 07 days and the action taken by RTO, Agra should be informed in the next meeting.

(Action- A.D.A./Municipal Corporation/R.T.O./All
concerned departments, Agra)

In view of the expenditure and practical difficulties being faced in shifting the Air Pollution Control System installed on the four platforms of Mokshadham situated at Tajganj to the platforms of the new building at Mokshadham, a committee of Chief Engineer, A.D.A., In-charge, Central Pollution Control Board and Regional Officer, U.P.P.C.B., Agra is constituted under the chairmanship of Additional District Magistrate (City). Necessary action will be ensured by the said committee to promote the use of cow dung cakes in place of wood in the cremation process, whose convener-in-charge will be Central Pollution Control Board, Agra. In the light of the orders passed by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (C) No.13381 of 1984, the Central Pollution Control Board should also investigate and submit a report regarding the use

or not of cow dung cakes in place of wood at the cremation ground at Tajganj.

(Action- ADM (City) / Incharge, K.P.N.B., Agra)

As per the instructions given in the review meeting of divisional development works, annoyance was expressed over the fact that the Public Works Department had not conducted the road dust survey and it was directed that the road dust survey should be ensured before the next meeting as per the SOP prescribed by the Public Works Department.

(Action Chief Engineer, PWD, Agra)

Deputy Director, Garden, Agra should be invited in the next meeting of TTZ Authority. Deputy Director, Garden, Agra should personally participate in the next meeting.

(Action-Deputy Director, Garden, Agra)

Dissatisfaction was expressed over absence of any representative from Divisional Railway Manager, Agra in the meeting and instructions were given to send a letter in this regard to Divisional Railway Manager, Agra.

(Action-TTZ Authority)

Other points, with the permission of the Chairman-

2. Regarding compliance of the orders dated 08.05.2015 and 11.12.2019 passed by the Hon'ble Supreme Court under Writ Petition (C) No. 13381/1984 (M.C. Mehta vs. Union of India and others):- It was informed in the meeting that as per the decision passed in the last meeting, information is required from the District Magistrate, Agra, Mathura and Firozabad regarding compliance of the orders passed by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (C) No. 13381/1984 (M.C. Mehta vs. Union of India and others) regarding permission granted for felling of

trees in the Taj Trapezium Area during a period of 05 years (from 05.04.2016 to 29.01.2021). Reports have been received, on perusal of which it is reflected that compliance of orders is being ensured by the concerned departments. No compliance report is required as no order of the Hon'ble Supreme Court has been passed in respect of felling of trees in Districts- Etah, Hathras and Bharatpur (Raj).

In the meeting, the District Magistrates and Divisional Directors again informed that the orders have been complied with. Instructions were given that the Divisional Directors, Social Forestry Division of the concerned districts will be directly responsible for ensuring conditional and literal compliance of the orders passed in the last 05 years and the orders to be passed in future related to the permission granted by the Hon'ble Supreme Court regarding felling of trees under the writ petition in question. With the above instructions, instructions were given to delete the case.

(□□□□□□□□□□:- □□□□□□□□ □□□□□□,
 □□□□□□□□□□, □□□□, □□□□□, □□□□□□□□□□, □□□,
 □□□□□, □□□□□□ (□□□□)

4. Regarding vehicles plying in Taj Trapezium Area/old vehicles, PUC of Jugaad vehicles, ban on diesel-driven commercial vehicles, adequate availability of CNG for public/commercial vehicles:- As per the directions of the last meeting, the arrangement made by RTO, Agra regarding not allowing 15-year-old vehicles to ply in Taj Trapezium Area after taking NOC for going out of Taj Trapezium Area, was taken into cognizance. RTO, Agra informed that full compliance of the said arrangement will be ensured. In Firozabad district, 15 year old non transport vehicles which have not been re-registered and the validity of registration mark has been suspended for 6 months and in case of suspension for 6 months, action for cancellation has been taken. 28056 such vehicles, whose series are UP83A, UP83B, UP83C, UP83D, UP83E, UP83F,

UP83H, UP831, have been suspended and operation/renewal of registration in Taj Trapezium area has been completely banned and the general public has been informed by issuing a public notification. Along with the above, action has also been taken on school vehicles, 143 fifteen year old diesel-powered school vehicles have been identified and notices have been issued for action for suspension of registration and in the last 03 months, registration mark of a total of 62 vehicles has also been cancelled. To speed up enforcement operations, the list of all 28056 vehicles older than 15 years has been sent to the newly established ITMS in the district and all the lists have also been made available to the Senior Superintendent of Police, Firozabad and the Traffic Department. Data of such vehicles in Firozabad district, which do not have pollution control certificates, has been fed, against which action will be taken.

ARTO, Mathura informed that from January, 2022 to June, 2022, a total of 271 polluting vehicles were challaned and fines were collected. 13 15-year-old vehicles were challaned and impounded. Similarly, 46 e-rickshaws have been challaned, out of which 14 have been impounded. 38 loaders/tempos (diesel) have been challaned, out of which 10 have been impounded. The registration of 152 school buses which have completed 15 years of age on 28.04.2022 has been suspended on the Vahan portal for a period of 06 months. After the said period, action will be taken to cancel the registration of the said school buses. Registrations of 1315 15-year-old private vehicles have been cancelled.

After discussion, it was directed that RTO/ARTO should ensure that 15 year old vehicles should not be operated in any district of Taj Trapezium Area in districts-Agra, Mathura, Firozabad, Etah, Hathras and Bharatpur (Rajasthan). RTO/ARTO should ensure that school buses/other types of commercial vehicles in Taj

Trapezium Area should be operated on CNG only in Municipal Corporation area and no unfit vehicle should be operated.

(Action- RTO/ARTO, Agra, Mathura, Firozabad,
Etah, Hathras and Bharatpur (Raj.)

The District Magistrate, Mathura and Firozabad will be responsible to ensure that the registration of 15 year old vehicles in District-Mathura and Firozabad under Taj Trapezium Area has been cancelled after completion of the entire process or not. Such vehicles should be checked regularly and random checking should also be done in the field so that 15 year old vehicles can be caught. The details of 15 year old vehicles cancelled in District-Agra should be uploaded in Smart City Office by RTO, Agra. The action taken should be informed in the next meeting.

(Action-District Magistrate, Mathura, Firozabad/
RTO, Agra/ARTO, Mathura, Firozabad)

Since, after taking NOC for going out of Taj Trapezium Area by RTO, Agra, arrangement has been made regarding not allowing 15 year old vehicles to operate in Taj Trapezium Area, which appears to be appropriate, hence, the ban imposed on operation/re-registration of 15 year old vehicles was removed and instructions were given that NOC may be issued by RTO/ARTO for operation/re-registration of 15 year old vehicles outside Taj Trapezium Area, but evidence of sale of such vehicles should be obtained from the seller. If the vehicle owner has gone to another place, it should be investigated to find out where he has gone. In case of pending challan against the vehicle, the challan should be deposited. The action taken should be informed in the next meeting. Details of NOC issued in the meetings of TTZ Authority should be presented.

(Action-RTO/ARTO, Agra, Mathura, Firozabad,
Etah, Hathras and Bharatpur (Raj.)

A copy of the detailed action plan (including area-wise demand and consumption) prepared by Green Gas Ltd. regarding Agra and other districts under Taj Trapezium Area, where Green Gas Ltd. is proposing to establish/operate sufficient number of CNG stations for vehicles, should be made available to TTZ Authority and Shri Raman before the next meeting by Shri F.C. Mukherjee, General Manager, Green Gas Ltd., Agra.

(Action- Shri F.C. Mukherjee, General Manager,
Green Gas Ltd., Agra)

At those sites in Taj Trapezium Area where CNG stations are not established/operated, letters should be sent to the oil companies by the concerned RTO and ARTO to establish/operate CNG stations on priority.

(Action- RTO/ARTO, Agra, Mathura, Firozabad,
Etah, Hathras, Bharatpur (Raj.)

6. Regarding compliance of the order dated 08.12.2021 passed by the Hon'ble Supreme Court

under Writ Petition (C) No.-13381/1984-M.C. Mehta vs. Union of India and others:- It was informed in the meeting that in compliance with the order dated 08.12.2021 of the Hon'ble Supreme Court, in the first phase, the information sought by NEERI regarding the preparation of sectoral guidelines for a total of 31 essential/important industries/projects with air pollution score 11 to 20 as per Central Pollution Control Board, such as list of industries by Pollution Control Board, master plans by development authorities and city development plan of Agra and Mathura, sub-regional plan of district-Bharatpur, information of industrial areas developed by UPCDA/DIC along with maps have been sent to NEERI by all the concerned departments from time to time. The received master plans of districts Firozabad, Etah and Hathras have also been sent to NEERI but no information has been given by the concerned department regarding whether the city development

plan and district development plan of these districts are available/made or not.

Dr. Saraswati, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi, present in the meeting, informed that as per the order of the Hon'ble Supreme Court, the process of preparing sectoral guidelines for essential/important industries/projects with representative air pollution score 11 to 20 by NEERI is in progress, but NEERI has not yet informed the Ministry as to what information it has received so far from the concerned department and what information is still awaited.

Divisional Director, Social Forestry Division, Agra informed that on examination of the affidavit obtained from the project proponent/applicant at the time of granting permission/permission by the concerned departments, no trees were found to have been cut anywhere. If any trees are present at the proposed site,

then they are also being listed. But complete details are not being given regarding the permission/permission granted by certain departments.

After discussion, it was directed that District Magistrates of Firozabad, Etah and Hathras should inform whether City Development Plan and District Development Plan of their districts are available/made or not. If City Development Plan and District Development Plan of the said districts are not made then its information should be immediately sent to TTZ Authority on e-mail ttzpmu2@gmail.com.

(Action- District Magistrate, Firozabad, Etah and
Hathras / TTZ Authority, Agra)

In the meeting, Dr. Saraswati, Scientist-B, representative present on behalf of Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi, was requested to

establish coordination with Director, NEERI, Nagpur at the level of Government of India regarding making available the sectoral guidelines of 31 essential/important industries/projects/activities to TTZ Authority in the first phase.

(Action- Dr. Saraswati, Scientist-B, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi)

In order to ensure compliance of the previously prescribed procedure regarding no felling of trees under industrial units/projects, before the concerned departments grant permission/no objection, the desired information of affidavit, site photographs and key plan from the project proponent should be made available to the concerned Divisional Director, Social Forestry Division. If the concerned departments provide incomplete information or do not provide information, a letter should be sent to the concerned

department by the concerned Divisional Director on behalf of the District Magistrate and the TTZ Authority should also be informed.

(Action-All concerned departments/All Divisional
Directors, Sa.Vi.Pr.)

In compliance with the order dated 08.12.2021 passed by the Hon'ble Supreme Court, in the 55th meeting of the TTZ Authority held on 16.12.2021, the procedure prescribed regarding non-proposed felling of trees under industrial units/projects and in the light of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.12.2021, on receipt of guidance from the Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh in the subject matter, should be informed in the next meeting.

(Action:-TTZ Authority)

Other points, with the permission of the
Chairman (16.12.2021)-

In the decision passed in the last meeting, the members of the TTZ Authority, Mr. Kesho Mehra, Mr. Umesh Sharma and Dr. Ravindra Mohan Pachauri, were jointly informed about the action taken by the concerned departments on the representation dated 16.12.2021 as follows-

- (1) Construction of Barrage on Yamuna River at Agra- According to the Irrigation Department, Agra, at the proposed project site for construction of rubber dam 1.5 km downstream of the Taj Mahal, felling of 25 trees in village Nagla Paima on the right bank of Yamuna River and 263 trees in village Garhi Chandni on the left bank, i.e. a total of 288 trees, is proposed for which the process of obtaining desired permission from the Hon'ble Supreme Court is under consideration.
- (2) Construction of ring road in Agra- According to Agra Development Authority, the construction

work of Agra Inner Ring Road Phase II, which is 7.13 km long, has been completed. The construction of the flyover under construction on Fatehabad Road to connect Agra Inner Ring Road Phase I and Phase II is almost 40 percent complete, which is planned to be completed by December 31, 2022. The Authority is corresponding with NHAI regarding Agra Inner Ring Road Phase III, which is planned to be constructed by NHAI.

- (3) 24 hours uninterrupted power supply to be provided in all the districts of Taj Trapezium Zone- Executive Engineer, Dakshinchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Agra informed that at present 23 hours power supply is being provided in the urban area of Agra, 18 hours power supply in the rural area of Agra and 21 hours power supply in the tehsils.

Mr. F.C. Mukherjee, General Manager, Green Gas Ltd., Agra informed the meeting that Green Gas Ltd. has been authorized by Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) to supply CNG only for the geographical area Agra (Agra GA) under Taj Trapezium Area. Green Gas Ltd. is not authorized for the areas/districts falling outside the boundaries of this authorized area. The area/districts outside the authorized geographical area of Green Gas Ltd. (Taj Trapezium Area) i.e. Firozabad, Vrindavan, Bharatpur, Kosi Kalan, Hathras etc. area is associated with Gail Gas Ltd. and Mathura area with Torrent Gas.

According to the District Supply Officer, Agra, the rate of domestic gas cylinders is determined at the level of the Government of India, hence the action taken in connection with the 50 percent concessional rate of domestic gas cylinders is not related to this office. Apart from the above, a letter has been sent to the Chief Project Manager, Green Gas Ltd. to provide

updated information regarding laying of gas pipeline in Agra district.

After discussion, instructions were given that in view of the points/suggestions mentioned in the representation presented by TTZ Authority members Shri Kesho Mehra, Shri Umesh Sharma and Dr. Ravindra Mohan Pachauri, all the concerned departments should ensure necessary action on their respective points/issues in a timely manner as per rules. Regarding uninterrupted power supply in Taj Trapezium area, in pursuance of the decisions dated 10.04.1996 and 30.12.1996 passed by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (C) No.13381/1984, regarding ensuring uninterrupted power supply in the Taj Trapezium area of Districts-Agra, Mathura, Firozabad, Etah and Hathras (U.P.), a letter should be sent to Chairman, UP Power Corporation Ltd. and Managing Director, Dakshinchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Agra mentioning the above orders of the Hon'ble

Supreme Court. The action taken should be informed before the next meeting.

(Action-ADM (NA)/Dakshinchal Vidyut Vitran Nigam Ltd./All Implementing Agencies/A.D.A/Municipal Corporation/NHAI/Green Gas Ltd./DFO/TTZ Authority, Agra)

Main Agenda Point No.03 (25.04.2022)

Regarding ensuring cleanliness in districts Agra, Mathura, Firozabad, Etah, Hathras and Bharatpur (Rajasthan) under Taj Trapezium area:- Additional Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Agra informed that roads and drains are being cleaned daily with the limited resources available with the Municipal Corporation. Door-to-door garbage collection is being done daily by the company. The work of cleaning the dividers and road pavement is being done daily with the help of mechanical sweeping machine. Toilets are being cleaned daily by the company. Road site dust is

being removed by Safai Mitras through cleaning daily and the silt removed from the drains is being lifted daily within 24 hours. Daily cleaning work, road/drain cleaning, door-to-door garbage collection, mechanized sweeping and toilet cleaning is being ensured through M/s Lions Services Pvt. Ltd., the working agency appointed for door-to-door collection of cleaning work in Taj Mahal and its surrounding areas.

Municipal Commissioner, Municipal Corporation Mathura-Vrindavan, Mathura informed that cleaning is done daily by 1561 sanitation workers under Municipal Corporation Mathura-Vrindavan. Cleaning work is done at commercial and religious places in 2 shifts in the morning and evening as well as at night. Door-to-door garbage collection is being done in all 70 wards under the Municipal Corporation area. In relation to door-to-door collection, the Municipal Corporation has collected user fee of Rs 41,27,253/- from August 2021 to April 2022.

Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Firozabad informed that NH-2 is the NHAI road in the middle of the city under the limits of Municipal Corporation Firozabad, which has been transferred to the Public Works Department by NHAI. As the PWD department has not done mechanized sweeping work on the said road, the Municipal Corporation has sent a letter dated 18.04.2022 to the Public Works Department, by which it has been expected to get mechanized sweeping done. In this regard, the Municipal Corporation itself is getting water sprinkled on the road and trees washed with its own resources. Municipal Corporation Firozabad has invited tenders for hiring mechanized sweeping machines. Along with cleaning, the Municipal Corporation is also getting water sprinkled on the service road of NH.

The representative of Nagar Nigam, Bharatpur (Raj.) informed that there are 65 wards under Nagar Nigam Bharatpur, which are divided into 13 zones and

cleaning work is done every day, for which two chief cleaning inspectors, 13 cleaning inspectors and 65 cleaning jamadars have been appointed for monitoring, the corporation gets the main markets of the city cleaned at night. The Municipal Corporation is getting the door-to-door garbage collection work done every day from the 65 wards of the corporation.

According to the information received from Nagar Palika Parishad, Hathras, in view of cleanliness, in addition to the morning and evening cleaning system in the city, night cleaning system is being ensured in the main roads and markets of the city. Nagar Palika Parishad, Hathras has taken challan action against 05 people under the sections mentioned in UP Plastic and Other Biodegradable Waste Use and Disposal Regulation Act (Amendment) 2018 against the concerned for acts like tying buffaloes on public roads and throwing their dung etc. in public road/drain etc.

According to the information received from Nagar Panchayat, Awagarh (Etah), the body is continuously sprinkling water and washing trees to control the air quality index in the urban area. Apart from this, the construction of 02 parks is in progress in the body. The population of Nagar Panchayat Awagarh (Etah) is 10983 as per Census 2011. No industrial unit is established/operated here, which may cause air pollution. There are 11 wards under the body, which have been divided into 02 zones, in which one Safai Nayak and 02 Safai Mitras have been appointed in each ward. The body is collecting wet and dry garbage from every house every day through night cleaning in the main markets of the body. The silt removed from drains and sewers is removed in time.

After discussion, it has been directed that daily cleaning work of roads/drains, door-to-door garbage collection, mechanized sweeping and cleaning of toilets should be ensured by the municipal corporations.

Mechanical sweeping of main roads of the city should be done by the municipal corporations and road side dust should be removed from the roadside so that dust does not get deposited on the road again. Silt removed from drains and sewers should not be kept on the roadside under any circumstances. Similarly, cleaning work, cleaning of drains, removal of road dust, etc. should be ensured by the municipal councils of Taj Trapezium area. The action taken should be informed in the next meeting.

(Action-All Municipal Corporation/NPP/Nagar
Panchayat)

Main Agenda Point No.04 (25.04.2022)

Regarding not burning garbage in districts-Agra, Mathura, Firozabad, Etah, Hathras and Bharatpur (Rajasthan) under Taj Trapezium Area:- It was brought to the notice in the meeting that in compliance with the decision of the last meeting, letter no.590 dated

19.05.2022 has been sent by the TTZ Authority Office to the Chief Secretary, Rajasthan Government regarding the officers of the concerned departments who participated and did not participate in the meetings, a copy of which has also been endorsed to the Divisional Commissioner and District Magistrate of Bharatpur (Rajasthan) as well as the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

Additional Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Agra informed that the Agra Municipal Corporation is conducting inspections through regional sanitation and food inspectors with special arrangements. Employees have been deployed wherever there is a possibility of burning garbage. At present, no incident of burning garbage is known. A complaint has been lodged against an unknown person at the police station. A fine of Rs.216500/- has been collected in the financial year April and May 2022.

Leather cuttings are being sent to Ghanghupura plant by the Municipal Corporation for disposal.

Municipal Commissioner, Municipal Corporation Mathura-Vrindavan, Mathura informed that continuous campaigns are being run against those who burn garbage within the Municipal Corporation area and action is being taken. From April, 2022 to July, 2022, challan action has been taken against 17 persons and a fine of Rs.29,400/- has been collected. Apart from this, a letter has been sent to Divisional Railway Manager, (North Eastern Railway) Izzat Nagar, Bareilly and Divisional Railway Management, (North Central Railway) Agra for taking action against those who burn garbage inside the railway premises.

Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Firozabad informed that burning of garbage is completely prohibited in the urban limits, for the implementation of which 09 teams have been formed,

which take action for fines. Challan action has been taken against 04 persons for burning garbage and a fine of Rs.20,000/- has been collected from the month of April 2022 to 18.05.2022 and all the Safai Karamcharis have been ordered not to burn garbage under any circumstances and the general public is also being made aware not to burn garbage. All Safai Nayak/Safai Karamcharis have been trained on 04.03.2022 and 14.03.2022 in Jivaram Hall of Municipal Corporation regarding not burning garbage and all Safai Nayak/Safai Karamcharis have also been sensitized against burning garbage. Arrangements have been made to light gas bonfires at identified places in the city in winter. To control the air quality index, continuous sprinkling of water and washing of trees is being done and e-tender has been invited for hiring mechanized sweeping machines.

As per the information received from Nagar Panchayat, Avagarh, the body has published it in

newspapers. Publicity was done through the vehicles/PA system of the body and a rally was organised in the city. Meanwhile, a meeting was held with the general public and all Safai Mitras and it was publicised that burning of garbage is completely prohibited under any circumstances. Thereafter, the body has also collected fine from those who burn garbage during the campaign. This effort will continue continuously.

The representative of Municipal Corporation, Bharatpur (Rajasthan) informed that warning boards have been installed in the city to not burn garbage and such places are being regularly monitored by the sanitation inspectors of the corporation by conducting daily inspections so that no one burns garbage in the city.

Regional Officer (Pr), UPPCB, Agra informed that at present the operation of brick kilns is closed, which

is proposed to be restarted in January, 2023. Compliance will be ensured by conducting regular inspection during the re-operation of brick kilns regarding not using prohibited items like leather cutting, pet coke, tyres, plastic, hazardous waste etc. in the process of production of bricks in the brick kilns located under the Taj Trapezium Area under any circumstances.

Regional Officer, UPPCB, Firozabad informed that at present there are a total of 20 brick kilns in Firozabad district. All the above brick kilns are closed from June-July due to off season and will be operational from January. If brick kilns are operating during the season, all brick kilns will be jointly inspected with SDM and in case the use of the above prohibited items is found in the brick kilns, legal action will be taken under the Act by issuing notice to the concerned brick kiln operator / owners as per rules. On inspection of brick kilns under Taj

Trapezium area on 30.06.2022 and 08.07.2022 by the office, it was found that brick kilns are not operating and remains of leather cuttings, pet coke, tyres, plastic and hazardous wastes were not found at any brick kiln.

Regional Officer (P), UPPCB, Aligarh informed that a total of 24 brick kilns established and operating in the Taj Trapezium area of Hathras district have been inspected on 04.07.2022 and 05.07.2022. At the time of inspection, storage of prohibited items like leather cuttings, pet coke, tyres, plastic, hazardous wastes etc. was not found in the premises of the said brick kilns, nor were leather cuttings, pet coke, tyres, plastic, hazardous wastes found to be used as fuel.

After detailed discussion, it was found that from the comparative details of information/data collected in the prescribed format, it is clear that apart from district-Agra, no FIR has been registered for burning of

garbage in other districts-Mathura, Firozabad, Etah, Hathras and Bharatpur (Rajasthan). While in district-Bharatpur (Rajasthan), neither any challan has been issued nor any fine has been collected, which is very regrettable. It was directed that all the Municipal Corporations/Municipal Councils should ensure that garbage/dry leaves of trees etc. should not be burnt under any circumstances, if found burning, then the concerned Municipal Corporation/Municipal Council should ensure action as per rules against the concerned sanitation inspector/supervisor of the area. In future, incidents of burning of garbage should be reduced. All the Municipal Corporations/Municipal Councils should also make the general public aware, which should be ensured before the winter season in every case because air pollution caused by burning of garbage/dry leaves etc. is also a major factor in increasing AQI in winter. All the Municipal Corporations/Municipal Councils should provide the

desired information (data) on time to the Additional Commissioner (Administration), Agra Division, Agra on the prescribed format.

(Action- Municipal Corporation/Municipal Corporation, Agra, Mathura, Firozabad, Etah, Hathras and Bharatpur (Raj.)

District Magistrate, Mathura should immediately send a letter to the railways to make the general public aware about not burning garbage along the railway track in district-Mathura.

(Action- District Magistrate, Mathura)

In order to collect information/compliance reports of all the concerned departments of District-Bharatpur (Rajasthan) and make them available to TTZ Authority office on time, the District Magistrate, Bharatpur (Rajasthan) has nominated ADM as Nodal Officer and the TTZ Authority office should be informed about the

details (name, mobile number etc.) of the nominated Nodal Officer.

(Action- District Magistrate, Bharatpur (Rajasthan)

Agra Municipal Corporation should ensure that leather cuttings are not thrown into drains under any circumstances. Leather cuttings should be disposed of properly at Ghanghupura Plant. The brick kilns operating under Taj Trapezium Area should be inspected jointly by SDM with UP Pollution Control Board and banned items like leather cuttings, pet coke, tyres, plastic, hazardous wastes etc. should not be allowed to be used in the process of production of bricks. In case the use of the above banned items is found in brick kilns, the concerned UPPCB should take action against the brick kiln operators under the Act.

(Action- Municipal Corporation, Agra / concerned

SDM/UPPCB)

Agra Municipal Corporation should pay special attention to the 12 major sites identified by the Regional Officer (P), UP Municipal Corporation, Agra and under no circumstances should solid waste burning be allowed at the said sites. The sites where leather cuttings are found in large quantities should be removed by the Municipal Corporation at night so that the concerned person cannot burn the waste leather cuttings. If any person is found burning waste leather cuttings, an FIR should be lodged against him by the Municipal Corporation.

(Action- Municipal Corporation, Agra)

Information should be collected on the prescribed format by the Additional Commissioner (Administration), Agra Division, Agra and made available to the TTZ Authority office well in advance of the meeting and after analysis, it should be compulsorily informed in the next meeting. Inspection

should be conducted in the districts of Taj Trapezium Area by the constituted teams. The report should be submitted before the next meeting.

(Action-Additional Commissioner
(Administration), Agra Division, Agra)

Main Agenda Point No.-05 (25.04.2022)

Regarding ensuring solid waste disposal system in districts-Agra, Mathura, Firozabad, Etah, Hathras and Bharatpur (Rajasthan) under Taj Trapezium Area:-
Additional Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Agra informed that for door-to-door garbage collection, door-to-door garbage collection work is being done by Bangalore-based contracted firm M/s Swachhata Corporation on PPA model for the Municipal Corporation area after completing the survey work in 94 wards. Garbage collection work is being done by M/s Lions Services in 06 wards around Taj Mahal. The collected garbage is taken to the

Municipal Corporation's processing plant. 05 TPD Construction and Demolition Waste Management, Under National Clean Air Program of Govt. of India, for the year 2019-20, first installment of Rs 90.00 lakh has been received against Rs.150.00 lakh for Construction and Demolition Waste Management Facility C&D Waste Processing against the amount of Rs.345.00 lakh received from Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India. In the webinar dated 24.06.2020, the Secretary, Urban Development suggested that D-Centralized Waste Processing C&D Waste Plant of lesser capacity of 5.0 TPD should be proposed, so that permission related formalities do not have to be done. In the above perspective, a plant of 5.0 TPD capacity will be set up and the amount spent on operation and maintenance of the plant during the period of three years will be borne from the funds received in the coming years. As per above, e-tender/RFP for 01 Number Plants C&D

Waste Plant was invited on 10.08.2020, in which the work has been started by the selected firm on 15.05.2022. A contract has been executed with M/s Rise Eleven Agra Waste Management for setting up a processing plant of 150 metric tonnes capacity for C&D waste on PPP mode, work could not be started on that too due to the stay of the Hon'ble Supreme Court. Permission has now been granted by the Hon'ble Supreme Court, on which further action is being taken. The Hon'ble Supreme Court has granted permission to set up a waste to energy plant on 18.02.2021. Further action is being taken to obtain all types of NOCs related to the above. Also, the Bhoomi Pujan for setting up a waste to energy plant has also been done.

Municipal Commissioner, Municipal Corporation Mathura-Vrindavan, Mathura informed that a waste to compost plant with a capacity of 180 tonnes per day is operational at Yamunapar Nagla Kolhu in Municipal

Corporation Mathura-Vrindavan. The said plant is being operated by Municipal Corporation Mathura-Vrindavan through its own resources, in which about 150-180 tonnes of waste collected daily from the Municipal Corporation area is processed and compost is being made. From February 2021 to April 2022, a total of 848.31 tonnes have been sold for Rs.2,64,323/- at the fixed rate of Rs.311/- per day. A material recovery center with a capacity of 10 tonnes per day has been constructed for the disposal of dry waste at Yamunapar Nagla Kolhu in Mathura-Vrindavan Municipal Corporation, which is being operated through 21st Century Polymers Institute on PPE mode. Apart from the above, tenders have been invited for setting up a C&D waste management plant with a capacity of 50 tonnes per day for the disposal of C&D waste collected in the area in Mathura-Vrindavan Municipal Corporation. Under the Municipal Corporation Mathura-Vrindavan, fuel is being

produced from the polythene and plastic etc. obtained by segregating waste at Yamunapar Nagla Kolhu through Plastic Waste to Fuel Plant by Patterson Energy Institute, which has a processing capacity of 6 tons per day. A 5-tonne capacity organic waste to compost plant, a 10-tonne capacity MRF plant near Hazari Mal Somani Ground in Vrindavan Zone under the Municipal Corporation Mathura-Vrindavan, a 1-tonne capacity organic waste to compost plant at Mandi Samiti Vrindavan and a transfer station on Mant Road have been constructed, which are functional at present. The government has authorized the Black Berry Overseas organization to dispose of 2.60 lakh tonnes of legacy waste collected at the Nagla Kolhu Plant of Mathura-Vrindavan Municipal Corporation. The organization installed the first trommel (capacity 300 tonnes per shift) on 23.10.2021 and the second trommel (capacity 300 tonnes per shift) on 10.12.2021 and is operating the work in 02 shifts

every day. Thus, a total of about 55,000 tonnes of legacy waste has been disposed of. Currently the work is in progress.

Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Firozabad informed that a contract has been executed with Mailline Services India Pvt. Ltd., New Delhi for the work of door-to-door collection and segregation in all the 70 wards. The work of door-to-door collection and segregation is being done by the said firm in all the 70 wards. The waste is transported in covered vehicles to the processing plant, where wet waste is being composted and dry waste is being recycled as far as possible. The Solid Waste Management Manual 2016 has been adopted and compliance of the rules mentioned in the manual is being ensured. Construction of 02 MRFs at the Solid Waste Processing Centre at Chanaura has been completed and operations have been started. M/s Muskan Enterprises is operating the MRFs using its own resources and

manpower, due to which the Municipal Corporation is also earning revenue. An amount of Rs. 50 lakh has been sanctioned in the meeting of 14th and 15th Finance Commission for the installation of machinery for increasing the capacity of MRF. The tender process for the installation of machinery is underway. A waste-to-compost plant of 05 metric ton per day capacity has been installed, which is functional. Under Solid Waste Management Rules-2016, action is being taken by the implementing agency C&DS for the installation of a waste to compost processing plant of 250 TPD capacity on 3300 sqm land located at Kutukpur Chanaura. The proposal for C&D waste processing plant has been approved by the high level committee in the government. After getting the approval of the DPR prepared for the disposal of construction and demolition, an amount of Rs. 2.39 crore has been sanctioned for setting up a 50 tonne capacity C&D waste processing plant in Municipal Corporation

Firozabad. The tender process for the C&D waste plant is underway.

The representative of Municipal Corporation, Bharatpur (Rajasthan) informed that the corporation has issued a work order to M/s. Rolls Material Handling System Pvt. Ltd. for setting up a processing plant for plastic and solid waste disposal. With the help of the processing plant, compost RDF will be made from the waste generated in Municipal Corporation Bharatpur area. For setting up the plant, the implementing agency has again applied for environmental clearance after completing all the necessary formalities. Soon after getting environmental clearance, the project plant will be set up and the disposal work will be started.

According to the information received from Nagar Palika Parishad, Hathras, door-to-door garbage collection work is being done regularly in the city. At

present, about 52 MT of garbage is produced in the city every day. The said garbage is being disposed of at the dump site of the municipality. Under the provisions mentioned in the Solid Waste Management Rules-2016, the Solid Waste Management Plant of the plant has been started immediately by the C&DS Aligarh, an institution nominated by the government, for scientific disposal of garbage. Apart from this, the work for disposal of legacy waste collected by the same institution nominated by the government has been started. Legacy waste will be disposed of soon. Under the Swachh Bharat Mission, M.R.F. Center has been constructed for disposal of dry garbage and the supply of related machines has been obtained. It is proposed to dispose of dry garbage by installing the machines very soon.

According to information received from Nagar Panchayat, Awagarh (Etah), door-to-door garbage collection and segregation work is being done at

departmental level in total 11 wards present under the limits of the body, in view of which user charges are being taken from each house, composting of wet waste is being done while transporting the waste in covered vehicles, bye-laws have been prepared and published in the newspaper for adopting Solid Waste Management Rules-2016, it will be sent to Government Museum, Prayagraj for final gazette very soon. A 5 tonne capacity MRF centre has been set up for solid waste processing in Nagar Panchayat, Avagarh, which is run by the body. In the same sequence, a 1 tonne capacity compost machine has been installed to make compost from wet waste. Apart from this, a 4 tonne capacity compost pit has been prepared to make compost from wet waste, through which 100% TAR waste is disposed of. 100% of the daily waste generated from Nagar Panchayat, Avagarh is lifted and disposed of at the dumping ground and a scientific landfill has been prepared for the disposal of hazardous waste,

where hazardous waste is collected. The body is lifting the garbage, silt etc. from the city area 100% on time every day. Dry garbage is being disposed of manually at the MRF center and after segregation of wet garbage, compost is made by putting it in the compost pit built in MRF and dry garbage is kept separately, machines have been made available for mechanical operation. Mechanical disposal will be done after electricity connection is made, the remaining garbage is being disposed of in the dumping ground.

Regional Officer (P), UPPCB, Agra informed that a joint inspection was conducted by the Central Pollution Control Board and UP Pollution Control Board on 17.06.2022 regarding the updated status of the action being taken by the Cantonment Board regarding the disposal of legacy waste and solid waste at the Trashing Ground, Sewla. At the time of inspection, the work of solid waste disposal was found to be done by the firm M/s Dayacharan & Company

contracted by the Cantonment Board. The representative present informed that from 09.05.2022 to 14.06.2022, about 42 tonnes of compost was prepared, which is being given free of cost for use in various villages. The process of management and disposal of legacy waste was found to be going on at the dumping site.

After detailed discussion, it was directed that all Municipal Corporations/Municipal Councils/Nagar Panchayats should inform regarding whether any capacity has been increased in the previously established plants, any new plant has been established, what is the current status of the plants established/operated or proposed during the last meeting and the current meeting. The Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayats should ensure the establishment of all such proposed plants within the Taj Trapezium Area, whose operation

is beneficial for environmental improvement. The action taken should be informed in the next meeting.

(Action:- All Municipal Corporations/Municipal Councils/Nagar Panchayats)

Instructions were given that effective action should be ensured by the Cantonment Board in a timely manner regarding solid waste, legacy waste and bio-mining of the cantonment area. The Agra Municipal Corporation, UPPCB and Central Pollution Control Board should conduct surprise inspections of the Cantonment Board's destination from time to time. The action taken should be informed in the meeting.

(Action:- Cantonment Board/Agra Municipal Corporation, UPPCB and Central Pollution Control Board)

Main Agenda Point No.-06 (25.04.2022)

Regarding ensuring proper disposal of biomedical waste in the Taj Trapezium Area of Districts Agra,

Mathura, Firozabad, Etah, Hathras and Bharatpur (Rajasthan):- The District Magistrate, Agra informed that the Chief Medical Officer, Agra has got the biomedical waste verified in the hospitals as per the log-book of M/s JRR Company.

Additional Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Agra informed that during the field visit by the Food and Sanitation Inspector of Municipal Corporation on 31.03.2022, a person was trying to dump bio-medical waste in the solid waste in the community bins kept near RBS Inter College, on asking him, it was found that the said bio-medical waste was brought from Sunrise Diagnostics, Bagh Farzana. The Food and Sanitation Inspector immediately got the said waste returned and strictly warned to hand over the waste to M/s JRR Waste Management Pvt. Ltd. for disposal. Apart from this, a mitigation fee of Rs. 5000/- was imposed and recovered from Sunrise Diagnostics for this act. During

the field visit by the Food and Sanitation Inspector of the Municipal Corporation on 06.05.2022, it was found that an employee of Heritage Hospital was dumping bio-medical waste at the closed dumping ground located at the bypass, for the disposal of which M/s JRR Waste Management Pvt. Ltd. was warned and a mitigation fee of Rs.5000/- was imposed and collected from Heritage Hospital.

Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Firozabad informed that the work of transportation and disposal of biomedical waste generated from all private hospitals/nursing homes, district hospital, medical college within the municipal limits is done by the organization M/s JRR Waste Management Pvt. Ltd., Agra as per Biomedical Waste Management Rules-2016 and if any person/institution throws biomedical waste at any public place then action is taken against them as per rules. A total of 119 notices have been issued by Firozabad Municipal Corporation

regarding the total quantity of biomedical waste generated daily from nursing homes/hospitals/clinics/pathology etc. establishments situated within the municipal corporation limits and submission of registration certificate of the company disposing it and certificate of solid waste disposal and disposal of the generated biomedical waste under the provisions of Biomedical Waste Rules-2016.

Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Mathura-Vrindavan, Mathura informed that an institution has been nominated by the District Medical Officer, Mathura for biomedical waste management. Apart from this, the waste reaching the city crusher plant is regularly inspected by the plant employees.

The representative of Nagar Nigam, Bharatpur (Rajasthan) informed that the collection and disposal of medical waste is done by the health department. To ensure that medical waste is not mixed with solid

waste under any circumstances, the Chief Sanitation Inspector, Sanitation Inspector and Sweepers are being instructed to ensure that no hospital throws biomedical waste in the open.

According to the information received from Nagar Panchayat, Awagarh (Etah), if biomedical waste is found in the domestic solid waste collected from the body's own resources and solid waste collected from other places, legal action will be taken against the concerned, currently no information has come to light.

Instructions were given that all the municipal corporations should ensure that biomedical waste is not dumped at the designated sites for solid waste under any circumstances and if such incidents come to notice, such health care facilities should be identified and action should be taken against them as per rules. A joint inspection of M/s JRR Waste Management Pvt. Ltd. should be done by the Chief

Medical Officer, UPPSC and Central Pollution Control Board and the inspection report should be presented before the TTZ Authority. The log-book maintained by the Chief Medical Officer regarding bio-medical waste generated from health care facilities should be regularly verified. Under no circumstances should the plastic waste generated from health care facilities be made available for sale to the junk dealers in the city. The action taken should be informed in the next meeting.

(Action-District Magistrate/Mukhya Mantri/Municipal Corporation/U.P.P.C.B., Agra, Mathura, Firozabad, Bharatpur/K.P.P.C.B.)

Main Agenda Point No.-07 (25.04.2022)

Regarding compliance of the order dated 16.03.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in OA No.259/2021 (Ashok vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board), the Regional Officer (Administration),

UPP.C.B., Agra informed that notices have been sent to all the Gangsa units to ensure compliance of the action plan prepared by the joint committee constituted to ensure compliance of the order dated 16.03.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in OA No.-259/2021 (Ashok vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board) and compliance is being ensured.

Conservator of Forests, Agra Circle, Agra has informed through his letter dated 27.07.2022 that the Forest Department provided 5000 saplings to the Regional Office of Uttar Pradesh Pollution Control Board, Agra for plantation work around stone cutting (Gangsa) units, which was planted by Uttar Pradesh Pollution Control Board, Agra on the basis of Mionwaki method in 43 stone cutting (Gangsa) units of Agra district.

After detailed discussion, instructions were given that in order to comply with the orders passed by the

Hon'ble National Green Tribunal on 16.03.2022 under the OA in question, all the concerned departments should ensure strict compliance of the action plan presented in the previous meeting and the Regional Officer, UPPCB, Agra, which has been designated as the nodal department by the Hon'ble Tribunal, should be informed about the compliance action taken. The said point should be deleted.

(Action: All concerned departments/Regional Officer,
UPPNB, Agra/T.T.Z. Authority)

Other points, with the permission of the Chairman-

Regarding action to be taken against electroplating (imitation jewellery) units operating in residential areas of Agra city- Regional Officer (P), UPPSC, Agra informed that reminder notices have been sent to electroplating (imitation jewellery) units operating in residential areas vide office letter dated 20.06.2022 to close the operation of the unit in the residential area with

immediate effect and submit an affidavit to this effect in the office within a week and obtain no objection/consent from the State Pollution Control Board for setting up the unit in industrial/permitted area and not to operate the unit in residential area, in case of non-receipt of affidavit, imposing environmental compensation against the unit under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and taking action for closure of the unit. Torrent Power Ltd. has disconnected power supply of 15 electroplating units jointly with the district administration and State Pollution Control Board. A CETP is being set up in village Lakhanpur, for which the Pollution Control Board has given its no objection. Earlier, a site was identified near village Lakhanpur for relocating 30 electroplating (imitation jewellery) units in the form of a cluster, where 30 units can be relocated.

General Manager, Water Works Department, Agra informed that Uttar Pradesh Pollution Control Board, Agra has taken action as per rules regarding disconnection of water connection against electroplating (imitation jewellery) units operating without consent letter for establishment of industry, details of which are as follows:-

| Number of units received | Water Connection less unit | Number of amputations done by the department | Number of units not traceable | Number of residual units |
|--------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| 108 | 17 | 43 | 07 | 41 |

Executive Engineer, Dakshinchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Agra informed that electricity connections of 15 electroplating (imitation jewellery) units operating in the residential area have been disconnected without obtaining NOC/Consent from State Pollution Control Board.

As per the information received from Incharge Enforcement, Agra Development Authority, Agra, under Rakabganj Ward, a case of melting scrap aluminium and making aluminium pistons by using LPG gas as fuel in a combustible furnace at property no.11/13, Gudri Soot, Nai Ki Mandi, Agra by Shri Ratan Lal under Rakabganj Ward was noticed. A suit for change of land use was filed against the operator of the said unit under the relevant sections of UP Town Planning and Development Act 1973 and the operation of the said unit was stopped at the spot. Survey of residential areas of Tajganj and Rakabganj Ward is being done. After the survey, action will be taken as per rules against the electroplating (imitation jewellery) units that come to notice.

After discussion, instructions were given that as per the list of electroplating (imitation jewellery) units operating in residential areas provided by UPPCB, Agra to DVVNL/Torrent Power Ltd and Jal Sansthan in

pursuance of the decision of the last meeting, permanent/temporary electricity connections of electroplating (imitation jewellery) units operating without the consent form for establishment of industry issued by UP Pollution Control Board should be disconnected immediately by Dakshinchal Vidyut Vitran Nigam Ltd/Torrent Power Ltd and water connections should be disconnected by Jal Sansthan. Similarly, if ground water is being used illegally in the units, then the illegal submersible should be seized and shut down by the Ground Water Department. The action taken should be informed in the next meeting.

(Action- Managing Director, DVVNL/ Torrent Power Ltd./ Water Institute/ Ground Water Department/ UPPCB, Agra)

Agra Development Authority should ensure that action is taken as per rules against electroplating (imitation jewellery) units operating in residential areas

under the relevant sections of UP Town Planning and Development Act, 1973. The action taken should be informed in the next meeting.

(Action-Agra Development Authority, Agra)

As per the decision of the last meeting, as no representative of Torrent Power Limited was present in the meeting, the status of compliance action taken by Torrent Power Limited could not be known, on which expressing displeasure, it was directed that a strong letter be sent to Torrent Power Limited regarding the reasons for not participating in the 57th meeting of the TTZ Authority. The concerned representative of Torrent Power Limited must participate in the next meeting of the TTZ Authority with the desired compliance report/ relevant information regarding the action taken in relation to the said matter.

(Proceedings-Torrent Power Ltd./TTZ Authority)

Other points-

Permission granted by Divisional Commissioner/Chairman, TTZ Authority, Agra for extension of tenure of 02 technical personnel, 01 computer operator, 01 stenographer and 02 Class IV employees working through external service provider for operation of works of TTZ Authority by 06 months (from 01.01.2022 to 30.06.2022) dated 31.12.2021 and permission granted by TTZ Authority Board on 22.06.2022 regarding latest extension of tenure of 06 months (from 01.07.2022 to 31.12.2022) was approved.

Finally the meeting was concluded with thanks.

(Amit Gupta)

Divisional Commissioner/Chairman,

T.T.Z. Authority, Agra.

Amit Gupta
//TRUE TRANSLATED COPY//

नरेश पाल गंगवार, आई.ए.एस.
Naresh Pal Gangwar, IAS



अपर सचिव
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
ADDITIONAL SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST
AND CLIMATE CHANGE

D.O. No. Z-16011/02/2020-CPA
Dated: August, 2023

Dear smt. Hemalata Diwakar ji,

As you are aware that Ministry of Environment, Forest & Climate Change has issued guidelines for Ranking of Cities (Swachh Vayu Sarvekshan) under National Clean Air Programme (NCAP) vide letter dated 10th August 2022 for selecting best performing cities for taking air quality improvement measures in their Cities. All 131 cities have been requested to submit the self-assessment reports for FY 2023-24. Based on the self-assessment reports submitted by 131 cities, Central Pollution Control Board (CPCB) has conducted the evaluation of these cities reports in line with the guidelines of Swachh Vayu Sarvekshan. Accordingly, the following cities have been selected as best performing cities under three categories for FY 2023-24.

| Category | Cities | Score out of 200 |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Category 1 (>10 lakh population) | 1 st Indore | 187 |
| | 2 nd Agra | 186 |
| | 3 rd Thane | 185.2 |
| Category 2 (3-10 lakh population) | 1 st Amravali | 194 |
| | 2 nd Moradabad | 186.2 |
| | 3 rd Guntur | 185.5 |
| Category 3 (<3 lakh population) | 1 st Parwanoo | 193.6 |
| | 2 nd Kala Amb | 193 |
| | 3 rd Angul | 187.5 |

- In this regard, your city will be felicitated with cash award by the Hon'ble Minister of Environment, Forest and Climate Change and Hon'ble Chief Minister of Madhya Pradesh during Swachh Vayu Diwas 2023 scheduled to be held on 7th September at Kushabhau Thakre Hall - International Convention Center in Bhopal, Madhya Pradesh.
- In view of the above it is requested to attend the Swachh Vayu Diwas 2023 to receive the cash award on behalf of your city.

Best wishes

Yours sincerely,

(Naresh Pal Gangwar)


NOTARY
Pawan Kumar
Sharma Advocate
Distt. AGRÁ
Regd. No. 3323/02
Smt. Hemalata Diwakar
Mayor
Agra
Agra Nagar Nigam
Near Soorsadan, M.G. Road,
Sanjay Place, Agra - 282002



पृथ्वी विंग, पांचवा तल, कमरा नं. 505, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड,
नई दिल्ली-110003, फोन: (011) 20819247, ई-मेल: asnpg.mefcc@gov.in
Prithvi Wing, 5th Floor, Room No. 505, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road,
New Delhi-110003, Tel.: (011) 20819247, E-mail: asnpg.mefcc@gov.in

आजादी का
अमृत महोत्सव

TRUE COPY



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड,
नई दिल्ली-110 003
INDIRA PARYAVARAN BHAWAN, JOR BAGH ROAD,
NEW DELHI-110 003
Website : moef.nic.in

Dr. Prashant Gargava
Director, NCAP

Dear Shri Khandelwal,

D.O. No. Z-16011/02/2020-CPA
Dated: 03rd September, 2024

As you are aware that Ministry of Environment, Forest & Climate Change issued guidelines for Ranking of Cities (Swachh Vayu Survekshan) under National Clean Air Programme (NCAP) vide letter dated 10th August 2022 for selecting best performing cities for air quality improvement measures. All 131 cities have submitted the self-assessment reports for FY 2023-24 which were evaluated by Central Pollution Control Board (CPCB) in line with the guidelines of Swachh Vayu Survekshan.

2. Based on the evaluation carried out for 131 cities, Agra city has been selected as one of the best performing cities and ranked third in the population category-1 (more than 10 lakh) under Swachh Vayu Survekshan, 2024.

3. In this regard, Agra will be felicitated with cash award by the Hon'ble Minister of Environment, Forest and Climate Change and Hon'ble Chief Minister of Rajasthan during Swachh Vayu Diwas 2024 scheduled to be held on 7th September, 2024 at Jaipur Exhibition and Convention Centre in Jaipur, Rajasthan.

4. I extend cordial invitation to join the Swachh Vayu Diwas, 2024 along with Hon'ble Mayor to receive the cash award on behalf of your city.

With regards,

Yours sincerely,

Prashant

(Prashant Gargava)

Shri Ankit Khandelwal
Municipal Commissioner
Agra Nagar Nigam
Near Soorsadan, M.G. Road,
Sanjay Place, Agra – 282002, Uttar Pradesh



Shivani

TRUE COPY



ttz pmu <ttzpmu2@gmail.com>

Fwd: Regarding power availability information for April to Sep 24 month in TPL area of operations

1 message

RO Agra <roagra@uppcb.in>
To: ttz pmu <ttzpmu2@gmail.com>

Tue, Oct 15, 2024 at 12:08 PM

----- Forwarded message -----

From: <RajatK@torrentpower.com>

Date: Fri, Oct 11, 2024 at 10:51 AM

Subject: Regarding power availability information for April to Sep 24 month in TPL area of operations

To: <roagra@uppcb.in>

Cc: <bhupendrasingh@torrentpower.com>

Dear Sir,

With reference to cited subject lines & in reference to instruction by your good office, we are enclosing the power availability report in TPL area of operation (Agra District) for last 06 Months; kindly find enclosed information.

| Sr no | Month | Power Availability (HH:MM) |
|-------|---------|----------------------------|
| 1 | Apr-24 | 23:55 |
| 2 | May-24 | 23:50 |
| 3 | Jun-24 | 23:49 |
| 4 | July-24 | 23:53 |
| 5 | Aug-24 | 23:55 |
| 6 | Sep-24 | 23:53 |

Regards,

TRUE COPY





352

PROOF OF SERVICE

Vardharma Chambers <vardharma@gmail.com>

Advance Service of Reply affidavit on behalf of respondent no. 5 in Original Application 455/2015 titled Dr. Devasish Bhattacharya Vs State of UP & Ors.

1 message

Vardharma Chambers <vardharma@gmail.com>

Fri, Feb 14, 2025 at 1:06 PM

To: Ajit Sharma <sharma.ajit@gmail.com>

Cc: Somesh Tiwari <somesh.tiwari@vchambers.in>, utsav.saxena@vchambers.in, kartikey@vchambers.in

Dear Sir,

Kindly find the attached copy of Reply affidavit on behalf of Respondent no. 5 in Original Application 455/2015 titled Dr. Devasish Bhattacharya Vs State of UP & Ors.

Regards,

VARDHARMA CHAMBERS

11 & 11A Golf Apartments

Golf Links, New Delhi- 110003

Mob: +91 8076414398



Reply R5 Devashish Bhattacharya Vs State of UP.pdf